राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंकः **3** सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का उनतीसवां दिवस संख्याः **12**

शुक्रवार,
28 फरवरी 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः नमस्कार। राम राम। आज अच्छा लग रहा है, खाली सीटों को भी राम-राम करता था मैं। अब आज आपको करने की खुशी है। नमस्कार। जय सियाराम।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न काल। डॉ. जसवन्त सिंह यादव।

बहरोड़ में रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण

210. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बजट 2024-25 में विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में आधुनिकतम रोडवेज बस स्टेण्ड/कार्यालय/कार्यशाला की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार बहरोड़ में बस-स्टैण्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

परिवहन मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के परिवर्तित बजट 2024-25 में बहरोड़ में बस स्टैण्ड संबंधी विकास कार्य करवाये जाने हेतु घोषणा की गई थी।

बहरोड़ में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं होने तथा बस स्टैण्ड हेतु उपयुक्त स्थान पर निःशुल्क भूमि का आवंटन नहीं होने के कारण बस स्टैण्ड का निर्माण नहीं करवाया जा सका।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण को बहरोड़ नगरपालिका क्षेत्र में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु 2.41 हैक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं 1.95 हैक्टेयर भूमि का कब्जा राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया गया। वर्तमान में बहरोड़ में आवंटित भूमि पर आधुनिक बस

स्टैण्ड बनाये जाने के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय पूछना चाहता हूं कि जब यह प्रश्न तैयार किया गया उस वक्त जमीन नहीं थी। अब नगर परिषद ने जमीन दे दी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पीछे से आया करो।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नगर परिषद ने जमीन दे दी। ऐसे के अन्दर और जमीन नहीं देने की तो कोई बात ही नहीं आयी, जमीन मिल भी गयी और आप देखिये ...(व्यवधान)... अगर मैं आपके सामने सदन में खड़ा होकर कह रहा हूं कि विभाग को मेरे यहां बहुत उद्योग हैं, आपकी कृपा से सब पर अच्छा असर है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): हां, प्रश्न ही पूछ रहा हूं। सीआरएस में जितना पैसा और चाहियेगा वो भी मैं इनका सहयोग करने को तैयार हूं। बस मेरा तो इतना-सा क्वेश्चन है कि माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी को, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी को भी और आपको भी कि मेरे यहां बस स्टैण्ड की बहुत लम्बे समय से मांग थी, उसको मंजूर कर दिया। आप इतना-सा बता दें, जमीन का और पैसों का इंतजाम कराना मेरा काम है, आप कब तक उसको संचालित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को अवगत कराना चाहता हूं कि आरएसआरटीसी के पास कोई जमीन नहीं थी फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने नगर पालिका से कहकर और आपने जमीन हमें दी है लेकिन उस जमीन में भी हमारे को पूरी जमीन नहीं मिल पायी, उसमें कुछ जमीन पर मकान बने हुए हैं और एक मन्दिर बना हुआ है। उसके बाद में हमारे पास 0.46 हैक्टेयर जमीन का हमें कब्जा नहीं मिल पाया। उक्त भूमि बस स्टैण्ड निर्माण हेतु उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है अत: कंसल्टेंट आवंटित भूमि की फिजिबिलिटी जांच करेगा। एक्चुअल में वहां पर आब्जेक्शन पहले भी वहां के लोगों ने किया, वो फिजिबल भी नहीं है, वहां पर एक्सीडेंट का खतरा है इसलिए उसमें हमने एक कंसल्टेंट फिजिबिलिटी की जांच करेगा उसके लिए कंसल्टेंट नियुक्ति हेतु बजट प्रस्ताव विचाराधीन है। भूमि की उपयुक्तता की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बस स्टैण्ड निर्माण की कार्यवाही की जायेगी। 2024-25 के बजट में सरकार द्वारा बहरोड़ बस स्टैण्ड को विकसित करने हेतु घोषणा की गयी थी। आरएसआरटीसी के बस स्टैण्ड हेतु कोई उपयुक्त जमीन नहीं मिली इसलिए यह हुआ है लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका एक अच्छा बस स्टैण्ड बनेगा, लेकिन हमारी जो रिपोर्ट आ जाये कंसल्टेंट की, फिजिबिलिटी की, निश्चित रूप से आपके बस स्टैण्ड बजट घोषणा में किया गया है, बहुत अच्छा तैयार करवायेंगे।

श्री अध्यक्षः मेरी भी सिफारिश है। वरिष्ठ सदस्य हैं।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): वहां बहुत दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। थैंक यू साहब अध्यक्षजी, आपसे यही तो उम्मीद थी, इसीलिये तो आपको सब अच्छा अध्यक्ष कहते हैं।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। डा. ऋतु बनावत।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने दूसरा पूरक प्रश्न तो पूछा ही नहीं।

श्री अध्यक्षः आपको आश्वासन मिल गया, पूरा वादा कर दिया। मैंने भी आपके समर्थन में बोल दिया। अब यह अलवर की बात है।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपने बोल दिया, उप मुख्य मंत्रीजी ने बोल दिया, मुख्य मंत्रीजी ने बोल दिया, बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं।

बयाना में डांग विकास योजना में स्वीकृत कार्य

211. डा. ऋतु बनावत (बयाना): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षो में विधान सभा क्षेत्र बयाना में डांग विकास योजना में प्रतिवर्ष कितनी राशि के क्या-क्या कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त योजना में वर्ष 2024-25 में कितना बजट आवंटित हुआ और क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये तथा उनमें से कौन-कौनसे कार्य पूर्ण हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (श्री ओटा राम देवासी): (1) विगत पांच वर्षो (2019-20 से 2023-24) में विधान सभा क्षेत्र में डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो का वर्षवार एवं राशिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा कार्यवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) डांग क्षेत्रीय विकास योजना में वर्ष 2024-25 में 50 करोड रूपये का बजट आवंटन किया गया है। योजना में वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कार्य एवं पूर्ण कार्यो का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): अध्यक्षजी, मेरे पास जवाब आ चुका है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्षः पूछिये।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): अध्यक्षजी, डांग विकास क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में उन जिलों को कहते हैं जो दस्यु आंतक के लिए जाने जाते हैं। इनमें भरतपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाईमाधोपुर शामिल हैं। डांग क्षेत्र की खासियत यह है कि बंजर भूमि, पानी की कमी, बीहड़ जंगलों से घिरा इलाका है, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों का यह घर है। मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि क्या राज्य सरकार डांग विकास योजना में बरोदा, बीरमपुरा, बरमाद, गाजीपुर, मेहमदपुरा, बंध बारेठा, सिंघाड़ा, कपूरा मलूका, शेरगढ़, समोगर,

पुरावाई खेड़ा, सीतपुर, हरनगर, सालाबाद, महलोनी, मिलकपुर, नारोली, नहरोली, बडियाली, कनावर, कारवारी, लेचुरा कलां, भवनपुरा, रूदावल, जोतरोली, जटमासी, नोरदा, माडापुरा, दोददा, महलपुरा, काछी, खानसूर जैतपुर, खेड़ा ठाकुर, निभेरा, मड़ोली, दायना गांव, कंजोरी, रूंदरूबास, मिलछमा, इब्राहिमपुर, शक्करपुर, नयागांव, मेरथा, चेकोरा, ओडेलगदी, इन ग्राम पंचायतों को भी क्या राज्य सरकार डांग विकास योजना में सम्मिलित करने की मंशा रखती है क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र डांग में आता है। मेरा सरकार से पहला प्रश्न यह है कि इन क्षेत्रों को डांग विकास में सम्मिलित करने की मंशा रखती है या नहीं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा प्रश्न है कि डांग विकास योजना में आने वाले गांवों का ज्यादातर क्षेत्र वन विभाग और सैंक्चुरी में आता है जिसके कारण वहां पर विकास के कोई भी कार्य नहीं हो पाते हैं और साथ ही डांग का जो इलाका है, उसमें सेंड स्टोन का काम हमारे यहां पर है और डांग विकास योजना के अंतर्गत स्थायी रोजगार की बात सरकार करती है तो मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि डांग विकास योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र को सैंक्चुरी से निकाल कर स्थायी रोजगार हेतु यहां पर सैंड स्टोन की लीज दी जा सकती है अथवा नहीं, इसके विषय में सरकार जानकारी दे।

श्री अध्यक्ष: दोनों प्रश्न आ गये। माननीय मंत्रीजी।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से डांग क्षेत्रीय विकास मण्डल की बैठक 08.01.2025 को आयोजित हुई उसमें राज्य स्तरीय बैठक में निर्णय लिये गये कि जिस क्षेत्र से प्रस्ताव नहीं आये वहां पर जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मांग लिये हैं और जल्दी ही जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मंगवाकर उनका अनुमोदन करके उसका समाधान किया जायेगा।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): धन्यवाद।

श्री ओटा राम देवासी (राज्य मंत्री, पंचायती राज): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न था कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट में, वन क्षेत्र में है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस तरह से फोरेस्ट का एरिया है, माइनिंग का एरिया है, उसको देखकर हमने फोरेस्ट से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर उस क्षेत्र को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी ही आपका क्षेत्र भी जुड़ जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा आपका प्रश्न था कि भरतपुर जिले में आपके कोई स्वीकृति नहीं हुई तो दो सप्ताह के अन्दर हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देता हूं जो पहले हमें 50 करोड़ रुपये मिलते थे, अभी हमें 100 करोड़ रुपये दिये गये हैं। उसके लिए मैं बधाई देता हूं और इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गणेश घोगरा।

डूंगरपुर के विद्यालयों में रिक्त पद

212. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 से दिसम्बर, 2024 तक क्रमोन्नत समस्त विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद अभी तक स्वीकृत नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में क्रमोन्नत किन-किन विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद स्वीकृत किये जा चुके है?

(3) क्या सरकार उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद स्वीकृत कर पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के किन-किन विद्यालयों में शिक्षकों एवं व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): (1) जी हां। वर्ष 2019 से माह दिसंबर 2024 तक की अवधि में क्रमोन्नत किये गये राजकीय विद्यालयों में लेखामद वार व्याख्याताओं के स्वीकृत एवं शेष पदों का सत्रवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है-

क्र.स	सत्र	स्तर	विद्यालयो की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	शेष पदों की संख्या
01	2019-20	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक	287	861	0
02	2020-21	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक	82	83	163
03	2021-22	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक	240	242	478
04	2022-23	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक	3832	0	11496

क्र.सं.	सत्र	स्तर	विद्यालयों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	शेष पदों की संख्या
01	2022-23	उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक	1151	60	3393
02	2023-24	उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक	672	0	2016
03	2024-25	उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक	09	0	27

(2) उक्त आलोच्य अवधि में विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में क्रमोन्नत किये गये राजकीय

उच्च माध्यमिक विद्यालय, माझोला (222372), जिला डूंगरपुर में व्याख्याताओं के 03 पद स्वीकृत किये गए है।

(3) उक्त आलोच्य अवधि में उक्त क्रमोन्नत राजकीय विद्यालयों में लेखामद वार व्याख्याताओं के पद सृजन हेतु पत्रावली वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है।

वित्त विभाग से स्वीकृति उपरांत अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति से पात्र तथा चयनित आशार्थी प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा ।

(4) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक लेवल-1 एवं अध्यापक लेवल-2 के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के समस्त रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर तथा विभागीय पदोन्नति समिति से पात्र तथा चयनित आशार्थी प्राप्त होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री प्रश्न ही पूछ रहा हूं, उत्तर आ गया है।

श्री अध्यक्ष: पूछिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि 2019 से 2024 तक उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किये गये स्कूल, उसमें व्याख्याताओं के पद कितने स्वीकृत किये हैं, अगर स्वीकृत किये हैं तो कितने भरे हुए हैं? मैं सीधा सवाल यही पूछूंगा कि जो स्वीकृत नहीं हुए हैं पद वो कब तक स्वीकृत करेंगे और जो स्वीकृत पद हैं वो भरने की कब तक आप, सरकार इच्छा रखती है, विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में 3822 माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया लेकिन एक भी पद स्वीकृत नहीं किया, उस समय की सरकार ने, ...(व्यवधान)... एक भी पद स्वीकृत नहीं किया।

MLS/RTM/28.02.2025/11:10/1b

इसी प्रकार से 2023-24 में 672 उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया। उसमें एक भी पद स्वीकृत नहीं किया। एक भी नहीं किया। यह हाल था पहले वाली सरकार का, जिसके कारण राजस्थान के छात्र-छात्राएं पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं। ये यदि स्वीकृत कर देते तो शायद यह स्थिति नहीं होती। दो-तीन सालों में कितने बच्चों का नुकसान हुआ होगा, क्या-क्या करना पड़ा होगा उन्हें कांग्रेस की सरकार के कारण। अब हम

50 परसेंट पदोन्नति से भी करेंगे और डायरेक्ट भी भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पदों को भर दें। ऐसा हमारा प्रयास है।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, टीएसपी क्षेत्र एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, गरीब, पिछड़ा है। आप व्याख्याताओं के पद कब तक भरेंगे, क्या कोई समय-सीमा है?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह और गम्भीर बात है कि आदिवासी क्षेत्र में भी व्याख्याता नहीं दिये और वहां विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया, यानी जनजाति के बच्चों को भी इन्होंने नहीं बख्शा और उनको अनपढ़ रखने का षड्यंत्र इस कांग्रेस की सरकार ने किया, इसके कारण से बहुत पीड़ा में हैं जनजाति के लोग। मैं आपको इतना आश्वस्त कर रहा हूं कि शीघ्रातिशीघ्र हम मैक्जिमम पदों को भरने का प्रयास करेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से एक सवाल है, क्या आपके घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि हम एक साल में पहले ही वर्ष में इस शिक्षा विभाग के सारे पद भरेंगे? आपने भरे या नहीं, उसकी स्थिति क्लियर करें।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): हमने प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है और लगभग 22 हजार के ऊपर पदों को भरा जा चुका है। इतनी हमने नौकरियां दे दी हैं, उसके कारण से कुछ राहत मिली है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ये तो पुराने हैं, आपने कहा, एक साल में सारे भर देंगे। सारे रिक्त पद एक साल में भरे जाएंगे, आपकी ही घोषणा है, मैं हमारी थोड़ी बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कार्य

213. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में माह जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत कार्य करवाये गये हैं? यदि हां तो कहां-कहां पर क्या-क्या कार्य? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) छबड़ा व छीपाबड़ौद तहसील में उक्त अवधि में कहां-कहां व क्या-क्या कार्य, किन-किन फर्मों को, कितनी कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? ग्राम पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में स्वीकृत कौन-कौन से कार्य पूर्ण व अपूर्ण हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के तहसील छीपाबड़ौद एवं छबड़ा में कुल 361 ग्राम अवस्थित हैं। माह जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2024 तक की अवधि में इन सभी ग्रामों को जल जीवन मिशन अन्तर्गत ''घर-घर

जल सम्बन्ध'' द्वारा लाभान्वित किये जाने की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की गयी है। इनमें से 48 ग्रामों को लाभान्वित किये जाने हेतु 30 अन्य लघु योजनाओं की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं, जिनकी स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

शेष 313 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए बारां, कोटा व झालावाड़ जिलों के 1402 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने हेतु वृहद पेयजल परियोजना परवन-अकावद की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 27वीं बैठक दिनांक 03.09.2021 के द्वारा राशि रुपये 3523.16 करोड़ की जारी की गयी है। योजना में सम्मिलित विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के 313 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

परियोजना के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु निविदा दिनांक 28.10.2024 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 05.12.2024 को निविदा की तकनीकी बिड खोली जा चुकी है, जो वर्तमान में तकनीकी परीक्षण हेतु प्रक्रियाधीन है।

(2) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद में माह जनवरी 2021 से दिसम्बर 2024 की अवधि में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत अन्य लघु योजनाओं की स्वीकृति, कार्यादेश व कार्यों का प्रगति विवरण परिशिष्ट-अ में निहित है।

वृहद पेयजल परियोजना परवन-अकावद की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 27वीं बैठक दिनांक 03.09.2021 के द्वारा राशि रुपये 3523.16 करोड़ की जारी की गयी है। वर्तमान में योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत 30 अन्य लघु योजनाओं में से 17 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा 11 योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं। 2 योजनाओं यथा ग्राम कालाटोल व ग्राम धामनिया में भू-जल स्रोतों में भू-जल आवक नहीं होने के कारण शेष कार्य नहीं करवाये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-अ में निहित है।

वृहद पेयजल परियोजना परवन-अकावद की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 27वीं बैठक दिनांक 03.09.2021 के द्वारा राशि रुपये 3523.16 करोड़ की जारी की गयी है। वर्तमान में योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है, मैं पूरक प्रश्न पूछ लूं साहब?

श्री अध्यक्ष: पूछिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय मंत्री महोदय, आप यह बताने की कृपा करें कि क्या जल जीवन मिशन के तहत छबड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में पाइप लाइन बिछाने के बाद सड़क व नाली का पुनर्निर्माण करा दिया गया है? यदि नहीं तो किन-किन गांवों में किस-किस दिनांक तक पुनर्निर्माण करा दिया जायेगा? क्या आप इसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी कराने का इरादा रखते हैं?

मेरा दूसरा सवाल है, क्या छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में जल जीवन मिशन

के तहत कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार, घटिया कार्य, अनियमितता व लापरवाही की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां तो किन-किनके द्वारा क्या-क्या शिकायतें की गयी हैं तथा विभाग द्वारा किन-किन फर्मों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

क्या जल जीवन मिशन के तहत छबड़ा तहसील के ग्राम घट्टी सहित अन्य गांवों में साइट पर कराये गये कार्यों में कार्य से अधिक राशि का फर्मों को भुगतान किया गया है? यदि हां तो किन-किन फर्मों को अधिक राशि का भुगतान किया गया है? इस लापरवाही के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? कार्य से अधिक राशि के भुगतान के लिये कौन दोषी हैं? क्या आप इसकी भी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में लगभग 361 गांव अवस्थित हैं। माह जनवरी 2021 से दिसम्बर 2024 तक की अवधि में इन सभी गांवों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ''घर-घर जल सम्बन्ध'' द्वारा लाभान्वित किये जाने की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की विभिन्न बैठकों द्वारा की गयी है। इनमें से 48 ग्रामों को लाभान्वित किये जाने हेतु 30 अन्य लघु योजनाओं की स्वीकृतियां जारी की गयी हैं। यह सारा परिशिष्ट-अ पर माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया है।

शेष जो बची हैं, इनके लिये 313 गांवों के लिये 1402 गांवों को जल जीवन मिशन में लाभान्वित किये जाने हेतु वृहद पेयजल परियोजना परवन-अकावद की स्वीकृत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 27वीं बैठक में 03.09.2021 के द्वारा राशि 3523 करोड़ रुपये की जारी की गयी है। योजना में सम्मिलित विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के 313 ग्रामों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

अब तक इनके 48 गांवों के अन्दर ओटीएमपी के तहत जो काम हुए थे, बड़ी योजनाओं के टैंडर इनके तीन पैकेज हैं, वो अब लगा है, इनकी टैंडर प्रक्रिया चल रही है, इनकी निविदा अब निकलेगी। पैकेज नं.1 लगभग 210 करोड़ का है, जिसमें पम्प हाउस बनेगा। पैकेज नं.2 में फिल्टर प्लांट है। यह 492 करोड़ का है। इनके गांवों के जो बचे हैं, 313 गांवों में केवल 48 की ही योजना बनी थी, बाकी के 504 करोड़ रुपये की योजनाओं के काम के टैंडर प्रक्रियाधीन हैं। इस महीने के अन्दर हम कोशिश करेंगे कि इन सबके वर्क ऑर्डर जारी कर दें।

माननीय सदस्य जी का पूछना है कि जो काम हुए थे, उनका एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया हो तो उनकी जांच की क्या स्थिति है। साथ ही जो रोड्स बनी हैं, जो गड्ढे हुए हैं, जहां पर लाइनें डाली हैं, उन रोड्स की मरम्मत का काम किया या नहीं? विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु 121 किलोमीटर सड़क काटी गयी थी, 48 योजनाएं जो चल रही थीं, उनमें से 117 किलोमीटर सड़क की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत की जा चुकी है। बाकी शेष कार्य प्रगतिरत् हैं एवं मार्च 2025 तक आपके जितने भी गड्ढे हो रखे हैं, उनको कम्प्लीट कराएंगे। यदि नहीं करेंगे तो ठेकेदार और संवेदक के

खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

रही बात उनके मैजरमेंट की तो इसके लिये आप हमें लिखित में दे दें। जो-जो काम हमें लगते हैं कि इनके अन्दर पानी नहीं जा रहा है, इनमें कहीं भ्रष्टाचार है तो उनकी कमेटी बनाकर जांच कर लेंगे और आपके समक्ष रख देंगे।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इतनी सी और जानकारी चाहूंगा मंत्री जी से कि जो शिकायतें हुई हैं सरपंचों के द्वारा, प्रधानों के द्वारा या मेरे द्वारा, उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो-जो भी कार्यवाही हुई, उसकी रिपोर्ट बनाकर मैं इनके पास पहुंचा दूंगा, सारी डिटेल इन्हें भेज दूंगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): वे स्पष्ट पूछ रहे हैं कि क्या-क्या शिकायतें हुईं, विधायक महोदय और प्रधान की आपको शिकायतें की गयी थीं।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): शिकायतें ये हुई हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट के अन्दर भ्रष्टाचार हुआ था, जहां पाइपों के एक्स्ट्रा मैजरमेंट दे दिये गये थे, जहां पर डेप्थ कम डाली गयी थी, जहां पर बगैर पैसे लिये सीसी रोडों की एनओसी दे दी और उनका पेमेंट कर दिया था, उनकी जांच चल रही है। जो भी दोषी अधिकारी होंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं फिर वही कह रहा हूं, यह भाषण नहीं चाहिये, आप तो कहो जो शिकायत आयी, उस पर हमने कार्यवाही कर दी। यह भाषण सवा साल से सुन रहे हैं। आप एमएलए के लैटर पर कार्यवाही नहीं करा रहे हैं क्या?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): 27 से ज्यादा अभियन्ताओं को सस्पेंड कर दिया और बाकी जितने हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष: श्री देवी सिंह शेखावत।

बानसूर में बांधों का रख-रखाव

214. श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में विभाग के अधीन कितने बांध हैं एवं उनके रख-रखाव पर माह अप्रैल, 2013 से जनवरी, 2025 तक कितनी राशि स्वीकृत की गयी तथा कितनी व्यय की गयी? बांधों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांधों में जल स्तर बढ़ाने के लिये सरकार की क्या योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में जल संसाधन विभाग के अधीन हरसौरा एवं बाबरिया दो बांध है। उक्त बांधों के रख-रखाव पर अप्रैल, 2013 से जनवरी, 2025 तक राशि रुपये 176.68 लाख स्वीकृत की गयी तथा राशि रुपये 82.63

लाख व्यय की गयी, विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना में मुख्य फीडर के पास के बांधों में जल भरा जाने हेतु तकनीकी वित्तीय उपादेयता का परीक्षण भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) द्वारा किया जाकर उसके आधार पर डीपीआर तैयार की जा रही है जो कि अन्तिम चरण में है। डीपीआर की सक्षम स्वीकृति उपरान्त जोड़े जाने वाले बांधों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जा सकेगी।

श्री देवी सिंह शेखावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पहले उत्तर के प्रतिप्रश्न के रूप में यह पूछना चाहूंगा कि यह जो राशि 176.68 लाख रुपये की स्वीकृत हुई और खर्च वहां 82.63 लाख हुआ और बांधों के सुदृढ़ीकरण में कमी रह गयी, इसकी जांच करायी जाये।

दूसरा, सरकार का जो प्रयास पार्वती-कालीसिंध से बांधों को भरने का है, वह बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है कि इनमें कोई भी तकनीकी बाधा आये, उसको दूर करके मेरे क्षेत्र के बांधों को भरा जाये। साथ ही, बीलाठ, रामपुर, ज्ञानपुरा में जो एनिकट के लिये मैंने आपसे पत्राचार कर रखा है, उस पर विचार करके अपना सकारात्मक रुख रखें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, मेरा भी इसमें कहना है कि 2013 से लेकर 2025 तक यदि आधा पैसा खर्च होता है तो इसमें कहीं न कहीं चिन्ता करते हुए, समय पर पूरा पैसा खर्च हो, योजना लागू हो, इस पर विचार किया जाये।

MKD/RTM/28.02.2025/11:20/1c

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): बिलकुल माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से बानसूर से आने वाले हमारे माननीय वरिष्ठ विधायक महोदय को कहना चाहता हूं कि ये जो काम हैं, ये मनरेगा के अन्तर्गत लिये गये थे और बांधों के रख-रखाव के उपरोक्त दस कार्य अलग-अलग वर्षों में स्वीकृत किये गये थे, जिसमें बांध सिल्ट सफाई, जंगल सफाई, पाल परकोरी, दबिश डालने आदि के कार्य करवाये जाने थे। उक्त कार्य मनरेगा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों की उपलब्धता और मौके पर तत्समय कार्य की आवश्यकतानुसार ही करवाये गये। अतः राशि का सम्पूर्ण उपयोग सम्भव नहीं हो सका।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी को कि ऐसे 3 हजार 236 छोटे बांध, जो पंचायतों को हैंड ऑवर किये थे, कल बजट के अन्दर, माननीय वित्त मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वापस जल संसाधन विभाग को सौंपे हैं। हम इनकी बड़ी वृहत योजना बनाकर जल्दी ही इनका काम चालू करेंगे।

श्री अध्यक्षः श्री उमेश मीणा।

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की बकाया छात्रवृत्ति

215. श्री उमेश मीणा (आसपुर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों के लिये कौन-कौनसी योजना में छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं? विगत चार वर्षो में उक्त योजनान्तर्गत कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितनों को छात्रवृत्ति दी गयी तथा कितनों की बकाया है? वर्षवार, योजनावार, जिलेवार राशि सहित संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों से अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? यदि हां, तो कितने अभ्यार्थियों की बकाया है? उक्त को कब तक छात्रवृत्ति दे दी जायेगी? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2024-25 में जनजाति अभ्यार्थियों के छात्रवृत्ति योजनाओं में कितने आवेदन प्राप्त हुए? विगत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत आवेदन प्राप्त हुए? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृति प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत विगत चार वर्षो (वर्ष 2020-21 से 2023-24) में प्राप्त आवेदन, भुगतान किये गये आवेदन, भुगतान राशि, बकाया आवेदनों का वर्षवार एवं जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत विगत दो वर्षों (वर्ष 2022-23 एवं 2023-24) में बजट उपलब्धता के अनुसार छात्रवृति राशि का भुगतान किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत विगत दो वर्षों (वर्ष 2022-23 एवं 2023-24) के भुगतान से लम्बित आवेदनों एवं बकाया छात्रवृति राशि का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना होने के कारण उक्त योजना में भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय से भी बजट प्राप्त होता है। योजनान्तर्गत बजट उपलब्धता पर पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृति दी जावेगी।

(3) अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में दिनांक 22 फरवरी 2025 तक 99457 आवेदन पत्र आनलादन प्राप्त हैं, जो विगत वर्ष 2023-24 (दिनांक 22.02.2024 तक) की तुलना में 5.61 प्रतिशत कम है। वर्ष 2024-25 आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 निर्धारित है। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि उपलब्धता के आधार पर छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया जायेगा। केन्द्र व राज्य सरकार का बजट सालाना बनता है या पांच साल का बजट बनता है? पांच साल से बजट अभाव में

छात्रवृत्ति पैंडिंग हैं। मैं 2020-21 का बताना चाहूंगा। 2020-21 के 2889 अभ्यर्थियों को आज भी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उसमें सबसे ज्यादा हमारे प्रतापगढ़ जिले के हैं, 576 अभ्यर्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है।

2021 का आंकड़ा बताऊं, 8748 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। 2022 में 17384 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है और 2023-24 में 49 हजार 771 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। इस प्रकार पिछले पांच साल से 78 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप इन 78 हजार विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति देने की कृपा करोगे या नहीं करोगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना बिलकुल सही है कि पिछले पांच सालों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण होना था, वह समय पर नहीं हो पाई। उसके कारण है, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 तक बजट की जो उपलब्धता थी, वह कम थी। उसके बाद ये बर्डन बढ़ा है, 2021-22 में, 2022-23 और 2023-24 में।

हमारी डबल इंजन की सरकार के कारण, माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के प्रयासों के कारण हमने केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी, क्योंकि इस जनजाति छात्रवृत्ति में 75 प्रतिशत की राशि केन्द्र सरकार की आती है, 25 प्रतिशत राज्य सरकार की आती है। हमारे भागीरथी प्रयासों से मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से हमने ढाई सौ करोड़ रुपये प्राप्त कर लिये हैं और मार्च के फर्स्ट वीक तक हम लोग 2021-22, 2022-23 और 2023-24 तक का जो भुगतान है, उसमें ढाई सौ करोड़ रुपये पूरे दे देंगे।

उसके बाद केन्द्र सरकार ने हमें यह कहा है कि आप इस राशि की यूसी भेजेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ छात्रवृत्ति का अमाउंट है, वह भी हम आपको रिलीज कर देंगे।

आपने जो क्वश्चन किया है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर जो हमारे आदिवासी भाई-बहन हैं, उनको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलता है तो आने वाले समय इसको पूरा, हमारा प्रयास जारी है। हमारे मुख्य मंत्री जी भी मिलकर आये हैं। मैं स्वयं मिलकर आया हूं। विभाग के अधिकारी मिलकर प्रयास कर रहे हैं।

पहले हमें केन्द्र सरकार की तरफ 2022-23 और 2023-24 के ढाई सौ करोड़ रुपये मिले हैं, क्योंकि इससे पहले का बकाया था तो उन्होंने कहा कि जो 2022-23, 2023-24 की पैंडेंसी है, पहले उसको क्लीयर करते हैं और 2024-25 के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2025 तय की गई है। हम चाहते हैं कि 2022-23, 2023-24 का क्लीयर कर दें। उसके बाद 2017-18 से लेकर 2021-22 तक का बजट भी हमने मांगा हुआ है। यह जब क्लीयर हो जायेगा, उसके बाद वह बजट भी देंगे। यह 2024-25 का, 2025-26 इस वर्ष का होगा, उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दूसरा पूछो।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): माननीय, मेरा एक क्वश्चन और है। आज सरकार छात्रवृत्ति देती है और हमारे जो गरीब बच्चे हैं, विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति एक पढ़ाई करने का माध्यम होती है और उसका जो अपना लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करता है।

माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में छात्रवृत्ति का भुगतान करने का प्रावधान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की मंशा रखती है? यदि हां तो क्या? और कब तक? जानकारी इस सदन को बताये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार किसी की भी हो, चाहे केन्द्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उसका लाभ उस पात्र व्यक्ति को सही समय पर मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं।

माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, वह निश्चिय ही सरकार के संज्ञान में है। हमारा प्रयास रहेगा और माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से जो केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं हैं, उसका बजट समय पर मिले, ताकि स्टेट का जो शेयर है, वह भी हम लोग समय पर दे सकें। आने वाले समय में चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे और भी कोई योजना हो, उसका लाभ समय पर मिले। इस छात्रवृत्ति में जो एसटी हैं, एससी हैं, इनके आवेदन की जो तिथि है, 31 मार्च तक हमने रखी है। उसमें जैसे ही आवेदन कम्प्लीट हो जाते हैं, आगे से इसका पूरा प्रयास करेंगे कि सही समय पर बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाये।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संजीव कुमार।

हनुमानगढ़ जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम निर्माण

216. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2024-25 में राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत अनुदान पर गोदाम निर्माण एवं कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना की गई है? यदि हां, तो किस योजनान्तर्गत तथा किस-किस जिले को कितनी-कितनी राशि का आवंटन हुआ? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला हनुमानगढ़ में उक्त योजनांतर्गत कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के गोदाम व कस्टम हायरिंग सेंटर स्वीकृत किए गए एवं आवंटन प्रक्रिया क्या रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त आवंटन बाबत ग्राम सेवा सहकारी समितियों से कोई प्रस्ताव मांगे गए थे? यदि हां, तो उक्त जिले की जीएसएस द्वारा कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए एवं कितने प्रस्तावों की स्वीकृतियां लंबित रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त जिले में लम्बित प्रस्तावों पर विचार कर गोदाम एवं कस्टम

हायरिंग सेंटर स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री गोतम कुमार): (1) जी हां। वर्ष 2024-25 में राजस्थान सरकार की बजट घोषणा अन्तर्गत प्रदेश की 211 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत अनुदान पर गोदाम निर्माण कराया जा रहा है। इस हेतु कुल 3832.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। परिशिष्ट-अ पर इनकी सूची संलग्न है।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु शत प्रतिशत अनुदान के स्थान पर केन्द्र सरकार से लागत के 80 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 08.00 लाख) तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश में 80 कस्टम हायरिंग सेन्टरों की स्थापना की गई। इस हेतु 640 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) हनुमानगढ जिले में उक्त योजनान्तर्गत 15 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 500 मैट्रिक टन के गोदामों के निर्माण हेतु (प्रति गोदाम 25.00 लाख रुपये) एवं 03 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मैट्रिक टन के गोदाम निर्माण हेतु (प्रति गोदाम 12.00 लाख रुपये) कुल 411.00 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। परिशिष्ट-स पर इसकी सूची संलग्न है।

01 कस्टम हायरिंग सेन्टर (ग्राम सेवा सहकारी समिति थालडका) हेतु 08.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया है। समितियों के पास वैध स्वामित्व वाली भूमि उपलब्ध होने एवं संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी कर आवंटन किया जाता है। कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों **(परिशिष्ट-द)** के अनुसार केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बजट के आधार पर स्वीकृति जारी कर कस्टम हायरिंग सेन्टर का आवंटन किया गया है।

(3) जी हां। उक्त आवंटन बाबत ग्राम सेवा सहकारी समितियों से प्रस्ताव मांगे गये थे। केन्द्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ द्वारा उक्त जिले की 18 ग्राम सेवा सहकारी समितियों से गोदाम निर्माण के प्रस्ताव भिजवाये गये जिनकी स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

कस्टम हायरिंग केन्द्र का 01 प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसको स्वीकृत किया जा चुका है।

(4) समितियों के पास वैध स्वामित्व वाली भूमि उपलब्ध होने एवं सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाता है।

Bhs/Rtm/28.02.25/11.30/1d

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक में यह गोदाम आवंटन का बड़ा गम्भीर मामला है। जिला हनुमानगढ़ में वर्ष 2024-25 के गोदाम आवंटन मामले में ए.सी.बी. ने भी एफ.आई.आर. दर्ज की है और

मामला सरकार के संज्ञान में भी है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको इस आवंटन प्रक्रिया बाबत कोई शिकायतें प्राप्त हुईं? यदि हुईं तो किस-किस के खिलाफ और आपने उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की और भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं न हों, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? कृपया बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार जीरो टोलरेंस पर काम कर रही है। हमारे संज्ञान में किसी भी माध्यम से अनियमितता सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त होती है, उस पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। माननीय सदस्य द्वारा हनुमानगढ़ जिले के गोदाम निर्माण सम्बन्धी अनियमितता की शिकायत का जो प्रश्न उठाया गया है उसके सम्बन्ध में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमने त्वरित कार्यवाही करते हुए उसी दिन प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य प्रबन्धक केन्द्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ को सस्पेंड करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। हमारा पूरा प्रयास है कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो इसका पूरा ध्यान जाये।

मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि गोदाम निर्माण में पारदर्शिता बनी रहे किसी भी तरह की अनियमितता नहीं हो पाये इसलिये कमेटियों का गठन भी हमारी सरकार ने किया हुआ है और इस घटना के बाद मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे संज्ञान में जैसे ही प्रकरण की जानकारी हुई, प्रधान कार्यालय स्तर से प्रत्येक जिले में निरीक्षण टीम गठित करके निरीक्षण करवाया गया।

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्य?

श्री संजीव कुमार (भादरा): दूसरा है साहब, अभी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिला हुनमानगढ़ में गोदाम आवंटन के मामले में भारी अनियमितताएं हुई हैं और इस प्रक्रिया को आपने भी दोषपूर्ण माना है तो क्या जिला हनुमानगढ़ के उक्त गोदाम आवंटन को जो आवंटन हुए हैं उनको निरस्त करवा कर पुन: नये सिरे से आवंटन करने का आप विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक? और नहीं तो, क्यों? और साथ ही मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि जो दोषी अधिकारी हैं यदि वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर बैठे हैं तो उनको कहीं अन्यत्र पदस्थापित करने का आप विचार रखते हैं कि नहीं रखते हैं? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही अपने जवाब में आपके माध्यम से इनको जानकारी दी है कि हमने उसी दिन उनको सस्पेंड भी किया और एक अधिकारी जो हमारे विभाग का है उसका मुख्यालय बदलने का काम हमने

अन्यत्र जिले में उसका स्थानान्तरण किया है और एक अधिकारी चूंकि वह हनुमानगढ़ जिला बैंक का है तो वह बैंक का होने से जिले से बाहर तो नहीं जा सकता लेकिन उसका मुख्यालय परिवर्तन करने का काम हमने किया है और गोदाम निर्माण की प्रक्रिया की जो बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की एक महती योजना सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना के तहत उन जिलों को प्राथमिकता दी जानी है जिनमें भण्डारण क्षमता अपेक्षाकृत कम है। भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूची के अनुसार राज्य के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं कोटा जिले में भण्डारण क्षमता उपज के अनुपात में अपेक्षाकृत कमी होने के कारण उक्त तीनों जिलों में भण्डारण निर्माण को प्राथमिकता देते हुए श्रीगंगानगर में 17, हनुमानगढ़ में 15, कोटा में 13 गोदाम हमने स्वीकृत किये हैं, इससे हमारे जिलों की भण्डारण क्षमता बढ़ी है। श्रीगंगानगर में साढ़े आठ हजार टन क्षमता बढ़ी है, कोटा में साढ़े सात हजार टन बढ़ी है और हनुमानगढ़ में साढ़े सात हजार टन बढ़ी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस साल भी नये गोदाम स्वीकृत ...(व्यवधान)...

श्री संजीव कुमार (भादरा): आप तो यह बता दो कि आवंटन निरस्त करके नये सिरे से करवा दोगे क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजो।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, जिन-जिन गोदामों में अगर कोई अनियमितता पायी जाती है उनकी शिकायत अगर आप देंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही करने का काम हम करेंगे।

श्री संजीव कुमार (भादरा): ए.सी.बी. में मामला दर्ज हुआ है, साहब। गड़बड़ हुई है बहुत बड़ी तो आवंटन निरस्त करोगे कि नहीं करोगे? यह बता दो साहब। आप नये सिरे से करवा दोगे क्या? यही पूछ रहा हूं मैं तो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो।

श्री गोतम कुमार (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिनमें आपको ऐसा लगता है कि आवंटन प्रक्रिया में गलती हुई है उनकी आप शिकायत दें उन सब पर कार्यवाही करने का काम और अगर उसमें पाया जायेगा तो उनको निरस्त करने का काम भी हम करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुखवंत सिंह।

नगरीय क्षेत्रों में टाउन प्लानिंग

217. श्री सुखवंत सिंह (रामगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

क्या यह सही है कि नगरीय क्षेत्रों में टाउन प्लानिंग नहीं होने से अव्यवस्थित निर्माण किए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में व्यवस्थित टाऊन

प्लानिंग करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं। नगरीय क्षेत्रों में टाउन प्लानिंग हेतु राज्य में वर्तमान में 302 शहरों में से नियोजित विकास की सुनिश्चितता हेतु 194 शहरों के मास्टर प्लान व 1 लाख से अधिक आबादी वाले 27 शहरों के जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुमोदन कर लागू किये जा चुके है, परिशिष्ट-अ पर अवलोकनीय है, साथ ही शेष 108 शहरों के मास्टर प्लान की प्रगति परिशिष्ट-ब पर अवलोकनीय है।

नियोजित विकास हेतु विभाग द्वारा टाउनशिप पॉलिसी-2010, भवन विनियम-2020, भू-उपयोग परिवर्तन नियम-2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015, विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां-2024 (डी.पी.सी.आर.-2024) लागू की गई है, जिनके आधार पर ही शहरों के विकास हेतु योजनाएं एवं स्वीकृतियां दी जाती हैं।

शहरों का विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसको सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 7 शहरों में विकास प्राधिकरण व 10 शहरों में नगर विकास न्यासों का गठन किया गया है शेष शहरों में नगरीय निकाय गठित है, जिनके द्वारा मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष की अवधि में शहर की आवश्यकता के आधार पर मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान की समीक्षा की जाकर रिव्यू भी किया जा सकता है। 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों के जोनल डवलपममेंट प्लान बनाये जाना नियमों में आवश्यक किया गया है। स्थानीय निकायों द्वारा 1 लाख से कम आबादी के शहरों के भी जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने की कार्यवाही की जा सकती है। शहरों के सुनियोजित विकास एवं आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करने की सुनिश्चितता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा टाउन प्लानिंग अधिनियम एवं भवन विनियम-2020, मुख्यमंत्री जनआवास योजना-2015 एवं टाउनशिप पॉलिसी-2010 का पूर्वावलोकन किया जा रहा है। विभाग द्वारा भी इसे और सुदृढ़ किये जाने हेतु तथा आमजन व निवेशकों की सहूलियत दृष्टिगत प्रचलित नीति/नियमों/अधिनियमों में संशोधन करने अथवा नये नीति/नियम/अधिनियम तैयार करने की कार्यवाही प्राथमिकता पर की जा रही है। जिसका विवरण परिशिष्ट-स पर अवलोकनीय है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सुखवंत सिंह (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह प्रश्न है टाउन प्लानिंग के बिना जब काम होता है तो आमजन के साथ-साथ विकास भी प्रभावित होता है। सीवरेज बाद में डलती हैं, सड़कें पहले बन जाती हैं, लाइनें पहले डलती हैं सड़क बाद में बनत हैं। मेरा मंत्री महोदय से जिन्होंने विस्तार से मुझे डिटेल में उत्तर भिजवाया है, यह कहना है कि क्या सरकार इस टाउन प्लान को पहले इम्प्लीमेंट करने का विचार रखती है? और दूसरा मेरा प्रश्न है मेरे रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र का कोई कस्बा टाउन प्लानिंग में या मास्टरप्लान में शामिल है? अगर नहीं है तो सरकार कब तक उसको शामिल करने का

विचार रखती है?

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने माननीय सदन को अवगत कराया है कि निश्चित रूप से नियोजित तरीके से शहरों का, कस्बों का और नगरों का विकास होना चाहिये और इसके लिए विभिन्न प्रकार की नीतियां बनी हुई हैं। हमारा प्रयास यह है कि उन नीतियों में जितना सुधार करके और इस प्रकार से उनमें सुधार किया जाये कि वो सही रूप से लागू किया जा सके। इसके लिए हम निरन्तर प्रयास करके उनमें संशोधन कर रहे हैं। साथ ही, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि उनके विधान सभा क्षेत्र के जिन कस्बों की...

Kas/rtm/28.02.2025/11.40/1e

अब तक योजना नहीं बनी है, मास्टर प्लान नहीं बना है, निश्चित रूप से सबका मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया चल रही है। नगरीय क्षेत्रों में टाउन प्लानिंग हेतु राज्य में वर्तमान में 302 शहरों में नियोजित विकास की सुनिश्चितता हेतु 194 शहरों के मास्टर प्लान व 1 लाख से अधिक आबादी वाले 27 शहरों के जोनल डवलपमेंट प्लान को अनुमोदन कर लागू किया जा चुका है। नियोजित विकास हेतु विभाग द्वारा टाउनशिप पॉलिसी 2010, भू उपयोग परिवर्तन नियम 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015, विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां 2024, डीपीसी 2024 लागू की गई हैं, जिसके आधार पर ही शहरों के विकास हेतु योजनाएं व स्वीकृतियां दी जाती हैं।

साथ ही मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह भी अपेक्षा करूंगा कि वो इन नीतियों को और सही तरीके से लागू करने के लिये अगर कोई सकारात्मक सुझाव देते हैं, तो हम उन सकारात्मक सुझावों पर भी सकारात्मक रूप से विचार करके और संशोधन करने में भी किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे।

साथ ही जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि लगभग सभी कस्बों के मास्टर प्लान बनाये जाने की प्रक्रिया चल रही है। जिनके मास्टर प्लान बन गये, वो अधिसूचित हो गये और जो अभी प्रक्रियाधीन हैं, जैसे ही वो पूर्ण होंगे, हम उनको अधिसूचित करके आमजन के सामने प्रस्तुत करेंगे और उस पर जो भी आपत्ति और सुझाव आयेंगे, उनको सुनकर, उसके बाद उनको अंतिम रूप देकर लागू करने का कार्य किया जायेगा।

श्री अध्यक्षः अगला प्रश्न। श्री विनोद कुमार।

राजकीय महाविद्यालय, पीलीबंगा में रिक्त पद

218. श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में राजकीय महाविद्यालय कब से संचालित है तथा वर्तमान में उक्त में किस-किस संकाय में, कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में किस-किस श्रेणी के, कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के लिखमीसर, गोलूवाला में राजकीय महाविद्यालय तथा डबली राठान में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेम चन्द बैरवा): (1) विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय रावतसर वर्ष 2022 से एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीलीबंगा वर्ष 2023 से संचालित हैं।

उक्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में संकायवार अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण परिशिष्ट 01 पर संलग्न हैं।

(2) राजकीय महाविद्यालय, रावतसर एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय पीलीबंगा में शैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 02 एवं अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 03 पर संलग्न है।

राजस्थान सरकार द्वारा राजसेस महाविद्यालयों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन दिनांक 08-06-2024 को किया गया है, जिसकी रिपोर्ट एवं निर्णयोपरांत शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक वर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।

(3) विधानसभा क्षेत्र पीलीबंगा के लिखमीसर, गोलूवाला में राजकीय महाविद्यालय तथा डबली राठान में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नही है।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब प्राप्त हो गया है, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूछिए।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार के द्वारा 576 पदों पर आचार्य भर्ती निकाली गई, उसमें लगभग 50-60 सीटों पर एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये था। मंत्री महोदय भी जय भीम, जय भीम करते हैं, क्या उन विसंगतियों को दूर करने के लिये हां या ना में बतायेंगे कि उन विसंगतियों को दूर करेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि आपने जो रिजर्वेशन की बात बताई है, निश्चित रूप से मैं देख कर उस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है, राजकीय महाविद्यालय रावतसर, पीलीबंगा में दो महाविद्यालय पिछली सरकार में मुख्य मंत्री गहलोत साहब द्वारा खोले गये और माननीय भजन लाल जी के द्वारा उनका उद्घाटन किया गया। एक महाविद्यालय

अभी प्रोग्रेस में है। उनमें एक में वहां 15 में से 9 सीटें खाली हैं। एक में 10 में से 4 सीटें खाली हैं और अशैक्षणिक सीटें दोनों कॉलेजों में 11-11 खाली हैं। मंत्री महोदय, बताने का कष्ट करें कि कब तक वो सीटें भर पायेंगे और यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो दोनों कॉलेजों के बारे में बता रहे हैं, निश्चित रूप से इनमें रिक्त पद हैं। आपके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पीलीबंगा में 275 लडकियां वहां अध्ययनरत हैं और इसमें मेरे हिसाब से 12 पद हैं, आप 15 बता रहे हैं और 12 में से 6 पदों पर हमने विद्या संबल से लगा रखे हैं और 6 पद रिक्त हैं, एक पद प्रिंसिपल का रिक्त है।

दूसरी आपकी गवर्नमेंट कॉलेज रावतसर है, इसमें 580 बच्चे हैं और इसमें 7 पद हैं और 7 में से 1 पद रिक्त हैं, 6 भरे हुए हैं। निश्चित रूप से आपकी यह जायज समस्या है और इस समस्या के बारे में मैं आपको बताऊं, तो यह कमी भी आप लोगों की सरकार के द्वारा इस तरह से की गई है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, जिस तरह से कॉलेजेज खोले गये और उन कॉलेजों में आपने कोई स्टाफ की व्यवस्था नहीं की। मैं हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने यह वैकेंसीज निकालीं और अब हम निश्चित रूप से जल्दी ही इसकी पूर्ति कर रहे हैं। आपके राजकीय महाविद्यालय, रावतसर में 12 पदों के विरुद्ध 6 पद रिक्त हैं। अब हम इन दोनों महाविद्यालयों के लिये द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर में नियमित अध्ययन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षकों को विद्या संबल योजना के द्वारा लगाने की इसमें कार्यवाही चल रही है। जब यह सेमेस्टर चालू होगा तो हम शिक्षकों की व्यवस्था यहां पर करवायेंगे।

श्री विनोद कुमार (पीलीबंगा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। सचेतक महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं?

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष महोदय, कृपया ध्यान दें, अभी पूरक प्रश्न पूछते समय माननीय सदस्य ने कहा कि आप जय भीम, जय भीम बोलते रहोगे या कुछ काम भी करोगे या नहीं। यह अनावश्यक टिप्पणी है, ऐसी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जय भीम से एतराज है तो हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री अनिल कुमार कटारा।

अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभाओं की बैठकें

219. श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में कितनी ग्राम पंचायतें हैं व इनमें कितनी ग्राम सभाओं का गठन पेसा एक्ट के तहत हुआ है? क्या दोनों में कोई अन्तर है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के प्रावधानों के तहत ग्राम सभाओं की त्रैमासिक बैठक समय-समय पर आयोजित की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पारदर्शिता लाने हेतु अनुसूचित क्षेत्र में गठित प्रत्येक ग्राम सभा की त्रैमासिक बैठकों का रिकॉर्ड रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पंचायती राज मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में 1635 ग्राम पंचायतें हैं व इनमें पेसा एक्ट के तहत 5216 ग्राम सभाओं का गठन हुआ है। ग्राम पंचायत व पेसा एक्ट के तहत गठित ग्राम सभाओं की संख्या में अन्तर है।

(2) जी हां। अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के प्रावधानों के तहत ग्राम सभाओं की त्रिमासी बैठक समय-समय पर आयोजित की जा रही है।

(3) ग्राम सभा की त्रैमासिक बैठकों का रिकॉर्ड संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा रखा जाता है।

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न पर मंत्री जी का जवाब आ गया है। मैं मंत्री जी के जवाब से थोड़ा असंतुष्ट हूं, क्योंकि मैंने पंचायती राज की ग्राम सभा और पेसा एक्ट की ग्राम सभा के मध्य मूल अंतर के बारे में पूछा था और जवाब संख्या में आया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो चुने हुए सदस्य होते हैं उनके साथ ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है, उसमें कुछ अधिकारी-कर्मचारीगण आते हैं और पेसा एक्ट में जो ग्राम सभा होती है, वह हर ग्राम में सभा होती है, उसको पेसा एक्ट के तहत हम ग्राम सभा बोलते हैं, यह दोनों में अंतर है।

श्री अनिल कुमार कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल था कि क्या अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के प्रावधान के तहत ग्राम सभा की त्रैमासिक बैठक समय-समय पर आयोजित की जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों? इसके जवाब में उत्तर आया है, जी हां, अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के प्रावधान के तहत ग्राम सभा की त्रैमासिक बैठक समय-समय पर आयोजित की जा रही है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या त्रैमासिक बैठक के लिये विभागीय आदेश जारी किये जाते हैं, तो पिछले एक साल से ग्राम सभा आयोजन में कब-कब आदेश जारी किये, कितना पैसा खर्च हुआ, जानकारी सदन में रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सामान्यत: बैठक होनी चाहिये, लेकिन अधिकांश स्थानों पर बैठकें नहीं होती हैं और यह आदेश पूर्ववर्ती सरकार को जारी करना चाहिये था, इन्होंने गड़बड़ की। जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों के लिये गांव में सभा करके उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सकता था, उससे कांग्रेस की सरकार ने वंचित रखने का प्रयास किया है, जो बहुत ही निंदनीय है, नहीं होना चाहिये था और जो कानून में

प्रावधान हैं, उनके मुताबिक मीटिंगें नहीं की गईं। अब हम कोशिश करेंगे कि इन मीटिंगों को नियमित करें।

श्री अध्यक्षः अब आप कर दो। अगला प्रश्न। श्री पूसाराम गोदारा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अब आप इस प्रकार की बात लाते हो तो मैं पूछ रहा हूं कि इस सवा साल में कितनी बैठकें हुई हैं? बैठकें कराने के आपने कितने ऑर्डर जारी किये और कितनी बैठकें हुई हैं?

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): आपको जानकारी पहुंचा देंगे, अभी तत्काल नहीं है।

श्री अध्यक्षः श्री पूसाराम गोदारा।

रतनगढ़ में उच्च जलाशयों का निर्माण

220. श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ व सुजानगढ़ में जल जीवन मिशन/आपणी योजना में स्वीकृत उच्च जलाशयों में से कहां पर उच्च जलाशयों का निर्माण किया जा चुका है तथा कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त उच्च जलाशयों का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् पानी सप्लाई का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो किन-किन उच्च जलाशयों से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार और संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) वृहद पेयजल परियोजना रतनगढ़-सुजानगढ़ की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 20वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 के द्वारा एवं संशोधित स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 37वीं बैठक दिनांक 30.05.2023 के द्वारा जारी की गई है। इस परियोजना में विधानसभा क्षेत्र रतनगढ व सुजानगढ़ में कुल 17 उच्च जलाशय निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है, जिनमें से रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 07 एवं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 उच्च जलाशय निर्मित किये जाने हैं। परियोजना के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 07.01.2022 को कार्यादेश जारी किया गया था। कार्यादेशानुसार कार्य को दिनांक 06.04.2023 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था, परन्तु संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है।

परियोजनान्तर्गत रतनगढ़ एवं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्रों हेतु स्वीकृत सभी 17 उच्च जलाशयों का कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है, जिन्हे चरणबद्ध रूप से माह अगस्त, 2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। स्वीकृत उच्च जलाशयों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार परियोजनान्तर्गत रतनगढ़ एवं सुजानगढ़ विधानसभा हेतु स्वीकृत सभी

17 उच्च जलाशयों का कार्य वर्तमान में प्रगतिरत होने के कारण किसी भी उच्च जलाशय से पेयजल वितरण प्रारम्भ किया जाना संभव नहीं है।

(3) कार्यादेशानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने एवं धीमी गति से कार्य किये जाने के फलस्वरूप संवेदक को निविदा प्रपत्र में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नोटिस जारी किये जाकर संवेदक के भुगतान से राशि रुपये 6.56 करोड़ शास्ति के रूप में रोकी गयी है।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब प्राप्त हो चुका है। जवाब में यह लिखा गया है 17 उच्च जलाशय का निर्माण करवाने के लिये 7.1.2022 को आदेश दिया, वह 6.4.2023 को पूर्ण हो जाना चाहिये था। अभी तक यह जलाशय पूर्ण नहीं हुए और इनकी समय सीमा इन्होंने 31 अगस्त, 2025 तक मांगी है, खेद का विषय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक साल का काम तीन साल में भी पूर्ण नहीं हुआ, जबकि वहां पानी की भयंकर किल्लत है, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब तक जिन लोगों ने डिले किया, जो भी अधिकारी हों, जो भी कांट्रेक्टर हों, उनके खिलाफ माननीय मंत्री महोदय या सरकार कार्यवाही करने का इरादा रखती है या नहीं?

दूसरी बात यह है कि इन जलाशयों में आप कब तक पेयजल सप्लाई सुनिश्चित कर दोगे, ताकि उस क्षेत्र में पानी मिल सके। मैं इसलिए भी इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं कि कुछ ऐसे जलाशय जो मैंने खुद ने देखे हैं, जिनको पूर्ण हुए 6 महीने हो गये, इन्होंने पानी दिया, पानी निकल गया और इस कारण से इन्होंने लिख दिया कि हम 31 अगस्त, 2025 तक काम पूर्ण करेंगे। खेद है कि एक साल का काम तीन साल तक पूर्ण नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय यह बताएं कि यह कब तक पूर्ण होंगे और इनकी जल सप्लाई कब तक सुनिश्चित कर दी जायेगी?

msk/rtm/28.02.25/1150/1f

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की वास्तविक तकलीफ है कि जिस तरह से समय पर काम होना चाहिए था, चूरू जिले की तहसील रतनगढ़ एवं सुजानगढ़ के कुल 266 ग्रामों एवं उनकी ढाणियों को जल जीवन मिशन के तहत नहरी जल से, घर-घर जल से लाभान्वित करने के लिए स्टेट लेवल कमेटी की 20वीं बैठक 11.02.2021 द्वारा रतनगढ़, सुजानगढ़ वृहद पेयजल परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि 198.8 करोड़ की जारी की गयी थी। तकनीकी समिति की बैठक 704, दिनांक 16.07.2021 को राशि 148 रुपये की तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी। इस परियोजना का कार्यादेश दिनांक 28.12.2021 को राशि 192.9 करोड़ का मैसर्स रियान वॉटर टैक प्राइवेट लिमिटेड एवं मैसर्स पी.सी.स्नेहल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जेवी को जारी किया गया। कार्यादेश अवधि 15 माह नियत थी, जिसे

वर्तमान में दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ाया गया है। संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति 195 करोड़ की जारी की गयी, इस परियोजना के तहत निम्न कार्य किये जाने थे।

विभिन्न साइज के डीआई पाइप 101 किलोमीटर के विरूद्ध 100 किलोमीटर की आपूर्ति की चुकी है और 83.40 करोड़ लाइन डाली जा चुकी है। विभिन्न साइज के एसडीपी पाइप 1608 किलोमीटर के विरूद्ध 1576 किलोमीटर की आपूर्ति की जा चुकी है, 1300 किलोमीटर की लाइन डाली जा चुकी है। 176 ग्रामों में पाइपलाइन डालने का कार्य करवाया जा रहा है। चार गांवों में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इनमें कुल 20 उच्च जलाशय के स्ट्रेक्चर डिजाइन करके इसमें 13 जलाशय कम्पलीट है। सीडब्ल्यूआर, जो नीचे स्व-जलाशय होते हैं, ये लगभग 18 में से 11 कम्पलीट हैं, पूर्ण होने की स्थिति में हैं। इनके जो कुल कनेक्शन होने थे, 58,888 के विरूद्ध 33,051 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। इस परियोजना में वित्तीय प्रगति 85.94 करोड़ की प्राप्त की है। कार्य में देरी की वजह से इस कांट्रेक्टर के विरूद्ध लगभग 6.56 करोड़ की राशि शास्ति की गयी है। माननीय सदस्य ने कहा कि इस कांट्रेक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? इसके खिलाफ अतिरिक्त मुख्य अभियंता परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र चूरू से फर्म के कार्य को रिसिंड करने बाबत एजेण्डा प्राप्त हो चुका है, जिसका तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण कराया जा रहा है, इसके बाद उचित निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): एक बात और पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि 6.56 करोड़ रुपये शास्ति के रूप में रोके गये हैं। जबकि वास्तव में डेढ़ साल के बनिस्बत तीन साल लगे हैं। आपने और सब बात ठीक कही। उस एरिये में भयंकर पानी की किल्लत है, सिर्फ आपणी योजना पर निर्भर है। इसलिए आज यह घोषणा करें कि इन टंकियों से कब तब पेयजल सप्लाई सुनिश्चित हो जायेगी और इसमें जो ठेकेदार दोषी पाये जाएं, जो 6.56 करोड़ रुपये रोके गये हैं, वे शास्ति के रूप में रोके गये हैं। क्या कार्य पूर्ण नहीं होने पर यह शास्ति लगा दी जायेगी या नहीं? जिन अधिकारियों ने इसमें नैग्लीजेंसी बरती है, कार्यवाही कर दी जायेगी या नहीं? माननीय मंत्री महोदय, बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में काम काफी लेट हुआ। मार्च, 2024 तक पूरे भारत के अन्दर जेजेएम का काम कम्पलीट करना था। कल प्रतिपक्ष के नेता जी ने बोला था कि पूरे भारत में बढ़ाया है और राजस्थान वाले श्रेय ले रहे हैं। पूरे भारत में 90 परसेंट से ज्यादा कम्पलीट हो गया था, हमारा काम केवल 40 परसेंट कम्पलीट हुआ था। 40 परसेंट कम्पलीट होने के बाद हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री जी के बार-बार निवेदन करने के बाद जब हमारी 60 परसेंट काम करने की तिथि बढ़ायी तो उनके बचे हुए काम की बढ़ायी। बाकी राजस्थान के मुख्य मंत्री जी की वजह से ही यह जेजेएम 2028 तक बढ़ा है। मार्च, 2024 के बाद वित्तीय प्रबंधन की वजह से कुछ कमी

थी, कांट्रेक्टर को समय पर पेमेंट भी नहीं दिया। हमारे मुख्य मंत्री जी की वजह से इसकी जो तिथि बढ़ायी, उसकी वजह से बहुत जल्दी इसका पेमेंट भी देंगे और ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही भी करेंगे और जांच करेंगे। जो अधिकारी हैं, जिन्होंने इसके काम में लापरवाही बरती है। जिस तरह से माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो टंकी बनायी, उसमें पानी लीकेज हो रहा है। अगर ऐसा घटिया काम किया है तो उसकी जांच कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र।

बाण गंगा नदी में पानी लाने की योजना

221. श्री राजेन्द्र (महवा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर, दौसा एवं भरतपुर में पेयजल व सिंचाई हेतु बाण गंगा नदी में पानी लाने की कोई कार्ययोजना सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या तथा उक्त योजना किस स्तर पर लम्बित है?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त योजनाओं की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक योजनान्तर्गत बाणगंगा नदी बेसिन में स्थित रामगढ बांध में पेयजल हेतु जल भरा जाना प्रस्तावित है। राज्य के परियोजना क्षेत्र में स्थित वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं जिनमें काफी समय से पर्याप्त जल आवक नहीं हो रही है, ऐसी वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं /बांधों में तकनीकी एवं वित्तीय उपादेयता के आधार पर जल भरा जाने का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना में मुख्य नहर तंत्र निर्मित होने पर राज्य के अन्य बांधों एवं तालाबों में जल भरने हेतु प्रावधान रखा गया हैं। डीपीआर की सक्षम स्वीकृति उपरान्त चरणबद्ध रूप से परियोजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है ।

संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना के साथ-साथ बाणगंगा एवं रूपारेल बेसिन में जल आपूर्ति के क्रम में बजट भाषण वर्ष 2025-26 में 'राणा प्रताप सागर बांध-ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध में जल अपवर्तन लिंक के कार्य हाथ में लिये जायेंगे तथा इनको आगे बढ़ाते हुए बीसलपुर बांध से बाणगंगा एवं रूपारेल नदी को चरणबद्ध रूप से जोड़े जाने सम्बन्धी कार्य की DPR-जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, डीग, अलवर' की घोषणा की गई।

बाणगंगा नदी में पानी डालने हेतु डीपीआर तैयार कर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

(2) पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना के साथ एकीकृत किये जाकर संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना के रूप में नदी अतंर्योजन के लिये गठित विशेष समिति द्वारा 13 दिसम्बर, 2022 को 20वीं बैठक के दौरान राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना में शामिल किया गया। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु माननीय प्रधान मंत्री महोदय की उपस्थिति में भारत सरकार, राजस्थान एवं मध्यप्रदेश राज्यों के मध्य

दिनांक 17.12.2024 को MoA का हस्तान्तरण किया गया। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की डीपीआर जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा तैयार की जा रही है, जो कि अंतिम चरण में है। डीपीआर तैयार होने पर केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। राणा प्रताप सागर बांध-ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध, बाणगंगा एवं रूपारेल नदीं में जल अपवर्तन हेतु डीपीआर तैयार होने पर गुणावगुण के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे ।

श्री राजेन्द्र (महवा): मंत्री जी का मुझे जवाब मिल गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूछिये।

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बाण गंगा नदी दौसा, महवा, बांदीकुई सहित भरतपुर की महत्वपूर्ण नदी है। यह कई दशकों से सूखी पड़ी हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा और पास के बांदीकुई के आसपास पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है और डार्क जोन की तरफ जा रहा है। अभी करीब सात सौ से हजार फीट की गहराई तक ट्यूबवैल खोदे जाते हैं, तब भी पानी मिलना बड़ा मुश्किल है। जो वेस्ट पानी बह रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आपकी तरफ से यह आश्वस्त करें कि जो वेस्ट पानी है, क्या उसको बाण गंगा नदी में रिचार्ज के रूप में शामिल करने का कोई विचार रखते हैं या नहीं?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि बाण गंगा नदी है, उसमें बाणी, माधोवैणी, गोमती का नाड़ा, रोड़ा, ढूंढ, साबी, नासी, सोई, सावा, खारड़ी, खरोली आदि नदियों का पानी आता है। जहां तक इसकी जल उपलब्धता बढ़ाने का सवाल है तो बाण गंगा नदी में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में संशोधित कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना व बजट घोषणा 2025-26 में राणा प्रताप सागर बांध-ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध में जल अपवर्तन लिंक के कार्य हाथ में लिये जाएंगे तथा इसको आगे बढ़ाते हुए बीसलपुर बांध से बाण गंगा एवं रूपारेल नदी को चरणबद्ध रूप से जोड़े जाने सम्बन्धी कार्य डीपीआर जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, डीग, अलवर के अन्तर्गत कार्य करवाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मनीष यादव।

पालनहार योजना के लाभार्थी

222. श्री मनीष यादव (शाहपुरा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) प्रदेश में पालनहार योजना के तहत वर्तमान में कितने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत कितने लाभार्थियों का माह जुलाई, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक कितना भुगतान लम्बित है? भुगतान लम्बित रहने के क्या कारण है तथा उक्त भुगतान

कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अविनाश गहलोत): (1) पालनहार योजनान्तर्गत वर्तमान में प्रदेश में कुल 615098 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) पालनहार योजनान्तर्गत जुलाई, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक का लम्बित भुगतान का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

पालनहार योजनान्तर्गत पालनहारों/बच्चों को केन्द्रीयकृत भुगतान प्रक्रिया द्वारा प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। कतिपय प्रकरणों में बैंक विवरण अद्यतन नहीं होने/सत्यापन देरी से करवाने के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ है, जिनमें सतत भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय मुझे उत्तर प्राप्त हो गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: पूछिये।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, अनाथ, विधवा, नाता आदि जैसे गरीब बच्चे, जिनको पालनहार योजना संबल प्रदान करती है, जिससे उनकी पढ़ाई-लिखाई व पालन-पोषण किया जाता है और यदि इसका पैसा भी उनको बच्चों को समय पर नहीं मिल पाता है तो उन बच्चों के साथ अन्याय जैसा व्यवहार किया जा रहा है। जुलाई में ऐसे बच्चे 5 हजार हैं, सितम्बर में 20 हजार..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री मनीष यादव (शाहपुरा): माननीय मेरा सीधा-सीधा प्रश्न यह है कि सरकार उक्त योजना के 2 लाख 67 हजार 138 बच्चों के बकाया 40.15 करोड़ रुपये का भुगतान किस दिनांक तक कर देगी? आप 350 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और 40.15 करोड़ रुपये पालनहार योजना में भी नहीं दे पा रहे हैं। आप वह कब तक दे देंगे? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। उत्तर सुन लो भई।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मेरा जब पूरा उत्तर आ जायेगा तब आप लोग ही धन्यवाद करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पालनहार के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो 90 लाख के करीब लाभार्थी हैं, उसके अलावा 6 लाख 15 हजार वे बच्चे हैं, जिनको उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा इस योजना के माध्यम से मिलता है। प्रश्न के सन्दर्भ में मैं आपसे आग्रह करुंगा कि हमने जो उत्तर दिया है, जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में 40 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। कल तक, यह सतत प्रक्रिया होती है और प्रतिवर्ष लगभग 50-60 हजार नये बच्चे पालनहार में जुड़ते हैं। इसका वार्षिक सत्यापन होता है। इसमें शिक्षा विभाग के माध्यम से भी और आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से भी प्रतिवर्ष सत्यापन होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय,

अभी तक 97 परसेंट के करीब सत्यापन हो चुका है। आप यह जो संख्या बता रहे हैं कि जो 40 करोड़ रुपये की बकाया राशि है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका बिल ईसीएस के लिए जाता है, उसमें तीन से पांच हजार बच्चों का एक साथ बिल जाता है। उस बिल में अगर एक भी बैंक खाता विवरण सही नहीं होता है। अभी कुछ बैंकों का मर्ज हुआ है, जो जनवरी तक चला है। उनके आईएफएससी कोड में परिवर्तन होने के कारण एक भी व्यक्ति का अगर बैंक खाता विवरण गलत हो जाता है तो पूरा बिल वापस आता है। ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): कोई मर्ज नहीं हुए, बैंक।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सुनिये। आज दिनांक तक.. ...(व्यवधान)... मैं बता रहा हूं। आप सुनें। मैं पूरा बता दूंगा, भइया।...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): बीच में बोलना परंपराओं के विरूद्ध है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये। माननीय जवाब आने दें।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष, आप यह जो 40 करोड़ का बता रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): कोई मर्ज नहीं हुए ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपके कहने से होंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी सक्षम हैं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हमारी सरकार का कल दिनांक 40 करोड़ रुपये पूरा ईसीएस हो चुका है और इसका भुगतान हो जायेगा। ...(व्यवधान)... मुझे यह कहते हुए खुशी कि जो हमारी सरकार ने पालनहार योजना के माध्यम से 1110 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, आपके विपक्ष के नेता खड़े हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है।

mdp/rtm/28.02.2025/12:00/1g

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। बैठे-बैठे मत बोलिए।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान, सदस्य की ओर से घोसुंडा बांध में सिंचाई हेतु न्यूनतम पानी छोड़े जाने के संबंध में।

2. डॉ. सुभाष गर्ग, सदस्य की ओर से भरतपुर एवं डीग जिले को यमुना जल समझौता अनुसार पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3. डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

4. डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास उपखण्ड में ए.डी.जे. एवं ए.सी.जे.एम. कोर्ट खोले जाने को लेकर किये जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से पटवारी भर्ती 2025 में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आरक्षण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

6. श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से रतनगढ़ बस स्टैण्ड पर पदस्थापित कार्मिकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

7. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायत शिक्षक सहायकों को स्थायीकरण में अनुभव की शिथिलता प्रदान नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

8. श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नोहर में फसल बीमा क्लेमों में क्रॉप कटिंग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

9. श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में चल रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

10. श्री चेतन पटेल कोलाना, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायत समिति सदस्यों की समस्याओं का समाधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

11. श्री सुरेश गुर्जर, सदस्य की ओर से कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दरा की नाल पर लगने वाले जाम से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अमित चाचाण, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री चेतन पटेल कोलाना एवं श्री सुरेश गुर्जर को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से सीमावर्ती जिलों में शिक्षा की बदहाल स्थिति के संबंध में।

2. श्री गुरवीर सिंह, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर शुगर मिल लिमिटेड का विस्तार किये जाने के संबंध में।

3. श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से जिला चिकित्सालय नीम का थाना में हृदय रोग चिकित्सा इकाई प्रारम्भ करने के संबंध में।

4. श्री थावर चन्द, सदस्य की ओर से उप तहसील मुंगाना को तहसील में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

5. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से उदयपुर जिले के बडगांव बांध से बेडच नदी में पानी छोड़े जाने के संबंध में।

6. श्री विश्वराज सिंह मेवाड़, सदस्य की ओर से नगर पालिका क्षेत्र नाथद्वारा में मदिरा एवं मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाये जाने के संबंध में।

7. श्री लादु लाल पितलिया, सदस्य की ओर से संविदा पर कार्यरत पम्प चालकों के नियमितीकरण के संबंध में।

8. श्री हरलाल सहारण, सदस्य की ओर से चूरू स्थित चिकित्सा महाविद्यालय एवं डी.बी. चिकित्सालय में रिक्त पदों एवं मूलभूत साधनों की कमी के संबंध में।

9. श्री पब्बाराम विश्नोई, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फलोदी के चिकित्सालयों में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में।

10. श्री राधेश्याम बैरवा, सदस्य की ओर से बारां शहर में सीवरेज कार्य धीमी गति से व गुणवत्तापूर्ण न होने के संबंध में।

11. श्री समाराम, सदस्य की ओर से नगर पालिका पिण्डवाड़ा द्वारा जन सहभागिता आवास योजना अन्तर्गत आवंटित आवासों का कार्य पूर्ण करवाये जाने के संबंध में।

12. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में मार्बल एवं ग्रेनाईट उद्योग पर जी.एस.टी. दरों में छूट दिये जाने के संबंध में।

13. डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से राज्य सरकार की ओर से एम.बी.सी. आरक्षण को नवीं अनुसूची में जोड़े जाने के संबंध में।

14. डॉ. प्रियंका चौधरी, सदस्य की ओर से बाड़मेर में कृषि महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने तथा भवन निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में।

15. श्री भगवाना राम सैनी, सदस्य की ओर से झुंझुनू जिले में गोठडा थाना क्षेत्र के पहाडिला गांव के माउंटेन होटल में घटित घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी किये जाने के संबंध में।

आज काम पर्याप्त है, इसीलिए इनको पढ़ा हुआ माना जाएगा। दो-दो डिमांड पर बहस भी है, साथ ही, अनुपूरक मांगों को भी हमको चर्चा में लाना है और दो ध्यानाकर्षण भी हैं। अतः इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

पर्ची

आज दिनांक 28/02/2025 को शून्यकाल में बोलने हेतु 38 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गई, जो निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	माननीय सदस्य का नाम	विषय
1.	श्री विक्रम सिंह जाखल	नवलगढ़ कस्बे में संचालित ड्रेनेज कार्य में हो रही देरी एवं मुकुन्दगढ़ कस्बे में ड्रेनेज कार्य की राशि में वृद्धि करने के सम्बन्ध में।
2.	श्री ललित मीना	किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन

		मिशन की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन एवं पानी की समस्या के सम्बन्ध में।
3.	श्री शंकर सिंह रावत	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ाखेड़ा (ब्यावर) को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।
4.	श्री डूंगरराम गेदर	पटवार भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्गवार पद विभाजन आरक्षण में विसंगति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री अमित चाचाण।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नोहर में फसल बीमा क्लेमों में क्राप कटिंग

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने किसानों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्थगन के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से बीमा कंपनियों के द्वारा सबसे बड़ा स्केम प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। बीमा क्लेम के माध्यम से किसानों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केन्द्र सरकार के द्वारा प्रीमियम राशि बीमा कंपनियों को जमा करवाई जाती है, लेकिन जब किसानों को क्लेम देने की बात आती है, उन्हीं बीमा कंपनियों के द्वारा तरह-तरह के आक्षेप लगाकर किसानों की पॉलिसियों को निरस्त किया जाता है। किसानों के पटवार मंडलों पर आपत्तियां लगाई जाती हैं और किसानों को बीमा क्लेम नहीं दिया जाता, क्योंकि सरकारों के द्वारा, उन बीमा कंपनियों के कॉरपोरेट हाउस के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो अधिसूचनाएं बनायी जाती हैं, सरकारों के द्वारा उन अधिसूचनाओं, नियमों को जारी किया जाता है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, देखिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय सदस्यगण, अपनी-अपनी सीटों पर विराजिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर): वह बीमा कंपनियों के हित में तो होती है, लेकिन किसानों के हित में वह नहीं होती, इस वजह से किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिलता। हम देखते हैं कि किसानों को आज समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिलता, किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल पाती, ऊपर से मौसम की मार रहती है, जिससे किसानों की फसलें लगातार बरबाद होती जा रही हैं। किसानों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को उनका बीमा क्लेम मिलेगा, लेकिन बीमा कंपनियों की हठधर्मिता के कारण स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण तरह-तरह के आक्षेप लगाकर उन बीमा पॉलिसियों को निरस्त किया जाता है। आज क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन चल रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे नोहर और भादरा के किसानों की बात करूं, पिछले कई वर्षों से रबी व खरीफ के किसानों को क्लेम बीमा कंपनियों के द्वारा नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही बीमा कंपनी ने एक बात और कर दी कि सेटेलाइट के माध्यम से खेत का चयन किया जाता है। जिस खेत में फसल अच्छी होती है, उसका चयन सेटेलाइट के माध्यम से होता है। पूर्व में यह राजस्व कटाई प्रयोग के माध्यम से रेंडमली किया जाता था। इससे किसानों को उसका लाभ मिलता था। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि बीमा कंपनियों को पाबंद कीजिए, अधिकारियों को पाबंद कीजिए, जिससे किसानों के हित में हमारा कई वर्षों का रबी व खरीफ का बीमा क्लेम बाकी है, जो पटवार मंडलों पर आपत्ति लगायी गयी है, तरह-तरह के आक्षेप लगाकर जो पॉलिसियां निरस्त की गयी हैं, उनको बहाल करें। आक्षेपों को हटाया जाए और सेटेलाइट के द्वारा जो खेत का चयन किया जाता है, उसके अलावा राजस्व कटाई प्रयोग के माध्यम से रेंडमली भी खेत का चयन किया जाए, जिससे किसानों को उनका हक मिल सके। आज लगातार किसानों पर मार पड़ रही है। किसानों को उनकी फसल का न तो भाव मिल रहा है, न किसानों को बीमा क्लेम मिल रहा है, जिससे लगातार किसान हनुमानगढ़ जिले के अन्दर, नोहर व भादरा के अन्दर धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपसे विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगा कि किसान के हाथ को मजबूत करने के लिए, किसान को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए फसल बीमा योजना जो चलायी गयी है, उसका लाभ किसानों को ज्यादा से ज्यादा मिले, आप अधिकारियों/कर्मचारियों को पाबंद कीजिए, जिससे कि ये बीमा कंपनियों को पाबंद करते हुए किसानों को लाभ दिलवा सके। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

Ans/rtm 12.10 1h 28.02.2025

प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में जारी हड़ताल

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूं कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान की वर्तमान स्थिति पर मुझे कृषि उपज मण्डी के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, गत पांच दिनों से भी अधिक समय से राजस्थान की 247 कृषि उपज मण्डियां बंद पड़ी है। व्यापारी हड़ताल पर हैं, व्यापारियों ने खरीद बंद कर दी है। परिणास्वरूप व्यापारियों ने यहां तक भी चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने उनकी माँगों को नहीं माना और मांगों को मंजूर नहीं किया तो...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, खड़े होकर बात नहीं करे।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): सैकड़ों, लाखों किसान अपनी कृषि उपज लेकर मण्डी में बैठने के लिए आने वाले हैं, अगर वर्षाकाल हो गई, हालात बिगड़ गये तो राजस्थान सरकार की

जिम्मेदारी होगी। आज की तारीख में भी लगभग 60 हजार करोड़ का टर्न- ओवर पूरे राजस्थान था, उसका पांच दिन में नुकसान हो चुका है। 247 को बंद करने के कारण वहां काम करने वाले मजदूर हैं, मुनिम हैं, वहां रोजी-रोटी के लिए अपना काम करते हैं, वह लोग बेकार होकर चले गये।

मान्यवर, किसान लाखों की संख्या में अपनी कृषि उपज मण्डी के माल को बेचने के लिए आ रहे हैं वह जगह-जगह खड़े हैं, ट्रेक्टर-ट्रॉली खड़े हुए हैं, रास्ता जाम है और कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से आज तक उनका कोई प्रतिनिधि मण्डल इस व्यापार मण्डल से बात करने को तैयार नहीं है। मुझे एक बात का खेद है कि कृषि उपज मण्डी का जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, उनके मंत्री जी का पता नहीं। मंत्री जी छुट्टी पर है, उनकी जगह दूसरे मंत्री को आप लगाए, कोई काम करने वाला तो होना चाहिए।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खुद हस्तक्षेप करें और इन व्यापरियों व किसानों की समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर करें। मंत्री जी अपने भय से, डर से कि कहीं फोन तो टेप नहीं हो रहा, कहीं मेरी सीआईडी तो नहीं हो रही है, मैदान छोड़कर चले गये। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा विनम्र अनुरोध व प्रार्थना है कि इस समस्या का समाधान करे ताकि किसानों के हितों, व्यापारियों के हितों की रक्षा हो सके। जिस टैक्स को वह माफ कराना चाहते हैं, जो टैक्स है उसका भार भी किसानों पर ही पड़ेगा, व्यापारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजे।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हस्तक्षेप करके, माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करके इस समस्या का समाधान कराये।

श्री अध्यक्ष: श्री चेतन पटेल।

पंचायत समिति सदस्यों की समस्याओं का समाधान

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत आपने मुझे पंचायत समिति सदस्यों की समस्या पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं खुद भी पहले निर्दलीय पंचायत समिति सदस्य रहा चुका हूं, जिसके बाद विधान सभा सदस्य बना, मेरे को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं कि राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव होता है और वह सब पंचायत समिति सदस्य मिलकर ही प्रधान को चुनते हैं। मगर इनका रोल केवल और केवल ग्राम पंचायत, मात्र पंचायत समितियों की बैठकों में उपस्थित होने तक ही रह जाता है। यह बैठकें भी कई बार 6 महीने में होती हैं, कई बार 6 महीने से भी ज्यादा का समय हो जाता है। पंचायत समिति सदस्यों को भी सरपंच, प्रधान व प्रमुख जैसे अधिकार प्रदान किये जाने के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिसके लिए वह लंबे समय से प्रयासरत है।

अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र व राज्यों से प्राप्त अनुदान राशि में से

पंचायत समिति सदस्य को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने निर्वाचित क्षेत्र में विकास करवाने हेतु निर्धारित अनुपात में राशि करवाई जाए।

अपने वार्ड में पंचायत समिति मद से विकास कार्य स्वीकृत करवाने के लिए सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा प्रपत्र-5 दिये जाने की अनिवार्यता को हटाया जाये, इसकी जगह पंचायत समिति सदस्यों से प्रपत्र-5 लिये जाने की स्वीकृति जारी की जाये। शहरी निकाय के पार्षदों व पंचायत राज संस्थाओं के प्रधान, जिला प्रमुख व सरपंच की भांति पंचायत समिति सदस्यों को भी मासिक न्यूनतम वेतन 10 हजार रुपये स्वीकृत किये जाए।

पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायत की कोरम बैठकों में, जिसमें वार्ड पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, उन बैठकों में जो निर्णय लिये जाते हैं पट्टा, पत्रावलियां, अतिक्रमण आदि मुद्दों में कोरम के साथ विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किए जाने को लेकर विभाग से परिपत्र जारी किया जाए।

वार्ड क्षेत्र में होने वाले प्रत्येक विकास कार्य की शिलालेख पट्टिका पर पंचायत समिति सदस्य का नाम लिखे जाने को लेकर विभाग से परिपत्र जारी किया जाए ताकि उनका भी मनोबल बढ़े, उनका भी मान-सम्मान बढ़े।

पंचायत समिति सदस्य के वार्ड में पंचायत समिति से स्वीकृत विकास कार्यों में सदस्य की अनुशंसा अनिवार्य की जाए। सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली पंचायतों के विकास कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति व वित्तीय स्वीकृति का प्रगति विवरण उपलब्ध करवाने के निर्देश किये जाए। हर ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केन्द्र व पंचायत भवनों की दीवार पर सदस्य का भी नाम, पद व मोबाइल नम्बर लिखवाने का निर्देश जारी किया जाए।

श्री अध्यक्षः हो गया।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): अंत में, ग्राम पंचायत स्तर पर सदस्य के लिए बैठने व जन सुनवाई हेतु ऑफिस के लिए एक कमरा होना चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़े।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद, हो गया, विराजें। श्री सुरेश गुर्जर

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): वह भी जनप्रतिनिधि है, वह भी चुनकर आते हैं, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं, सरकार इस ओर ध्यान देवे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः श्री सुरेश गुर्जर।

कोटा-झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दरा की नाल पर जाम की समस्या

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से कोटा व झालावाड़ के लोगों से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर कोटा से झालावाड़ के बीच दरा की नाल पड़ती है जिसकी लम्बाई 06 किलोमीटर है। सिंगल लेन होने के कारण आये दिन वहां जाम लगा रहता है। मुकुन्दरा टाइगर रिजर्व अभयारण्य भी यहीं आता है। यहां पर एक तरफ ही वाहन निकल पाते हैं

जिसके चलते 4-5 किलोमीटर दोनों तरफ वाहनों की लाइन लग जाती है। इस नाल के अन्दर प्रतिदिन 50 हजार के लगभग लोग यात्रा करते हैं। लोग 4-4 घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। हालात इतने खराब है कि आपाकालीन स्थिति में एक महीने के अन्दर झालावाड़ से कोटा जाते वक्त एम्बुलेंस के अन्दर 4-5 लोगों की मृत्यु नाल में जाम होने के कारण हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, कल रीट का पेपर था, 40-50 छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गये, यह उनके भविष्य का प्रश्न है। इतना ही नहीं रोज अप-डाउन करने वाले व्यापारी, आम लोग, विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। कोटा से झालावाड़ के लोग इस समस्या के निवारण के लिए, झालावाड़ में चार दिन से सभी संगठनों द्वारा, आम लोगों द्वारा धरना देकर प्रदर्शन किया जा रहा है, फिर भी सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है।

आप कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ तो इस नाल के नजदीक संसदीय क्षेत्र ओम बिरला जी का आता है, दूसरी तरफ पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी का आता है। इसी सरकार में बैठे मंत्री सम्माननीय ऊर्जा मंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी का विधान सभा क्षेत्र भी है।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री सुरेश गुर्जर (खानपुर): मेरी आपसे मांग है कि जब तक आप एलिवेटेड रोड़ नहीं बनाए, इस समस्या का अविलम्ब समाधान किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

पर्ची। श्री विक्रम सिंह जाखल।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इसके निर्माण के लिए 46 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, स्थगन पर एक बार भी जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: जो उत्तर देना चाहे, स्वतंत्र है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह अच्छी बात है कि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि जवाब दे तो फिर आप एक व्यवस्था दे, सभी से जवाब दिलवाये।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था पहले की चल रही है, जो मंत्री जवाब देना चाहे वह दे सकता है, कम्पलसरी नहीं है कोई जवाब दे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आज तक पूरे सेशन में एक बार भी जवाब नहीं आया मंत्री का।

श्री अध्यक्ष: देना चाहे तो उसमें दिक्कत क्या है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो चाहते हैं ना, आप पाबंद कर दो। हम तो चाहते हैं कि मंत्री जवाब दे।

श्री अध्यक्ष: कुछ कहना है? एक मिनट में।

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि जो समस्या बताई है वह बहुत गंभीर है। कई वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया। इस वर्ष माननीय मुख्य मंत्री जी ने 46 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए हैं, ताकि जो एक रास्ता सकड़ा बना हुआ है वह उसका दुगना चौड़ा हो जाएगा और उसका काम शीघ्र चालू होने वाला है।

श्री अध्यक्ष: श्री विक्रम सिंह जाखल।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: हो गया, आपके कॉम्पीटिशन है।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): इसी विषय पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: इस विषय पर चर्चा नहीं है ना।

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): राज्य सरकार द्वारा 46 करोड़ क्या, कितने ही करोड़ रूपये दे दे लेकिन यह बताये वह आरयूबी है, दरा की नाल रेलवे अंडर पास है, वह बिना रेलवे की परमीशन के नहीं हो सकता। परमीशन ले ली क्या?

VPS-RTM-28.02.2025-12.20-1j

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप विराजिये। बैठिये, हो जायेगा। श्री विक्रम सिंह जाखल। चर्चा करने के लिए किसी नियम में आइये। विषय आ गया। यह विषय सरकार के ध्यान में आ गया। ...(व्यवधान)...

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

नवलगढ़ में ड्रेनेज कार्य में विलम्ब एवं मुकुन्दगढ़ में ड्रेनेज कार्य की राशि में वृद्धि

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नवलगढ़ कस्बे में संचालित ड्रेनेज कार्य की ओर दिलाना चाहूंगा। नवलगढ़ कस्बे में वर्षा के पानी से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके निजात के लिए दिनांक 10.02.2023 को मैसर्स आर.जी.आई., आर.बी.आई.पी.एल., जे.बी. जालंधर के नाम से टेंडर खुला था। उक्त फर्म को दिनांक 23.02.2023 से 23.08.2023 की समयावधि में यह कार्य पूर्ण करना था परंतु उक्त फर्म द्वारा अभी मात्र 20 प्रतिशत कार्य ही किया गया है। अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, नवलगढ़ के पत्र क्रमांक 1247, दिनांक 14.06.2024 द्वारा शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस जारी किया गया था। आज तक जो कार्य किया गया है, वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है एवं उचित तरीके से नहीं किया गया है, जिसका रोज समाचार पत्रों में प्रकाशन भी हो रहा है। मेरे द्वारा फर्म के मैनेजर एवं आर.यू.आई.डी.पी. के अधिशासी अभियंता को बारबार दूरभाष कर सूचना दी गयी। उनको पाबंद कर जल्दी कार्य पूर्ण किये जाये ताकि आगामी बारिश का पानी नाले द्वारा चिह्नित स्थान पर पहुंचाया जा सके परंतु फर्म के कार्मिक एवं अधिशासी अभियंता उक्त

कार्य को जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं जिससे नवलगढ़ कस्बा जल भराव के कारण आज डूबने के कगार पर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे यह अनुरोध है कि आगामी बारिश के समय को मध्यनजर रखते हुए उक्त फर्म के कार्मिक एवं विभाग के सम्बन्धित कार्मिकों की उदासीनता को देखते हुए उक्त ड्रेनेज का कार्य किसी अन्य उचित फर्म को दिया जाये ताकि उक्त ड्रेनेज का अधूरा कार्य समयावधि में ही पूर्ण हो सके, नवलगढ़ की जनता को जल भराव की समस्या से निजात मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट 2024-25 में मुकुन्दगढ़ कस्बे में गंदे पानी की निकासी के लिए 10 करोड़ का बजट दिया गया था। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): परंतु नगरपालिका मुकुन्दगढ़ के अधिशासी अधिकारी एवं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह पढ़ने के लिए नहीं होती है। पर्ची पर बिना देखे बोलते हैं और इसको आप स्टैंड के रूप में मत काम करो। इस पर दबाव पड़ रहा है। हो गया।

श्री विक्रम सिंह जाखल (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा ही था। ठीक है, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मीना।

किशनगंज में जल जीवन मिशन की क्षतिग्रस्त पाइप लाइन एवं पानी की समस्या

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पर्ची के माध्यम से मुझे किशनगंज-शाहबाद की पेयजल व्यवस्था पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 360 गांव है और लगभग 45 गांवों में जे.जे.एम. सेंक्शन है और वर्तमान में 21 ग्राम पंचायतों में अभी उसका काम चल रहा है और 23 में उसका काम कम्प्लीट हो गया पर कम्प्लीट में भी यह है कि कई जगह पर रोड खुदे हुए हैं, कई जगह पर नालियां खुदी हुई हैं, तो वह काम अधूरा है। विशेष तौर पर लगभग 35 डिग्गियां जिसके माध्यम से, अकावद वृहत पेयजल परियोजना के माध्यम से 2021 में तीन बार टेंडर हो चुके हैं, निविदाएं आ चुकी हैं पर उससे जे.जे.एम. को जोड़कर आम जन को पानी पिलाने के लिए योजना बनाई गयी थी लेकिन आज दिन तक उसका न तो टेंडर हुआ और न उस अकावद परियोजना से पेयजल के लिए कोई व्यवस्था ही बनी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरा जनजाति क्षेत्र है किशनगंज-शाहबाद, उसमें मेरा सहरोल तलेटी से देवरी तक पाइप लाइन छह किलोमीटर से पानी पिलाने का काम करते हैं। लगभग उसमें हरियानगर, हनोतिया, गाजन पड़ता है तो डबल पेयजल के लिए, डबल लाइन

के लिए उसमें बजट देने का प्रावधान सेंक्शन करें। इसके साथ-साथ देवरी में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। कस्बाथाना मेरा एम.पी. बॉर्डर का गांव है जिसमें छह हजार की जनसंख्या है, वहां बगदे से पानी पिलाया जाता है। इसके साथ-साथ वहां पर कुएं, हमारा पथरीला इलाका है तलहटी का, उसमें पानी के लिए लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है। ट्रेंकरों से हमने नाहरगढ़ में, भंवरगढ़ में, हमारे गोबरचा, महरावता में तो यह स्थिति है कि जे.जे.एम. के उखड़े हुए रोड तक अभी वहां पर डेमेज हैं तो वे पूरे नहीं किये गये हैं और अभी पानी की बड़ी समस्या आ रही है। वही कस्बाथाना, केलवाड़ा, भंवरगढ़ में, समरानिया में अभी पेयजल की टंकियां बनी हैं तो उनका कार्य जल्दी हो और मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लूंगा।

मैं सदन के माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि अकावद के भरोसे रहेंगे तो पेयजल की जो टंकियां हैं, वह आने वाले तीन-चार साल तक नहीं बन पाएंगी, इसलिए आप बड़ी जी.एल.आर. के लिए वित्तीय सेंक्शन करें। मेरे पींजना में और मेरे रामगढ़ में प्रपोजल दिये हुए हैं तो उनमें तुरंत बजट देकर मेरे किशनगंज-शाहबाद को पेयजल की व्यवस्था करवाने का श्रम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद। श्री शंकरसिंह रावत। श्री शंकरसिंह रावत। अब आप आपस में बातें करोगे मैं अगला नाम पुकार लूंगा। मैं अगला नाम पुकार लूंगा।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): नहीं। सर, मैं तैयार बैठा था।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): गम्भीर समस्या थी।

श्री अध्यक्षः श्रीचन्दजी के चक्कर में मत आओ।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, गम्भीर समस्या थी।

बडाखेडा (ब्यावर) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़ाखेडा उप स्वास्थ्य केन्द्र है। वहां पर ब्यावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बडाखेडा है, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वहां पर होना चाहिए। सात ग्राम पंचायतें वहां पर लगती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर इलाज करवाने के लिए लोगों को या तो भीम जाना पड़ता है या फिर ब्यावर आना पड़ता है। यह काफी दूर पड़ते हैं और वहां पर वे इलाज नहीं करवा पाते हैं इसलिए वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, यहां पर माननीय मंत्री महोदय भी विराजमान हैं, मैं उनसे भी यह आग्रह करूंगा और आप भी अगर कह देंगे तो वहां के सब लोगों को इलाज मिल सकेगा। वह जंगली इलाका है, वन क्षेत्र है, उसमें उनका भला हो जायेगा। हमारे माननीय मंत्री महोदय बहुत दयालु हैं, निश्चित तौर पर वे सुन रहे हैं, शायद ध्यान कहीं ओर है। माननीय मंत्री महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से भी यह आग्रह करूंगा कि बड़ाखेडा में यह जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए कृपया आप घोषणा करें तो अच्छा लगेगा। वह जंगली इलाका है। मांगड़जी का मन्दिर भी ऊपर है, वहां पर काफी लोग बसे हुए हैं इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको सेंक्शन करें। हर

जगह पर भी आप पर्ची का जवाब देते हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आप थोड़ा-सा बोलें। माननीय अध्यक्ष महोदय भी कह रहे हैं, आपकी भावना है लेकिन, मंत्रीजी सुन नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्षः आप तो बोलो, आप तो अपना काम करो।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): आप थोड़ा बतायें। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री अध्यक्षः विराजिये। श्री डूंगरराम गेदर।

पटवार भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्गवार पद विभाजन आरक्षण में विसंगति

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा, 2025 में आरक्षित वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के वर्गीकरण में विसंगति स्पष्ट झलक रही है और यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत मुश्किल से तो कोई भर्ती निकली है लेकिन बी.जे.पी. सरकार की एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के प्रति जो बदनीयती है वह इस भर्ती के अन्दर साफ झलक रही है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य। पड़ोस में बैठकर बात कर लें। आगे-पीछे बैठकर बात नहीं करें। ...(व्यवधान)...

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्योंकि इस भर्ती के अन्दर जो अनुसूचित जाति के 16 परसेंट पद है, उनके मुताबिक इनको 270 सीटें मिलनी चाहिए जबकि दी है 229 सीटें। इसी तरह से अनुसूचित जनजाति को 12 परसेंट के हिसाब से 208 सीटें मिलनी चाहिए जबकि दी है 175, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21 परसेंट के हिसाब से 364 सीटें मिलनी चाहिए जबकि दी है 303, तो इस तरह से यह भर्ती के अन्दर जो 1733 पद नॉन टी.एस.पी. के इन्होंने निकाले हैं, इसके अन्दर आरक्षण के अन्दर बहुत बड़ा घोटला भी इस सरकार ने किया है और हमारा यह निवेदन है कि यह आरक्षण के स्वीकृत पदों के अन्दर जो कटौती की गयी है यह न केवल सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ द्वारा आर.के. सभरवाल बनाम पंजाब सरकार एवं अन्य, आदेश दिनांक 10.02.1995 में पारित निर्णय की अवहेलना भी है। संविधान द्वारा आरक्षित वर्ग के प्रति जो संवैधानिक अधिकार है, इस अधिकार के साथ किया गया समझौता सीधे-सीधे संविधान पर प्रहार करने के समान है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय और संविधान की मर्यादा को बनाये रखते हुए कर्मचारी चयन आयोग, राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देशित करें कि पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा, 2025 के अन्दर आरक्षित वर्ग को संविधान सम्मत आरक्षण के अनुसार पद आवंटित करे, पुनः संशोधित विज्ञप्ति जारी करें और भविष्य में इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं हो

इसलिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करे और राज्य कर्मचारी बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य विभाग, बोर्ड एवं निगमों को स्पष्ट आदेश एवं निर्देश दिया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जयपुर स्थित करतारपुरा नाले का ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः एक सेकण्ड। कालीचरणजी। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): का डिमार्केशन कर पक्का कराये जाने व इसके दोनों ओर बसे हुए मकानों हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर सीवरेज लाइन डाले जाने बाबत ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक सेकण्ड।

घोषणा

मांग संख्या- 18 एवं 19 में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि

मुझे सदन को सूचना देनी है कि सोमवार, दिनांक 03 मार्च 2025 को प्रस्तावित मांग संख्या 18 एवं 19 में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने का समय दिनांक 28 फरवरी, 2025 मतलब, आज 3.00 बजे तक बढ़ाया जाता है। साधारणतया यह 1.00 बजे तक ही रहता है। चूंकि, आप लोगों ने, कइयों ने यह नहीं दिया तो 3.00 बजे सम समय बढ़ाया जाता है, आप लोग दे सकते हैं।

हां, अब आप बोलिये।

ssy/rtm/28.02.2025/12.30/**1k**

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

करतारपुरा नाले (जयपुर) का डिमार्केशन कर पक्का कराया जाना व अवस्थित मकानों हेतु सीवरेज लाइन

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर स्थित करतारपुरा नाले का डिमार्केशन कर पक्का कराये जाने, दोनों ओर बसे मकानों के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाये जाने और सीवरेज लाइन डाले जाने बाबत मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय वरिष्ठ विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जयपुर स्थित करतारपुरा नाले की कुल लंबाई 11.4 किलोमीटर है। पांच बत्ती से 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र तक इस नाले की लंबाई 6.6 किलोमीटर है और इस क्षेत्र में यह नाला पक्का है। 22

गोदाम औद्योगिक क्षेत्र से मानसरोवर तक 4.8 किलोमीटर यह नाला कच्चा है।

इस नाले के दोनों ओर लगभग 35 कॉलोनियां बसी हुई हैं। गत सरकार में 11.76 करोड़ रुपये की अमृत योजना के अंतर्गत कार्य करवाये गये हैं। जिसके कुछ कार्य उपरोक्त नाले के अलावा अन्य क्षेत्रों के भी शामिल हैं। जहां तक करतारपुरा नाला पक्का निर्मित है, वहां तक सीवरेज लाइन का कार्य करवाया गया था। इसके आगे जहां नाला कच्चा है वहां पर नाले का अलाइमेंट निश्चित नहीं होने के कारण सीवरेज लाइन का कार्य व नाला पक्का कराये जाने का कार्य नहीं करवाया गया है। नाला पक्का नहीं होने व डिमार्केशन नहीं होने के कारण अतिक्रमण होते हैं। उन पर नियमानुसार प्रफोर्मा रिपोर्ट एवं नोटिस दिये जाकर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाती है।

करतारपुरा नाले के सम्बन्ध में एक जनहित याचिका संख्या 22508/2018 राजेन्द्र प्रसाद शर्मा बनाम राजस्थान सरकार विचाराधीन है। जिसमें गत सुनवाई तिथि दिनांक 24.02.2025 थी तथा आगामी तिथि 26.03.2025 नियत है। जिसके अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता से राय ली जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित याचिका के मद्दे नजर दिनांक 13.01.2022 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संलग्न परिशिष्ट अनुसार निर्णय लिये गये। जिसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

अब आगे, मैं माननीय विधायक महोदय और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र से मानसरोवर तक जहां यह द्रव्यवती नदी में मिलता है, 4.8 किलोमीटर लंबाई में यह नाला कच्चा है। जयपुर नगर निगम द्वारा 22 से 30 मीटर की चौड़ाई में इसे पक्का करवाया गया था जो उस समय 6.6 किलोमीटर था।

उपरोक्त नाले को पक्का करने के लिए समय-समय पर आम जन द्वारा मांग की जाती रही है। इसी क्रम में वर्ष 2018 में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 101.80 करोड़ रुपये की डीपीआर इस नाले को पक्का करवाने के लिए बनाई गई थी, परंतु उस डीपीआर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। उपरोक्त नाले में आने वाली भूमियां अधिकांशत खातेदारी भूमि है। जिनकी किस्म चाही, बारानी आदि है। गैर मुमकिन नाला खातली किस्म की भूमि है।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में एक पीआईएल जो 22518/2018 चल रही है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2021 को राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण को नाले को पक्का करने के लिए कार्यवाही करने एवं इस हेतु आवश्यक भूमि को रिजम्पशन, अधिग्रहण या सहमति से प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया एवं इस हेतु एक कार्ययोजना बनाकर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया था। यह पीआईएल वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इसकी आगामी तिथि जैसा मैंने पूर्व में बताया दिनांक 26.03.2025 नियत है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.11.2021 के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 5.01.2022 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जयपुर विकास

प्राधिकरण तथा एमएनआईटी द्वारा 2016 में उपरोक्त नाले के संयुक्त सर्वे के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। नाले के मध्य से चौड़ाई 30 मीटर एवं दोनों ओर 10-10 मीटर सेफ्टी कॉरिडोर रखने का निर्णय लिया गया। उपरोक्तानुसार कार्य योजना बनाकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई।

इसके पश्चात समय-समय पर उपरोक्त नाले का राजस्व रिकार्ड के अनुसार तथा मौके पर वास्तविक डिमार्केशन करने का प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में अप्रैल, 2022 में राजस्व विभाग की टीम द्वारा इस नाले के ग्राम करतारपुरा एवं देवरी के राजस्व नक्शे एवं मुस्तकिल पाइंट के आधार पर डिमार्केशन करने का प्रयास किया गया। घनी आबादी होने के कारण एवं पर्याप्त बिन्दु उपलब्ध ना होने के कारण राजस्व नक्शे से उपरोक्त नाले का डिमार्केशन नहीं कराया जा सका।

इस क्रम में समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण एवं राज्य सरकार से अनुपालना रिपोर्ट मांगी गई। जो की गई कार्यवाही के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती रही है। माननीय उच्च न्यायालय में अनुपालना रिपोर्ट फरवरी, 2025 में प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त अनुपालना रिपोर्ट के अनुसार जैसा मैंने बताया जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 30 मीटर नाले की चौड़ाई एवं 10-10 मीटर सेफ्टी कॉरिडोर हेतु निजी सर्वे एवं डिजिटल जीपीएस सर्वे करवाया जाकर नाले एवं सेफ्टी कॉरिडोर की सीमा में आ रहे भूखण्डधारियों, अतिकर्मियों को नोटिस जारी किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त क्रम में जोन द्वारा 3.8 किलोमीटर लंबाई का सर्वे करवाया जाकर 403 निर्माण एवं भूखण्ड उपरोक्तानुसार 30 मीटर नाले एवं 10-10 मीटर सेफ्टी कॉरिडोर में चिह्नित किये गये। जिनके विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिनियम की धारा 32 एवं 33 के अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित कर प्रवर्तन शाखा को भिजवाया गया। प्रवर्तन शाखा द्वारा अब 19 प्रकरणों में नोटिस जारी किये गये हैं। प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 30 मीटर चौड़ाई एवं 10-10 मीटर सेफ्टी कॉरिडोर के अनुसार कार्य योजना तैयार कर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतः इस पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अध्यधीन ही आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

माननीय विधायक महोदय, आपकी मंशा के अनुरूप हम अतिरिक्त महाधिवक्ता या महाधिवक्ता से राय लेकर और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से संशोधित जवाब या कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्णय करेंगे। अगर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने संशोधित कार्ययोजना को अनुमति दी तो हम यह चाहेंगे कि न्यूनतम से न्यूनतम लोगों को बेदखल किया जाये और जितना नाला पिछले इस पूरे क्षेत्र में 30 मीटर, 25 मीटर और 22 मीटर में है, उसी के अनुरूप इसकी चौड़ाई कम करके हम गहराई बढ़ाकर लोगों को राहत दे सकें। अगर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय इसकी अनुमति देगा तो।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जब इस नाले का आउट-फॉल जो द्रव्यवती नदी में डलता है, वह 25 मीटर है तो इसकी चौड़ाई 30 मीटर करने का क्या औचित्य है? मेरा यह कहना है कि जो 25 मीटर आउट फॉल है और जो पक्का नाला आपने बना रखा है, उसकी चौड़ाई भी 25 मीटर है, तो इस कच्चे नाले की 30 मीटर चौड़ाई करने का क्या औचित्य है? जिसके कारण लगभग 500 मकानों पर लाल निशान जेडीए ने लगा दिये और वहां लोगों में दहशत व्याप्त है।

लोकतंत्र में 500 मकान एक साथ तोड़े जाना किसी भी हालत में संभव नहीं है। किसी भी हालत में इसको नहीं होने दिया जायेगा। जहां तक हाई कोर्ट का सवाल है, हाई कोर्ट में जो पीआईएल लगी हुई है, उसमें हाई कोर्ट ने कहीं पर यह निर्देश नहीं दिये कि इस नाले की चौड़ाई 30 मीटर की जाये। नंबर एक।

दूसरा, आपने दोनों तरफ 10-10 मीटर सड़क बनाने की कार्यवाही की है। मकानों को तोड़कर सड़क बनाओगे, इसके पीछे क्या औचित्य है? मेरा कहना है कि वहां दोनों तरफ आप पेड़ लगाइये और जहां तक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का सवाल है, 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो 21 करोड़ रुपये अमृत योजना के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाये जाने के लिए सरकार ने स्वीकृत किये थे और उसका उद्घाटन भी हो गया था। मैंने उसका उद्घाटन किया था मंत्री के नाते। परंतु सरकार बदलने के बाद उस काम को यह कहकर कि इसमें जमीन उपलब्ध नहीं है, इसको बंद कर दिया। मेरा कहना यह है कि इसकी चौड़ाई जो द्रव्यवती नदी में आउट-फॉल जब 25 मीटर का, पक्का नाला जब 25 मीटर का है तो बीच में 30 मीटर का कोई मतलब नहीं है।

spp/rtm/27.02.2025/12.40/1l

लोगों में दहशत व्याप्त है। इसलिये इसको 25 मीटर किया जाये और जहां तक कोर्ट का सवाल है, कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दे रखा कि इसकी चौड़ाई आप 30 मीटर करिये। दूसरा, 10-10 मीटर सड़क की बात आपने कही है, उसको भी विलोपित करिये और वहां पर पेड़ लगाइये और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जो नाले में सीवरेज का पानी डलता है, उससे जो बदबू आती है, आस-पास जो रहने वाले लोग हैं, आपने माना भी है 30 कालोनियां हैं तो हजारों लोग वहां बदबू से निजात पायें, इसलिये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को और सदन को यह बताना चाहूंगा कि यह सही है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चौड़ाई के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं हैं। लेकिन उन्होंने इसको पक्का करने की कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। यह प्रकरण 2018 से लंबित है और अभी हम 2025 में चल रहे हैं। इस अवधि में जो भी सर्वे हुए, जो भी निर्णय हुए,

अब उनके बारे में तो अगर ..(व्यवधान)..

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जनता को तो तब पता लगता है कि जब वहां पर लाल निशान लगे।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुनिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अब तक लाल निशान नहीं लगे थे इसलिए पता नहीं था। अब लाल निशान लगा दिये 403 मकानों पर।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब सुनिये। माननीय सदस्य, इधर देखकर बात करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक हजार से ज्यादा ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में नहीं करें। ..(व्यवधान)... आप पूछ लीजिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): मैं आपको वही निवेदन कर रहा हूं। मैं उसके बारे में टीका-टिप्पणी करूं, यह उचित नहीं होगा। 2018 से 2025 के मध्य में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह एक लम्बी बहस का विषय है, इसलिए हम इस पर कोई ज्यादा बहस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक बात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में हमने जो कार्ययोजना प्रस्तुत कर दी, अब उसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से हम अनुरोध करके संशोधन करने की प्रार्थना करेंगे और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय अगर हमें संशोधित करने की अनुमति दे देगा तो हम न्यूनतम से न्यूनतम लोगों को परेशानी हो, ऐसी नई कार्ययोजना बनाकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

मैं इस पूरे नाले के सम्बन्ध में आपसे एक निवेदन कर दूं कि इस नाले की कई जगह चौड़ाई 25 मीटर है, कई जगह 30 मीटर है और एक जगह 22 मीटर भी है। इसलिये यह कहीं कोई पैमाना नहीं है कि इसकी चौडाई कितनी रखी जाये, लेकिन इस नाले का बहाव सही रहे। यह द्रव्यवती नाले में जाकर मिले और लोगों को न्यूनतम से न्यूनतम असुविधा हो, हम इस प्रकार की नई कार्ययोजना बनाकर हमारे महाधिवक्ता या अतिरिक्त महाधिवक्ता से राय लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जिस प्रकार के निर्देश नई कार्य योजना पर देगा, उसी के अनुरूप हम आगे की कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री यूनुस खान।

डीडवाना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर मूर्ति हेतु विनिर्मित स्तम्भ को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षति

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर मूर्ति हेतु विनिर्मित स्तम्भ को तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने और पुनः प्रतिमा स्थापित करने के लिये मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्षजी, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत यह उल्लेखित किया है कि डीडवाना में अस्पताल चौराहे पर जो श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा लगी हुई थी, उसमें तोड़-फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग इन्होंने की। मैं आपको निवेदन कर देना चाहूंगा कि डीडवाना से आने वाले माननीय विधायकजी ने 07 जनवरी को जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में यह उल्लेख किया कि अस्पताल चौराहे पर श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा में तोड़-फोड़ की गयी है। अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये और भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी भी व्यवस्था की जाये। स्थानीय प्रशासन ने अपने स्तर पर दिनांक 08.01.2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल पर मूर्ति हेतु विनिर्मित स्तम्भ, जिसकी जालियां तोड़ने वाले व्यक्ति रामकरण पुत्र गुमनाराम जाति जाट निवासी ललासरी पुलिस थाना मौलासर जिला डीडवाना कुचामन को अन्तर्गत धारा 126, 170 बी.एन.एस.एस. में गिरफ्तार किया जाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीडवाना के समक्ष पेश किया गया एवं उक्त व्यक्ति के सम्बन्ध में उनके परिजनों व आस-पड़ोस के लोगों से जानकारी प्राप्त की गयी तो पता चला कि रामकरण प्राय: सामान्य रहता है मगर रामकरण की मानसिक स्थिति कभी-कभार ठीक नहीं होने पर अग्रेसिव होकर वह लोगों से लड़ाई-झगड़ा करने लग जाता है। रामकरण के परिजनों को उसका इलाज कराने एवं घर पर ही अपनी देखरेख में रखने हेतु हिदायत भी दी गयी है, जो परिशिष्ट-10 पर की गयी कार्यवाही संलग्न है।

इसके अलावा, जो मूल विषय है कि वहां उस मूर्ति की स्थापना हो, उसके लिये समुचित कार्यवाही हो, तो इसके लिये जिला कलेक्टर डीडवाना-कुचामन के आदेश क्रमांक 1154 दिनांक 17.04.2024 जो परिशिष्ट-5 पर संलग्न है, वह मैसर्स L&T कम्पनी द्वारा नगर परिषद डीडवाना की मांग परिशिष्ट-6 पर संलग्न है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल को विकसित करने बाबत प्रदत्त सहमति के क्रम में दिनांक 19.07.2024 को नगर परिषद डीडवाना, जो परिशिष्ट-7 पर इसका आदेश संलग्न है, में दीनदयाल उपाध्याय कमेटी के सदस्यों की बैठक में शहर में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के जीर्णोद्धार मैसर्स L&T कम्पनी द्वारा करवाने व जीर्णोद्धार हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा व पेडेस्टल को सम्मानपूर्वक व सुरक्षित रूप से कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में अतिशीघ्र हटायी जाकर नगर परिषद के फायर स्टेशन पर बने कमरे में सुरक्षित व सम्मानपूर्वक रखी जाने का निर्णय लिया गया। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सर्किल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति व पेडेस्टल को सम्मानपूर्वक सुरक्षित स्थल पर रखवाया जाकर वर्तमान में मैसर्स L&T कम्पनी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल की सुरक्षा हेतु नगर परिषद् द्वारा 05.01.2025 को CCTV कैमरे लगाये गये हैं।

इसके अलावा, उक्त सर्किल पर हुई तोड़-फोड़ की घटना के सम्बन्ध में माननीय सदस्य

यूनुस खान जी द्वारा विधान सभा क्षेत्र डीडवाना से जो ज्ञापन प्राप्त हुआ, उसको भी डीडवाना-कुचामन जिला कलेक्टर को भेजा गया। जिला कलेक्टर के पत्रांक 141/08.01.2025, जो परिशिष्ट-9 पर संलग्न है, द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी लिखा गया है।

इसके अलावा, माननीय अध्यक्षजी, जिला कलेक्टर डीडवाना-कुचामन का आदेश परिशिष्ट-11 पर संलग्न है, उनसे जो नवीन जानकारी प्राप्त हुई, उसके अनुसार आयुक्त नगर परिषद डीडवाना ने अपने पत्रांक नगर परिषद डी.2024-25, 6249 दिनांक 27.02.2025 से यह अवगत करवाया कि सर्किल पर हुई तोड़-फोड़ की घटना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति स्थापना हेतु विनिर्मित स्तम्भ की क्षतिग्रस्त जालियों के स्थान पर स्टील से बनी जाली रेलिंग लगायी जाकर स्तम्भ का सुदृढ़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण मैसर्स L&T कम्पनी द्वारा अतिशीघ्र प्रारम्भ कर पूर्ण कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, मैं कोई अग्रेसिवली बात नहीं करना चाहूंगा। यहां यह पहली बार घटना नहीं हुई है। यहां पहले श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति लगी हुई थी। उस समय भी 1990 से लेकर 2003 तक उस मूर्ति को तीन बार तोड़ा गया और यह तो जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार करवा रहे थे, उसका स्ट्रक्चर खड़ा था। यह बात सही है कि मूर्ति को ससम्मान सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई घटना चार बार घटित हो जाये और उसका वर्णन कलेक्टर इसमें नहीं दे, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती।

jyg/rtm/28.02.25/12.50/1m

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंत्योदय विचार को जन्म दिया, जिन्होंने गरीब की बात की और जो जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। इस पार्टी में उनकी विचारधारा का कम आदर नहीं है। इतने हल्के में सरकार के द्वारा इसको लेना सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कलेक्टर जीर्णोद्धार कराता, वो बदल गया, एसपी भी बदल गया, नया कलेक्टर आया, उसने जो रिपोर्ट दी वो सरकार को लिखकर भेज दी। आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इससे पहले भी हमने धरने दिये हैं, प्रदर्शन किये हैं, उस मूर्ति की स्थापना की है, तीन बार की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही नहीं। यह बाकायदा गिरोह है जो नहीं चाहता है कि यह विचारधारा आगे बढ़े, यह गिरोह नहीं चाहता कि वहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी की मूर्ति लगे इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको सरकार हल्के में नहीं ले और जो कलेक्टर लिखकर भेजे उसको नहीं पढ़े। मैं तो यह कहता हूं कि कलेक्टर को चलकर मैंने ज्ञापन दिया है। मेरा ज्ञापन कलेक्टर के पास नहीं गया है, मैं कलेक्टर को *7* जनवरी

को स्वयं हाजिर होकर के दिया। इसके बाद में भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वो जालियां और वो सब टूटी हुई महीनों तक पड़ी रही। मतलब जब ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, चाहे वो साम्प्रदायिक हों, चाहे इस तरीके के श्रद्धेय, पूजनीय लोगों की मूर्तियों का हो, रातोंरात, प्रशासन एक्टिव होता है, मतलब पूरा प्रदर्शन करते रहे महीनों तक इसका तो मैं सोचता हूं कि इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करके मैसेज दे कि ऐसे महापुरुषों की मूर्ति हो या उनका कोई चिह्नित स्थान हो उस पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी गिरोह, कोई भी संगठित गिरोह जो आपकी विचारधारा को पसंद नहीं करता है वो तोड़फोड़ करेगा, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आश्वासन चाहता हूं कि नये सिरे से जांच हो और कलेक्टर ने भी जो गलत रिपोर्ट दी है उस पर भी कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी, कुछ कहेंगे।

श्री जवाहरसिंह बेढ़म (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावनाएं हैं, मैंने अपने जवाब में भी उल्लेख किया कि माननीय सदस्य ने 7 जनवरी को स्वयं ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया है। उस मूर्ति स्थल को विकसित करने का निर्णय पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी की जो समिति बनी हुई है वहां मूर्ति स्थल के लिए उसके साथ वार्ता करके उसके अनुसार उस कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी का जो सम्मान है, उनका मान है पूरे देश में, उनकी चाहे एकात्म मानववाद की बात रही हो, चाहे अंत्योदय की योजना की बात हो, उसके लिए पूरा देश उनका सम्मान करता है। मैं यहां सदन में कहना चाहता हूं कि पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर दी थी और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इसके के लिए उचित इंतजामात किये जायेंगे और जो भी कानून सम्मत कार्यवाही होगी जो विधियों में उल्लिखित है, जो भी दोषी पाया जायेया उसको बख्शा नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी, यह तो पंडित दीनदयाल उपाध्यायजी का डीडवाना का मुद्दा है। सरकार इसको सुनिश्चित करे कि पूरे राजस्थान में किसी भी महापुरुष की मूर्ति इस तरह से खण्डित नहीं हो, इसको आप सुनिश्चित करें। कोई भी महापुरुष हो, चाहे वो बीआर अम्बेडकर हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे चाचा नेहरू हो, सबकी, किसी की भी मूर्ति को कोई खण्डित नहीं करे, इसको सुनिश्चित करें।

श्री थावर चन्द (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, पोइंट ऑफ इंफोर्मेशन। टीएडी विभाग के अन्दर लगातार घोटाला और ...

श्री अध्यक्षः विरोजो। आपको अनुमति नहीं है। नो।...(व्यवधान)... विराजें। आप बैठिये। अंकित नहीं हो।

श्री थावर चन्द (धरियावद): 000

श्री अध्यक्षः बैठिये। जो कुछ बोलना है आपको उसमें बोलना, आपका नम्बर आयेगा।

...(व्यवधान)... बाहर जाइये, नहीं तो यहां बैठिये)। ...(व्यवधान)...

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

आउटपुट आउटकम बजट। श्रीमती दिया कुमारी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

आउटपुट आउटकम बजट (वर्ष 2025-26)

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आउटपुट, आउटकम बजट वर्ष 2025-26 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री गोविन्द प्रसाद।

याचिका

जावर ग्राम पंचायत मुख्यालय का उप तहसील में क्रमोन्नयन

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जावर ग्राम पंचायत मुख्यालय को उप तहसील बनाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटूसिंह।

जैसलमेर जिले के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या का समाधान

श्री छोटूसिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जैसलमेर जिले के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या को दूर करने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र।

पीपलखेड़ा ग्राम पंचायत (महवा) में देवनारायण बालिका आवासीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री राजेन्द्र (महवा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महवा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पीपलखेड़ा में देवनारायण बालिका आवासीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश वर्मा।

बगरू में नवीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना

श्री कैलाश चन्द वर्मा (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बगरू कस्बे में नवीन कन्या महाविद्यालय खोने जाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2024-25 का उपस्थापन एवं मतदान।

श्रीमती दिया कुमारी।

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2024-25 का उपस्थापन

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करती हूं।

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2024-25 का पारण

मांग संख्या 05 - लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन बोर्ड

''प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5- के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 54,24,18,000/-(चौवन करोड़ चौबीस लाख अठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 06 - विधि एवं विधिक कार्य

''प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6- विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/-(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 07 - मंत्रिपरिषद्

''प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7- मंत्रिपरिषद् के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,97,000-(उनसठ लाख सतानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 08 - सचिवालय

''प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8- सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,22,54,000/-(चालीस करोड़ बाईस लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 11 - पंजीयन एवं मुद्रांक

''प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11- पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,48,30,000/-(अठारह करोड़ अड़तालीस लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 12 - आबकारी

''प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12- आबकारी विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,22,10,000/-(चार करोड़ बाईस लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 13 - कोष एवं लेखा प्रशासन

''प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13- कोष एवं लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/-(दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 14 - राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि

''प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14- राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,13,48,37000/-(तीन अरब तेरह करोड़ अड़तालीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 15 – पेंशन

''प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15- पेंशन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,23,06,48,000/-(बारह अरब तेईस करोड़ छह लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?''

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

MLS/RTM/28.02.2025/13:00/1n

मांग संख्या 16 - राजस्व

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 - राजस्व विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/-(नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 17 - सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 - सामान्य प्रशासन विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 30,90,10,000/-(तीस करोड़ नब्बे लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 18 - गृह

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 - गृह विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 71,11,39,000/- (इकहत्तर करोड़ ग्यारह लाख उनतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 19 - कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 - कारागार विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,05,41,000/-(चार करोड़ पांच लाख इकतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 - प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,19,16,000/-(उनहत्तर करोड़ उन्नीस लाख सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 - माध्यमिक शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,65,30,18,000/-(दो अरब पैंसठ करोड़ तीस लाख अठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 - उच्च शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,000/-(पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 23 - संस्कृत शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 - संस्कृत शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,45,13,000/-(नौ करोड़ पैंतालीस लाख तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 25 - कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25 - कला एवं संस्कृति विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/-(चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 57,75,75,000/-(सतावन करोड़ पचहत्तर लाख पचहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 - चिकित्सा शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/-(छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 - आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,01,65,95,000/-(एक अरब एक करोड़ पैंसठ लाख पचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,22,15,44,000/-(नौ अरब बाईस करोड़ पंद्रह लाख चवालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,81,64,05,000/-(एक अरब इक्यासी करोड़ चौंसठ लाख पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 - महिला एवं बाल विकास विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/-(दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 33 - सैनिक कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 - सैनिक कल्याण विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/-(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 34 - श्रम एवं रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 - श्रम एवं रोजगार विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,52,00,000/-(एक करोड़ बावन लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 36 - आपदा प्रबन्धन एवं सहायता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 - आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,18,55,24,000/-(ग्यारह अरब अठारह करोड़ पचपन लाख चौबीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 37 - देवस्थान

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 - देवस्थान विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,23,49,000/-(सैंतीस करोड़ तेईस लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38 - सूचना एवं जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 - सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,62,33,000/-(आठ करोड़ बासठ लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

MKD/RTM/28.02.2025/13:10/1o

मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 - नगरीय विकास एवं आवासन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,82,35,000/-(इक्यावन करोड़ बयासी लाख पैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40 - स्वायत्त शासन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,000/-(पैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,83,69,78,000/-(तीन अरब तिरासी करोड़ उनहत्तर लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा नहर परियोजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 - जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,10,73,000/-(अट्ठाईस करोड़ दस लाख तिहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्रीचन्द जी बोल ही नहीं रहे हैं।

मांग संख्या 44 - सार्वजनिक निर्माण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44 - सार्वजनिक निर्माण के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,23,47,43,000/-(आठ अरब तेईस करोड़ सैंतालीस लाख तैंतालीस

हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46 - कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 - कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,24,90,06,000/-(एक अरब चौबीस करोड़ नब्बे लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 - पशुपालन एवं मत्स्य के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,33,19,000/-(तेरह करोड़ तैंतीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 48 - उद्यानिकी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48 - उद्यानिकी के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 54,37,57,000/-(चौवन करोड़ सैंतीस लाख सतावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय सचेतक महोदय, हां तो कहो। मेरा ध्यान सभी की ओर है। किस को झपकी आ रही है, किसको भूख लग रही है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): साहब, मेरी रिक्वेस्ट है, आप बैठकर भी कर सकते हो, काफी देर हो गई, दो मिनट के लिए बैठ जाओ।

श्री अध्यक्षः अब तो हो गया, कुल 62 तक है।

मांग संख्या 50 - सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50 - सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 83,72,01,000/-(तिरासी करोड़ बहत्तर लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आसन पैरों पर है। माननीय मंत्री जी, जा रहे हैं। आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अबकी बार आने दो, आने नहीं दूंगा। मंत्री जी, आप जरा उनके ध्यान में ला दें। अब आप भी बैठें।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): धन्यवाद है, माननीय निम्बाहेड़ा से आने वाले सदस्य को और आप दोनों को ही कि थोड़ी देर के लिए हमारे आसन को विश्राम मिला, पर यह बात सही है कि जब आसन पैरों पर हो तो हमें नियमों की पालना करनी चाहिए, पर इतनी बात भी जरूर है कि अपने वरिष्ठ साथी आपकी अनुमति लेकर धीरे-धीरे आराम से पधार रहे थे, तब भी आपका ध्यान जाता तो ठीक रहता। मेरे दल के सभी सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपको धन्यवाद है, इनको सुबह से बोलने का मौका नहीं मिला था। अब इनको मिल गया, सबसे पहली बात तो। आप मंत्रियों में और हमारे विपक्ष के सदस्यों में अन्तर समझो।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, पूरा करते हैं, आज लम्बा है। माननीय संसदीय मंत्री जी, मेरा एक आग्रह है कि जब इस तरह की अनुपूरक मांगों का हो तो कम से कम उससे सम्बन्धित मंत्री सभी सदन में उपस्थित रहें और अच्छा होगा और उत्तम लगेगा। उन्हीं को रुपये मिल रहे हैं, उन्हीं की स्वीकृतियां हैं। वे यदि नहीं रहते हैं...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरे तो एक हजार रुपये बढ़े हैं।

श्री अध्यक्ष: अब बैठो, अब मैं खड़ा हो गया। आसन पांवों पर आ गया, अब आसन पांवों पर आ गया। माननीय, आसन पावों पर आ गया है। आसन पांवों पर हो तो एकदम से बैठ जाना चाहिए।

मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,88,50,000/-(बासठ करोड़ अठासी लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 53 - ग्रामीण विकास के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,60,05,47,000/-(एक अरब साठ करोड़ पांच लाख सैंतालीस हजार) तक

की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 54 - ऊर्जा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 54 - ऊर्जा के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 40,23,70,69,000/-(चालीस अरब तेईस करोड़ सत्तर लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

इससे थोड़ी-सी नींद खत्म होती है, सब लोग जागरूक हो जाते हैं।

मांग संख्या 56 - उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 56 - उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,12,88,54,000/-(तीन अरब बारह करोड़ अठासी लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें। यह रुपयों की बात हैं। एक रुपया भी इधर-उधर हो गया तो गड़बड़ हो जायेगी।

मांग संख्या 59 - पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 59 - पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/-(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): साहब, अब ये एक हजार के लिए।

श्री अध्यक्ष: अब ये है व्यवस्था। बिना इसकी अनुमति के तो एक रुपया भी नीचे-ऊपर खर्च नहीं किया जा सकता।

Bhs/Rtm/28.02.25/13.20/1p

मांग संख्या 61 - विज्ञान एवं तकनीकी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 61- विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के

संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,09,36,000/-(तीन करोड़ नौ लाख छत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 62 - परिवहन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 62 - परिवहन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/-(दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य। विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण। राजस्थान विनियोग (सं.1) विधेयक, 2025।

श्रीमती दिया कुमारी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (सं. 1) विधेयक, 2025

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (सं.1) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (सं.1) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (सं.1) विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दिया कुमारी प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (सं.1) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक पर विचार

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (सं.1) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाय?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (सं.1) विधेयक, 2025 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 व 3। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाय?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान विनियोग (सं.1) विधेयक, 2025 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (सं.1) विधेयक, 2025 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (सं.1) विधेयक, 2025 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (सं.1) विधेयक, 2025 पारित किया गया।

घोषणा/व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

अब मांग पर कटौती के प्रस्तावों के प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है तो उसके बारे में अनुदान की मांगों पर अपन चर्चा करेंगे। अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाले पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव जिस दिन की मांग आती है जो प्रस्तुत होते हैं वो यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और सरकारी मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय एवं सरकारी मुख्य सचेतक महोदय बोलने के

लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं क्योंकि जिन्होंने दिये ही नहीं तो उनके लेने का कोई, इसका मतलब रुचि नहीं है। ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं वे वापस ले लिये गये हैं यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये वह अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा, जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जायें ऐसा मेरा निवेदन है।

आय-व्ययक अनुदान वर्ष 2025-26 अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री बाबू लाल खराड़ी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 361,14,76, 03,000/- (तीन सौ इकसठ अरब चौदह करोड़ छिहत्तर लाख तीन हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

(मांग संख्या 30 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत।

मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की प्रस्तुति

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 137,11,07,35,000/- (एक सौ सैंतीस अरब ग्यारह करोड़ सात लाख पैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(मांग संख्या 31 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री अध्यक्ष: सबसे पहले श्री फूल सिंह मीणा।

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास व

मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर विचार

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महत्वपूर्ण मांग

जनजाति विभाग की और से राजस्थान में निवास करने वाला आदिवासी जनजाति समुदाय जो आजादी के बाद से उपेक्षित और शोषित रहा है। आजादी के साठ-सत्तर सालों के बाद भी आदिवासी समुदाय का जीवन स्तर जैसे का तैसा रहा है जो भोलीभाली और मेहनती जनजाति है उसे कांग्रेस ने असत्य और खोखले आश्वासन देकर धोखे में रख कर उसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है। कांग्रेस ने केवल कागजों में योजना बना कर अपनी जेबें भरने का काम किया है। जिस आदिवासी ...।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक सेकंड। मांग पढ़ते समय राशि में थोड़ा सा अन्तर आया है उसे ठीक करें। मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। माननीय मंत्री जी।

मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की प्रस्तुति

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 137,11, 07,34,000/- (एक सौ सैंतीस अरब ग्यारह करोड़ सात लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप कंटीन्यू करें।

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास व

मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर विचार

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस आदिवासी के पास खेती के खेत नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, चलने के लिए सड़क नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं, रोशनी के लिए बिजली नहीं, ऐसे हालात कांग्रेस ने कर दिये कि इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं।

(समय : बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

आदिवासी समाज आज भी मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट भरने पर मजबूर है। मैं उसी आदिवासी समाज से आता हूं इसलिये उनकी पीड़ा और दर्द को समझता हूं। मुझे खुशी है कि जब से आदिवासी समाज ने कांग्रेस की नीतियों और षडयंत्रों को समझ लिया तभी से कांग्रेस को सबक सिखा कर भाजपा को सत्ता की चाबी सौंप कर अपने भाग्य को बदलने का संकल्प लिया।

Kas/rtm/28.02.2025/13.30/1q

केन्द्र में मोदी सरकार और राजस्थान में भैरोंसिंह जी, वसुंधरा जी और हाल ही में भजन लाल जी की सरकार ने जनजाति इलाकों में जो विकास किया है, उससे आदिवासियों ने

भाजपा सरकार के प्रति विश्वास प्रकट किया है।

सभापति महोदय, अब मैं वर्तमान सरकार की उपलब्धियां बता रहा हूं। विभाग के माध्यम से कुल 437 आश्रम छात्रावासों और 53 आदिवासी विद्यालयों EMRS का संचालन किया जा रहा है। लगभग 43 हजार जनजाति छात्र-छात्राएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र के लगभग 90 हजार बालक-बालिकाओं को 3005 मां बाड़ी केन्द्रों में कक्षा पहली से चौथी तक की प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान कर लाभान्वित किया जा रहा है। विभाग के माध्यम से 650 छात्र क्षमता के 11 कॉलेज छात्रावासों का संचालन तथा 878 बालिका क्षमता की 8 बहुद्देशीय छात्रावासों का संचालन कर जनजाति छात्र-छात्राएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विभाग के द्वारा 13 खेल अकादमियों का संचालन कर वर्तमान में 896 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ परियोजना अंतर्गत मां-बाड़ी केन्द्रों में कार्यरत शिक्षाकर्मी, महिला सहयोगी तथा स्वास्थ्य कर्मी के मानदेय में 1 अप्रैल, 2024 से 10 प्रतिशत वृद्धि की गई है। 11,750 सहरिया व्यक्तियों, 9,066 बैरवा जाति के व्यक्तियों एवं 3,253 कथोड़ी व्यक्तियों को प्रति माह प्रति यूनिट 500 ग्राम दाल, 500 मिलीग्राम तेल, 250 मिलीग्राम देशी घी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

सभापति महोदय, भारत सरकार की पीएम जनमन योजना अन्तर्गत बारां जिले के सहरिया क्षेत्र में 17 नवीन मल्टीपरपज केन्द्रों हेतु कार्यादेश जारी किये जाकर 17 केन्द्रों के कार्य प्रारंभ किये गये हैं। बारां जिले के PVTG क्षेत्र में ट्राइफंड जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 50 वन धन विकास केन्द्रों हेतु स्वीकृति जारी की जा कर केन्द्रों का गठन कर दिया गया है। 4536 स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में क्षय रोगियों तक पहुंच एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग किया जा रहा है। विभागीय निर्माण कार्यों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग हेतु वर्क्स मॉनिटरिंग सिस्टम प्रारम्भ किया गया है। स्वैच्छिक स्वप्रेरणा व कार्पोरेट, सामाजिक उत्तरदायित्वों (CSR) के तहत विभागीय संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु नवीन अमृत कलश योजना को प्रारम्भ किया गया है। उक्त योजना अन्तर्गत जनजाति वर्ग के लगभग 40 अभ्यर्थियों को राजस्थान सिविल सर्विस परीक्षा (RAS) pre, 2024 तैयारी हेतु 'माय मिशन लुणावत फाउंडेशन संस्थान' द्वारा निशुल्क कोचिंग दी जा रही है। जिसका शुभारंभ दिनांक 18.12.2024 को माननीय मंत्री महोदय जनजाति क्षेत्रीय विकास द्वारा किया गया है। तीन सहरिया आवासीय विद्यालयों कवाई, कोयला तथा परानिया में क्षमता वृद्धि हेतु निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS), रैणी-पाटन, रानोली, मल्लाणा एवं बिहारीपुरा में क्षमता वृद्धि एवं विस्तार के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं। उदयपुर में अत्याधुनिक कौशल विकास केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

सभापति महोदय, राजस्थान की डबल इंजन की सरकार ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के कार्यालय एवं समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में राजकाज ई-फाइल पूर्ण रूप से लागू

की जा कर ई-फाइल के माध्यम से ही पत्रावलियां प्रस्तुत की जा रही हैं।

सभापति महोदय, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्य के तहत विभाग द्वारा सीपेट, जयपुर के माध्यम से 55, RSLDC, जयपुर के माध्यम से 2500 एवं RKCL, जयपुर के माध्यम से 2283 तथा SIHM, उदयपुर के माध्यम से 20, इस प्रकार कुल 4858 जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा कर लाभान्वित किया जा रहा है। नि:शुल्क शंकर मक्का बीज मिनी किट कार्यक्रम के तहत कृषि विभाग के माध्यम से अनुसूचित/सहरिया क्षेत्र के लगभग 8.39 लाख जनजाति कृषकों को खरीफ 2024 अंतर्गत मिनी किट वितरण किया जा कर लाभान्वित किया जा रहा है। नि:शुल्क हाई ब्रिड सब्जी बीज मिनी किट वितरण कार्यक्रम के तहत लगभग 49 हजार खरीफ एवं 50 हजार रबी में जनजाति कृषकों को मिनी किट वितरण किया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। जनजाति कार्य मंत्रालय और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग संयुक्त रूप से आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को विभिन्न मिशन, जैसे कि चन्द्रयान-3, आदित्य एल-1 के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई है। लेक्रोस खेल में जनजाति बालिकाओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एशियन चैम्पियनशिप में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रजत पदक प्राप्त किया गया है। ट्राइबल डिजाइन स्टूडिया बनफूल के द्वारा मां बाड़ी केन्द्र की गणवेश एवं स्टेशनरी बैग पर सहरिया आवासों पर जनजाति मांडना तथा छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चद्दरों पर एवं पर्दों पर जनजाति कलाकारों द्वारा डिजाइन का अंकन किया गया है। विभाग द्वारा 'आदि गौरव सम्मान' प्रदान करने हेतु प्रथम समारोह दिनांक 4.10.2024 को मानगढ़ धाम, बांसवाड़ा में आयोजित किया गया तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से 17 व्यक्तियों एवं सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य के लिये सम्मानित किया गया। भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जयंती पर बांसवाड़ा में 'नवादि युगधारा प्रणेता समागम' आयोजित कर जनजाति समाज में विशिष्ट उपलब्धि वाले विभिन्न श्रेणियों में 27 व्यक्तियों को प्रणेता के रूप में पहचान दिलाई गई है। विभाग एवं वनवासी कल्याण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में माननीय उप राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में जनजाति गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया है। 50 बालिका क्षमता के 2 छात्रावास कुराबड-उदयपुर एवं अजमेर मुख्यालय का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

msk/rtm/28.02.25/1340/2a

सभापति महोदय, बजट घोषणा 2024-25 वर्तमान सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों की अद्यतन स्थिति। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग अंतर्गत संचालित 31 छात्रावासों पर 2 आवासीय विद्यालयों में क्षमता वृद्धि एवं सुविधाओं के उन्नयन तथा मरम्मत कार्य हेतु राशि रुपये 37.95 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का 77 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन एवं रखरखाव कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। 8 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के उन्नयन एवं रख-रखाव

कार्य की वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 3800.67 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी। बजट घोषणा में शामिल 250 मां-बाड़ी केंद्रों के विरुद्ध आदेश दिनांक 31.01.2025 से 131 मां बाड़ी केंद्रों की स्वीकृति जारी की गयी है। जनजातीय नायकों के स्मारकों के निर्माण कार्य हेतु डूंगरपुर मे डूंगर बरंडा स्मारक निर्माण प्रथम चरण में राशि रुपये 480.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गयी है। जनजाति आस्था के केन्द्र सीताबाड़ी (बारां) के विकास के लिए राशि रुपये 500.73 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। कमलनाथ महादेव उदयपुर राशि रुपये 550.00 लाख एवं जावरमाता मंदिर उदयपुर राशि रुपये 579.85 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी है। डूंगरपुर जिले के जर्जर छात्रावास कहारी, दौवड़ा राशि रुपये 349.39 लाख एवं डूंगरसारण चिखली राशि रुपये 280.00 लाख के पुनर्निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। 78 जनजाति छात्रावासों मे मरम्मत कार्य हेतु राशि रुपये 909.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी। एकलव्य आवासीय विद्यालय, देवला-कोटड़ा जिला उदयपुर के निर्माण हेतु राशि रुपये 1,515.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी।

राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से संबंधित मा़-बाड़ी में कार्यरत शिक्षाकर्मी, महिला सहयोगिनी तथा स्वच्छता के स्वास्थ्यकर्मी के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। विभागीय छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र/छात्राओं को देय मैस भत्ते की राशि को 2,500 रुपये से बढाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। विभागीय खेल अकादमियों में आवासित छात्र/छात्राओं को देय मैस भत्ते की राशि को 2,600 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है।

सभापति महोदय, विभाग की प्रमुख योजना। आश्रम छात्रावासों का संचालन-जनजाति छात्र-छात्राएं उनके निवास स्थान के नजदीक वांछित स्तर का विद्यालय नहीं होने की स्थिति में तथा उनके परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण दूर-दराज के विद्यालयों में अध्ययन जारी नहीं रख पाते हैं। अतः ऐसे छात्र-छात्राएं अध्ययन जारी रख सकें, इस उद्देश्य से विभाग द्वारा 437 आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, जिनकी कुल प्रवेश छात्र क्षमता 29,500 है, जिसके विरूद्ध शिक्षा सत्र 2024-25 में 28,389 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। इन छात्रावासों में 3,000 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र-छात्रा की दर से निःशुल्क आवास, भोजन, पोशाक एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

सभापति महोदय, आवासीय विद्यालय संचालन योजना- अनुसूचित, माडा तथा सहरिया क्षेत्र के जनजाति छात्र-छात्राओं में शिक्षा के उन्नयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक पदों पर शिक्षा विभाग से कर्मचारियों/ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन पर लिये जाकर अध्ययन व्यवस्था संचालित की जा रही है। इन आवासीय विद्यालयों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का पैटर्न संचालित किया जा

रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा 21 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी कुल प्रवेश छात्र क्षमता 4,680 है, जिसके विरुद्ध शिक्षा सत्र 2024-25 में 3,861 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल संचालन-अनुसूचित क्षेत्र में दो मॉडल पब्लिक रेजीडेंशियल स्कूल, ढीकली जिला उदयपुर (बालिका) एवं सूरपुर जिला डूंगरपुर (बालक) का संचालन किया जा रहा है, जिनकी कुल प्रवेश छात्र क्षमता 750 है, जिसके विरुद्ध शिक्षा सत्र 2024-25 में 690 छात्र/छात्राओ को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। एकलव्य मॉडल **रेजिडेंशियल** स्कूल संचालन-विभाग के अधीन गठित राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल **रेजिडेंशियल** स्कूल सोसायटी के द्वारा 30 एकलव्य मॉडल **रेजिडेंशियल** स्कूल का संचालन किया जा रहा है। सभापति महोदय, आप घंटी मत बजाना, मसाला बहुत है।

श्री सभापतिः आज तो आपका दिन है, बोलते रहें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): जिनकी कुल प्रवेश छात्र क्षमता 11,123 है, जिसके विरुद्ध शिक्षा सत्र 2024-25 में 9999 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन- जिला मुख्यालय उदयपुर में 200, जयपुर में 128, जोधपुर मुख्यालय में 50 व कोटा में 150 बालिकाओं की क्षमता का बहुउद्देशीय बालिका छात्रावास है, जिसमें मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत नीट (NEET) व आई.आई.टी., प्रवेश परीक्षा व अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्राओं को प्रवेश दिया जा कर निःशुल्क आवासीय व भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर 100-100 बालिकाओं की क्षमता एवं बारां जिला मुख्यालय 50 बालिकाओं की क्षमता वाले बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। इन विभागीय बालिका बहुउद्देशीय छात्रावास में 50 प्रतिशत सीटें महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु तथा शेष 50 प्रतिशत सीटें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली छात्राओं हेतु आरक्षित रखी गयी हैं। इनमें प्रवेशित छात्राओं को निःशुल्क आवासीय व भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सदन कोरम के अभाव में है। कोरम पूरा कराओ। सदन चल कैसे रहा है? ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, कोरम तो पूरा कराओ।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): वर्तमान में विभाग द्वारा 8 बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी कुल छात्रा क्षमता 878 है, जिसमें छात्राओं को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। कॉलेज छात्रावासों का संचालन- महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जो दूर-दराज क्षेत्र की निवासी हैं एवं महाविद्यालय स्थल पर मकान किराये पर लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

mdp/rtm/28.02.2025/13:50/2b

ऐसे छात्र-छात्राओं को महाविद्यालय स्थल पर नि:शुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये

जाने के प्रयोजनार्थ कॉलेज छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में 11 कॉलेज छात्रावासों का संचालन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिनकी कुल छात्र संख्या 650 हैं, जिसमें छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। इन छात्रावासों में निवासरत छात्र-छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क आवास, अल्पाहार एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

खेल अकादमी का संचालन - अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति छात्र/छात्राओं को खेल-कूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा 7 बालक एवं 6 बालिका कुल 13 खेल अकादमियों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता 900 छात्र/छात्राओं की है। जिसके विरुद्ध शिक्षा सत्र 2024-25 में 895 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, अभी तो बहुत सारा मेरा रह जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार भजन लाल जी के साथ जुड़कर जो काम कर रही है। अब आपने दो ही मिनट कह दिया तो इसको शार्ट कर देता हूं। मैं इसको कविता के रूप में कांग्रेस की कुटिलता और भाजपा और भाजपा सरकार पर भरोसे का आदिवासी समाज की ओर से विचार व्यक्त कर रहा हूं। कविता के माध्यम से:-

जो कहते थे मेरा भारत महान,
उस कांग्रेस ने आदिवासियों के नाम पर बस चलाई अपनी दुकान,
वाह रे मेरा भारत महान, वाह रे मेरा भारत महान।
भैरोसिंह जी ने काम के बदले अनाज देकर, जनजाति का किया सम्मान,
बोलो सभी प्रेम से जय-जय राजस्थान, जय-जय राजस्थान।
वसुन्धरा जी ने जनजाति क्षेत्र में दिया विकास का वरदान,
कांग्रेस की हवा निकल गयी, जय-जय राजस्थान।
बरसों बाद मोदी जी ने दिया शौचालय और मकान,
बोलो सभी प्रेम से मेरा भारत महान, बोलो सभी प्रेम से जय-जय राजस्थान।
भजन सरकार के पहले बजट ने आदिवासियों का किया उत्थान,
कांग्रेसी भी बोल पड़े, जय-जय राजस्थान, जय-जय राजस्थान।
ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट से हुआ कांग्रेस का काम तमाम,
आदिवासियों में उत्साह देख, हुई कांग्रेस परेशान,
आदिवासी बोल रहे हैं, जय-जय राजस्थान, जय-जय राजस्थान।
कॉलेज और कोचिंग, आदिवासी बच्चे पाएंगे सम्मान,
भजन सरकार पर पूरा भरोसा, जय-जय राजस्थान।
बहस में उलझ गये हैं, ये कांग्रेसी इतने नादान,
भजन सरकार से भिड़ रहे, नहीं इतना आसान,

खुद कुंए में कूद रहे, इसका नहीं है भान,
बोलो सभी प्रेम से, जय-जय राजस्थान, जय-जय राजस्थान।
बेच खाया कांग्रेसियों ने अपना ईमान,
कर बैठे सदन में विधान सभाध्यक्ष जी का अपमान,
इनको सद्बुद्धि देना, हे मेरे भगवान,
जनता ने इनको झटका दिया, फिर भी इनको गुमान,
बोलो सभी प्रेम से, जय-जय राजस्थान, जय-जय राजस्थान।
आश्रम छात्रावास खोलकर रखा जनजाति बच्चों का ध्यान,
जय हो भजन सरकार की, जय-जय राजस्थान, जय-जय राजस्थान।
खेल अकादमी माध्यम से जनजाति बच्चों का होगा उद्धार,
मेस भत्ता 2600 से बढ़ाकर किया 4000,
बोलो सभी प्रेम से, जय-जय राजस्थान, जय-जय राजस्थान।
राष्ट्रपति महोदया मुर्मु जी सुशोभित महामहिम के आसन पर,
राष्ट्र गर्व कर रहा है, मोदी जी के आसन पर,
आदिवासी महिला को पहली बार सम्मान मिला,
कांग्रेस को जोर का झटका धीरे से लगा,
सीटी-पीटी गुम हो गयी और कमल का फूल खिला,
कांग्रेस की निकली जान, जय-जय राजस्थान।
कांग्रेस ने पंचायत विकास के दिए असत्य आश्वासन,
अनपढ़ भी जन-प्रतिनिधि बने, ऐसा बनाया काला कानून,
लूट-खसोट मचाकर खा गये आदिवासियों के घासलेट और राशन,
पढ़े-लिखे सरपंच बने, भाजपा ने किया आह्वान,
कांग्रेसी बेरोजगार हो गये, जय-जय राजस्थान।

श्री सभापतिः धन्यवाद। श्री गणेश घोघरा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, एक मिनट मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि हमारे ग्रामीण विधान सभा में रोड छाबला से आपकी विधान सभा को जोड़ने वाला लिम्बारा, ओबेश्वर से शंकरखेड़ा और आड़ गांव से उपलाफला, बछार से केलेश्वर महादेव का रोड। सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं यही कहना चाहता हूं कि केवल हैंडपंप और पनघट आपने वास्तव में जो दिया है, उनको बढ़ाकर हमारे ट्राइबल एरिया में और दीजिए। कम से कम 10-10, 15-15 मां बाड़ी दे दें, आदिवासी एरिया है, बच्चों को वास्तव में आने-जाने की दिक्कत है। उनके लिए मां बाड़ी की सख्त जरूरत है। मां बाड़ी केन्द्रों के साथ में मैं यही कहना चाहता हूं कि एक कोई बड़ा सामुदायिक भवन मिल जाए तो हमारे आदिवासियों को कहीं न कहीं बड़ा प्रोग्राम करने के लिए हो जाए। मेरी डिमांड को आप ध्यान में रखते हुए हमारी सुनेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पहले सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य उदयपुर ग्रामीण से आते हैं। इन्होंने खूब कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों का खूब विकास किया और कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। आज तक कोई विकास नहीं किया है। मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस नहीं होती तो मैं आज इस विधान सभा में यहां पर बोल नहीं सकता था। डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। कांग्रेस पार्टी की देन है, जो एक आदिवासी को एम.एल.ए. बनाकर यहां विधान सभा में भेजा है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी।

माननीय सभापति महोदय, जब राजा-महाराजाओं का राज था, आदिवासी अशिक्षिति था, उसको पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था। खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था। उस समय हमारे पुरखों ने बेग-बेगार किया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस आगे आयी। कांग्रेस ने गांव-गांव स्कूल खोले, गांव-गांव रोड निकाले, गांव-गांव बिजली दी। यह कांग्रेस की देन है। आज कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया।

Ans/rtm 14.00 2c 28.02.2025

आज आदिवासियों के लिए जितनी भी योजना बनाई है, आदिवासियों के लिए जितने भी विकास के काम किए हैं वे कांग्रेस ने किए हैं, कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी ने नहीं किए, मैं यह कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी आदिकाल से, प्राचीन काल से, उस जगह पर निवास करने वाला आदिवासी और विभाग का नाम भी क्या है जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। जिस जगह पर जनजाति आबादी ज्यादा हो, 75 परसेंट हो, 50 परसेंट से अधिक आबादी रहती हो, उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। जनजाति, भील जनजाति पहाड़ों में निवास करती है, जंगलों में निवास करती है, कंटीली झांडियों में निवास करती है, वह है आदिवासी। आज तक भी धरातल पर आदिवासियों को जो हक-अधिकार मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं लेकिन आज भी आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन का अधिकार नहीं मिला है। आज भी आदिवासी लोग बिलानाम भूमि पर बैठे हुए हैं, चरागाह भूमि पर बैठे हुए हैं, बरसों से बैठे हुए हैं, उनके लिए नियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, लेकिन पूंजीपति हो, अडाणी हो, अंबानी हो उनके लिए चरागाह में भी हॉटल बन जाएगी, फार्म हाउस बन जाएगा, उद्योग बन जाएगा। जो गरीब आदिवासी बरसों से उस जमीन पर रह रहा है, वह मालिक है, वह अशिक्षित है, इसलिए उसकी अज्ञानता के कारण जमीन खातेदारी नहीं करा सका,तो वह कह रहे हैं कि नहीं यह तो सरकारी जमीन है

आप यहां से उठा जाओ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि जो भी आदिवासी बिलानाम भूमि, चारागाह या पड़त भूमि, बंजर भूमि पर बैठा है उसको खातेदारी हक दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे जनजाति मंत्री आते हैं, अटल आवास योजना लॉंच करते हैं लेकिन मंत्री जी आप वहां पर जायें, उस गांव में जायें, क्या वास्तव में वहां आदिवासी बैठा हुआ है, नहीं बैठा। क्या वास्तव में वहां उसका मकान है या नहीं। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र ग्राम पंचायत बिलड़ी की बात करूंगा, वहां 40 बीघा इन्होंने अटल आवास योजना के लिए लॉंच की और नगर परिषद ने 80-82 बीघा अपने नाम कर दी लेकिन वास्तव में वहां आदिवासी लोग बैठे हुए हैं, उनका कुआँ है, खेत-खलियान है, कच्चे मकान हैं। यह अटल आवासीय योजना के नाम पर आदिवासियों को भगाना चाहते हैं। उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं, यह इनकी नीति है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी की यह सोच थी कि आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जाए? मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं अटल आवासीय योजना को कैंसिल किया जाए। वर्षों से वहां आदिवासी लोग बैठे हुए हैं उनकी जमीन का उनको खातेदारी हक दिया जाए।

अभी बजट घोषणा में आपने बात की, अगली बजट घोषणा में आदिवासियों के लिए हम शिल्पग्राम बनाएंगे। आदिवासियों को शिल्पग्राम से क्या लेना-देना है। पालवाड़ा पंचायत में भी आदिवासी लोग बरसों से बैठे हुए हैं, अब शिल्पग्राम के नाम पर उन आदिवासियों को भगाना चाहते हो, उनकी जमीन हड़पना चाहते हो, क्या यह नीति है आपकी, क्या यह सोच है आपकी और कह रहे हो कि जय-जय राजस्थान, हम आदिवासी का भला कर देंगे। आप शिल्पग्राम की जमीन पर मौक़े पर जाए, वहां भी लोग बैठे हुए हैं, उनको हक मिलना चाहिए, नहीं तो जनता के साथ मैं खुद रोड पर उतरूंगा, धरना-प्रदर्शन, आंदोलन करूंगा लेकिन हम गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मंत्री जी आपसे यह कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां भील जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं। प्रशासनिक सेवा में मैं 06 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहा हूं, आज तक हमको 6 परसेंट आरक्षण नहीं मिला। ...(व्यवधान)... हमें प्रशासनिक सेवा में एसटी का 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है, उसमें से पूरा फायदा हमारे यहां के भाइयों ने लिया है। हमारी भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, हमारी अशिक्षा, हमारे पिछड़ेपन को देखते हुए 06 प्रतिशत पृथक आरक्षण हमको टीएसपी एरिया के भीलों को मिलना चाहिए, यह मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, टीएसपी एरिया में जितनी भी सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां निकलती हैं, उनमें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी जनसंख्या का 75 परसेंट है और हम सिर्फ 45 ही लग रहे हैं। जिसकी जनसंख्या 25 परसेंट है और 23 परसेंट उनके 50-50 पद निकल रहे हैं।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): आपने क्या किया? ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय, बात मत करे, +++। बैठ जाओ, बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): बीच में डिस्टर्ब नहीं करे। माननीय सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। +++ हम जो बोल रहे हैं वहां से भटकाये नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी वार्ता जारी रखे और आपको इस तरीका का आसन से कहने का कोई अधिकार भी नहीं करें।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): हमको बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री सभापति: बैठे हैं ना, कौन कर रहा है आपको डिस्टर्ब, आप बोलिये। उनका माइक खुला है क्या, उनको बोलने की इजाजत दी है क्या? नहीं दी ना उनको बोलने की इजाजत।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): बीच में बोल रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करें, आपसे यही कहना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: मना कर रहा हूं उनको।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, संरक्षण चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज भी हमारे साथ, एससी-एसटी के साथ पक्षपात हो रहा है। अभी 2025 में राजस्थान पटवारी भर्ती निकली है, इसमें एसटी को 12 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर 208 सीटें मिलनी चाहिए थीं, लेकिन 175 सीटें मिलीं। एससी को 16 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर 277 सीटें मिलनी चाहिए लेकिन 229 सीटें मिलीं। ओबीसी को 21 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर 364 सीटें मिलनी चाहिए थी लेकिन 303 सीटें मिलीं। सरकार द्वारा एमबीसी को 05 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर 87 सीटें मिलनी चाहिए थी लेकिन 165 सीटें मिलीं। ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर 173 सीटें मिलनी चाहिए थी लेकिन 405 सीटें मिलीं। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच, यह है डबल इंजन सरकार की सोच। एससी, एसटी के साथ कुठाराघात कर रही है, अन्याय कर रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा यह सीटें जो वर्गवार, प्रतिशत वार निकल रही है वे सही-सही निकालें और दूसरी विज्ञप्ति जारी करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहूंगा कि हमारे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1951 में सेंसेस ऑफ इंडिया में जातिगत जनगणना हुई थी, हमारा आदिवासी धर्मकोड अलग था, कोड नम्बर-9 था, उसको हटाया गया है। आज हमारी पूरे हिन्दुस्तान में 10 से 11 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन हमारा आदिवासी का धर्म कोड नहीं है। जैन का धर्म कोड है, बुद्ध का धर्म कोड है, सिखों का धर्म कोड है ...(व्यवधान)...

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): यह जो बोल रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजिये। ...(व्यवधान)... आप बैठिये। मंत्री महोदय, एक सेकिंड। सदन में बोलने की परिपाटी बनाकर रखे। कोई ऐसे बीच में नहीं बोले, मंत्री सक्षम है। मेरी बात सुनिये, आप विराजिये ...(व्यवधान)... आपका जब अवसर आये आप तब बोलना। आप

बैठिये। जब आपका अवसर आये उस समय आप बोलना। जो इनका विषय है, मंत्री जी कोई उत्तर देना चाहते हैं तो मंत्री जी या तो बाद में बोल दें या अभी बताना चाहते हैं तो अभी बता दें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सभापति महोदय जी, मैं यह कहना चाहता हूं, जिस शब्द का कोड किया, जो धर्म कोड हटाया, उस समय किसकी सरकार थी, बता दीजिए ना, यह भी तो बताओ।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मेरा टाइम ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: मंत्री जी, आप नोट करके बाद में बोलना।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मैं यही चाह रहा हूं कि हमारा आदिवासियों का धर्म कोड लागू होना चाहिए। जैसे जैन धर्म का भी है, बौद्ध धर्म का भी है, तो आदिवासी धर्म कोड क्यों नहीं होना चाहिए? यह मेरी मांग है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजे। मंत्री महोदय अपने आप उत्तर देंगे ...(व्यवधान)...

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मैं शिक्षा की बात करूंगा। हमारे जनजाति विकास के मंत्री है लेकिन आज भी हमारी कई स्कूल पहाड़ों में, जंगलों में हैं, वहां रोड की सुविधा नहीं है, जर्जर अवस्था में हैं, बिल्डिंग गिरने की अवस्था में हैं, ऐसी स्थिति है। माननीय मंत्री महोदय जी, डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी जर्जर स्कूलें हैं, जो जनजाति का बजट है, आप 1750 करोड़ बता रहे हो, वह थोड़ा स्कूलों में लगा दे तो जनजातियों का भला हो जाएगा।

VPS-RTM-28.02.2025-14.10-2d

माननीय सभापति महोदय, कोचिंग सेन्टर, हमारे पूरे टी.एस.पी. क्षेत्र में, हर जिले में, हर ब्लाक में हमारे जन जातीय छात्र-छात्राओं के लिए अलग से कोचिंग सेन्टर होने चाहिए, नि:शुल्क होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे आई.ए.एस. की कोचिंग कर सके, आर.ए.एस. की कोचिंग कर सके, यह आप व्यवस्था कीजिए।

माननीय सभापति महोदय, एक मैं बात करूंगा नरेगा की। नरेगा हमारे लिए संजीवनी जड़ी-बूटी है और यह कांग्रेस की ही देन है। स्वर्गीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी की देन है और सोनिया गांधीजी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है जो हमारे टी.एस.पी. एरिया में रोजगार के नरेगा के अलावा कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं, कोई रोजगार नहीं है लेकिन डबल इंजन की सरकार ने 25 दिन कम कर दिये। कच्चे कामों पर रोजगार भी नहीं मिल रहा है और वहां से हमारे लोगों को पलायन करना पड़ता है गुजरात। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे टी.एस.पी. एरिया को देखते हुए, जनजाति क्षेत्र को देखते हुए हमारे मनरेगा में 200 दिन किये जाये और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये की जाये, यह मैं आपसे मांग करना चाहूंगा।

इसी के साथ, मैं सिंचाई की बात करूंगा तो सिंचाई के लिए डूंगरपुर जिले में खाली बरसात पर ही हमारा जिला निर्भर रहता है। वहां पर एक ही फसल होती है वह भी खरीफ की और हमारे पथरीले पहाड़ हैं, ऊंची-नीची पहाड़ियां हैं, वह पानी बहकर गुजरात चला जाता है तो माननीय मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी जगह को आप चिह्नित करें और बड़े-बड़े एनिकट बनायें, बांध बनायें जिससे हमारी जनजाति जो कृषक हैं, वे लाभ ले सकें। बांसवाड़ा का पानी जा रहा है जालौर लेकिन हम बिलकुल पानी के पास होते हुए भी बिना पानी के रह रहे हैं तो आप इसको भी देखें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे वहां पर डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में कुएं हैं पुराने, जो कृषक होता है वह सिंचाई के लिए कुआं खोदता है, मजदूरी करता है, गहने गिरवी रखता है, मजदूरी करके जैसे-तैसे कुआं खोदता है लेकिन बारिश आते-आते वह कुआं वापस धंस जाता है और हर साल यही प्रक्रिया होती रहती है तो मैं जनजाति मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुराने कुएं गहरे करवाये जाये और उनके चारों तरफ पक्की मुँडेर करवायी जाये, जिससे गाय, भैंस, बकरी कोई भी नहीं गिरे और हर साल बारिश का पानी आने से भी वह कुआं धसे नहीं तो आप कम से कम यह इसमें लें, यह मेरा आपसे निवेदन है, क्षेत्र की जनता का निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं बात करूंगा महुआ, क्या है महुआ? महुआ हमारी पहचान है। महुआ हमारी रीति-रिवाज, परंपरा है। उस महुआ के पेड़ से हम आदिकाल से जुड़े हुए हैं और महुआ का जो फूल होता है उससे हम ढोकले बनाते हैं, कच्ची हांडी में खजूर के जो पत्ते होते हैं, उसको अन्दर डालकर उसको सेक कर हम खाते हैं और जब पहले अनाज नहीं था, जब हमारे पूर्वजों ने वह महुआ खाकर, सेक कर जिंदा रहे हैं, उस महुआ से हमारी भावना बहुत ही जुड़ी हुई है। आप भले ही हंस रहे हो या आप कुछ भी कहें लेकिन वह हमारी संस्कृति, परंपरा, कल्चर, रीति-रिवाज है, उसको हम भूलना नहीं चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज जो महुआ है, महुआ का जो फूल होता है, उस फूल से हम हमारा जूस निकालते हैं उबाल कर।

श्री सभापतिः हमारा नहीं, महुआ का जूस।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): हां, महुआ का जूस। तो हमारे शादी-ब्याह का कोई मौका होता है, कोई प्रोग्राम होता है तो उस समय हमारे मान-सम्मान के लिए मेहमानों के लिए यह परोसा जाता है और घर में भी, हम यह नहीं कह रहे हैं, हम वह नहीं कह रहे हैं कि शराब ठीक है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो टी.एस.पी. क्षेत्र में एक भी अंग्रेजी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी शराब की यह दुकानें बंद करो, वे क्यों खोली गयी हैं। टी.एस.पी. क्षेत्र में एक भी अंग्रेजी शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः कैलाशचन्द्र मीणाजी, विराजिये।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्योंकि हमारे वहां यह कल्चर है, परंपरा है तो हमारे वहां पर

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा, मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस वाले जो फर्जी मुकदमे बना रहे हैं, दो लीटर किसी के घर में मिला तो पांच लीटर का मुकदमा बना रहे हैं। क्या वह गुजरात बेचने जा रहा है क्या? कहीं बेचने जा रहा हो, बाजार में बेचने जा रहा है तो उसका तो आप मुकदमा बना सकते हो लेकिन घर में पुलिस जबरदस्ती घुस कर दो लीटर जो शराब है, महुआ का जूस है, उसको पांच लीटर बनाकर मुकदमा बनाती है और पांच-पांच हजार रुपये लेती है यह पुलिस तो माननीय मंत्री महोदयजी, यह भी आप प्रस्ताव करायें, यह मैं मेरे क्षेत्र की मांग कर रहा हूं और आने वाले समय में इसी महुआ को लेकर आंदोलन होगा, यह भी मंत्रीजी, मैं इस सदन में कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद मैं बात करूंगा मां-बाड़ी की, हमारे मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं। मां-बाड़ी का लक्ष्य है कि मां-बाड़ी योजना में जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उनको जोड़ा जाये। शिक्षा से जो वंचित हैं उनको जोड़ा जाये और कुपोषण से उनको दूर किया जाये लेकिन माननीय मंत्री महोदयजी, आपके विभाग ने तीन महीने तक पोषाहार नहीं दिया, बच्चे कुपोषण के शिकार होकर बीमार हो गये और कई बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया तो माननीय मंत्री महोदयजी, यह तीन महीने की सामग्री कहां पर गयी, कौनसे ठेकेदार के पास गयी और बाद में जब सामग्री दी आपने तो उस समय भी दो-दो किलो कम करके दी है तो क्या कमीशन का चक्कर है या क्या खेल है? मंत्रीजी, आप इसको भी बतायें। डे-केयर का मतलब होता है कि आदिवासी बच्चों के माता-पिता जो मजदूरी पर जाते हैं सुबह और शाम को आठ बजे आते हैं, इस बीच दिन में वे बच्चे भूखे रहे हैं तो इसकी हाय लगेगी मंत्रीजी, आपको कि उन बच्चों का आपने शोषण किया है।

माननीय मंत्री महोदयजी, जो समन्वयक लगे हैं, जो मुख्य समन्वयक, समन्वयक और सह समन्वयक जो लगे हैं उनको आप स्थाई करें या इनका मानदेय बढ़ायें, यह मैं कहना चाहता हूं और मां-बाड़ी में जो भी मुख्य समन्वयक और समन्वयक जो लगता है वह जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आप कह रहे हो तो इसमें जनजाति का ही लगाओ, गैर जनजाति का क्यों लगाया है? कौनसे नियम और कौनसे आधार पर आपने यह लगाये हैं, यह भी हमको आप यहां पर बतायें कि आप टी.एस.पी. एरिये में गैर-जनजाति वर्ग के कैसे लगा सकते हो आप मुख्य समन्वयक और समन्वयक, यह मां-बाड़ी में कैसे लगा सकते हो? आप यह भी मुझे बताना। बाद में बताना।

मंत्री महोदय, आज इन्होंने जो घोषणा की है, माननीय सभापति महोदय, यह बजट घोषणा में पेज नम्बर 62, पाइंट है चौथा, बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन दिये जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अंतर्गत 35 हजार स्कूटी वितरित किये जाने की घोषणा करती हूं, यह माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की है, लेकिन 2022-23 की स्कूटी आज भी वहां पर सड़ रही है। 2022-23 की स्कूटी कब वितरित करोगे, रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन स्कूटी का तो कब तक हमारी सरकार को ही आप कोसते रहोगे? माननीय

मंत्रीजी, मैं कहना चाहता हूं कि 2022-23 की जो स्कूटी है वंचित बालिकाओं की वह स्कूटी आप जल्दी वितरित करें।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य, वह स्कूटी कब की थी, पता है क्या आपको?

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे रामसागड़ा में बालिका छात्रावास खोलने की आप घोषणा करें। तलैया में बालक छात्रावास खोलने घोषणा करें। यह हमारी सरकार में हो चुका था पर पता नहीं आपने कहां पर रोक दिया, मुझे यह पता नहीं। उसके बाद बालक छात्रावास, पालदेवल, इसमें जर्जर अवस्था में है। पचास बच्चे अध्ययनरत हैं उस छात्रावास में, कभी भी वह छात्रावास गिर सकता है, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर वह गिर गया, कोई हादसा हो गया तो मंत्रीजी, आपकी जवाबदारी रहेगी और सरकार की जवाबदारी रहेगी, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, पालदेवल में दो चार स्कूलें हैं। बड़ी सीनियर स्कूल है और बच्चे 15-15 किलोमीटर से आते हैं, आप भी जानते हैं कि वहां पर पगडंडी का रास्ता भी नहीं है और बच्चे आते हैं स्कूल में, परंतु पढ़ने के लिए उनको कहीं ओर जाना पड़ता है, तो आप वहां पर एनरोलमेंट नम्बर बढ़ायें, उसको पचास से पालदेवल में 125 या 150 का एनरोलमेंट नम्बर बढ़ाये यह मैं आपसे मांग करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री महोदय, यह मैं खास, विशेष मांग करना चाहूंगा कि टी.एस.पी. एरिया में, माननीय सभापति महोदय, जब तक हमारा टी.एस.पी. क्षेत्र का अधिकारी, भील अधिकारी वहां पर नहीं बैठेगा टी.ए.डी. में, तब तक हमारा, आदिवासियों का, टी.एस.पी. क्षेत्र का भला नहीं हो सकता है।

ssy/rtm/28.02.2025**/14.20/2e**

क्योंकि हमारे वहां पर कलेक्टर भी बाहर के आ गये, एसपी भी बाहर के आ गये, थानेदार भी बाहर के आ गये। हमारे वहां की संस्कृति, रीति-रिवाज उनको पता ही नहीं है। हमारी वागड़ी भाषा है। उनको वागड़ी भाषा समझ में ही नहीं आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि टीएसपी के अधिकारी हमारे खूब सारे अब तो हो गये हैं। वही अधिकारी हमारे अगर संभागीय आयुक्त बन जायें, कलेक्टर बन जायें, एसपी बन जायें तो ही हमारे भीलों का, आदिवासियों का भला हो सकता है। नहीं तो हमारा भला नहीं हो सकता है।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): आपने कितने लगाये?

श्री सभापति: माननीय कैलाश जी। आपका अवसर आयेगा अभी।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको कपड़े की झोली में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, या तो खाट में डालकर उसको हॉस्पिटल ले जाया

जाता है। आज भी पगडंडी का रास्ता है। मंत्री जी, आपको पता है। आपको पता नहीं है तो आपके साथ जो माननीय वित्त मंत्री महोदया हैं, उनको विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के पहाड़ों की एक बार सैर करायें। उन पहाड़ों पर आदिवासी कैसे रहते हैं। उनको चढ़ायें तो पता पड़ेगा कि वास्तविकता में आदिवासियों की जरूरत क्या है।

मैं, मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह रोड बहुत ही आवश्यक हैं, आप इसको जल्दी से जल्दी सैंक्शन करायें। खाली असत्य आश्वासन मत देना। टपलारा मोड़ से खेड़ा फला, गढ़ा मालजी मुख्य सड़क तक डामर सड़क निर्माण, रमेश दिता के घर से संग्राम के घर तक डामर सड़क निर्माण, पाली सोढ़ा, कंडुला मेन रोड से राजकीय प्राथमिक विद्यालय बीच फला होता हुआ लांबा फाटड़ा मझौला सीमा तक डामर सड़क निर्माण, बीच फला कंडुला से शंकर कुबेर कोटेड के घर तक डामर सड़क निर्माण, नरसी जीवा खोखरिया के घर से श्मशान घाट बोरका पानी हदरू घाटी तक डामर सड़क निर्माण, कवालिया दरा मेन रोड ननोमा फला से राजकीय प्राथमिक विद्यालय वाकी वडली स्कूल तक डामर सड़क निर्माण, कवालिया दरा बाबू हुरवा के घर से बोला तक डामर सड़क निर्माण, चक मोड़ी घाटा, नवल शाम सीनियर स्कूल से खूँटा तालाब तक डामर सड़क निर्माण, नानका नाला दादू बदा की दुकान से हड़ाक फला होते हुए सलियाट फला अमृत गला के घर तक डामर सड़क निर्माण, पावर हाउस सतिरामपुर से जाहिला फला मरताबदा मनाद के घर होता हुआ मेन रोड गुमानपुरा सड़क तक डामर सड़क निर्माण, पुनरावड़ा सीमा से माकरेड़ा स्कूल होते हुए मणिलाल हुरजी खराड़ी के घर तक डामर सड़क निर्माण, बंजारियां फला जाखौल से गढ़ा मालजी तक डामर सड़क निर्माण, खेहड़ा टपलारा स्कूल से कुएड़ा महादेव के मन्दिर श्मशान घाट तक डामर सड़क निर्माण, ये मंत्री जी आप बहुत जल्दी करायें।

जो 1500 करोड़ पहले वाले बजट में घोषणा थी, उसका भी आप हवाला दें कि वह 1500 करोड़ रुपये आपने किसमें खर्च किए? अब यह 1750 करोड़ और दिये हैं एसटी और एससी के लिए, अब एससी का कितना है और एसटी का कितना है? आप यह भी बतायें।

अब मैं बात करूंगा, जो बुजुर्ग हैं, विधवा हैं, उनको समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। वह रोज चक्कर मार रहे हैं। ई मित्र वालों के पास चक्कर मार रहे हैं। बुजुर्ग रोज चक्कर मार रहे हैं। रोड क्रॉस करना पड़ता है। हमने तो मानदेय बढ़ाया था। लेकिन आप समय पर उनकी पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। उन बुजुर्गों का यह एक सहारा है कि कम से कम हमारे पेंशन आ जायेगी तो किसी बेटी को भी 5,10 रुपये दे सकते हैं। उनकी एक आशा रहती है। समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी के अंगूठे नहीं आ रहे हैं। वे बुजुर्ग हैं। उनका अंगूठा नहीं आयेगा। उसका थम्ब, फिंगर नहीं आयेगा। ऐसे कई लोग हैं उनको आप ऑफलाइन भी पेंशन देने का प्रावधान करें।

उसी के साथ ही जो बच्चे स्कूल में, कॉलेज में डिप्लोमा कर रहे हैं, उनकी छात्रवृति समय पर मिले। जो सरकार की योजनाएं हैं कि हम एससी, एसटी को छात्रवृति दे रहे हैं, अगर छात्रवृति समय पर ही नहीं मिले तो वह क्या काम आयेगी? 2 साल के बाद छात्रवृति मिलती

है। वे क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हमारे बच्चे फीस नहीं भर सकते हैं। पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं। कम्पीटिशन एग्जाम का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उनका अहमदाबाद पलायन हो जाता है। ऐसे करके वे पढ़ाई भी छोड़ देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि एससी, एसटी की छात्रवृति उसको भी इस दौर में महंगाई को देखते हुए बढ़ाने का मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। इनकी छात्रवृति बढ़ाई जाये। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापतिः डॉ. विश्वनाथ।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, एक मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे तो हमारे विपक्ष से एक ने भी चूं तक नहीं किया और जब मैं बोल रहा था तो उधर से माननीय सदस्य बीच-बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। इनके लिए कोई है कि नहीं है?

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सभापति महोदय, मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): उनको पाबंद करोगे कि नहीं करोगे?

श्री सभापतिः आप बैठिये। आप बोल लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): आपके बोलते हैं।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या समझते हो आप?

श्री सभापतिः आप भी बैठिये माननीय सदस्य। बैठिये। आप विराजें ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा। आप विराजो। विराजो।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): सभापति महोदय, मांग संख्या 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री सभापतिः विराजें। विराजें।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): 000

श्री सभापतिः विराजो। विराजो। बैठिये, बैठिये ...(व्यवधान)...

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): आप बैठ जाइये सर।

श्री सभापतिः विराजो। विराजो। आप भी बैठो ...(व्यवधान)...डॉ. विश्वनाथ।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेड़कर के कथनानुसार कार्य करने की वास्तविक स्वतंत्रता केवल वहीं पर होती है जहां शोषण का समूल नाश कर दिया जाता है,। जहां एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर अत्याचार नहीं किया जाता है, जहां बेरोजगारी नहीं है, जहां गरीबी नहीं है, जहां किसी व्यक्ति को अपने धंधे के हाथ से निकल जाने का भय नहीं है, अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप जहां व्यक्ति अपने धंधे की हानि, घर की हानि तथा रोजी-रोटी की हानि के भय से मुक्त है। यह डॉ. भीमराव अम्बेड़कर साहब ने कहा।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे बात ना करें। अब शांत रहें।

डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): इस मौके पर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जबसे हिन्दुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक कभी अनुसूचित जाति, कभी जनजाति वर्ग से राष्ट्रपति के पद पर बैठाने का काम किया जाता है।

हमारे बीकानेर से आने वाले सांसद श्रीमान अर्जुनराम जी मेघवाल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद में अगर कोई पहला कानून व न्याय मंत्री बनाया है तो वह हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति के जिस तरीके से विकास पर ध्यान देती है, मैं समझता हूं कि ऐसा कांग्रेस कभी नहीं करती थी। सिर्फ संविधान की बात करती है। संविधान बाबा साहब ने लिखा और उनको जिस तरीके से पार्लियामेंट में जाने से रोका, यह भी काम कांग्रेस ने किया था।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार भारत के संविधान के भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सम्बन्धित अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि करेगा। सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। अंतर्निहित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पिछड़ी जाति कल्याण विभाग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ 1951-52 में की गई। वर्ष 1955-56 में इस विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग किया गया तथा राज्य सरकार ने दिनांक 21.02.2007 को एक अधिसूचना जारी कर इस विभाग का नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, विभाग के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के साथ-साथ समाज के अत्यधिक गरीब, विधवा, निःशक्त जन, वृद्ध, विमुक्त एवं घुमन्तू, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक पिछड़ा वर्ग के भी आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की अनेक योजनाएं संचालित किये जाने के कार्य भी प्रारंभ किये गये हैं।

सभापति महोदय, इसके आधार पर सामाजिक उत्थान के अंतर्गत विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, डॉ. अम्बेडकर डीटीएनटी मुख्य मंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृति योजना, छात्रावास सुविधा, आवासीय विद्यालय, अनुप्रति योजना आदि का संचालन एवं अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन किया जाता है।

spp/rtm/27.02.2025/14.30/2f

आर्थिक विकास के तहत वंचित एवं पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास हेतु विभाग द्वारा

सम्बल ग्राम योजना, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना, देवनारायण योजना, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण एवं अनुदान योजनाओं का भी संचालन किया जाता है। महिला एवं बाल कल्याण के अन्तर्गत महिलाओं एवं विधवा पेंशन योजना, मुख्य मंत्री कन्यादान योजना, विधवा पुनर्विवाह उपकार योजना, विधवा की पुत्री के विवाह पर अनुदान योजना, महिला सदन एवं नारी निकेतन, महिला स्वयंसिद्धा योजना, पालनहार योजना आदि का संचालन विभाग द्वारा किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, वृद्ध कल्याण के लिये वृद्धजन हेतु वृद्धावस्था पेंशन, चिरायु योजना एवं वृद्ध अशक्तगृहों का संचालन एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जाता है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी जी ने कहा है कि, "reducing disparity is India's priority. Serving the unserved and underserved is an article of faith for us." अर्थात् असमानता को कम करना आज भारत की प्राथमिकता है। जरूरतमंदों एवं वंचित वर्गों की सेवा करना ही हमारी आस्था है। उक्त ध्येय की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा इस बजट में हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी एवं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ी सौगात दी है, इसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, बेघर, वृद्धजन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किये जा रहे स्वयंसिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 10 जिलों में 50 बैड क्षमता के आश्रम खोले जाना प्रस्तावित है। इसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक लाख दिव्यांगजनों को 20 हजार रुपये तक आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट उपलब्ध कराये जाने की घोषणा बजट में की गयी है। यह बहुत ही अच्छी बात है। विमुक्त घुमन्तू और अर्द्ध घुमन्तू समुदाय के सशक्तिकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादूदयाल घुमन्तू सशक्तिकरण की योजना प्रारम्भ करने की घोषणा बजट में की गयी है। ऐसे परिवारों को आश्रम उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 25 हजार पट्टे वितरित किये जाना प्रस्तावित है। इसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में एस.सी., एस.टी. ओबीसी, ई.डब्ल्यू.एस., सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को आर्थिक सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से ओबीसी एवं अल्प संख्यक निगमों द्वारा दिये गये ऋणों के क्रम में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लायी जानी प्रस्तावित है।

प्रदेश के समस्त राजकीय अनुदानित निजी उद्यम सहभागिता योजना के अन्तर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिये संचालित आवासीय संस्थाओं का मैस भत्ता बढ़ाकर 3250 रुपये प्रति आवासीय प्रतिमाह करने की घोषणा एक सराहनीय घोषणा माननीय

मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गयी है, मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा।

हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved." अर्थात् मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बालिकागृहों में निवासरत बालिकाओं के 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद उन्हें हैण्ड होल्डिंग की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बैड के सरस्वती हाफ-वे होम्स को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

छात्राओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जागृत करने के लिये 34 महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केन्द्रों की सफलता एवं छात्राओं की रूचि को देखते हुए प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केन्द्र स्थापित किये जाने की घोषणा भी की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित किये जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अन्तर्गत 35 हजार स्कूटी वितरित किये जाने की घोषणा की गयी है, जो एक ऐतिहासिक काम होगा।

प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका मिशन के अन्तर्गत महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाये जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किये जाने की घोषणा भी की गयी है।

राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को नोन फाइनेंशियल बैंकिंग कम्पनी कार्पोरेशन के रूप में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्य को 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की गयी है। आगामी वर्ष 3 लाख लखपति दीदीयों को इस योजना में लाभान्वित किया जायेगा, जोकि हमारे प्रधान मंत्रीजी का एक सपना है कि हमारी महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाये। इसके तहत हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री यशस्वी भजनलाल जी शर्मा साहब भी काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम पांच महीनों के लिये अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्य मंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू किये जाने की घोषणा की गयी है, जिसमें 2 लाख 35 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस पर लगभग 35 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

इस वर्ष मुख्य मंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले तीन से छह वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में तीन दिवस दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, आगामी वर्ष इस योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पांच दिवस दूध उपलब्ध कराये जाने की घोषणा एक बहुत ही अच्छी घोषणा है। मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन यूनिट एन एफ ए से लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके, इस हेतु 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाना भी इस बजट में प्रस्तावित है। इसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हम उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात करें। योजना की पात्रता छात्र-छात्राओं के माता-पिता, संरक्षक की वार्षिक आय वर्तमान में ढाई लाख रुपये हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस आय को जैसे कि और दूसरे कैडर हैं, उनके अनुसार आठ लाख रुपये तक इसकी सीमा बढ़ाई जाये और छात्रवृत्ति की अभी बात आयी तो मैं माननीय मंत्री महोदय से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस छात्रवृत्ति को भी बढ़ाया जाये। यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है। अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 40 प्रतिशत व्यय वहन किया जाता है एवं अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत, राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत राशि वहन की जाती है।

माननीय सभापति महोदय, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के तहत वर्तमान सरकार कन्टीन्यू, सतत् रूप से दे रही है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार ने 2023-24 में जो व्यय किया, वह 9,287.51 लाख रुपये था। जबकि हमारे इस 2024-25 के दिसम्बर तक 10,495.43 लाख राशि व्यय की जा चुकी है, जो अनुसूचित जाति को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित को जो दी जा रही है 2023-24 में आपकी सरकार द्वारा 6,649.81 लाख रुपये वितरित किये गये, जबकि हमारी सरकार द्वारा वर्तमान में 2024-25 के दिसम्बर तक 6,858.28 लाख रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार कन्टीन्यू, जो छात्रवृत्ति की सतत् प्रक्रिया है, वह छात्रों को लगातार उपलब्ध करवायी जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करूंगा कि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार वसुन्धरा जी के समय में प्रत्येक नगरपालिका में 195 अम्बेडकर भवन बनाये गये थे। मैं मांग करूंगा और आने वाले समय हमारे मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हर तहसील लेवल पर हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के लिये अम्बेडकर भवन का निर्माण कराया जाये तो बहुत उचित रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मांग और करना चाहूंगा। राजस्थान अनुसूचित जाति

आयोग जो बना है, जैसे सफाई कर्मचारी आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग बना है तो उनका वैधानिक दर्जा नहीं है। मैं आपसे मांग करूंगा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से, कि इस आयोग को वैधानिक दर्जा भी दिया जाये।

jyg/rtm/28.02.25/14.40/2g

बजट प्रावधान का लक्ष्य भी हमारे को दिया जाता है, उसको समय पर पूरा किया जाये। माननीय सभापति महोदय, एससी, एसटी, टीएसपी के कोष में विगत सरकार ने 1 हजार करोड़ रुपये की राशि दी थी, लेकिन सरकार बनते ही एससी, एसटी और टीएसपी को गत बजट में ही इस राशि को बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये कर दिया था और वर्तमान बजट में माननीय वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारीजी एवं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस राशि को बढ़ाकर वर्तमान बजट में 1750 करोड़ की घोषणा की है जो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को, मैं बहुत-बहुत इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि यह राशि बढ़ायी है।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार द्वारा पेंशनरों की पेंशन को 15 प्रतिशत बढ़ाने का कानून बनाया था, लेकिन यह कोरी घोषणा थी, इनके द्वारा अपने समय में कोई 15 प्रतिशत नहीं बढ़ाया गया, हमारी सरकार बनते ही पेंशनरों को पूर्व में दी जा रही राशि 1000 को बढ़ाकर 1150 रुपये किया और वर्तमान बजट में इसको बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरीके से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस राशि को 1 अप्रैल, 2024 को झुंझुनूं से राज्य स्तरीय कार्यक्रम करके माननीय मुख्य मंत्रीजी, भजन लाल जी शर्मा द्वारा पेंशनरों को यह राशि डीबीटी के माध्यम से बढ़ी हुई पेंशन जारी की, एक साथ पेंशन जारी की, यह बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसके लिए भी मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने दिव्यांग जनों को 2000 स्कूटियों का वितरण किया, मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि शेष रहे दिव्यांग जनों ने जो आवेदन कर रखा है, माननीय मंत्रीजी हमारे बीच में यहां हैं, उनको भी शीघ्र स्कूटियां वितरित करने का काम करें, इसके लिए उनसे निवेदन है। इसके लिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्कूटी दी जा रही है उसको अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान की जायेगी तो मैं समझता हूं कि उनकी पेट्रोल-डीजल की भी बचत होगी और बहुत अच्छा यह कार्य होगा। मैं माननीय मंत्रीजी को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उनको जो स्कूटी दी जा रही है, उसको इलेक्ट्रिक स्कूटी के रूप में दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात करूं गाड़िया लुहारों के परिवारों के भवन निर्माण के लिए महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजनांतर्गत उनको भी लाभांवित किया जा रहा है। अंतर्जातीय विवाह योजनांतर्गत 22.82 करोड़ रुपये व्यय कर लाभांवित किया जा रहा है, यह भी बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री एकल नारी एकल सम्मान योजनांतर्गत

4325.86 करोड़ रुपये व्यय कर 18.04 लाख पेंशनरों को लाभांवित किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजनांतर्गत 8173 करोड़ रुपये व्यय कर 51.90 लाख पेंशनरों को लाभांवित किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजनांतर्गत 963.11 करोड़ रुपये व्यय कर 6.26 लाख पेंशनरों को लाभांवित किया जा रहा है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनांतर्गत 832.22 करोड़ रुपये व्यय कर 8.39 लाख पेंशनरों को लाभांवित किया गया है। राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनांतर्गत 419.80 करोड़ रुपये व्यय कर 4.10 लाख पेंशनरों को लाभांवित किया गया है। पालनहार योजनांतर्गत 1283.86 करोड़ रुपये व्यय कर 6.15 लाख बच्चों को लाभांवित किया गया है। अनुसूसचित जाति, अनुजजा निगम द्वारा संचालित एससी, एसटी, सरकारी कर्मचारी एवं दिव्यांग जन व अन्य पिछड़ा वर्ग के 9185 व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री कन्यादान योजना में 18 वर्ष या अधिक आयु की 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु 21 हजार रुपये से लेकर अधिकतम 51 हजार रुपये की सहायता देय है। जिसमें मैं मांग करता हूं कि इसमें बढ़ोतरी करके अगर 75 हजार रुपये किया जायेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी की व्यवस्था का मैंने जो आपको बताया, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिला स्तर पर एससी, एसटी, आरएएस, आईएएस परीक्षाओं केलिए रहने वाले छात्र-छात्राओं के लिए खाने की और पीने की व्यवस्था और फ्री कोचिंग की व्यवस्था में मैं मांग करूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि जिला स्तर पर यह व्यवस्था की जाये।

मैं यह भी मांग करूंगा कि खाजूवाला, छतरगढ़ और पूगल में संचालित अम्बेडकर छात्रावासों की स्थिति जर्जर है, अतः इनकी मरम्मत तथा नया छात्रावास भवन बनाया जाये। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र एक दूरदराज का क्षेत्र है, पाकिस्तान बोर्डर पर है, हमारे दूर-दूर से बच्चे, छात्र-छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं, इनके लिए एक कन्या महाविद्यालय स्तर का अगर छात्रावास वहां पर होगा तो मैं समझता हूं कि वहां के क्षेत्र के लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मांग संख्या 31 पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री घनश्याम।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आदिवासी, एससी, एसटी और अनुसूचित जनजाति के बारे में आपसे बात करूंगा। आदिवासियों की देश में कुल आबादी 8.14 प्रतिशत है। क्षेत्रफल के करीब 15 प्रतिशत भाग पर आदिवासी निवास करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि आदिवासी

लोगों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिसको देश के आर्थिक और सामाजिक भागीदारी संकेतकों पर देखा जा सकता है। मातृ एवं बाल मत्यु दर हो या कृषि सम्पदा हो, पेयजल, बिजली तक उनकी पहुंच हो सके। आदिवासी समुदाय आम आबादी के बहुत पिछड़े हुए हैं। आदिवासी आबादी 52 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे है। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है। चौंकाने वाली बात तो यह कि 54 प्रतिशत आदिवासियों की आर्थिक सम्पदा जैसे संचार और परिवहन तक कोई पहुंच ही नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बाद आदिवासियों को कुछ अधिकार मिले हैं, पर सरकारों का विशेष ध्यान आदिवासियों के प्रति जब हमारी सरकार बनती है तो रहता है, लेकिन उसके बाद इनके प्रति ईर्ष्या और इनके साथ भेदभाव बरता जाता है। आदिवासियों का इस देश के निर्माण में बड़ा योगदान रहा है। आदिवासियों का इस देश के इतिहास में बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है पर आज आदिवासियों की जो स्थिति है, वो इस देश में बहुत दयनीय है।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों को आजादी के बाद शिक्षा का अधिकार मिला। उस शिक्षा के कारण आदिवासी आज कुछ हद तक प्रोग्रेस कर रहे हैं पर सरकार बदलने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों पर ध्यान नहीं दे पा रही है, यह बहुत दु:ख का विषय है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी आदिवासियों का जीवनयापन खेती पर आधारित है, जल, जंगल और जमीन पर इनका अधिकार है। प्रकृति के प्रति इनका हमेशा लगाव रहा है। ऐसी स्थिति में आबादी जनसंख्या के आधार पर एससी, एसटी का आरक्षण बढ़ाने की जरूरत है। जब जनगणना हुई तो उस समय एसटी 12 प्रतिशत थी और एससी 17 प्रतिशत थी, जब जनसंख्या आज की तारीख में अगर देखा जाये तो एसटी का 14 प्रतिशत निकलेगा, जब भी जनगणना होगी और आज भी 12 प्रतिशत ही इनको नौकरियों पर अधिकार मिल रहा है, तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह रहेगा कि इनकी जनसंख्या के आधार पर आदिवासियों को अपना अधिकार मिलना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जब से सरकार बनी है, बनते ही एससी, एसटी के पदोन्नति का बैकलॉग सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया है।

MLS/RTM/28.02.2025/14:50/2h

यह बहुत दु:ख का विषय है। बैकलॉग समाप्त किया गया, जबकि उपयुक्त सदस्य मिलने तक उसे संरक्षित रखना चाहिये। ऐसा नहीं है, आज बहुत सारे आदिवासियों के बच्चे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और उस बेरोजगारी के कारण वे गलत रास्ते अपना रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं, करौली जिले से आता हूं, वहां स्मैक और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिनमें हमारे बच्चे लिप्त होते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार मिलता तो वे गलत रास्ते पर नहीं जाते। आदिवासियों के लिये अलग से आप एक फंड की व्यवस्था करें। अनुसूचित जनजाति आयोग जो बना रखा है,

सरकार उसमें पैसा तो देती है, पर वह खर्च नहीं होता है, जिसके कारण उनका कोई डवलपमेंट नहीं होता, विकास नहीं होता। आज सरकारें सरकारी नौकरियों को छोड़कर प्राइवेट सैक्टर में जा रही हैं, चाहे हवाई अड्डा हो, रेल हो, सभी सरकारी उपक्रमों को एक-एक करके हम प्राइवेट सैक्टर को दे रहे हैं।

जब प्राइवेट सैक्टर में वे जाते हैं तो उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरी नहीं मिलती है। यह भी एक बड़ा कारण है। सरकारों को इसमें ध्यान देना चाहिये कि भई जब सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट सैक्टर में जब नौकरी दी जा रही है तो उनमें भी आरक्षण का प्रावधान सरकार को करना चाहिये। अगर इस तरह से सरकार सभी सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट सैक्टर को दे देगी तो एससी, एसटी के बच्चे नौकरियों से वंचित होते जाएंगे और एक समय ऐसा आयेगा कि उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी और वे गलत रास्ते पर जाने को मजबूर होंगे। सभापति महोदय, सरकारें तो आती-जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति इस तरह का भेदभाव सरकार न करे, मेरा आपके माध्यम से ऐसा मानना है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल रही है। लगभग 30 वर्षों से छात्रवृत्ति को बढ़ाने का काम भी नहीं किया जा रहा है। जो मापदण्ड आपने पहले तय किये थे, उन्हीं के आधार पर छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। एसटी के बच्चों को तो पिछले 5 सालों से छात्रवृत्ति ही नहीं मिल रही है। उसमें भारत सरकार का जो पैसा 75 परसेंट आना था, वह पिछले 5 साल से नहीं आ रहा है तो उसके कारण अनुसूचित जनजाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। हम क्षेत्र में जाते हैं। लगातार बच्चों की यह मांग रहती है कि साहब, हमें छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि भारत सरकार को आप पत्र लिखें और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को जो पिछले 5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उसे दिलवाने की कृपा करें। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इतने लम्बे समय तक बच्चे इन्तजार नहीं कर सकते और आने वाले समय में इस मुद्दे पर छात्र आन्दोलन भी कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मुझे लगातार मिलती आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, एसटी, एससी, ओबीसी के निर्धारित आरक्षण को जान-बूझकर कम किया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 में एसटी, एससी के 65 पद कम किये गये हैं। यह बहुत चिन्ता का विषय है। पटवारी भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण के अनुरूप पदों को आरक्षित करने को लेकर विज्ञप्ति नहीं जारी की गयी है। यह इस तरह की बात है कि इससे सरकार पर सीधा-सीधा आक्षेप है कि आप अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को नौकरियों से दूर रखना चाहते हैं और आरक्षण का उनको लाभ नहीं देना चाहते।

इसी तरह से आरएएस 2025 की भर्ती में विज्ञप्ति में भी आरक्षण का भेदभाव किया गया है। यह किस तरह की सरकार है, मुझे तो यह पता नहीं लग रहा कि अनुसूचित जनजाति के लोगों से इतनी ईर्ष्या आप लोगों को क्यों है। क्यों आप इस तरह की व्यवस्था करना चाहते

हैं? यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। माननीय सभापति महोदय, माडा योजना में जो संचालित छात्रावासों में तीन-तीन महीने से विलम्ब से सामग्री आ रही है, यह भी एक बहुत बड़ा चिन्ता का विषय है। जब छात्रावासों में हम बच्चों को अच्छा विटामिन युक्त खाना उपलब्ध नहीं कराएंगे तो फिर वे ऐसी ही शिक्षा लेंगे। अगर उनके पास अच्छे बिस्तर नहीं होंगे, अच्छी बिल्डिंग नहीं होगी, अच्छा भवन नहीं होगा और उनका वातावरण छात्रावास में अच्छा नहीं होगा तो फिर वे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन रहेगा कि माडा योजना और भी अन्य योजनाओं के द्वारा जो छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं, उन पर सरकार का पूरा ध्यान होना चाहिये। उनके खाने के सामान, बिस्तर और अन्य कोई भी सामग्री जो उन्हें उपलब्ध करायी जाये, वह अच्छी करायी जाये, गुणवत्तापूर्ण उनको खाना दिया जाये। ऐसा मेरा आपके द्वारा निवेदन रहेगा। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा, अगर माहौल छात्रावास का अच्छा नहीं होगा तो वे अच्छी शिक्षा भी नहीं ले पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, एसटी, एससी में पर्याप्त छात्रावास नहीं हैं तो हमें हर तहसील स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर छात्रावास खोलने चाहिये, चाहे एक विधान सभा क्षेत्र में कॉलेज दो हैं या तीन हैं, उनको नहीं देखा जाये, ब्लॉक हैडक्वॉर्टर, तहसील हैडक्वॉर्टर पर छात्रावास होने चाहिये और उनका संचालन हमें अच्छी तरह करना चाहिये। उनके खाने, पहनने के अच्छे साधनों का ध्यान सरकार को रखना चाहिये। उसके साथ इनकी देख-रेख के लिये एक कमेटी का निर्माण भी सरकार को करना चाहिये और वह कमेटी हर तीन महीने या छह महीने में उन छात्रावासों को देखे, उनका निरीक्षण करे और जानकारी लेकर सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करे कि वाकई उनको अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि छात्रावासों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, छात्रावासों में रहते हैं, गरीब और अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे वहां रहकर अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आप छात्रावासों पर विशेष ध्यान दें। पहले जहां महाविद्यालय स्तर पर छात्रावास चलाये जाते थे, आज वही सब बंद कर दिये गये हैं। उन्हें पुनः संचालित करने की आज आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में, जब हमारा कॉलेज दूर है, कई बच्चे 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से पढ़ने आते हैं तो ऐसी जगहों पर हमें छात्रावासों का निर्माण करना चाहिये ताकि उन्हें वहां इतने लम्बे रास्ते तय नहीं करने पड़ें और छात्रावासों पर रहकर उनको अच्छा खाना मिले, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलें, अच्छे संसाधन मिलें तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का उनको मौका मिलेगा।

जब अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अच्छे संस्कार उन्हें मिलेंगे तो वे देश के निर्माण में अच्छा योगदान कर सकेंगे। ऐसा मेरा मानना है। माननीय सभापति महोदय, गहलोत सरकार के द्वारा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल ग्रामीण इलाकों में खोले गये। उनमें एसटी, एससी, ओबीसी एवं ग्रामीण बच्चों को गांवों में उन्नत शिक्षा देने का सरकार का जो एक अच्छा काम था,

उसे आप लोग बंद कर रहे हैं। ...(व्यवधान)... वह तो बंद ही करोगे आप और करोगे क्या? माननीय गोरधन जी भाई साहब, इसलिये बंद करोगे कि उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे भी पढ़ते थे। अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते थे, अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते थे, पर हमारे एमएलएज, एमपीज के बच्चे नहीं पढ़ेंगे।

एमएलएज, एमपीज, सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और सभी के बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं। हिन्दी माध्यम में कोई नहीं पढ़ते, पर अगर गरीब का बच्चा इंग्लिश सीखेगा, इंग्लिश पढ़ेगा तो उससे सरकार को तकलीफ क्यों है? इस सरकार को इसलिये तकलीफ है कि जब गरीबों के बच्चे, एससी, एसटी के बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे तो वे सवाल खड़े करेंगे। कानून की जानकारी उनको होगी। जब वे पढ़ेंगे-लिखेंगे ही नहीं, वे अनपढ़ रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे तो वे क्या आपसे सवाल करेंगे। ऐसा नहीं करें। देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए गरीबों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिये, उन्नत शिक्षा मिलनी चाहिये, संसारवान शिक्षा मिलनी चाहिये और इंग्लिश की जानकारी भी उनको होनी चाहिये।

आज बड़े लोगों के सब बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और इंग्लिश ही पढ़ते हैं। हिन्दी का कोई बच्चा एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस का नहीं पढ़ता। आज गरीबों के बच्चों को जो एक शिक्षा का नया आधार मिला था, उसे भी आपने समाप्त कर दिया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा एक निवेदन रहेगा कि इंग्लिश स्कूलों को बंद नहीं किया जाये। उन्हें पुनः संचालित किया जाये। यह गरीब परिवारों और एससी, एसटी के बच्चों के लिए एक अच्छी बात होगी।

MKD/RTM/28.02.2025/15:00/2j

इसी के साथ-साथ भजन लाल सरकार इनकी समीक्षा करने का विचार रखती है, इससे जाहिर होता है कि यह एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों के भविष्य के खिलाफ हैं। इस स्थिति में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप गांवों में तो स्कूल बन्द कर रहे है, पर आप गांवों में इसकी जानकारी करें। वहां बच्चों के जो संरक्षक हैं, मां-बाप हैं, ग्रामीण लोगों से यह पूछें कि ये स्कूल बन्द किये जाएं या नहीं किये जाएं। सरकार की मंशा कुछ और हो सकती है और जनता की मंशा अलग है। जनता चाहती है कि इंग्लिश स्कूल खोले जाएं और उनको स्थायी रखा। मेरा आपसे निवेदन है कि उनका सर्वे करके ही बन्द किया जाए, आपका तुगलकी आदेश डायरेक्ट नहीं चलाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ स्कूटी वितरण में सरकार बहुत देरी कर रही है। आपने दो-दो, तीन-तीन हजार स्कूटियां गोदामों में डाल रखी हैं, वे धूल चाट रही है। आपने बजट में खोखली घोषणा तो कर दी, 2022-23 की स्कूटियों का रजिस्ट्रेशन हो गया और रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी आज तक उनका वितरण नहीं किया जा रहा है और उन पर धूल छा रही है। ऐसा क्या कारण है कि आप उनका वितरण नहीं कर रहे हैं? इससे उसका लाभ भी नहीं मिल रहा है, जो पैसा सरकार का खर्च हुआ है, वह भी काम नहीं आ रहा है। वे सब

स्कूटियां खराब हो जायेंगी। उन स्कूटियों का आपको समय पर वितरण करना चाहिए। उसका बच्चों को लाभ मिलेगा और जो हमारी सरकार का पैसा खर्च हुआ है, वह भी समय पर काम आयेगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप उन स्कूटियों का तुरन्त प्रभाव से वितरण करवाये।

मंत्री जी, छात्रावासों की दयनीय स्थिति है, उनके रख-रखाव में बहुत खराबी है, बिस्तर, बेडशीट, तकिया एवं गद्दे बदबू मार रहे हैं। ऐसे भवनों का जीर्णोद्धार करने के लिए ध्यान देने की जरूरत है।

मंत्री जी, मैंने पिछली बार भी आपको निवेदन किया था कि हमारे छात्रावासों में गन्दगी है, बिस्तर साफ नहीं है, तो हम उनको काम में नहीं लें, चाहे बच्चे से ही कह दें कि हम बिस्तर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, आप घर से ले आओ। मैं ऐसे कई छात्रावासों में गया, उन्हें नये बिस्तर दें या फिर हम ऐसे बिस्तर दें, जैसे दरी है, दरी गन्दी नहीं होती है। गद्दे में मिट्टी चढ़ जाती है तो वह मिट्टी निकल नहीं पाती है। हम दरी देंगे तो वह दरी खराब नहीं होगी। बेडशीट होगी तो बेडशीट की धुलाई बच्चा भी कर सकता है। आप एक बार कमेटी बनाये, हमको छात्रावासों को ठीक करना है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि हम गद्दों की बजाय दरियों का ज्यादा उपयोग करें। उसमें मिट्टी नहीं आयेगी, उससे बच्चों में बीमारी भी पैदा नहीं होगी। जो कम्बल आ रहे हैं तो कम्बलों के साथ आप रजाइयों का उपयोग करें। उसके ऊपर खोली हो तो वे खोली की धुलाई कर सकते हैं, वे गन्दे नहीं लगेंगे। इस तरह की एक कमेटी बनाकर आप इस पर ध्यान देंगे।

इसी के साथ-साथ बिना टेंडरों के जो राशन उपलब्ध करा रहे हैं, अधिकारियों की इसमें एक बड़ी धांधली चल रही है। बिना टेंडरों के ही छात्रावासों में सामग्री खरीद लेते हैं, वे उसमें लोग गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते हैं। हम गुणवत्तापूर्ण सामग्री बच्चों को उपलब्ध नहीं करायेंगे तो उससे भी बच्चों को एक बड़ी परेशानी आती है और सही जानकारी नहीं ले पाते हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जो कमीशनखोरी का काम चल रहा है, बिना टेंडर के जो सामान खरीदे जाते हैं, आप उनका भी ध्यान रखेंगे।

इसके साथ-साथ माननीय मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अलवर, रैणी, टोडाभीम में 200-200 छात्रों की क्षमता के महाविद्यालय स्तर के एससी, एसटी के छात्रावासों का निर्माण कराया जाये। मेरा निवेदन रहेगा कि जहां हमारे कॉलेज हैं, वहां आपने 200-200 छात्रों की क्षमता के छात्रावास खोलने का पहले भी आश्वासन दिया था, मेरा आपसे निवेदन है कि जहां बड़े कॉलेज हैं और वे दूर हैं तो वहां आप छात्रावास खोलने की कृपा करें। जैसे अलवर में, राजगढ़ में है, टोडाभीम में है, नादौती में है। इस तरह के जो बड़े कॉलेज हैं, वहां छात्रावास खुलवायेंगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। इस तरह का मेरा आपसे निवेदन रहेगा। करौली, टोडाभीम में छात्रावासों का, हमने चार जगहों का प्रस्ताव आपको पहले दिया था तो चारों में से एक भी छात्रावास

अभी हम नहीं खोल पाये हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि बजट पर जब मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तो इन चार की बजाय तीन छात्रावास तो खुलवाये तो उसका बच्चों को फायदा मिलेगा और अनुसूचित जनजाति, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों को इसका फायदा मिल पायेगा।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मेरा एक निवेदन सरकार से रहेगा कि आज हम सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर में देते जा रहे हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को प्राइवेट सेक्टरों में नौकरी नहीं मिलती है। हम सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं तो उनमें तो नौकरी लगने का सवाल ही नहीं है, पर प्राइवेट सेक्टर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए भी ऐसा प्रावधान किया जाए, उनमें उनको नौकरी दी जाए। इसी के साथ-साथ मेरा एक और निवेदन रहेगा।

श्री सभापति: विराजिये। श्री कैलाशचन्द्र मीणा।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सचेतक महोदय, ये श्रवण कुमार जी आपके साथ ही हैं ना अभी तक। ये षड्यंत्र तो नहीं कर रहे। श्रवण कुमार जी आपके पक्ष में ही हैं ना। सत्ता पक्ष में हैं क्या?

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं उप मुख्य मंत्री जी दिया कुमारी जी को धन्यवाद देता हूं कि जनजातीय विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से समस्त वर्गों का ध्यान रखते हुए दोनों विभागों के लिए 2024-25 और 2025-26 के बजट में पहली बार विभिन्न प्रकार की योजनाएं किसान, गरीब, मजदूर, युवा, बेरोजगार, महिलाओं, घुमन्तू, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, विकलांग, दिव्यांगों के लिए घोषणाएं की गईं। मैं मुख्य मंत्री जी को एवं उप मुख्य मंत्री जी को बधाई एवं जनजातीय क्षेत्र की ओर से धन्यवाद, स्वागत, अभिनन्दन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि टीएडी विभाग के माध्यम से 437 आश्रम छात्रावास, 53 आवासीय विद्यालय, ईएमआरएस एवं 43 हजार छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता युक्त पूर्ण शिक्षा मिल रही है। माडा सहरिया क्षेत्र में 9 हजार बच्चों को 3 हजार मां-बाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 1 से 4 तक शिक्षा प्रदान करने का काम भाजपा सरकार की उपज है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इसे आगे बढ़ाते हुए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है, जो जनजाति के हितों में हैं।

माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि टाडा, माडा सहरिया एवं जनजाति क्षेत्र की पहचान कांग्रेस, आजादी से 1977 तक इनके पास नामोनिशान नहीं था। परन्तु 1977 में स्व. भैरोंसिंह जी शेखावत पहले विपक्ष के मुख्य मंत्री बने और इन क्षेत्रों की पहचान की। तब से जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब-तब उन क्षेत्रों को

बजट देने का काम हुआ। हमारे मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पिछले वर्ष में 1500 करोड़ का बजट दिया, इस बजट में बढ़ाकर 1750 करोड़ पिछड़े क्षेत्रों को खुशहाल करने का बजट दिया।

माननीय सभापित महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 650 छात्रों की क्षमता के 11 कॉलेज, छात्रावास संचालन, 878 बालिका क्षमता के बहूद्देशीय छात्रावास, 13 खेल अकादमी छात्रावास, 874 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित कर स्वच्छ परियोजना के अर्न्तगत मां-बाड़ी केन्द्र, शिक्षाकर्मी, सहयोगिनी, स्वच्छ स्वास्थ्यकर्मी योजना को भाजपा सरकार ने समय-समय पर चलाने का काम किया है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इनका मानदेय 10 प्रतिशत बढ़ाने का काम किया। 4536 स्वास्थ्यकर्मियों के माध्यम से क्षय रोग, टीबी रोग तक पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाएं दीं। हमारे मुख्य मंत्री जी एवं भाजपा सरकार की देन है।

माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि 1977 से 2023 तक जब-जब भाजपा की सरकार बनी, तब-तब जनजाति कृषकों को मुफ्त में खरीफ, रबी के विभिन्न प्रकार के बीज वितरण करना, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, 49 हजार नि:शुल्क हाइब्रिड मिनी किट किसानों को टीएसपी क्षेत्र में वितरित करना, भाजपा की देन है।

इसके विस्तार के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी बजट बढ़ाते जा रहे हैं।

Bhs/Rtm/28.02.25/15.10/2k

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिले में स्थित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में धार्मिक स्थल बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम, त्रिपुरा सुन्दरी, गोटिया अम्बा, अरथूनिया, हनुमान, शीतला माता, बोहरा समुदाय का विश्वविख्यात दरगाह, क्षेत्रपाल, खड़गदा, बेड़माता, सोमनाथ से ऋषभदेव उदयपुर को ट्राइबल टूरिज्म हब बनाने के लिए सौ करोड़ रुपये की घोषणा करना आदिवासियों को रोजगार प्रदान करने वाली घोषणा है। वंचित वर्ग महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग के लिए आवासीय संस्थानों को मैस भत्ता 3,200 प्रति माह करना। 681 छात्रावास, 37 आवासीय विद्यालयों में बच्चे की उपयोगी सामग्री पर सात करोड़ 18 लाख व्यय कर सामग्री क्रय करना सरकार का जनजाति बच्चों के लिए ऐतिहासिक कदम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने समाज कल्याण छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को मासिक देय भत्ता पच्चीस सौ से बढ़ा कर तीन हजार प्रति विद्यार्थी मासिक, 75 वर्ष से कम आयु के पेन्शनर्स को प्रति माह 150 की वृद्धि की गई। विभाग द्वारा संचालित 194 राजकीय आवासीय छात्रावासों के मरम्मत के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। अन्य सामग्री पलंग, बिस्तर इत्यादि क्रय के लिए 13.23 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई एवं भवन विहीन छात्रावासों के लिए 32.10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई। इन छात्रावासों में एसटी/एससी/ओबीसी के छात्र अध्ययन करते हैं। हमारी सरकार एसटी/एससी/ओबीसी के हितों का ध्यान रखते हुए बजट जारी करती है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कन्या के विवाह के लिए 54.58 करोड़ पहली बार 14,359 कन्याओं को लाभ दिया गया। गाड़िया लुहारों के लिए महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना के तहत 99.65 लाख खर्च कर 83 परिवारों को लाभ दिया गया। हमारी सरकार ने एसटी/एससी/ओबीसी वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 514.12 करोड़ खर्च 2 लाख 99 हजार 151 छात्रों को लाभान्वित किया है। अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 104.96 करोड़ खर्च कर 43,027 बच्चों को लाभान्वित किया गया है। यह भजन लाल जी की सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक योजना में हमारे मुख्य मंत्री जी ने एकल नारी पेन्शन योजना में 3,425.86 करोड़ रुपये व्यय कर 18 लाख पेन्शनर्स को लाभ दिया एवं मुख्य मंत्री जी विशेष योजना सम्मान पेन्शन योजना में 963.11 करोड़ व्यय कर 6.59 लाख पेन्शनर्स को लाभ दिया गया। राष्ट्रीय विधवा पेन्शन योजना में 419.60 करोड़ व्यय कर 4 लाख 10 हजार पेन्शनर्स को लाभ दिया गया। लघु सीमान्त किसान पेन्शन योजना में 315.85 करोड़ व्यय कर 2.9 लाख पेन्शनर्स को लाभ दिया गया। पालनहार योजना में 1,350.41 करोड़ व्यय कर 6.15 लाख बच्चों का भविष्य का संवारने के लिए हमारी सरकार के मुखिया भजन लाल जी शर्मा को टी.एस.पी. क्षेत्र की ओर से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुरोआल, पनासी, छोटी ग्राम पंचायत कुशलपुरा, तलवाड़ा, ग्राम पंचायत मोटी बस्सी, ग्राम पंचायत पांचेड़ा आदि स्थानों पर समाज कल्याण छात्रावास खोलने की मांग रखता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग रखता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में कटकेश्वर महादेव मन्दिर, दोनों तरफ पुलिया, मन्दिर बजाकरा पुलिया निर्माण, बड़गांव मांकोत तलवाड़ा पुलिया निर्माण, निचला कंटाला रगावा पुलिया निर्माण, रोहिड़ा नाला, ओलाई नाला, पनासी नाला आदि जगहों पर जनजाति विकास विभाग से पुलिया निर्माण की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनजाति परिवारों के कृषि सिंचाई के लिए ऊर्जा चलित लिफ्टों का निर्माण, माही नदी पर खरबेड़ा, बिलोदा, बरखेडियापाड़ा, पांचवड़ा, इटावा, ओड़वा, लालपुरा, दौलतगढ़, मेणापोता, अनास नदी, सागवड़िया एबी, रामपुर, लालपुर, भीमसौर, जन्तौड़ा, ऊटी करोल आदि गांवों में लिफ्ट लगाने की मांग रखता हूं।

(समय : बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन।)

माननीय सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्र विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में बड़केश्वर महादेव, भीम कुंड, राम कुंड, बोगरेश्वर, मंगलेश्वर महादेव, नहाली संगरेश्वर, बिन्देश्वर महादेव आदि जनजाति क्षेत्रों के तीर्थस्थलों का जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण एवं भवनों का निर्माण आवश्यक है एवं मजरों

की ढाणियों को जोड़ने के लिए पुलिया, सी.सी. सड़कें, ब्लॉक सड़कें आदि कार्य आवश्यक हैं एवं पूर्व भाजपा सरकार के द्वारा जनजाति कृषकों को व्यक्तिगत कुए गहरे, मरम्मत करने के लिए एक लाख की स्वीकृति दी थी। पिछली कांग्रेस सरकार ने पांच हजार जनजाति कृषकों की स्वीकृति निरस्त कर दी। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त कार्यों को स्वीकृत करावें।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे साथियों ने जनजाति की बात, आदिवासी अलग धर्म की बात कही, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि भगवान राम जब चौदह साल तक वनवास में रहे, पाण्डवों ने बारह साल वनवास बिताया, हमारे आदिवासी समाज ने उनके साथ रह करके उनके पूरे जीवनभर उनकी सेवा और उनकी रक्षा करने का काम किया। हम आदिवासी हैं, हम हिन्दू हैं, सनातनी हैं, भगवान राम के साथ रह करके हमने पूरा जीवन बिताया है। हमारे आदिवासी क्षेत्र के अन्दर सभी लोग शराब बनाते हैं। आज दिन तक पुलिस ने किसी को पकड़ने का काम नहीं किया है। यह असत्य बातें, असत्य वादे करके सदन को भ्रमित करने का काम करते हैं। ये दो सौ दिन नरेगा की बात करते हैं। पांच साल तक स्कूलों का निर्माण ये नहीं कर पाये और इन्होंने इनके द्वारा जो विकास कार्य नहीं हो पाये ये कांग्रेस सोची-समझी चाल से हमारे टी.एस.पी. बन्धु को बुलवा करके सदन को गुमराह करने का काम करते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि ये जिस तरह से असत्य बातें करके हमारे आदिवासी समाज को कलंकित करने का काम करते हैं हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर का आदिवासी पाण्डवों के साथ रहा है। आज इसके हमारे पास पदचिन्ह हैं। राम कुण्ड में देखिये, भीम कुण्ड में देखिये, संभेश्वर में देखिये, मंगलेश्वर में देखिये, वहां पर भीम के पगले आज भी हैं और हमारे लोग वहां पर जाकर अस्थि विसर्जन करते हैं। यह वहां का आदिवासी है। इन आदिवासियों को कलंकित करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारे उस क्षेत्र के आदिवासियों को सम्पन्न बनाने का काम किया है और वहां का आदिवासी सक्षम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस तरह से जो हमारे आदिवासियों के ऊपर कलंक लगाने वाले भाषण देने वाले लोगों पर रोक लगायी जाये। यही बात कह करके, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापतिः श्री संजय कुमार जी।

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30, 31 पर बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज इस सदन में हमारे सत्ता पक्ष के साथी भी बैठे हुए हैं, विपक्ष के भी बैठे हुए हैं और हम आज जिस मांग संख्या पर अपनी बात रख रहे हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि आज राजस्थान के अन्दर एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस जितनी भी हमारी आरक्षण की व्यवस्था है उस पर हम अपनी बात रख सकें। क्योंकि आठ करोड़ की जनता ने हमको यहां चुन कर भेजा है, हम दो सौ माननीय सदस्य हैं तो हमें एक सकारात्मक बात यहां रखनी चाहिये। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ेगा कि आज हमारे

सत्ता पक्ष के कई साथी मांग संख्या 30-31 पर बोले हैं लेकिन आरक्षण व्यवस्था पर नहीं बोले। यह मुझे संकोच नहीं है कहने में क्योंकि आप भी हमारे साथी हैं और हम भी आपके साथी हैं। जनता ने हमें चुन कर भेजा है हम उनकी बातों को सदन में रखने के लिए सदन में आये हैं।

मेरा यह मानना है कि 2014 के बाद रोस्टर प्रणाली का जो संधारण किया जाना था कार्मिक विभाग के बार-बार पत्र के बावजूद भी वो विभागीय साइट पर नहीं किया गया। आज कई ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि जो भर्ती निकली हुई है आपके यहां से, सरकार के द्वारा जो भर्ती की गई हैं, चाहे पटवार भर्ती हो, प्रोफेसर भर्ती हो, आर.पी.एस.सी. के द्वारा विभिन्न भर्ती हों, उनमें रोस्टर प्रणाली के आधार पर रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई है।

माननीय सभापति महोदय, अभी मैं आपके माध्यम से सदन में कुछ बातें रखना चाहता हूं कि पटवार भर्ती 2025, इसमें एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन था उसके आधार से जो भर्ती होनी चाहिये थी, उसके अन्दर आप देखिये टोटल 1733 पदों में से एससी के लिए 16 प्रतिशत के आधार पर 277 पद स्वीकृत होने चाहिये थे और हुए कितने, 229 मात्र।

Kas/rtm/28.02.2025/15.20/2l

इसी तरह एसटी के लिये 12 परसेंट के आधार पर 208 पद होने चाहिये थे, हुए 175 पद। इस तरह एससी के लिये 48 और एसटी के लिये 33 पदों की कमी की गई है, यह बड़ा चिंतनीय विषय है कि किस तरह से एससी, एसटी एवं अन्य वर्ग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि कार्मिक विभाग के द्वारा पत्राचार के बावजूद भी रोस्टर प्रणाली के आधार पर जो आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिये, वह नहीं की जा रही है, इस पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा में देखें, तो कुल 1648 पद हैं, इनमें 16 परसेंट के आधार पर एससी के लिये 260, एसटी के लिये 194 पद होने चाहिये, लेकिन जो विज्ञापन निकाला गया, उसमें एससी के लिये 172 और एसटी के लिये 148 पद, यानी सीधा-सीधा एससी के 88 और एसटी के 46 पदों का नुकसान हुआ है। बैकलॉग की तो बात ही नहीं की गई है। पूर्व में 153 पद बैकलॉग के हैं, इसमें एससी के 87 और एसटी के 66 पद खाली थे, वह भी गायब कर दिये गये हैं। सभापति महोदय, एमबीसी के लिये 5 परसेंट आरक्षण के आधार पर 96 पद मिलने चाहिये थे, उन्हें 93 पद दिये गये, यानी 3 पदों का यहां भी घाटा हुआ।

सभापति महोदय, 8 करोड़ की जनता ने हमें यहां चुन कर भेजा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें यहां रखनी चाहिये, हमारे कई सदस्य पता नहीं क्यों नहीं बोल पाते हैं, हम

सबको बोलना चाहिये। आरक्षण व्यवस्था पर बोलना चाहिये, क्योंकि 8 करोड़ की जनता ने हमें यहां चुनकर भेजा है और हम सभी साथी यहां हैं। हम यहां नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे?

सभापति महोदय, 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती 2019 में की गई और उसका रिजल्ट आया था अभी 3 अगस्त, 2024 को। इसमें एससी, एसटी की कैटेगरी में न्यूनतम अंकों का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। इसके परिणाम को देखने पर मिला कि पूर्ण एलिजिबल छात्र उपलब्ध होने के बावजूद भी एसटी के 63 पद खाली रखे गये और एससी के 39 पद खाली रखे गये। यहां भी हमारे एससी, एसटी भाइयों के अधिकारों का हनन हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहूंगा कि हमें इस पर गौर करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में लगभग 41 हजार से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं। जैसे कि केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक, जिला दुग्ध उत्पादक संघ, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, उपभोक्ता हॉलसैल भंडार, केन्द्रीय बुनकर संघ, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, इस तरह से कई सहकारी समितियां हैं। सहकारी संस्थाओं में केन्द्र व राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी/अंशदान सहायता की राशि विनियोजित की जाती है। मैं कहना चाहूंगा कि इनमें केवल संचालक मंडल के पदाधिकारियों के लिये ही एससी, एसटी वर्ग को शामिल किया जाता है। अगर आप इनमें उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिये भी आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे तो हो सकता है कि हमारे भी लोग अध्यक्ष/उपाध्यक्ष बनकर अपनी सेवा दे सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि जिस तरह से हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी को रोस्टर के आधार पर जो पद मिलने चाहिये, वो नहीं मिल पा रहे हैं, इस पर भी हमें थोड़ा गौर करने की जरूरत है। चूंकि मैं धौलपुर के बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, हमें कई फोन आते हैं कि हमको समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार, कहां से फंडिंग नहीं हो पा रही है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप त्वरित फंड लेकर बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे तो जिन्होंने कहीं से कर्ज लेकर अपनी फीस भरी हो, उन पर किसी तरह का आर्थिक दबाव हो तो वह कम हो सके और वह अपनी शिक्षा पर ध्यान दे सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने हमेशा एससी, एसटी ओबीसी वर्ग का ध्यान रखा है, लेकिन इस बजट में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को बिलकुल ठगा गया है। मैं कहना चाहूंगा कि धौलपुर में मैं कई आवासीय छात्रावासों में गया हूं, उनमें कहीं बेडशीट नहीं है, कहीं चादर नहीं है, ओढ़ने के लिये रज़ाई-गद्दे-तकिये भी बिलकुल गंदे, फटे हाल में हैं। खाने के बरतन भी नहीं हैं। मैंने कई जगह देखा कि एक ही व्यवस्था से टेंडर चल रहा है। खाने की खास सामग्री की आपूर्ति भी प्रोपर नहीं है। सभापति महोदय, मैंने जब वहां विजिटर रजिस्टर चैक किया तो उसमें पाया कि साल में सिर्फ एक बार अधिकारी वहां चैक करने के लिये आये, यह बड़े शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि चाहे

उप खण्ड अधिकारी हो, तहसीलदार हो, बीडीओ हो या कोई प्रोपर अधिकारी हो, वहां जाकर समय-समय पर महीने में एक बार तो विजिट करें, कम से कम एक ऐसी नीति बनाई जानी चाहिये, वहां की समस्याओं को देखें, बच्चे किन हालात में रह रहे हैं। उन आवासीय छात्रावासों की बिल्डिंग, उनकी एजुकेशन, उनके गेम्स के संसाधन, आज वहां कुछ नहीं है।

सभापति महोदय, हॉस्टल अधीक्षक के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। कई बार हम उनको डेपुटेशन पर लगाते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हॉस्टल अधीक्षकों की जल्दी से जल्दी भर्ती की जाये ताकि वहां पर डेपुटेशन पर लोगों को ना लगाना पड़े। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी वर्ग के लिये अलग से एक नीति लाएं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिये, मैं पहली बार का विधायक हूं और मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि केवल पांच मिनट और।

श्री सभापतिः प्लीज, वक्ता बहुत हैं, आप बात समाप्त कीजिए।

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): सभापति महोदय, हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय दिव्यांगों के लिये 5 हजार स्कूटियां देने का प्रावधान था। 2024-25 के बजट में दिव्यांगों के लिये मात्र 2 हजार स्कूटियां दी गईं और 2025-26 के बजट में 3 हजार स्कूटियां दी गईं। 2024-25 के बजट में धौलपुर जिले में मात्र 27 स्कूटियां मिली थीं, जिसमें बसेडी विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ 4 स्कूटियां आईं। सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से विनति है कि दिव्यांग स्कूटियों को और बढ़ाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में एससी समुदाय के राजकीय कार्मिकों के विरुद्ध जातीय द्वेषता एवं बदले की भावना से निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। मैं आपके सामने कुछ बिन्दु रखूंगा, दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को दौसा क्षेत्र के मंडावरी गांव के एससी समुदाय की 8वीं की स्कूल छात्रा का अपहरण कर बलात्कार किया गया। 26 जनवरी, 2024 को गणतंत्र दिवस के समारोह में श्रीमती हेमलता बैरवा प्रबोधक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तहसील किशनगंज, जिला बारां पर अपने संवैधानिक दायित्व निभाते हुए भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई, यह सोचने लायक विषय है। 15 फरवरी, 2024 को झालावाड़ रोड के स्कूल विकलांग दलित उपाचार्य श्री प्रवीण कुमार जाटव को इस विद्यालय में अपमानित कर प्रताड़ित किया गया। 8 फरवरी, 2024 को श्रीमती पूजा बुनकर अनुसूचित जाति की अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोजड़ा, जिला जयपुर के साथ स्कूल स्टॉफ के द्वारा जातीय भेदभाव, अत्याचार एवं उत्पीडन किया गया और उन्हें बिना किसी आधार पर निलम्बित भी किया गया। 19 फरवरी, 2024 को नीमकाथाना की ग्राम पंचायत चीपलाटा के ग्राम विकास अधिकारी श्री ललित कुमार झाडली के द्वारा गबन कर्ता आरोपी के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर करने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बना कर मानसिक

प्रताड़ना कर उत्पीड़न किया गया और उन्हें मानसिक अवसाद में लाया गया, जिस कारण ललित कुमार रैगर को आत्महत्या करनी पड़ी।

msk/rtm/28.02.25/1530/2m

इस तरह से बहुत सारे केस हैं, अगर मैं बताऊं। मेरी आपके माध्यम से सभी साथियों से विनती है कि हमें जातीय द्वेष भावना को कम करने के लिए विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आपके माध्यम से सदन में समरावता गांव की घटना को याद दिलाना पड़ रहा है। गृह विभाग से हमारे कैबिनेट मंत्री जी और राज्य मंत्री जी भी वहां गये थे, हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय डॉ. किरोड़ी लाल मीणा जी भी गये थे। समरावता गांववासियों का क्या दोष था? उन्होंने सिर्फ अपने गांव को देवली उपखण्ड जो कि 90 किलोमीटर लगता है, उन्होंने वहां से उनियारा में जोड़ने के लिए उस चुनाव का बहिष्कार किया। यही तो उनकी गलती है। क्या उनकी यही गलती थी? जब उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, एसडीएम साहब के द्वारा कलेक्टर साहब के यहां मैसेज भी पहुंच गया तो क्या कलेक्टर साहब को आकर उनकी समझाइश नहीं करनी चाहिए थी। मेरा मानना है कि अगर वे समझाइश करते तो यह घटना नहीं घटती। घटना घटी, वहां पर हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले थे, वे वहां गये। उन्होंने वहां देखा कि एसडीएम के द्वारा जबर्दस्ती मतदान कराया जा रहा है। यह भी सोचने वाले विचार हैं कि लोकतंत्र में सबको बराबर का हक है। अगर उनकी पीड़ा है तो कलेक्टर साहब को जाकर उस पीड़ा को सुनना चाहिए था और अन्य उच्च अधिकारियों को। उनको आश्वासन देते तो यह घटना नहीं घटती। साथ ही, जब यह घटना घटी, वहां के निर्दलीय प्रत्याशी जी ने बोला कि आपने मतदान क्यों कराया? तो सबकी ड्यूटी बनती है कि समझाइश के द्वारा बात होती तो अच्छी बात थी। घटना घटी, घटना के बाद थप्पड़ कांड भी हुआ, सारी चीज हुई, लेकिन शाम के टाइम जब समरावता के सारे निवासी मीणा-वाटी गानों के साथ अपना मनोरंजन कर रहे थे तो वहां पुलिस प्रशासन के द्वारा गांव को घेरकर लोगों पर आंसू गैस, कई सारे डंडे, पत्थर आदि से उनकी भगदड़ मची, उनको मारा-पीटा गया और जबरदस्ती उनको जेल में डाला गया। वहां पर सरकार के दो मंत्री गये और दोनों मंत्रियों ने न्यायिक जांच की बात की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार समरावता गांव की न्यायिक जांच कराने की मंशा रखती है। यह सोचने लायक बात है। 8 करोड़ जनता ने हमें चुनकर भेजा है। हमें राजस्थान का कुछ मान रखना चाहिए।

हमारी परिपाटी रही है, इस सदन के अन्दर हम सबको बोलने का हक/अधिकार भी है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि चूंकि हम यहां पर आये हैं, मैं भी बसेड़ी से एससी विधान सभा क्षेत्र से आया हूं और यहां आया हूं तो बाबा साहब की कलम के द्वारा आया हूं। बाबा साहब के रिजर्वेशन के द्वारा मैं यहां आया हूं। हमें हक है, पूरा अधिकार है कि हम अपने लोगों के लिए यहां पर बोलें। माननीय सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से इस सदन

के सभी सदस्यों से विनती है कि हमें एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वर्ग उत्थान के लिए कम से कम सरकार से अपने-अपने क्षेत्र में मांग/डिमांड करनी चाहिए।

साथ ही, लास्ट बात कहकर अपनी बात खतम करुंगा। माननीय सभापति जी, धौलपुर की जनता ने, यह लोकतंत्र है, यह जनतंत्र है, भाजपा की वहां एक भी सीट नहीं आयी तो क्या वहां लोग नहीं रहते हैं। आज धौलपुर के साथ इतना कुठाराघात क्यों किया गया? हमारे एक भी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर सरकार के द्वारा इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। ...(व्यवधान)... माननीय मंत्री महोदय, आपसे नहीं कहेंगे, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं और हम तो आपसे पहली बार सीख रहे हैं। आपको करना चाहिए था। दो-दो प्रस्ताव लिये गये। हम आपसे ही तो सीख रहे हैं। जब हम आपकी तरह करेंगे तो क्या होगा। हम तो चाह रहे हैं कि दो-दो काम लिये गये, पूरक बजट में भी नहीं आये। क्या धौलपुर राजस्थान का पार्ट नहीं है? वह भी तो एक हिस्सा है, कुछ तो दे देते। आठ करोड़ की जनता है। 12 लाख की वहां पर जनसंख्या है। ठीक है, लोकतंत्र है, कोई हारता है, कोई जीतता है। आज वहां पर कांग्रेस जीती है तो कम से कम उन लोगों की तो मान लेते जो हमारे साथ भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े। उनकी डिमांड भी तो पूरी कर देते। हम सोचते, चलो, कुछ तो मिला हमारे क्षेत्र की जनता को।

मेरा मानना है कि इस तरह से हमारे धौलपुर के साथ कुठाराघात न करें। आप पूरा धौलपुर शहर, कलेक्टर साहब ने 160 करोड़ की डीपीआर बनाकर भेजी। 160 करोड़ की डीपीआर, अभी हमने पूरक बजट में पढ़ा था, 10 करोड़ धौलपुर शहर की विभिन्न सड़कों के लिए। मुझे खुशी होती है, हंसी भी आती है, मात्र एक करोड़ रुपये, 2 किमी. की सड़क के लिए। क्या धौलपुर का यही दुर्भाग्य है? 1 किमी. की सड़क, मात्र दो करोड़ रुपये। यह तो हम नगर परिषद से भी करा सकते थे, वहां पर इतने कामों को। आज 36 कॉलोनियां पानी के अन्दर डूबी हुई हैं। 160 करोड़ की डीपीआर बनाकर भेजी गयी है। उस पर एक भी काम नहीं हुआ। सभापति महोदय जी, मेरा मानना है कि कम से कम कुछ तो देते, कुछ धौलपुर का लिहाज करते। धौलपुर, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी का गृह जिला भी है। हम लोगों को कुछ तो दे देते। हमें न देते तो जो भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, उनको ही दे देते। आपने तो वह भी नहीं किया। इस बारे में क्या कह सकते हैं? मुझे तो सोचकर भी पीड़ा होती है कि सरकार है और सरकार कहती है, सबका साथ, सबका विकास। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सिर्फ एक पार्टी के मुखिया हैं या प्रदेश के मुखिया हैं, यह मेरा आपके माध्यम से सदन में एक क्वेश्चन है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने सदन में अपनी बात रखी। मांग संख्या 30 व 31 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।

श्री सभापतिः श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं 31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की

मांग पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज सदन में, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी और माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कल इस राजस्थान की विधान सभा में बजट रखा, उसमें मेरे क्षेत्र के लिए जो भी सौगात दी है, उसके लिए मैं उनका तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास। जनजाति क्षेत्रीय विकास में अभी तक तो अपन यह भी तय नहीं कर पाये कि कौन एससी है, कौन एसटी है, कौन ओबीसी है, यह भी तय नहीं कर पाये। सदन में बार-बार इस बात को उठाया जाता है। जैसे नायक, नायक की जाति के आगे 'ए' लगा दिया, नायका हो गया। वास्तव में उस जाति का नाम तो 'नायक' है। उसका सुधार कैसे किया जाए? मांग बार-बार उठती है, कटमोशन भी देते हैं, मगर उसमें सुधार करने के लिए कोई पहल नहीं की जाती है। मैं मांग करता हूं, जैसे मेरे रानी में भील है और मारवाड़ जंक्शन में भोपा है, भोपा को तो ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है और कौम वही है। उनको वहां भोपा बोलते हैं, यहां पर उनको भील बोलते हैं। वहां की बच्ची वहां जाती है तो उसको एसटी का सर्टिफिकेट मिलता है और यहां की बच्ची अगर आती है तो उसका एससी का सर्टिफिकेट मिलता है। इस तरह से जो विसंगतियां हैं, जैसे सरगरा और सरगड़ा। सरगड़ा नाम की कोई जाति ही नहीं है, वास्तव में तो वह सरगरा है। इस तरह की जो विसंगतियां हैं। यह तो मेरे क्षेत्र की बात है, मगर पूरे राजस्थान में कितनी जातियों के लिए जो वास्तव में किस कैटेगरी में आती हैं। उस कैटेगरी में उसको डालने के लिए हमें सार्थक प्रयास करने चाहिए, ताकि उन पिछड़े व्यक्तियों को सही लाभ मिल सके। मेरा ऐसा निवेदन है, मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस बात को सीरियस लेते हुए अब की बार इन जातियों का, वास्तव में जो जिस कैटेगरी में आती है, उस कैटेगरी में डालने के लिए निवेदन करता हूं।

माननीय डिमांड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में, हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो अपने भाव व्यक्त किये हैं, असमानता कम करना, आज भारत की प्राथमिकता है। जरूरतमंदों एवं वंचित वर्गों की सेवा करने में हमारी आस्था है। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यह विजन है कि जिनकी आवश्यकता है, आवश्यकतामंदों को किस तरह से लाभ पहुंचाया जाए? भारतीय जनता पार्टी का भी मोटो भी है। भारतीय जनता पार्टी की पांच निष्ठाएं हैं, उनमें एक निष्ठा यह भी है कि सामाजिक, आर्थिक, विषय पर गांधीवादी दृष्टिकोण, जिससे शोषण मुक्त एवं समतायुक्त समाज की स्थापना हो सके।

mdp/rtm/28.02.2025/15:40/2n

यह हमारी भारतीय जनता पार्टी का चिंतन और सोच है कि हम इस शोषित, पीड़ित व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचाएं? उसके लिए हमारी सरकार चिंता करती है। जो कल बजट रखा, उसमें भी जो बजट दिया जाता है, मैं आपके मार्फत से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट का

वास्तव में सही टाइम पर खर्च नहीं होने का क्या कारण है? बजट के पैसे लास्ट में जो टाइम रहता है, दो-तीन महीने, उस समय उस बजट को भेजा जाता है और आनन-फानन में कैसे न कैसे खर्च करके बताओ, खर्च करके बताओ, इसके कारण से सही रूप से बजट का खर्चा नहीं हो पाता। मेरा निवेदन है कि बजट को समय पर भेजिए ताकि सही समय पर सही खर्चा हो सके।

उक्त ध्येय की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को तथा लघु-सीमांत कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष में बढ़ाकर 1250 किया है। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। गत वर्ष में 1000 से बढ़ाकर 1150 किये और इस वर्ष 1250 किये। जब मैं गांव में जाता हूं तो बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि, केसाराम जी, म्हारे अबकी बार तनख्वाह नहीं आयी। हम सहायता के रूप में पैसे भेजते हैं, उनके लिए वह पैसा कितना बड़ा हो सकता है, वह तो गांव की एक बुजुर्ग महिला बता सकती है कि ये पैसे मेरे कितने काम के हैं। वह पैसे जब उसकी बच्ची आती है तो उसके लिए कपड़ा लेती है, उसके लिए किराये के पैसे देती है, तब उसे महसूस होता है कि सरकार हमारी किस तरह से मदद करती है। उस मदद के लिए 1250 रुपये किये हैं, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

बेघर, वृद्धजन, असाहय, निराश्रित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु स्वयंसिद्ध आश्रमों का दायरा बढ़ाकर 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम खोले जाएंगे। आज समाज में कैसी विषमता पैदा हो गयी? आज बाप और बेटे में कैसे सम्बन्ध हो गये हैं? बेटा बड़ा बन जाता है, बाप को संभालने तक नहीं जाता। ऐसी परिस्थिति में हमारी सरकार ने कहा है कि जिसके कोई संभालने वाला नहीं है, उसके लिए राज जिम्मेवार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। उसके लिए आश्रम में 50 बेड बढ़ाने की जो क्षमता की है, उससे निश्चित रूप से जो बुजुर्ग व्यक्ति है, हमारी सरकार ने उसकी पीड़ा को समझा है। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक लाख दिव्यांगजनों को 20 हजार तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्यूपमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए 150 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही उनकी गुणवत्ता रिसर्च हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, जो व्यक्ति विकलांग है, अगर उसके पैर लग जाए, उसके हाथ नहीं है, हाथ लग जाए और उसके अच्छी गुणवत्ता वाले अंग लगें, इसके लिए भी 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं सरकार का तहेदिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हर वर्ग को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए, इस हेतु काम किया है। विमुक्त, घुमन्तू, अर्द्ध घुमंतू समुदाय के उत्थान के लिए दादू दयाल घुमन्तू सशक्तिकरण योजना, आपने देखा राणा प्रताप के साथ गाड़ोलिया लुहार और देवासी समाज के लोग, बंजारा समाज के लोग, चूड़ी, कंगन बेचने पर मजबूर कर दिया मगर मुगलों की गुलामी के आगे सिर झुकाना नहीं सीखा। गुरु तेगबहादुर का सर कलम कर दिया। दिल्ली के चाँदनी चौक में सिर कलम किया और उस लक्खी बंजारे ने अपने घर को जलाकर

दाह संस्कार किया। उसके बाद बंजारा समाज को भी घुमंतू बनकर चूड़ी-कंगन बेचने को मजबूर कर दिया, मगर धर्म परिवर्तन के लिए मंजूर नहीं हुए। ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। परिवार को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 25 हजार पट्टे जारी करने का प्रस्ताव दिया है। उनको अपने मकान के लिए स्वामित्व मिलेगा। इसलिए मैं ऐसी सरकार का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हर वर्ग को किसी न किसी तरीके से सहायता करने का काम किया है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): गर्ग साहब, आपकी सहायता की जरूरत है। आपके पुराने साथी सब चले गये और आप भी जा रहे हैं, कैसे पार पड़ेगी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, गांव में रहने वाला मिट्टी के बर्तन बनाने वाला प्रजापत, जो अपने हाथ से चाक चलाकर मिट्टी के बर्तन बनाता था, उसकी भी हमारी सरकार ने चिंता की। उनके लिए 2 हजार इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गोदने के लिए भी मशीने देगी। ये भी हमारी सरकार का विजन है, सोच है। प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा कर संबल प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न छात्रावास व आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सर, अभी तो शुरू किया है।

श्री सभापति: समय देख लीजिए। आठ मिनट के लिए कहा था, दस मिनट हो रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): पांच मिनट और दे दीजिए, मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री चेतन जी पटेल।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): साहब, एक बात कहनी थी, प्लीज। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जैसा मालूम है कि आज समाज में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की मांग है, नेता प्रतिपक्ष, मैं बहुत ही गंभीर विषय आपके सामने रख रहा हूं और मैंने पहले भी रखा है।

श्री सभापति: बोलिए आप तो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जो बच्चियां भाग जाती हैं, उसके लिए अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि बहुत ही गंभीर विषय है मगर इसके ऊपर किसी ने चिंता नहीं की। जो बच्चियां भाग जाती हैं, उनके मां-बाप के साथ कैसी गुजरती है। मैंने मेरी आंखों से देखा है। बाप पैर पकड़ कर बैठा था और बच्ची इस तरह से उसको झटक कर जा रही है। इस विषय पर हम सभी को मिलकर चिंतन करके कोई न कोई कानून जरूर बनाना चाहिए। मेरे पाली में अकेली 1226 एम.पी.आर.दर्ज हुई हैं।

श्री सभापति: श्री चेतन जी पटेल।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): साहब, थोड़ी-सी बात कहनी थी। यह गंभीर विषय

है।

श्री सभापतिः 11 मिनट हो गये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। बेटियों के आगे मां-बाप बिलख-बिलख कर रोते हैं। रोते हुए माता-पिता को वह बच्चियां किस तरह से दुत्कार कर जाती हैं, उसके लिए हमें चिंता होती है। इसके लिए सदन को चिंता करनी चाहिए कि ऐसी बच्चियों के लिए कोई न कोई कानून बनाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ये नियम है कि बेटी मंडप में बैठती है तो उसके सामने मां-बाप भी दुल्हा और दुल्हन बनकर बैठते हैं और अपनी सहमति जाहिर करते हैं कि इस बच्ची को मैं शादी करने के लिए मंजूरी देता हूं।

श्री सभापतिः मंत्री महोदय को लिखकर दे देना।

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता की मांग संख्या 31 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान हेतु आपके माध्यम से सरकार को कुछ समस्याओं से अवगत कराता हूं। डबल इंजन की सरकार से बजट में सुना गया, पढ़ा गया, माननीय गहलोत सरकार, गत सरकार के समय में जो पेंशन बढ़ानी चाहिए थी, उसकी तुलना में वह पेंशन नहीं बढ़ा पायी, उनके साथ अन्याय हुआ। इसके अलावा भी केन्द्र गत व्यवस्थाओं के कारण पेंशनर को संशोधित पी.पी.ओ., जी.पी.ओ., सी.पी.ओ. का जो भुगतान है, वह नहीं हो पा रहा है। जो प्रमुख समस्या आज सीनियर सिटीजंस की हैं, उससे मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि पारिवारिक पेंशनर की जो जन्मतिथि है, उसका निर्धारण न होने के कारण पेंशनर्स को 70-75 की आयु पर देय अतिरिक्त भत्ते का तथा 80, 85, 90, 95 व 100 वर्ष की आयु पर अतिरिकत पेंशन के लाभ से वह वंचित हो रहे हैं। जहां एक ओर राज्य सरकार की सहमति से स्थानीय निकाय विभाग व पंचायती राज विभाग के आदेश है कि पेंशनर विश्राम गृह के लिए 100 वर्गगज जमीन निःशुल्क दी जावे, इसका लाभ अभी तक जिला शाखा को, उप शाखा को नहीं मिल पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं कि सीनियर सिटीजंस अपनी मांगों को लेकर सड़क पर धरना देते हैं। वह पहले ही बहुत बुजुर्ग हैं, ऐजेड हैं, देखा नहीं जाता और एक तरीके से ये पूरे समाज का अपमान मैं समझता हूं। शिकायतें मुझे भी प्राप्त हुई है, उससे भी मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आर.जी.एच.एस. में 5 दिन बाद डिस्चार्ज कर देते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। हजार रुपये की दवाई देते हैं और बाद में बीमार को, पीडित को नकद देना पड़ता है।

Ans/rtm 15.50 2o 28.02.2025

जब प्रचार होता है तो निशुल्क दवा, जांच सभी का प्रचार होता है, यह एक प्रमुख समस्या है।

एक समस्या यह भी बहुत बड़ी है जिसके लिये पेंशनर्स हमेशा से प्रयासरत रहते हैं कि आरजीएचएस के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं कि 75 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारी से पीड़ित को 3 हजार तक की राशि कैल्शियम, विटामिन के लिए देय है। मैं ऐसा समझता हूं कि 60 की उम्र के बाद कैल्शिम व विटामिन की प्रत्येक बुजुर्ग को जरूरत होती है। यह कुछ समस्या है।

पेंशनर्स के अलाववा दिव्यांगजनों की समस्या से भी मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। संरक्षण की उम्मीद करता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिव्यांगों की कैटेगरी 07 से बढ़ाकर 21 प्रकार की कर दी लेकिन उसके अनुपात में आरक्षण मात्र 3 परसेंट से बढ़कर 4 परसेंट ही किया गया है, वह भी पूर्णतया धरातल पर लागू नहीं है, तो इस पर भी सोच-विचार करने की आवश्यकता है।

जब आदिवासी समाज की बात होती है, उन पर हर तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। हर तरीके से उनको नोचा जा रहा है। अभी की ताजा खबर मैं बताऊं, 55 हजार आदिवासी बच्चों के हर पैकेट से दो-दो किलो आटा व पोहा गायब हो गया, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। अत्याचारों की लिस्ट बहुत लम्बी है, समय कम मिलता है इसलिए कुछ से ही मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। जिस तरीके से राज्य सरकार आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है आदिवासी के अन्दर जो एसटी कैटेगरी है उसमें विद्यार्थियो के विभिन्न कोर्सेज में आज तक लगभग 750 करोड़ छात्रवृत्ति लंबित है। आप हर बार कहते हो कि माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयास से हमने केन्द्र को पत्र लिखा। मतलब पत्र लिखने के लिए भी आप लोगों को प्रयास चाहिए होता है। नवम्बर, 2024 में 250 करोड़ की राशि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी, इस राशि के विरुद्ध 25 परसेंट अंशदान राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाना था, परन्तु आज दिन तक भी छात्रवृत्ति का लाभ आदिवासी समाज के एसटी केटेगिरी को नहीं मिल पा रहा है। और तो और इतनी बड़ी समस्या है कि छात्र-छात्राओं को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, वह अपना रुपया जमा नहीं करा पा रहे हैं, किसी से कर्ज ले रहे हैं। उनका डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनने का सपना है वह सपना ही बनकर रह रहा है, बहुत बड़ी समस्या है।

माननीय सभापति महोदय, इससे भी बड़ी विशेष बात यह है जिसके लिए मैं सरकार का भी ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि छात्रवृति के फार्म भरने से लेकर भुगतान तक इतनी जटिल प्रक्रिया बना दी गई है कि आम ग्रामीण क्षेत्र का विद्यार्थी तो फार्म भरने से वंचित ही रह जाता है। जब विद्यार्थी नियमित छात्र है तो हर वर्ष छात्रवृत्ति का फार्म क्यों भरना पड़ता है? हर बार फार्म भरने से जो खर्चा होता है वह 500 से 1000 रुपये तक होता है। फार्म भरने के बाद भी इतनी बड़ी विडम्बना है कि छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है। सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों का

हनन किया जाए उससे आप हमें बचाये। लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उससे आप हमें बचाये, ऐसा आपके संरक्षण की हमें उम्मीद है।

जिस तरीके से राज्य सरकार निजीकरण कर रही है, 400 स्कूल बंद कर दिये, गत सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे उनको बंद कर दिये। बिजली निजीकरण की तैयारी चल रही है। येन-केन-प्रकारेण जो भी निजीकरण हो रहे हैं, संविदा पर जो लोग लगाये जाते हैं, कांट्रेक्ट बेसिस पर लगाये जाते हैं उससे मंशा साफ दिखाई देती है कि किस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण है उसको खतम किया जाए।

जिस प्रकार का हनन आरक्षण के साथ यह राज्य सरकार कर रही है उसका ताजा उदाहरण पटवार भर्ती 2025 है। 2025 की पटवार भर्ती में जिस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में जो सीट हमें मिलनी चाहिए थी उसमें कम पद आरक्षित किए गये। भारतीय संविधान द्वारा यह तो एक अधिकार दिया हुआ है, मैं समझता हूं कि यह उस आरक्षण की सरेआम अवहेलना है। यह किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं होगी। मैं एक बार पुनः इस सदन से निवेदन करता हूं, आज समाज में आक्रोश है कि किस प्रकार आरक्षण को येन-केन-प्रकारेण धीरे-धीरे बड़ी चतुराई के साथ उसको पीछे के रास्ते से खतम करने की कोशिश यह सरकार कर रही है।

चूंकि यह डिमांड है, इसलिए मैं सरकार से यह भी मांग करता हूं कि हमारी विधान सभा पीपल्दा में जो गरीब समाज है, एरवाल समाज, मेघवाल समाज, वाल्मीकि समाज, बैरवा समाज है, एससी के है, आज भी भेदभाव होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि इनके सामुदायिक भवन के लिए कोई जगह देखी जाए जहां वह अपने जो भी प्रोग्राम हो वह कर सके। उनको सामुदायिक भवन उपलब्ध करवाया जाए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं।

हमारे ईटावा नगर पालिका में भी बैरवा समाज द्वारा एक सामुदायिक भवन की बड़ी डिमांड है, जिसके लिए मैं निवेदन करता हूं। ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है। ईटावा के अन्दर खुले आम मैन रोड की 50 बीघा भूमि पर सरेआम अतिक्रमण हो रहा है। मैं समझता हूं कि वह अधिकारियों की मिली भगत के बिना, वहां के जनप्रतिनिधियों की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। यह दुर्भाग्य है कि इस तरीके के सामुदायिक भवन, किसी विकास के लिए, किसी भी चीज के लिए निवेदन किया जाता है कि इसको प्रस्ताव में लिया जाये, तो जवाब मिलता है कि जगह की कमी है, अतिक्रमण है। बजाय इसके कि उस पर कोई भू-माफिया अतिक्रमण करे, सरकार को इस तरह की योजना लेकर आनी चाहिए कि जो गरीब समाज है उनके लिए वह सामुदायिक भवन की व्यवस्था करे।

डॉ. सुभाष गर्ग (भरतपुर): सभापति महोदय, यह भी चले जाए तो कोरम ही खतम हो जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री चेतन पटेल कोलाना (पीपल्दा): साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पीपल्दा विधान सभा में नगर पालिका ईटावा आती है, वहां किन्नर समाज के श्मशान घाट, क्योंकि वह समाधि लेते हैं, उनके लिए कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है। किन्नर समाज के लिए,

समाधि के लिए जगह आवंटित करवाई जाए, सरकार मदद करे। विपक्ष में है तो बहुत सारी चीजों में दिक्कत आती है, उसके लिए सरकार मदद करे। मैं किन्नर समाज के लिए सामुदायिक भवन की भी मांग करता हूं।

(समय: बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों पर सरकार ध्यान देगी और हमारा संरक्षण करेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री कालूराम। आठ मिनट में अपनी बात पूर्ण करें।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, दस मिनट देंगे।

श्री सभापति: अब सबके आठ मिनट कर दिये , इधर भी और इधर भी।

श्री कालूराम (डग): मेरे मंत्री जी की तरफ से पांच मिनट है। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जनजाति विकास एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने जो बजट दिया है यह बहुत ही सराहनीय बजट है। बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है वह इस प्रकार है कि एकल नारियों को, सीमांत कृषक विधवाओं को, दिव्यांगजनों को पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 रुपये की गई है। विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में आवासरत व अध्ययनरत विद्यार्थियों को 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किये गये। माननीय मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 8 हजार 173 करोड़ रुपये का व्यय करके 51.90 लाख पेंशनर्स को लाभान्वित किया जा रहा है। राजकीय आवासीय मैस भत्ता बढ़ाकर 2250 रुपये किया गया है, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय, उप मुख्य मंत्री महोदया, मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने कुछ मांग रखता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र एक अनुसूचित जाति का विधान सभा क्षेत्र है, वहां करीब 30-40 परसेंट अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं, यहां एक आवासीय विद्यालय अति आवश्यक है। झालावाड़ ज़िले से डग की लगभग 105 किलोमीटर है और मेरी विधान सभा का लास्ट छोर देखा जाए तो करीब 175 किलोमीटर दूरी जिला मुख्यालय से पड़ता है, तो यहां पर गरीब वर्ग के बच्चे दूर नहीं जा सकते, पढ़ाई नहीं कर पाते इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि यहां आवासीय विद्यालय खोला जाए।

VPS-RTM-28.02.2025-16.00-2p

माननीय मंत्री महोदय को मैंने इसके बारे में लैटर लिखा था, इन्होंने जमीन के लिए जवाब मांगा था, वह भी उपलब्ध करवा दिया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछली बार आपने जो छात्रावास दिया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। उसकी जमीन का आवंटन कर दिया गया है और उस पर आप बहुत जल्दी ही भवन निर्माण के लिए राशि जारी करें। बाबा साहब आदर्श गांव योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र डग में जो दस हजार से अधिक आबादी वाले गांव हैं, बाबा साहब आदर्श गांव घोषित किये गये हैं, उसमें सरकार द्वारा बजट जारी कर दिया गया है और बहुत जल्दी ही इसका कार्य किया जायेगा और जो दस हजार से ज्यादा आबादी वाली ग्राम पंचायतें हैं, उनमें इसका काम चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आपको मैं पिछली सरकार के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, 2018-19 में लागू की गयी थी पिछली सरकार में, जिसमें प्रत्येक पंचायत में 25 लाख, प्रत्येक गांव जैसे जिसमें करीब 20 गांव शामिल थे, उनमें 5 भवानीमंडी के तथा 6 डग में हैं और 5 झालरापाटन में हैं, 2 खानपुर में हैं और 2 पिड़ावा में हैं, ऐसे करके 20 गांवों की सूची थी जिनमें 20-20 लाख रुपये का काम करवाना था और 25 लाख रुपये से प्रत्येक गांव में अंबेडकर भवन बनाना था। वह एक भी गांव में अभी तक नहीं बना है। इसके बाद फिर 2022-23 में 16 गांव चयनित हुए थे। उन 16 गांवों में, उनका प्रपोजल बनाकर भेज दिया गया है, बाकी अभी तक कोई भी राशि उपलब्ध नहीं हुई है। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने तो ध्यान नहीं दिया बाकी आप प्रधान मंत्री आदर्श गांव या मुख्य मंत्री आदर्श गांव जो बने हैं, उन पर आप निश्चित ही बजट देकर जहां पर एस.सी. की जनसंख्या 50 परसेंट से ऊपर होती है वह प्रधान मंत्री आदर्श गांव या 40 परसेंट से ऊपर होती है, वह आदर्श गांव घोषित किया जाता है तो माननीय मंत्री महोदय, इस पर आप ध्यान दें और उन गांवों का विकास कराना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वहां पर एस.सी. की पापुलेशन बहुत ज्यादा है और उन गांवों में अंबेडकर भवन या उन गांवों के विकास के लिए राशि उपलब्ध करायें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मेरे जिले में करीब 27 छात्रावास चल रहे हैं। पूरे झालावाड़ जिले में 27 छात्रावास संचालित हैं। उनकी मरम्मत के लिए भी माननीय सभापति महोदय, प्रस्ताव प्रस्तुत कर रखे हैं और कई जगह पर बिल्डिंग्स बहुत जर्जर हालात में हैं। विगत पांच वर्षों में सरकार ने बिल्डिंग्स की मरम्मत नहीं करायी है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन भवनों की मरम्मत की जाये ताकि यहां के बच्चों को बैठने में सुविधा मिले। कई जगह पर गद्दे, पलंग और उनके बैठने-उठने की व्यवस्था की जाये, ताकि वहां के बच्चों को और आम जनता को उसकी सुविधा मिले।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इस बार बजट में एस.सी., एस.टी. के लोगों को सामाजिक न्याय अधिकारिता में जो चीजें रखी हैं, वह भी मैं आपको बताना चाहूंगा।

समाज कल्याण छात्रावासों में, आवासीय विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को मासिक राशि 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये की गयी है। 75 वर्ष से कम आयु के पेशनर्स को प्रति माह 150 रुपये की वृद्धि की गयी है और विभाग द्वारा संचालित 194 राजकीय छात्रावासों को मरम्मत व नवीनीकरण के लिए 35 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृत जारी की गयी है। अन्य सामग्री के लिए पलंग, बिस्तर इत्यादि क्रय करने के लिए 13.23 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गयी है। भवनविहीन छात्रावासों के पुनर्निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। एस.सी., एस.टी. के छात्र अध्ययन कर रहे हैं, हमारी सरकार द्वारा एस.सी., एस.टी. के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट जारी किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री कन्यादान योजना में विवाह के समय करीब 54 करोड़ रुपये का इसमें बजट रखा गया है। इसमें करीब 50 हजार रुपये कन्यादान में मिलते हैं तो इसको बढ़ाकर करीब एक लाख रुपये किया जाये तो उन गरीबों को इसका फायदा मिलेगा। हमारी सरकार ने घुमंतू जाति, जैसे इसमें कई जातियां आती हैं, कंजर है, बागरिया है, सांसी है, गाड़िया लोहार है तो ऐसे लोगों के लिए महाराणा प्रताप भवन बनाने का जो निर्णय लिया गया है, वह बहुत ही सराहनीय है जिसमें 99.65 लाख रुपये का खर्च होगा और इसमें एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 514 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

इसी प्रकार से हमारी सरकार ने जो मुख्य मंत्री एकल नारी पेंशन योजना के तहत करीब 3425.86 करोड़ रुपये, सबसे ज्यादा राशि इस पर व्यय की जा रही है। इसमें 18.4 लाख पेंशनरों को फायदा दिया जायेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री कालूराम (डग): 963.11 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है।

श्री सभापति: श्री डूंगरराम गेदर।

श्री कालूराम (डग): इस प्रकार की हमारी सरकार ने यह योजना चलाई है। माननीय सभापति महोदय, एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे गरीब वर्ग के लोगों को पोप योजना में लोन दिया जाता है, वह बैंक उनका ऋण नहीं करती है। यहां से सरकार द्वारा तो दिया जाता है लेकिन बैंक उनको ऋण नहीं देता है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: धन्यवाद। विराजिये।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री कालूराम (डग): आप बैंकों को पाबंद करें। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक बार इनको बोल लेने दें।

श्री कालूराम (डग): सहायता राशि बढ़ायें। ...(व्यवधान)...

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, आप उनका माइक बंद करवाएं। माइक बंद क्यों नहीं करवाते आप इनका?

श्री सभापति: हां, आप बोलिये। डूंगररामजी। आप टेबल कर देना, माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, दोनों ही विभाग विशेष तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े किसी भी तरह के जो लोग हैं उनके लिए अधिकृत हैं और दोनों ही विभागों के अन्दर उनके लिए योजनाएं बनायी जाती हैं। जिनके लिए विशेष तौर से बाबा साहब अंबेडकर ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदय, यह हम सपोर्ट कर रहे हैं तो यह सदन चल रहा है। इनके भरोसे तो यह कोरम ही पूरा नहीं होता। आज अनुसूचित जाति, जनजाति, समाज कल्याण पर यह डिबेट हो रही है और ये कोरम पूरा नहीं कर सके हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। अगर अभी हम हाउस से चले जाए तो कोरम भी नहीं पूरा होता है। आदमी ही पूरे नहीं हैं इस सदन के अन्दर।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक बार आप अपनी भी संख्या काउंट कर लो।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हां, काउंट कर लो आप। अगर हम उठकर चले गये तो कोरम भी पूरा नहीं होगा आपका। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक बार उप नेता, प्रतिपक्ष, अपनी तो संख्या काउंट कर लो। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अनुसूचित जाति, जनजाति पर बहस चल रही है और यहां पर आदमी भी नहीं हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हम सुन रहे हैं, हमारे विभाग के अधिकारी सुन रहे हैं। हमारे विभाग के अधिकारी सुन रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सचेतक महोदय, कोरम इस समय पूरा है। सब लोग हैं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हम जवाब देंगे आपका। हम जवाब देंगे। लिख रहे हैं। हमारे अधिकारी बैठे हैं, सब अधिकारी बैठे हैं। ये भी सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं आपकी बातों को और हम भी सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं आपकी बात को। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: दोनों मंत्री महोदय यहां पर ही हैं। आप विराजिये। डूंगररामजी आप बोलिये। डूंगररामजी, आप अपनी बात कहें। ...(व्यवधान)...

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी ने इन सभी वर्गों के लिए विशेष तौर से सोचा और संविधान के अन्दर यह

व्यवस्था दी। 26 नवम्बर, 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान सभा को संविधान भेंट किया तो उस समय यह कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, उसे लागू करने वाले लोगों की नीयत साफ नहीं है तो वह बुरे से बुरा संविधान साबित हो सकता है और किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों नहीं हो, उसे लागू करने वाले लोगों की नीयत यदि साफ है तो वह अच्छे से अच्छा संविधान साबित हो सकता है और यही आज सत्ता पक्ष की नीयत उजागर हो रही है कि आज भी राजस्थान प्रदेश के अन्दर दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। आज भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र के अन्दर जो नायक समाज के लोग हैं, धानक समाज के लोग हैं, जिनके बाप का सर्टिफिकेट एस.टी. के नाम से है लेकिन बेटों को अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही है और वह बन नहीं रहे हैं।

आज भी निजीकरण के नाम पर जो आरक्षण को खतम किया जा रहा है, निजीकरण के नाम पर आरक्षण को बंद करने का काम किया जा रहा है क्योंकि सारा का सारा सिस्टम पी.पी.पी. मोड पर दिया जा रहा है और पी.पी.पी. मोड पर देने की वजह से वह निजीकरण के अन्दर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है जो आरक्षण को खतम करने का भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा प्लान है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को कि जिन्होंने 15 परसेंट सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हर साल बढ़ाने का कानून बनाया लेकिन इस सरकार ने पिछली बार 1150 रुपये की और अबकी बार मात्र 1250 रुपये, मात्र 9 परसेंट ही बढ़ाई है जिसको 15 परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए था। राजस्थान प्रदेश के अन्दर छात्रावासों की हालात क्या है यह किसी से छिपी हुई नहीं है और छात्रवृत्तियां बच्चों को नहीं मिल रही है।

ssy/rtm/28.02.2025/16.10/2q

छात्रवृत्तियों के अभाव में बच्चे अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जैतसर का छात्रावास बरसात के टाइम में चारों तरफ से बरसात के पानी से भर जाता है। उसके अन्दर जाने के लिए जगह नहीं मिलती है। इस तरह के छात्रावासों के हालात हैं। छात्रावासों की हालत के बारे में मेरे से पूर्व सदस्य भी काफी कुछ कह चुके हैं।

अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए कोई छात्रावास की व्यवस्थाएं आज तक नहीं हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्दर विशेष तौर से जो दस्तकार जातियां हैं, जो शिल्पकार जातियां हैं, जो दस्तकारी करके अपना टाइम पास करती हैं, जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं दस्तकारी करने की उनको आज भी संजोए हुए है। उन जातियों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जा सकती है। उन लोगों को बचाने का काम किया जा सकता है।

राजस्थान प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 55 प्रतिशत है। लेकिन इनका आरक्षण मात्र 21 परसेंट है। तो आबादी के अनुपात में इनका आरक्षण बढ़ाये जाने की जरूरत है। नगरपालिका क्षेत्र में, नगर निकाय में, पंचायती राज के अन्दर आरक्षण की व्यवस्था है,

लेकिन एमएलए, एमपी के अन्दर ओबीसी के लोगों को किसी भी तरह का आरक्षण आज भी नहीं है। जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है।

इस देश के अन्दर हम सामाजिक न्याय की बात तो जरूर करते हैं, सामाजिक न्याय क्या है? सभापति महोदय, सामाजिक न्याय यह है कि आज किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय, अत्याचार हो गया और उसको किसी ने चोट मार दी, उसकी टांग टूट गयी। हो सकता है उसका पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया, आगे सज़ा भी हो जायेगी लेकिन उसकी टूटी हुई टांग कैसे जुड़ेगी?

आज सामाजिक न्याय की जरूरत नहीं है। आज सामाजिक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। जो ऐसी सोच रखते हैं, जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाली जो सोच रखते हैं, ऐसी सोच के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और तब न्याय की जो अवधारणा है, जो बदलाव की अवधारणा है वह पूरी होगी। इसलिए सामाजिक बदलाव की आज विशेष तौर से जरूरत है। आज की जो सरकार है उसको ना कोर्ट का डर है, ना संविधान का डर है। इस देश की संविधान सभा ने संविधान बनाया, लेकिन आज उस संविधान को पूरी तरह से लागू करने का काम सरकार नहीं कर रही है।

आज भारत महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। विकास की दर बढ़ रही है, लेकिन बेकारी भी बढ़ रही है। अन्न की कोठियां भरी हुई हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के अन्दर कुपोषण से भी बच्चे मर रहे हैं। अभी प्रश्न का जब उत्तर दिया गया तो यह आया कि पूरे राजस्थान में कहीं कम, कहीं ज्यादा कुपोषण के शिकार छोटे बच्चे हैं। कुपोषण के शिकार यदि आज भी हैं तो यह हमारे लिए निंदनीय बात है। जिसके लिए हमें विशेष तौर से प्लानिंग बनाकर के ऐसे कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं, उनकी ओर ध्यान देकर हम लोगों को काम करना चाहिए।

पूंजी बढ़ रही है, लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ रही है। सामाजिक न्याय की अवधारणा कहां पूरी हो रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो यह सोचकर के लिखा था, क्योंकि उससे पहले जितने भी महापुरुष थे जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था में बदलाव के लिए बात की, जैसे गुरु कबीर साहब ने ऊंच-नीच जात-पात, वर्ग भेद, धर्म भेद के खिलाफ संघर्ष किया। गुरु रविदास जी ने कहा कि, 'जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानवता को खात हैं रैदास जात के रोग।' इसी तरह से धन्ना जाट, सजना कसाई, नामदेव छीपा, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी ने कहा, 'अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजाया कौन भले को मंदे'।

इसी तरह से गुरु गोविंद सिंह जी के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस मूवमेंट को, इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया और इस सामाजिक व्यवस्था में बदलाव का काम किया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने लड़कों के लिए स्कूल खोले। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि लड़का तो चाहे पढ़े ना पढ़े, लेकिन लड़की का पढ़ना और भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बच्चे को जो प्राथमिक शिक्षा मिलती है वह अपनी मां से मिलती है। बच्चा 5 साल तक मां

का पल्लू पकड़े घूमता है। मां पढ़ी-लिखी होगी तो बच्चे को भी पढ़ायेगी, नहलायेगी, धुलायेगी। अच्छी परवरिश करेगी। इस तरह से महात्मा ज्योतिबा फूले, नारायणा गुरु, छत्रपति साहूजी महाराज ने 26 जुलाई, 1902 को अपनी रियासत के अन्दर 50 परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की। जब इस देश के अन्दर एससी, एसटी, ओबीसी नहीं हुआ करता था।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): मात्र पिछड़ा वर्ग बीसी कहा जाता था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: श्री रामसहाय वर्मा।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मेरे 8 मिनट तो पूरे होने दो।

श्री सभापति: विराजिये। 8 मिनट ही बोलना था। श्री रामसहाय वर्मा। (अनुपस्थित)

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सूरतगढ़ के जनजाति हॉस्टलों में जनजाति की पहचान कर आवास दिलाने और श्रीगंगानगर के अन्दर जनजाति के छात्रों को छात्रवृति दी जाने की जरूरत है।

श्री सभापति: श्री प्रताप भील। श्री प्रताप भील। (अनुपस्थित)

श्री समाराम। श्री समाराम। (अनुपस्थित)

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सूरतगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु सरकारी भवन के लिए भूमि उपलब्ध करवाये जाने की जरूरत है।

श्री सभापति: श्री शंकर लाल डेचा। श्री शंकर लाल डेचा। (अनुपस्थित)

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत छात्रों की छात्रवृति व अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी ब्लाक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को दी जाने की जरूरत है।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र पाल मीना। विराजिये। विराजिये माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): 000

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर बोलने का अवसर दिया।

श्री सभापति: 8 मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसमें छात्रवृति, आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी व

माननीया वित मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के माध्यम से एक करोड से अधिक लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए एससीएसपी फण्ड एवं टीएसपी फण्ड को बढ़ाकर 1,750 करोड़ रुपये की घोषणा की गई। जो इनके उत्थान एवं कल्याण के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही विमुक्त, घुमन्तू एवं अर्द्ध घुमन्तू समुदायों के उत्थान के लिए योजना प्रारंभ की। इनके लिए 25 हजार से ज्यादा पट्टों का वितरण किया गया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी काफी घुमन्तू जनजाति निवास करती हैं। उनको भी बहुत सारे पट्टे दिये गये हैं। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी छात्र-छात्राओं एवं इनके परिवारों के कल्याण के लिए, उनकी शिक्षा में सुधार करने के लिए सहरिया आदिवासी बालिका छात्रावास व जनजाति छात्रावास की घोषणा की गई। इसमें काफी डवलपमेंट किया गया।

माननीय सभापति महोदय, छात्राओं में आत्मरक्षा व स्वाभिमान की भावना को जाग्रत करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर रानी लक्ष्मी बाई केंद्र की स्थापना की गयी। जो बहुत ही सार्थक होगी तथा दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, जिसमें ऐतिहासिक पवित्र स्थल जिसमें लाखों-लाखों आदिवासी बंधुओं की आस्था का केन्द्र जैसे बेणेश्वर धाम, त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, मातृकुंडिया, सीतामाता अभयारण्य आदि धार्मिक स्थलों को शामिल कर 100 करोड़ रुपये की लागत से होगा, जिससे टूरिज्म विकास एवं सर्किट बनाने की घोषणा की गई।

माननीय सभापति महोदय, इस सर्किट से आदिवासी भाइयों के धार्मिक स्थलों का संरक्षण, सौंदर्यीकरण किया जायेगा जिससे आदिवासी क्षेत्र का विकास होगा। सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं बेहतर होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा बेणेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, बागौत संगम और त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। इसके लिए 65 करोड़ रुपये से अधिक की बजट में घोषणा की गई, जिससे धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी संस्कृति हमारी भारतीय विरासत का अनमोल हिस्सा है। जो प्रकृति परंपरा और सामूहिक जीवन के अद्वितीय संगम को दर्शाती है। हम उन्हीं वीरों की संतान हैं जिन्होंने मातृ भूमि की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया था। हम उन वीरों की संतान हैं जिन्होंने देश भक्ति में अपना सुख-चैन गंवाया था।

आदिवासी समाज ने राष्ट्र हित को सर्वोच्च रखते हुए, क्योंकि वह जानते हैं कि जल, जंगल, जमीन यह केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि यह जीवन का मूल आधार हैं। हम उन वीरों की संतान हैं जिन्होंने मातृ भूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व कुर्बान किया था। मैं, इस

पर एक पंक्ति बोलना चाहता हूं, 'हौंसलों की उड़ान हो तुम, तुम ही मातृ भूमि की जयकार हो। सुनो मेरे प्रकृति के रक्षक, तुम ही भगवान बिरसा मुंडा के अवतार हो।'

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री ने विकास पुरुष के रूप में आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा काम किया। इस बजट में केन्द्रीय जनजाति मंत्रालय द्वारा 14,925 करोड़ रुपये का विशेष आवंटन किया गया है।

spp/rtm/27.02.2025/16.20/3a

बजट में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसी परिवर्तनकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस योजना का उद्देश्य जनजाति समुदायों का समग्र और सतत् विकास कर बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में व्याप्त अंतर को समाप्त करना है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श ग्राम योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, जैसी अनेक योजनाएं जनजाति व आदिवासी समुदायों को मुख्य धारा में लाने के लिए केन्द्रीय जनजाति मंत्रालय द्वारा हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में संचालित किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आदिवासी, पिछड़े वर्ग के विकास के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उदाहरण है हमारे देश में सर्वोच्च पद को सुशोभित करती एक आदिवासी महिला। महामहिम श्रीमती द्रोपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों को गौरवान्वित किया है।

माननीय सभापति महोदय, इसी सदन में भी सर्वोच्च पद पर स्वर्गीय श्री समर्थलाल जी को भी विधान सभा अध्यक्ष के रूप में शोभा बढ़ाकर आदिवासियों का सम्मान किया है।

भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व द्वारा हमारा देश तेजी से विकास और समृद्धि के एक नए युग और विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि गत कांग्रेस सरकार द्वारा हीन भावना के चलते जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के गांवों में पुश्तैनी जमीनों के पंजीयन व अंतरण पर रोक लगा दी। आदिवासी लोग अपने बच्चों की पढ़ाई-

लिखाई, बेटियों की शादी विवाह में आवश्यकता पड़ने पर भी अपनी पुश्तैनी जमीनों का उपयोग नहीं कर पा रहे है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 33 गांवों में पूर्णतया व 53 गांवों मे आंशिक रूप से लगी पंजीयन व अंतरण पर रोक को हटाया जाए, जिससे आदिवासी लोग अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी लोग जल, जंगल, जमीन से जुड़े हुए हैं। इन्हीं को अपनी पहचान मानते हैं। आदिवासी लोग प्रकृति के रक्षक हैं ओर इसे बचाने के लिए आदिकाल से लड़ते आये हैं। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, जब आदिवासियों की बात आती है तो हम आदिवासियों के मसीहा भगवान बिरसा मुंडा को कैसे भूल सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों के स्वतंत्रता सेनानी व महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपने जीवन को जनजातीय समाज के हितों, उनके अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए, आदिवासियों पर हो रहे अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के बड़े आदिवासी क्षेत्र आंधी, सानकोटड़ा, थली क्षेत्र के लगभग 25 हजार से ज्यादा आदिवासी परिवार बेरोजगार हो गए हैं, उसका कारण है इस क्षेत्र में खनन पर लगी रोक। हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसके आस-पास लगभग 50 खनन पट्टे चालू हैं, परंतु वर्तमान में इको सेंसेटिव व बफर जोन की सीमा 1 km में आने से खनन कार्य बंद है। इस कारण से मैं सदन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी जो सीमा एक किलोमीटर की है, उसको जीरो किलोमीटर करके इनको सहारा दें, ताकि इनको रोजगार मिल सकें।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर के प्राचीन आमागढ़ किला, जो कि आदिवासियों की विरासत है, एवं अम्बा माता के मंदिर को जीर्णोद्धार करवाकर संरक्षित व विकसित कर उसका सौन्दर्यीकरण किया जाये और रास्तों को सुदृढ़ीकरण किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं साथ ही बताना चाहूँगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 28 करोड़ की लागत से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलकर बहुत बड़ी सौगात दी है। इससे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है।

श्री सभापतिः श्रीमती गीता बरबड़।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः आप कॉपी कर दें मंत्री महोदय को। सदन की मेज पर टेबल कर दें।

श्री महेन्द्र पाल मीना (जमवारामगढ़): आदिवासी जो पुराने कई सालों से रह रहे हैं, उन्होंने हजारों साल पहले शिव मन्दिर ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, आप कॉपी कर दें। चली जाएगी इधर। मंत्री महोदय के पास आपकी सब डिमांड आ जाएगी।

श्रीमती गीता बरवड़ (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-30 और 31 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय,

हमारी गहलोत सरकार में जोधपुर संभाग में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को देखते हुए जोधपुर संभाग स्तर पर जनजाति विकास बोर्ड की स्थापना की गयी थी, लेकिन वर्तमान में वित्तीय प्रावधान नहीं हैं। इसलिए जोधपुर संभाग स्तर पर जनजाति विकास बोर्ड को विकास कार्यों के लिये अलग से बजट देने की मैं मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, अक्सर देखा गया है कि जनजाति के लोग आमतौर पर जंगलों में रहते आये हैं और अब या तो वह आगोर या गोचर भूमि पर ही निवासरत है। अब वर्तमान में इनके पास आवास की समस्या आ रही है। विभाग इनके पुनर्वास की रूपरेखा बनाकर इनके पुनर्वास की व्यवस्था करावें ताकि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उनका वे लाभ उठा सके।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, सांचौर एवं विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में निवास कर रहे एस.सी., एस.टी. जनजाति के विकास हेतु जिला परिषद में पदस्थापित सी.ई.ओ. को अलग से बजट की स्वीकृति जारी करावें ताकि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की बस्तियां, मोहल्लों, ढाणियों में सड़क, सीसी रोड, हैण्डपम्प, पेयजल लाइन, बिजली कनेक्शन एवं कृषि बिजली कनेक्शन के लिये विशेष दर्जा देने की आवश्यकता है। साथ ही, इस क्षेत्र में नरेगा में कार्य दिवस 200 दिन करने एवं मजदूरी 400 कार्य दिवस करने की मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं, जहां जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। वहां न तो मां-बाड़ी केन्द्र हैं, और न ही बाल बाड़ी केन्द्र हैं। इसलिए प्रदेश में टाडा-माडा योजना की तर्ज पर भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र जहां जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर बाल बाड़ी एवं मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की मैं आपसे मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिराणी, लवेरा, सोयला, चटालिया, सोपड़ा, आसोब, मंडोली, रूदिया, खांकटा आदि ग्राम पंचायतों में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में वर्तमान में एक भी जनजाति छात्रावास नहीं है। इसलिये भोपालगढ़ मुख्यालय या उपखण्ड बावड़ी अनुसूचित जाति के लिये छात्रावास हेतु भूमि आवंटन या छात्रावास निर्माण करने की मैं आपसे मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि प्रदेश में भील नायक समुदाय अधिक जनसंख्या में है लेकिन यह भील नायक सरनेम लगाने से समस्या उत्पन्न हो गयी। ऐसा ही मुद्दा, मेरे भोपालगढ़ विधान सभा में भी कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां भीलों में नायक समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र है जो वर्तमान में नायक लगाने से पटवारी, तहसीलदार, एस डी एम द्वारा पोर्टल की मिस्टेक से यह अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं बल्कि यह वास्तव में अनुसूचित जनजाति के हैं। इनको एस.टी. में लिया जाये। अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाये जिससे एस.सी. के लोगों को भी फायदा हो सके और एस.टी. के लोगों को भी फायदा हो सके।

माननीय सभापति महोदय, EWS में 8 लाख की इनकम में भी छात्रवृत्ति मिल रही है और एस.सी., एस.टी. में ढाई लाख पर भी छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, अतः आपके माध्यम से मैं मांग करती हूं कि एस.सी., एस.टी. को भी यह छात्रवृत्ति दी जाये और छात्रवृत्ति टाइम पर दी जाये क्योंकि टाइम पर छात्रवृत्ति नहीं आने से बच्चों को परेशानी होती है और कई तरह की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति में आरक्षण लागू करवाने की मैं मांग करती हूं। जब पहली बार गहलोत जी मुख्य मंत्री बने तब एम.एल.ए. फण्ड की 20 प्रतिशत राशि से एस.सी., एस.टी. की कॉलोनियों व मोहल्लों में विकास के लिये कहा गया था, लेकिन जब भी बीजेपी की सरकार आयी तो एस.सी.,एस.टी. के विकास के लिये नजरअंदाज किया गया।

माननीय सभापति महोदय, एस.सी. आयोग में वित्तीय प्रावधान किया जाये। इसके साथ ही राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन के लिये मैं आपसे मांग करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, अन्तरजातीय विवाह करने वाले एस.सी., एस.टी. के युवाओं को पहले 50 हजार रुपये दिये जाते थे। गहलोत सरकार ने बढ़ाकर इसको पांच लाख कर दिया था। मैं आपसे निवेदन करती हूं और मांग करती हूं कि इसको 10 लाख करवाने की आज घोषणा करें और नवविवाहित जोड़ों को सुरक्षा भी सुनिश्चित करावें।

माननीय सभापति महोदय, पूरे राजस्थान में एस.सी. की लाखों बीघा जमीन बंजर पड़ी है जिसको सरकारी खर्चे से ऊपजाऊ बनाने के प्रयास किये जायें, ताकि इन किसानों की मदद व विकास हो सके।

जहां आदिवासी बैठे हैं, उनकी खातेदारी में नाम डलवाये जायें, ताकि उनको उनकी जमीन मिल सके और उनको कोई परेशानी नहीं आवे।

माननीय सभापति महोदय, बोर्डों,निगमों और विभागों में आरक्षण स्टेट लेवल पर होना चाहिए। अभी पटवारी व अन्य जो भी विज्ञप्तियां निकलीं उनके स्टेट लेवल पर रोस्टर के हिसाब से भी नियुक्तियां दी जायें। कई पद ऐसे हैं जो अभी तक भी खाली पड़े हैं लेकिन कोई नियुक्तियां नहीं दी गयीं। आरक्षण के अन्दर भेदभाव न किया जाये। जो संविदा पर कर्मचारी लगे हैं और ठेकों पर लगे हैं, उनके लिये भी मैं आरक्षण की मांग करती हूं। जो भी एस.सी., एस.टी. के क्षेत्र हैं, वहां पर सड़कें, पानी की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। अतः आपके द्वारा मांग करती हूं कि इन क्षेत्रों में इन समस्याओं का समाधान करवावें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करती हूं कि एस.सी., एस.टी. आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाये।

jyg/rtm/28.02.25/16.30/3b

जिम्मेदार अधिकारी को लगाया जाये, जो आयोग में आने वाले मुद्दों पर निष्पक्ष जांच कर सके।

अम्बेडकर छात्रावास जो जर्जर अवस्था में हैं उनकी मरम्मत करवाने की मैं मांग करती हूं। जो अम्बेडकर छात्रावास बने हैं और समाज कल्याण के भी छात्रावास हैं उनका टाइम-टाइम पर सर्वे करवाया जाये क्योंकि वहां पर जो संसाधन हैं वो ठीक प्रकार से नहीं मिल रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं और जो उनकी खाद्य सामग्री है उसकी भी जांच करवाई जाये। कई ऐसी समस्याएं आयी हैं कि खाद्य सामग्री की वजह से बच्चे बीमार हुए हैं और उनको हॉस्पिटलों में भर्ती करवाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे भोपालगढ़ क्षेत्र में एससी, एसटी की बस्तियां हैं, जहां बारिश के वक्त पर सारा पानी भर जाता है, इस कारण से वहां के लोगों ने अपने घर भी खाली कर दिये, जहां बनास क्षेत्र पड़ता है, मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वहां पर सांसी बस्ती है, एससी, एसटी की बस्तियां हैं, पिछली बार भी मैंने यह मुद्दा उठाया था पर उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। लोगों ने वहां अपने पूरे मोहल्ले खाली किये क्योंकि उनके पीने की जो टंकियां थी उनमें गंदा पानी चला गया, गटर का पानी चला गया, घर पूरी तरह से पानी में भर गये और उनको वहां से घर खाली करके जाना पड़ा। मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि वहाँ पर रोड बना दी जाये, वहां पर बारिश आने से पहले उनकी समस्या खतम कर दी जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मेरे क्षेत्र में सायबा कलां पंचायत समिति में सीवरेज नाला बनाया गया जो आगे जाकर खुला छोड़ दिया गया जहां पर जटिया, मेघवाल, कई जाति के लोग रहते हैं लेकिन उस नाले से जो पानी आ रहा है वो सारे घरों में भरता जा रहा है। इसके लिए मैंने कई बार कहा, कई बार कलेक्टर साहब को भी कहा, यहां विधान सभा में भी कहा, लेकिन उसकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गंदे पानी से उनके पूरे घर भर गये और उनको घर खाली करने पड़े।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार भी भोपालगढ़ में एक रुपया भी बजट नहीं दिया गया, भोपालगढ़ के साथ यह दोगला व्यवहार क्यों किया जाता है? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहती हूं कि भोपालगढ़ में न इस बजट में दिया गया न पिछले बजट में कुछ दिया गया। ...(व्यवधान)... मेरा क्षेत्र एससी का है, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मुझे मेरे क्षेत्र में विकास के कार्य दिये जायें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। जय भीम। जय कांग्रेस।

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री राम सहाय। आठ मिनट में आप अपनी बात कहें राम सहायजी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, एक बड़ी जोरदार बात कही भोपालगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने, दिया है लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिया।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): 65 करोड़ रुपये दिये हैं, 65 करोड़।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग जैसे वर्गों के लिए महत्वपूर्ण मांग संख्या 30 व 31 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हुए एससी, एसटी वर्ग के कल्याण के लिए मात्र घोषणाएं ही कीं, उनकी क्रियान्विति कर ही नहीं पाये। कांग्रेस एससी, एसटी को मात्र वोट बैंक मानती है, लेकिन अब ये वोट बैंक धीरे-धीरे कांग्रेस से दूर होता जा रहा है, उसकी शक्ल देख लो 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। विगत सरकार द्वारा विकास कोष हेतु 1 हजार करोड़ की घोषणा तो कर दी लेकिन मात्र 186 करोड़ रुपये ही दिये। क्योंकि शेष बजट तो इनको सरकार बचाने के लिए और होटलों और रिसोर्टों में बैठने के लिए और उसी में देना पडा। यह है कांग्रेस का चरित्र जिसके लिए एक मेरा भाई अभी कह रहा था कि कांग्रेस ने एससी, एसटी के लिए बहुत काम किया। मैं उनको यह याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी कांग्रेस सरकार ने 65 साल में क्या किया और पिछले 10-12 साल में बीजेपी क्या कर रही है यह आपको अच्छी तरह देख लेना चाहिए। कांग्रेस राज का उदाहरण बता रहा हूं, पिछली सरकार का उदाहरण बता रहा हूं, पिछली सरकार का ही बता रहा हूं, ज्यादा पुराना नहीं बता रहा कि शादी-ब्याहों में एससी, एसटी की बिन्दौरी के लिए रोक दिया गया। आपके घोड़ी पर से उतार कर उनको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया, जालोर जैसे जिले में मात्र पानी पीने के लिए एक छात्र को मारा गया, पूरे सरकार में आंदोलन हुआ लेकिन इनके जूं तक नहीं रेंगी और मुझे खुद को, मैं उसमें शामिल था, जाकर के टीकारामजी जूली को हमने ज्ञापन दिया लेकिन उन्होंने उस विषय पर आज दिन तक कुछ भी नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह टीकाराम जूलीजी के खुद के विधान सभा क्षेत्र में जब लोक सभा चुनाव हो रहे थे तो थानागाजी जैसी घटना जिसको को कि कहते हुए भी सदन में मुझे शर्म आ रही है, इन्होंने एफआईआर भी उसकी नहीं होने दी और जब हम लोगों ने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया तक जाकर उसकी एफआईआर लॉज हुई।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में देसूरी के पास में मूंछ रखने के लिए इन्होंने व्यक्ति विशेष को मार ही दिया जिसने मूंछ रखी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सिर्फ अपनी मूंछों का ध्यान रखा कि हमारी मूंछें नीची नहीं होनी चाहिए। यह है कांग्रेस का चरित्र।

माननीय सभापति महोदय, आश्रम छात्रावासों में वर्ष 2021-22 में पृथक वार्डन कैडर की घोषणा तो कर दी, लेकिन पूरे कार्यकाल में कैडर का सृजन नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, सृजन नहीं होने के कारण इनकी प्रकृति का मालूम पड़ता है कि इनका विचार एससी, एसटी के प्रति कितना है। अभी भी सदन में एक सदस्य ने बोला कि कांग्रेस ने ही सब कुछ किया। मैं उस सदस्य से भी कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं होती, काम नहीं करती तो आपके ये एससी, एसटी का गीत गाना यहां भूल जाते।

माननीय सभापति महोदय, नवीन छात्रावासों में आवासीय विद्यालयों की घोषणाओं के

अनुरूप बजट आवंटन विगत सरकार द्वारा नहीं किया गया। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी के शब्दों को मैं सदन में दोहराना चाहूंगा कि असमानता को कम करना आज भारत की प्राथमिकता है, जरूरतमंदों एवं वंचित वर्गों की सेवा करने में ही हमारी आस्था है। हमारा उद्देश्य पूर्ति की दिशा में हमारी सरकार द्वारा निरंतर वंचित वर्गों के कल्याण हेतु नवाचारों की शृंखला जारी है जिसमें सर्व स्पर्शी, सर्व व्यापी के नियम पर काम करती है, जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में विचार करती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 2014 में केन्द्र में हमारी सरकार ने अपने प्रथम कार्यकाल में इस देश की जनजाति के कल्याण के लिए कई कदम उठाये। केन्द्र सरकार के जनजाति मंत्रालय की स्थापना की। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, केवल विपक्ष में बैठकर केवल हल्ला करना ही सब कुछ उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जो हुआ उसके लिए कहना चाहिए कि यह हुआ है तो हुआ है, इसको पूरी दुनिया देख रही है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा सरकार ने जनजातीय समुदाय की विभिन्न योजनाओं में कार्य शुरू किये जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास सम्बन्धित योजनाएं, राजस्थान सरकार के जनजाति कल्याण के लिए कई कदम उठाये जैसे कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना करना और जनजाति समुदाय के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्य शुरू करना है। हमारी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, बीपीएल कार्ड धारकों को गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना शुरू की जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 450 रुपये में सिलेण्डर प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति समाज की शीर्ष संस्था डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी झालाना को आठ बीघा जमीन का आवंटन कर मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने 1 करोड़ 46 लाख रुपये का बजट देकर एक कांफ्रेंस हॉल का निर्माण करवाया जिसमें अनुसूचित जाति समाज को आज भी गर्व महसूस होता है तथा केन्द्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल और राज्य सभा सांसद रामकुमार वर्माजी के द्वारा 40 लाख रुपये देकर अतिथि गृह और लाइब्रेरी का निर्माण करवाया जिससे आज इस समाज के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की छवि है। ये होते हैं भारतीय जनता पार्टी के काम। 1980 से हमारी यह संस्था बनी, कांग्रेस वाले केवल घोषणाएं करके आये हैं, एक रुपया नहीं दिया है क्योंकि मैं वहां का पदाधिकारी रहा हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है, कोषाध्यक्ष रहा हूं, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है। कांग्रेस के कार्यकाल में कोई पैसा नहीं दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास के माध्यम से कुल 437 आश्रम छात्रावासों, 53 आवासीय विद्यालयों, ईएमआरएस का संचालन किया जा रहा है, लगभग 43 हजार जनजाति छात्र-छात्राओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त की जा रही है। विभाग के माध्यम से 650 छात्र क्षमता के 11 कॉलेज छात्रावासों का संचालन तथा 878 बालिकाओं की क्षमता के 8 बहु

उद्देश्यीय छात्रावासों का संचालन कर जनजाति छात्र-छात्राएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रही हैं।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की पीएम जन योजना अंतर्गत बारां जिले में सहरिया क्षेत्र में नवीन 17 मल्टीपरपज केन्द्रों का कार्यादेश जारी किया जाकर 17 केन्द्रों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। हमारी सरकार के 4536 स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से जनजाति क्षेत्र में टीबी रोग तक पहुंच कर अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने में सहयोग किया जा रहा है। प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण के साथ ही विशेष रूप से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से एससी, एसटी, एवं टीएसपी फण्ड की राशि बढ़ाते हुए 1 हजार 750 करोड़ रुपये करने की घोषणा की, इस योजना से जनजाति उप योजना क्षेत्र तथा जनजाति बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर लाभांवित किया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण के लिए 17 दिसम्बर 2023 से जनवरी 2025 तक कई नवाचार प्रारम्भ किये जिसमें किये गये प्रमुख नवाचारों से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। स्थायी आश्रय, आवास और वंचित नोटिफाइड ट्राइबल के परिवारों हेतु मुख्य मंत्री घुमंतू आवासीय योजना दिनांक 22.10.24 को जारी कर लागू कर दी गयी है। घुमंतू परिवारों को अगर पट्टा देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, यह आप लोगों को याद नहीं आया कि घुमंतू परिवार भी हमारे देश के लोग हैं या इस देश में रहने वाले लोग हैं।

MLS/RTM/28.02.2025/16:40/3c

कहने के लिए हम कहते हैं कि साहब, हमने बहुत कुछ किया, लेकिन किया होता तो पता पड़ जाता न। रिजल्ट तो जमीन पर आता है। नमस्ते योजना के अन्तर्गत हमारी मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुडे मजदूरों को पुन: स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए 267 कर्मचारियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया। विभाग द्वारा संचालित छात्रावास, आवासीय विद्यालयों में आवसरत अध्ययनरत विद्यार्थियों को देय सुविधा हेतु निर्धारित राशि 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन योजनाओं में आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर प्रतिमाह भुगतान करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस कर दी गयी है। 75 वर्ष से कम आयु के सभी पेंशनर्स को प्रतिमाह देय पेंशन राशि में 150 रुपये की वृद्धि की गयी है।

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य। श्री थावर चन्द।

श्री राम सहाय वर्मा (रेगर) (निवाई): आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री थावर चन्द (धरियावद): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने आज एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे

पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

जुर्म के साये में लब खोलेगा कौन,
यदि मैं ही चुप रहा तो बोलेगा कौन?

मैं जनजाति इलाके से आता हूं और उस इलाके के अन्दर सरकार ने समय-समय पर अपने-अपने प्रयास किये। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से वह इलाका कमजोर है। कभी विस्थापन की मार झेली, कभी पलायन झेला, कभी वन विभाग और विकास के नाम पर उन्होंने विस्थापन झेला। उसके बाद में कई सरकारों ने अपनी-अपनी योजनाएं बनाईं। साथ में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ने कई योजनाएं बनाईं, पिछली सरकार ने हजार करोड़ का बजट दिया था, वहां के जो बच्चे हैं, वे हॉस्टलों में पढ़ाई करते हैं, मां बाड़ी के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे में ऐसा लगता था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है, जिसके अन्दर प्रतिभा है, वह हॉस्टल में पढ़ेगा और हृष्ट-पुष्ट रहकर अपने ज्ञान को बढ़ायेगा।

साथ-साथ में, इस सरकार ने, जब हम पहली बार सदन में चुनकर आये थे तो भाजपा की सरकार ने 1,500 करोड़ के बजट का नाम लिया था। हमें गर्व महसूस हुआ कि यह सरकार हमेशा इधर से उधर खींचातानी चलती रही, लेकिन इस बार सरकार ने 1,500 करोड़ की बात कही है। 1,500 करोड़ की बात सामने आयी, परन्तु 19 तारीख को जब बजट पढ़ा गया, 1,750 करोड़ की बात फिर से कही गयी तो ऐसा महसूस हुआ कि 1,500 करोड़ का बजट कहां गायब हो गया। मैं आपके सामने रिकॉर्ड लेकर आया हूं, यह 1,500 करोड़ के बजट का हिसाब है, जिसके अन्दर 638 करोड़ रुपये खर्च किये गये। अभी तक 861 करोड़ का कोई हिसाब-किताब नहीं है।

दूसरी ओर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बजट के माध्यम से वहां के हॉस्टल चलते हैं, वहां की मां बाड़ी चलती है, वहां की शौच परियोजना चलती है, जिस बजट के माध्यम से वहां का एक आदिवासी बच्चा, उसके ऊपर योजनाओं का लाभ मिलता है, परन्तु भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वह सारा बजट और एक-एक हॉस्टल में, जो आज मेरे पास बिल भी है, डाटा भी है। डूंगरपुर के अन्दर, यह बिस्किट 5 रुपये का बिस्किट है, यह बिस्किट इस टीएडी विभाग द्वारा साढ़े 5 रुपये में खरीदा गया। इससे बड़ी महानता और क्या हो सकती है? उसके बाद में इसी विभाग ने, यह 20 रुपये का टूथपेस्ट है, जिसे 24 रुपये में खरीदा। ये सारे सबूत और रिकॉर्ड हैं मेरे पास। इसके बाद में उपभोक्ता भण्डार में, जहां नमक की थैली 4 रुपये में, 3 रुपये में दी जा रही है, वह इस टीएडी विभाग को, दूध के पैकेट हों या अन्य चीजें हों, जिनको इस तरह से किया गया है।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि 65 करोड़ का बिना टेंडर का ठेका बीज भण्डार का सप्लाई व्यापारी कर रहे हैं, हर जिले में टेंडर अलग-अलग। यह मैं नहीं कह रहा, यह अख़बार की कटिंग कह रही है। चार महीने पहले मंत्री जी का जवाब था, ''हम जांच कराएंगे।'', जब मंत्री जी पहली बार चुनाव जीते थे, तब अखबारों में आया था कि झोपड़ी वाले मंत्री जी, तब हमें

लगा कि झोपड़ी वाले मंत्री जी गरीबों की बात सुनेंगे, लेकिन मंत्री जी गरीबों का आशियाना भूल गये। तब हमें कहना पड़ रहा है, हमारा बजट, हमारी मांग का बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया।

धनिया पाउडर डूंगरपुर में 210 रुपये में मिल रहा है, जो इस हॉस्टल में सप्लाई हो रहा है, उसकी बात कर रहा हूं। उसके बाद में बारां के अन्दर 144 रुपये, उदयपुर में 160 रुपये और प्रतापगढ़ में 255 रुपये, मुझे ऐसा लगता है कि ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये बारां, ऐसा लगता है कि अलग-अलग देशों के कोई भाव लगा रखे हैं। टोटली हर एक मामले में, ऐसा कल-परसों अख़बार में आया कि बच्चों का निवाला खा गये। आज ऐसा लगता है, टीएडी विभाग बजट के माध्यम से छोटे-छोटे बच्चों का निवाला खा गया। सारी चीजें मेरे साथ हैं। ''स्वच्छ परियोजना में 11 कर्मचारियों को हटाया, उनकी जगह भाजपा नेताओं के रिश्तेदार और दोस्तों को लगा दिया गया।'', ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यह अख़बार की कटिंग कह रही है, सारे सबूत कह रहे हैं। एक-एक आंकड़ा हमारा आपके सामने हैं।

मैं और भी बहुत सारी बातें आपके सामने रखना चाह रहा था, लेकिन कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि उस इलाके के अन्दर, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, इस राजस्थान के सदन में हम तीसरी पार्टी से आते हैं और हमने पहले भी बात की कि हमें समय मिलना चाहिये, जो यहां के लोगों की मांग है। सबसे पहले आपके माध्यम से मांग है कि हमारे इलाके के अन्दर हॉस्टल खोला जाये। बेड़ावाल के अन्दर गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल, मुगाना के अन्दर गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल, लोहागढ़ में गर्ल्स हॉस्टल, भांडला में बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल, जग्लावड़ा में एकलव्य मॉडल, खोलड़ी में इंडोर स्टेडियम, धरियावद में खेल मैदान, चार लाइब्रेरी मुगाना, धरियावद और पारसोला के अन्दर, हमारे लसाड़िया, जग्लावड़ा और सलूम्बर के अन्दर नवोदय विद्यालय खोला जाये।

साथ-साथ में मां बाड़ी में जो विद्यालय संचालित हैं, उनकी एक पुरानी लम्बित मांग है कि वे धरातल पर बच्चों को तैयार करते हैं, उनको पढ़ाते हैं तो उनकी जो 14 वर्ष की आयु तक है, 4500 मां बाड़ी शिक्षा सहयोगी हैं। मां बाड़ी केन्द्रों को जनजाति विकास में मर्ज किया जाये और शिक्षा सहयोगी का एक स्थायी कैडर बनाया जाये। साथ-साथ में राजकीय कर्मचारियों को दिये जाने वाले सभी सरकारी लाभ इन शिक्षा सहयोगियों को प्रदान किये जाएं। वर्तमान में शिक्षा सहयोगियों को मात्र 16,394 रुपये का मानदेय है, जिसे बढ़ाकर 30 हजार किया जाये, ताकि उनका परिवार इस महंगाई के जमाने में बच्चों को पढ़ा पाये, अपना परिवार चला पाये।

श्री सभापतिः समाप्त करिये।

श्री थावर चन्द (धरियावद): सर, एक मिनट। मां बाड़ी के साथ में सीएचओ की जो पुरानी मांग है, उसको भी आपके सामने रखना चाहूंगा। जो सीएचओ हैं, दुर्गम इलाकों में बच्चों का इलाज कराने जाते हैं और उनके साथ में प्रदेश के कम से कम, 2020 से कोई कैडर नहीं बना है, सीएचओ का कैडर महाराष्ट्र और गुजरात की तर्ज पर 4800 ग्रेड पे उनका

भी बनाया जाये। मैं साथ-साथ में यह भी कहना चाहूंगा, डीटीएसए की मांग जो है, पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के अन्दर वहां के जो आदिवासी हैं, वे अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण इस हालत में हैं कि न तो वहां अच्छी खेतीबाड़ी है, न रोजगार की व्यवस्था है। ऐसे में वहां पर डीटीएसए, जो डेजर्ट ट्राइबल सब प्लान एरिया के रूप में अलग से उनको प्रावधान किया जाये, ताकि उनको इसका फायदा मिल सके। मुझे बहुत सारी बातें बोलनी थीं, पर समय के अभाव के कारण मैं इतना ही कहूंगा-

तुम्हें हम भी सताने पर उतर आये तो क्या होगा,
तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आये तो क्या होगा,
हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफ़िल में,
अगर हम सच बताने पर उतर आये तो क्या होगा।

श्री सभापति: श्री समाराम।

श्री समाराम (पिंडवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 और 31, जानजाति क्षेत्रीय विकास और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्र में जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, उसने एक भी कोई बजट दिया नहीं और फिर भी वे वाह-वाही करते हैं कि हमने इतना दिया। 1,500 करोड़ की घोषणा के लिए कहा गया, लेकिन 1,500 करोड़ की जब घोषणा हुई थी, उनको यह पता नहीं है, आंकड़े कहां से ले आते हैं, मां बाड़ी खोली जा रही है, हैंडपम्प लग रहे हैं, अन्य एनिकटों के बजट सारे लग रहे हैं, मंत्री जी काम कर रहे हैं और कभी-कभी ये यह भी बात कह देते हैं 'धर्म कोड'। मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा होती है। विपक्ष में आकर कांग्रेस के लोग तो इस प्रकार धर्म कोड पर, 2003 से मैं विधान सभा सदस्य के तौर पर आ रहा हूं, कभी भी इस प्रकार की चर्चा नहीं हुई कि आदिवासियों का धर्म कोड क्या है।

ये अंग्रेज पता नहीं क्या करके गये हैं कि आदिवासियों का धर्म कोड कोई अलग है। आदिवासियों का कोई धर्म कोड नहीं है, आदिवासी परम्परागत हिन्दू हैं और वे सदियों से हिन्दू हैं और वे गर्व से कहते हैं कि हम हिन्दू हैं। कोई उनका कोड नहीं है। मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि हमेशा विपक्षी इस बात का गौर करें। सभापति महोदय, सरकार से आप भी कहें कि जो अपने आपको आदिवासी हिन्दू नहीं है, वह बात करता है तो उसको टीएसपी क्षेत्र का जो फायदा है, उसको हटा ही दिया जाये, क्योंकि वह दोनों धर्म में जाकर दोनों फायदे क्यों ले? उसको इस चीज से हटाया जाये। ...(व्यवधान)... अपने आप में वह हिन्दू नहीं है। जो आदिवासी अगर एसटी में आता है और आदिवासी अगर हिन्दू नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री थावर चन्द (धरियावद): वह आदिवासी से ही हिन्दू बना है, आदिवासी से ही मुसलमान बना है।

श्री सभापति: अंकित नहीं हो।

श्री थावर चन्द (धरियावद): 000

श्री समाराम (पिंडवाड़ा-आबू): हिन्दू है, अगर वे गर्व से कहें कि हम हिन्दू हैं तो उसको आदिवासी का फायदा दिया जायेगा।

श्री थावर चन्द (धरियावद): 000

श्री सभापति: विराजिये आप।

श्री समाराम (पिंडवाड़ा-आबू): आदिवासी अगर परम्परागत हिन्दू हैं तो उनको इसका फायदा दिया जायेगा। ...(व्यवधान)... मेरा टाइम खराब न करें। जो कहते हैं कि हमारे जनजाति एसटी के आरक्षण को कम किया गया।

MKD/RTM/28.02.2025/16:50/3d

तो इनको यह बताओ कि यह आरक्षण कब से कम हुआ। 2010-11 के अन्दर इनकी सरकार थी। उस समय से पटवारियों की भर्ती में अन्य जनरल और ओबीसी लगे तो वो तो लगेंगे ही, क्योंकि इन्होंने गड़बड़ कर दिया, वह तो इनको ही पूछा।

मैं मंत्री महोदय जी से मांग करूंगा कि हमारे जनजाति क्षेत्रों के अन्दर जो भाकर बैल्ट आता है, उनमें हॉस्पिटल नहीं है तो वहां पर जनजाति बजट से हॉस्पिटल खोला जाए, यह मैं मांग करता हूं।

अब मैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर बात करूंगा कि माउंट आबू में एक जनजातीय हॉस्टल है, सावित्री बाई फुले कन्या छात्रावास। मंत्री जी, जब से वह बना है, वह शायद 2012-13 के अन्दर बना होगा, उस हॉस्टल में रसोई घर, वार्डन के रहने का निवास नहीं है। उसे पर्याप्त बजट देकर पूरा किया जाए। पिंडवाडा तहसील में जनजाति का छात्रावास नहीं है, लड़कियों का भी नहीं है, लड़कों का भी नहीं है इसलिए छात्रावास खोला जाए मैं इसकी मांग करता हूं।

माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय भजन लाल शर्मा जी, वित्त मंत्री महोदया दिया कुमारी जी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश जी गहलोत और हमारे जनजाति के मंत्री बाबूलाल जी के लिए दो शब्द कहना चाहूंगा, 'आप दिवाली बनकर तम को दूर करो तो हम होली बनकर बिछुड़े ह्दय मिला देंगे।'

मेरे पास इतना समय नहीं है। अब देखो पांच मिनट होने वाली है। अम्बेडकर डीबीटी योजना के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर अकादमी संकाय का अध्ययन करने वाले बच्चे, जो किराये का कमरा लेकर रहते हैं, उन छात्रों को राज्य सरकार द्वारा दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का वार्षिक लक्ष्य पांच हजार से दस हजार किये जाने की मांग करता हूं। इसके अतिरिक्त अकादमिक के साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जोड़ा जाये तथा स्नातकोत्तर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य भर के बेरोजगार दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने के लिए ई-रिक्शा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की जाए, ताकि

दिव्यांगजनों के जीवन में रोशनी लाई जा सके। साथ ही, मैं सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सम्बल योजना के माध्यम से, ऐसे बच्चे जो लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके परिवार को आर्थिक सम्बल प्रदान किया है। मैं सरकार को उन सभी युवाओं, दिव्यांगजनों की ओर से भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए हैं। स्कूटी योजना की पहल माननीय मुख्य मंत्री महोदय की दिव्यांगजनों को अमूल्य भेंट है। मैं अपनी सरकार की अभी-अभी कल जो घोषणा हुई थी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, कल बजट का रिप्लाई दिया था। उसमें स्वरूपगंज कालिन्दरी से 19 किलोमीटर चौड़ाईकरण 25 करोड़ की घोषणा की, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री और अपने वित्त मंत्री का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, पूरी जनता की ओर से।

(समयः बजे)

(श्री फूलसिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

सिजेराव, मालणू का 4 किलोमीटर साढ़े 6 करोड़ की लागत की घोषणा की है। पिंडवाडा से गड़िया साढ़े पांच करोड़ तीस लाख की घोषणा हुई है और असपुरा कालिन्दरी पुल की आठ करोड़ की घोषणा हुई है। मार्कंडेश्वर महादेव जी का मन्दिर है, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कल घोषणा हुई है। माउंट आबू में गोल्फ कोर्स और पोलो ग्राउंड का रिवाइवल किया जायेगा, इससे माउंट आबू में पर्यटकों की वृद्धि होगी। इसलिए, माउंट आबू और पिंडवाडा आबू की जनता की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री मनोज, पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): ठीक है, सभापति महोदय। समय कम है, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहूंगा। मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप से इतर, मैं एक दूसरे विषय पर बात करना चाहूंगा। एससी, एसटी एक्ट में जब मुकदमा दर्ज होता है और विभाग की तरफ से उसको अनुसंधान व कोर्ट के लिए सहायता दी जाती है। मर्डर जैसे में करीब साढ़े आठ लाख रुपये की जो सहायता दी जाती है।

मंत्री महोदय, उसमें एक बहुत बड़ी टेक्निकल कमी है। कई बार क्या होता है कि पुलिस एफआइआर दर्ज करती है। उस समय उसके सामने जो फैक्ट्स होते हैं, जो धाराएं लगाते हैं या जो उसके सामने बात आती है, मुकदमा दर्ज कराता है, उसमें धाराएं दर्ज होती हैं और बाद में एससी, एसटी एक्ट की जब उसमें धारा लगती है तो विभाग में एक बड़ी खामी है।

जैसे किसी व्यक्ति का मान लो सुसाइड का पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया और बाद में पता चला कि नहीं यह सुसाइड नहीं है, इसकी हत्या है। यह एससी का व्यक्ति है और सामान्य व्यक्ति के लोगों ने इसकी हत्या की है तो पुलिस अनुसंधान में एससी एक्ट की धारा जोड़ती है, पर जब विभाग से सहायता मिलने की बात होती है तो विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, वहां दिक्कत आ जाती है।

जो पोर्टल है, उससे 50 परसेंट सहायता एफआईआर के सात दिन के भीतर मिलती है, वह उनको नहीं मिल पाती है। उसके बाद विभाग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जोड़ने का, अमेंडमेंट करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह बहुत बड़ी टेक्निकल दिक्कत है। बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे कई बार लड़कियों की गुमशुदगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले का नागौर का ही प्रकरण था। घरवालों ने अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और कुछ दिन बाद में उसकी कुएं में लाश मिली और उसके बाद पुलिस ने उसमें एससी, एसटी एक्ट की धारा दी और फिर पोस्टमार्टम में पता चला कि इसकी हत्या हुई। अनुसंधान में हत्या का पता चला, पर एफआईआर में तो एससी, एसटी जुड़ गया, पर जब विभाग की तरफ से सहायता की बात आती है तो उस समय वहां कोई प्रावधान नहीं है कि जुड़ सके। इसलिए वहां संशोधन करवाकर, इसको दिखवाकर इस टेक्निकल समस्या का आप समाधान करें। किसी भी तरह से बाद में जुड़ सकती है, एससी, एसटी की। कई बार ऐसा होता है कि अज्ञात के खिलाफ एफआइआर लॉज हो जाती है और उसके बाद में पुलिस नामजद करती है, वहां भी दिक्कत आ जाती है।

यह एक ऐसी दिक्कत है, उसका समाधान विभाग ही कर पायेगा, ताकि जो 50 परसेंट सहायता एफआईआर के बाद मिलती है, वह मिल सके। उसको सम्बल मिलना चाहिए था, वह मिल सके। इसलिए मेरा एक बहुत बड़ा सुझाव है कि आप इसको तुरन्त दिखाये, ताकि यह एक जो खामी है, वह आगे नहीं रहे।

दूसरा, एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा कि जो सम्बल गांव हैं, उनमें आपके विभाग द्वारा सामुदायिक भवन दिये जाते हैं, वे दस-दस लाख रुपये में बनाये जाते हैं। आप जानते हैं कि एससी वर्ग के लिए सबसे ज्यादा जरूरत सामुदायिक भवनों की है। जहां आप शादी, विवाह का कार्यक्रम कर सकते हैं। आपको अन्य समाज में बहुत बड़े-बड़े भवन मिल जायेंगे। वे शहरों में मैरिज गार्डन में जाकर शादी कर लेते हैं, पर गांवों में पहले तो स्कूलें हुआ करती थीं, स्कूलों में शादी, ब्याह में बारात रुका देते थे और वहां उनके प्रोग्राम हो जाते थे, पर आजकल शिक्षा विभाग भी शादी, ब्याह के लिए स्कूल नहीं देता है। विशेष तौर से जिस दिन कार्य दिवस हो, उस दिन तो देता ही नहीं है तो कोशिश करके यह राशि जो 10 लाख रुपये आप सम्बल गांव में सामुदायिक भवन के लिए दें, उसको बढ़ायें।

आप कम से कम इतनी राशि करें कि जिससे एक बढ़िया भवन बन सके और वहां ये लोग, विशेष तौर पर सम्बल गांव वे ही गांव हैं, जहां आधी आबादी एससी वर्ग की है तो उन गांवों में सामुदायिक भवन में लोग अपनी शादी आराम से कर सके और एक फायदा मिल सके।

Bhs/Rtm/28.02.25/17.00/3e

एक जो हॉस्टल्स चल रहे हैं अभी उनमें बजट जो दिया जा रहा है उस बजट को थोड़ा और अब समय के साथ बढ़ाना जरूरी है और इसका कारण है कि महंगाई बढ़ती जा रही है

और उस एवज में जो बजट है उससे पूर्ति हो नहीं पाती। सबसे ज्यादा जरूरत एससी वर्ग के लोगों को ही हॉस्टल में होती है। कोई कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चियों को भेजता है तो कौन मां-बाप भेजता है वो ही भेजते हैं जो पढ़ा नहीं पाते, वो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में भेजते हैं और वहां बजट अगर उनको पूरा नहीं मिलेगा तो कैसे वो बच्चियां रहेंगी, वो जैसे-तैसे अपना समय तो काट रही हैं, पर बजट बढ़ायें। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री शंकरलाल जी डेचा।

श्री शंकरलाल डेचा (सागवाड़ा): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं 31 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं जनजाति क्षेत्र के उत्थान हेतु बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए सागवाड़ा जनता का एवं वागड़ के मेरे समस्त मतदाताओं का दिल की गहराइयों से साधुवाद करता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, भारत के संविधान में जनजाति विकास के लिए विशेष प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है, इन्हीं शक्तियों के आधार पर राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गयी, जिससे एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये कार्यक्रमों के विकास के लिये कार्यक्रमों की समग्र नीति योजना और समन्वय किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियंत्रण एवं निर्देशन जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को अन्य क्षेत्रों के समकक्ष लाना एवं जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन करना प्रमुख है।

आज जनजाति समाज कई समस्याओं से जुझ रहा है, जिससे उनकी जीवन शैली में जिस रफ्तार से बदलाव होना चाहिए था नहीं हो पाया है। आज विभाग का जिस उद्देश्य को लेकर संरचना की गई है, उस पर ख़रा नहीं उतर रहा है एवं अदूरदर्शी सोच के साथ विभाग कार्य कर रहा है। विभाग को आदिवासियों के उत्थान के लिए गठित किया गया था।

इस बात का जब हमारे भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता चला तो उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन 1999 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वि-विभाजन के उपरांत किया था और इसका उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत शोषित वर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के समेकित सामाजिक-आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। इसके पूर्व सिर्फ खानापूर्ति कर कांग्रेस ने जनजाति समाज को कभी मुख्यधारा में लाने का प्रयास ही नहीं किया एवं संविधान की मुख्य भावना को कभी धरातल पर लागू ही नहीं किया और

जनजाति एवं आदिवासी समाज को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा। जिस उद्देश्य को लेकर अनुसूचित जनजाति विभाग का संविधान में प्रावधान किया गया था उसे 1975 में गठित तो कर दिया, पर कभी उस पर कार्य नहीं किया एवं हमेशा आदिवासियों का शोषण किया गया।

माननीय पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के दिल में हमेशा वंचित, शोषित वर्ग के उत्थान के लिए, वे निरन्तर प्रयासरत थे एवं उन्होंने ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत 19 फरवरी, 2004 से किया था। तब से संविधान के मूल उद्देश्य को लेकर आदिवासियों के जनजाति के विकास को गति मिली है। जिस कांग्रेस ने हमेशा से जनजाति समाज को हाशिये पर रखा उसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से सरकार बनी तब से उसके उत्थान के लिए प्रयास किया।

सभापति महोदय, आज कुछ लोग संविधान बचाओ का नारा दे रहे हैं, जबकि उन्होंने हमेशा संविधान को अपनी जेब में रख कर कभी संविधान की मूल भावना एवं वंचित और शोषित वर्ग के लिए काम नहीं किया। आज मेरे सामने विपक्ष के जो भाई-बन्धु हैं वो आदिवासियों को कहते हैं कि हिन्दू नहीं हैं। मैं कहता हूं मैं भी वागड़ का रहने वाला हूं, सागवाड़ा का रहने वाला हूं, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं आदिवासी हूं। मैं हिन्दू हूं। मैं हिन्दू पूजा करता हूं। मैं महादेव की पूजा करता हूं। गंगा मैया की पूजा करता हूं। बेणेश्वर धाम की पूजा करता हूं। मानगढ़ धाम की पूजा करता हूं। मैं पक्का हिन्दू हूं। मेरा समाज भी हिन्दू है, लेकिन ये राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए आये दिन आदिवासियों को बदनाम करते हैं। महुआ है, दारू है, यह सदन महुआ और दारू के लिए नहीं है यह सदन आदिवासियों के कलम की जरूरत है, विकास की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, पानी और बिजली की जरूरत है, रोटी और कपड़े की जरूरत है और ये बार-बार आदिवासियों को बदनाम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिये कहना चाहूंगा कि आदिवासियों के विकास के लिए हमारे राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार और केन्द्र की मोदी जी की सरकार है जो आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करती है और इसीलिये मैं आज इस मौके पर मेरे सागवाड़ा की कुछ मांगें हैं वो भी मैं रखना चाहूंगा सदन के माध्यम से।

1. धाणी बरवा से बनकोडा तक डामर सड़क कार्य।
2. खरगु पाल रोड से पुरानी गोशाला होते हुए नवणिया तक डामर सड़क।
3. किशनपुरा ग्राम पंचायत और वरदा ग्राम पंचायत के बीच मोरन नदी पर पुलिया निर्माण कार्य।
4. बरलाया फला से रामसौर मैन रोड तक डामर सड़क।
5. कराडावाडा झॉखरी गडावेजणिया धाणी खजुर को जोड़ने वाली डामर सड़क।
6. कराडावाडा मुख्य सड़क से टाम्बटिया फला मैन रोड।

7. डामर रोड से ओखली फला श्मशान घाट तक डामर सड़क कार्य कसारीया ग्राम पंचायत।

8. शिवराजपुर से खडलई तक डामर सड़क।

9. गडीया मोड से उबली होर रामसौर तक डामर सड़क।

10. गामडा चारणिया से वरसिंगपुर तक डामर सड़क।

11. कसारीया से मोरडी भेरवजी मन्दिर के बीच पुलिया निर्माण व सड़क।

12. ओबरी ठाकुरजी मंदिर से पीपलागुज तक डामर सड़क मय पुलिया निर्माण।

13. करीयाणा रामदेव जी मन्दिर से वाया नवनिया होकर वमासा तक डामर सड़क।

14. करियाणा बस स्टेण्ड से उबापाणा साटिया से भचडिया तक डामर सड़क।

15. माकणिया से जोगीवाडा तक डामर सड़क।

16. गडा वासन से वाया मानडूंगरा से सरोदा तक डामर सड़क।

17. हडका का नाका से भवरीया होता हुआ भगेला तक डामर सड़क।

18. बरबोदनिया से ओगनियाफला तक डामर सड़क।

19. ओबरी से हडपालिया डामर सड़क।

20. गामडा से गोवाडी डामर सड़क।

21. गामडा से उदयपुरा डामर सड़क।

22. धोडापला से भुवासा तक डामर सड़क।

23. लोडेश्वर से ओबरी तक डामर सड़क।

24. आरा से हिंगलाज माता होकर सेमलिया पण्डया तक डामर सड़क।

25. गामडी देवकी से गलियाणा तक डामर सड़क।

26. अम्बाडा पटली जोहरा सड़क मय मोरन नदी पर पुलिया व डामर सड़क।

27. दरीयाटी मेन रोड से डामोरफला शोसावा तक डामर सड़क।

28. पादरा महादेव मन्दिर से नवाटापरा तक डामर सड़क।

29. रा.उ.प्रा.वि वोरखेड से पांचो का तालाब तक डामर सड़क।

साथ ही भैमई में जी.एस.एस. और पाडवा चितरी में सी.एच.सी. के क्रमोन्नयन की मांग करता हूं।

इसके साथ ही मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शिमला देवी।

श्रीमती शिमला देवी (अनूपगढ़): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 30 और 31 पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम मंत्री जी व सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जिस समाज से मैं आती हूं उसके एक छोटी सी विसंगति के कारण आज मेरे नायक समाज को जो हक मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। हिन्दी के अन्दर हम नायक लिखते हैं और इंग्लिश वर्जन के अन्दर हम NAYAK लिखते हैं लेकिन सर, विसंगति इतनी हुई कि

NAYAK के आगे A और लगा दिया जिसके कारण सर, मेरे नायक समाज का जो हक है वो मुझे और मेरे समाज को नहीं मिल रहा है। इस विषयान्तर्गत मैं बताना चाहती हूं कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 1976 के हिन्दी अनुवाद में अनुसूचित जाति की सूची में जो क्रम संख्या 57 पर थोरी नायक अंकित है।

Kas/rtm/28.02.2025/17.10/3f

वहीं अनुसूची जनजाति की भाग संख्या 13, क्रम संख्या 10 में नायक, नायकड़ा, चोली वाला नायक, छोटा नायक, नाना नायक, मोटा नायक, कापड़िया नायक, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये मेरे नायक समाज के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्द हैं। इसके साथ-साथ हमारी नायक जाति अनुसूचित जाति और जनजाति, दोनों में अंकित है और इस कारण से बहुत सी समस्याएं और भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। कई जगह एसटी के प्रमाण-पत्र जारी हैं, कई जगह एससी के प्रमाण-पत्र जारी हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि, मंत्री जी, आप स्थिति स्पष्ट कीजिए कि नायक समुदाय के लोग एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं? आप उनको एससी का प्रमाण-पत्र देंगे या एसटी का प्रमाण-पत्र देंगे? एक छोटे से शब्द के कारण, एक छोटी सी विसंगति के कारण आज मेरा नायक समाज दर-दर की ठोकरें खा रहा है और अपमानजनक शब्दों को झेल रहा है। जबकि दिनांक 16 अगस्त, 2017 को श्रीमान अपर सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार को पत्र लिखा था, उसमें भी हिन्दी रूपांतरण नायक लिखा गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.11.2000 में केस नंबर 652/2000 में दिये गये निर्णय के अनुसार कि जनजाति सूची में राज्य सरकार न्यायालय या ट्रिब्यूनल या अन्य किसी अथोरिटी को मोडिफाई/अमेंडमेंट करने की अनुमति नहीं है, आर्टिकल 342 है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करती हूं, मांग करती हूं कि जनजाति सूची में घोषित नायक जाति को भारत के राजपत्र, 29 नवम्बर, 1979 के अनुसार ई-मित्र पोर्टल की वेबसाइट पर सही रूप से अपलोड करके इस विसंगति को दूर करते हुए मेरे नायक समाज का हक दिया जाये। जिस तरह से आपने मीणा और मीना की विसंगति को दूर किया था, उसी प्रकार से इस विसंगति को दूर करते हुए मेरे नायक समाज को पूरा मान-सम्मान दिया जाये और एसटी का प्रमाण-पत्र जारी किया जाये।

सभापति महोदय, पालनहार योजना, एक बहुत अच्छी योजना है। इसमें किसी बच्चे का पिता एक्सपायर हो जाता है तो उसको इस योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन जिन बच्चों की माता एक्सपायर हो जाती है, उन बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। मंत्री महोदय, मैं आपसे मांग करती हूं कि बच्चे के जीवन में माता-पिता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसमें इन बच्चों को भी लाभ दिया जाये।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एक गरीब परिवार के

लिये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें मेरा अनुपगढ़ जिला निरस्त होने के कारण पोर्टल पर अपडेट नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सी तकनीकी खामियां हैं। हालांकि विभाग ने उसमें एक साल का टाइम दिया था, लेकिन बहुत से पात्र परिवार आज भी वंचित हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि सर्वे करवा कर पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाये और उसकी समय सीमा में विशेष छूट दी जाये।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि पालनहार योजना में जो प्रति छात्र 1500 रुपये देते हैं, उसके स्थान पर आप 2500 रुपये दीजिए, ताकि इस महंगाई में एक बच्चे का अध्ययन का कार्य एवं उसका पालन-पोषण अच्छी तरह से हो सके। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनुपगढ़, रावला, नई मंडी घड़साना 365 हैड, जहां अम्बेडकर छात्रावास बने हुए हैं, वो बहुत पुराने हैं और दूर-दराज से हमारे बच्चे पढ़ने के लिये आते हैं, तो वहां कमरों की संख्या भी बहुत कम है। कमरों की संख्या कम होने की वजह से अधिक बच्चों को वो नहीं ले पाते हैं। इसलिए इन छात्रावासों में बच्चों की संख्या बढ़ाने की मैं मांग करती हूं और इनके भवनों के निर्माण की व मरम्मत की मांग करती हूं।

सभापति महोदय, अभी हमारी पटवार भर्ती में वर्गीकरण को लेकर विसंगति है। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, इनमें 12, 21, 10 व 5 प्रतिशत वर्गीकरण के हिसाब से आरक्षण दिया जाना चाहिये था। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि इस विज्ञप्ति की विसंगति को दूर करते हुए संशोधित विज्ञप्ति जारी करते हुए अभ्यार्थियों को लाभ दिया जाये और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का दिया, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामबिलास जी।

श्री रामबिलास (लालसोट): माननीय सभापति महोदय, सर्व प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास पर सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, भजन लाल जी की सरकार द्वारा आदिवासियों के उत्थान के लिये समर्पित बजट 2025-26 में जनजाति क्षेत्रीय विकास के लिये टीएसपी फंड की राशि को बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपये किये जाने की घोषणा की गई। राज्य के आदिवासी बाहुल जिलों में ऐतिहासिक, धार्मिक तथा ईको ट्यूरिज्म को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपये व्यय कर ट्राइबल ट्यूरिस्ट सर्किल विकसित किये जाने की घोषणा की गई। अटरू-बारां में महरिया बालिका छात्रावास तथा जिला डूंगरपुर में जनजाति आश्रम छात्रावास खोले जाने की घोषणा की गई। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारे भजन लाल जी की सरकार आदिवासी क्षेत्रों का विकास करना चाहती है।

सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र लालसोट छोटी-छोटी गांव-ढाणियों में बसा हुआ है। क्षेत्र में अधिकतर आबादी अनुसूचित जनजाति की है एवं मेरा क्षेत्र विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। भजन लाल जी की सरकार बनने के बाद मेरे क्षेत्र में निरंतर विकास

की गंगा बह रही है और मेरा मानना है कि आगे भी ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में स्कूलों की बिल्डिंगें काफी पुरानी और जर्जर अवस्था में हैं। हमारे कई गांव माडा क्षेत्र में आते हैं, उनमें हमें स्कूलों में कक्षा-कक्षों की आवश्यकता है। इसके लिये मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की कृपा करें। इसी सम्बन्ध में सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति आबादी के विकास को मद्देनजर रखते हुए विधान सभा क्षेत्र लालसोट के रामगढ़ पचवारा में एकलव्य आवासीय छात्रावास स्वीकृत किये जाने की घोषणा करने की कृपा करें। छोटे-छोटे जनजाति गांव-ढाणियों में बालक-बालिकाओं की शिक्षा हेतु मां-बाड़ी केन्द्र खोलने की घोषणा करने की कृपा करें, ताकि जनजाति वाला आबादी क्षेत्र इससे लाभान्वित हो सके।

सभापति महोदय, आदिवासियों को धर्म में बांटने की हमारे विपक्ष के साथियों की नीति है। इन्होंने एक प्रोपरगेंडा चला रखा था कि आदिवासी हिन्दू नहीं हैं। असली आदिवासी हैं ही हिन्दू। यह तो हमें धर्म में बांटने का इन्होंने एक नया खेल रचा है। जैसे अभी हमारे पिंडवाडा और सागवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें धर्म में नहीं बांट कर, हमारा विकास किया जाये, हमारे क्षेत्र में विकास की एक नई पहल की जाये। हमारे क्षेत्र के आदिवासी भाई शुरू से राजनीति के शिकार होते आये हैं। हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। आदिवासी शुरू से हिन्दू थे और हिन्दू रहेंगे, इसलिए हमें कतई बरगलाने की कोशिश न करें। सभापति महोदय, इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापतिः नेता, प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जी जूली।

msk/rtm/28.02.25/1720/3g

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): ताली बजाने वाले तो बुला लें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यही बात कहने के लिए उठा हूं। चाहे इधर हो, चाहे उधर हो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): ताली बजाने वाले तो बुला लें।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कोई बात नहीं, आप हो तो सही। कल से आप लोग खूब बजा रहे हैं। यह हकीकत है। यही पीड़ा की बात है, चाहे हमारी तरफ हो, चाहे उस तरफ हो, यह भी पूरा दंगल खाली है, पर आज चर्चा एससी, एसटी पर हो रही है। जितने सदस्य, जो मौजूद हैं, वे भी ज्यादातर एससी, एसटी के ही हैं, कुछ हमारे ओबीसी के भी हैं। यही विडंबना है। माननीय सभापति महोदय, आप आसन पर विराज रहे हैं, मैं यहां हूं, चाहे वहां सचेतक महोदय हैं। एससी, एसटी वाले ही बैठे हैं, बाकी तो सब इधर-उधर हैं। यही जो बात है। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्यः दलित के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): भाई, दलित के अन्याय की ही बात कर रहा हूं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपके भरोसे तो कोरम ही पूरा नहीं होता। ये हम ही लोग हैं, जो कोरम बचा रखा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हम लोगों ने ही कोरम बचा रखा है, नहीं तो कोरम नहीं होगा, यह बात सही है।

श्री सभापतिः नेता, प्रतिपक्ष ने दोनों ही पार्टी के लिए कहा है, उन्होंने इनके लिए भी कहा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, उधर से प्रतिपक्ष के सचेतक बार-बार कह रहे हैं कि हमारे भरोसे, हमारे भरोसे। रफीक साहब, यह छत भी आपके भरोसे ही टिकी हुई है। आप बाहर जायेंगे तो गिर जायेगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): छत का तो नहीं पता, पर यह नींव हम लोगों ने ही भरी होगी। क्योंकि जो गरीब वर्ग है, वही मेहनत करके इमारतें खड़ी करता है। माननीय सभापति जी, मैं आज यह बात कहना चाहूंगा। जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसका सबसे प्रमुख बिन्दु भी यही है कि आज हम इस वर्ग के लिए कितना चिंतित हैं, वह हमारी उपस्थिति दर्शाती है और यह हकीकत है कि आजादी के 75 वर्षो के बाद भी सरकारें चाहे कांग्रेस की आयी हों, चाहे बीजेपी की आयी हों, सब लोगों ने प्रयास भी किये हैं, लेकिन जहां तक हमको जाना चाहिए था, वहां हम नहीं पहुंच पाये हैं और हकीकत यह है कि आज भी सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के अन्दर रिजर्वेशन की लड़ाई को ही हम अपने आप में समाज कल्याण की बात को समझते हैं।

सभापति जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज रिजर्वेशन की जो बात है। सरकार ने ऑर्डर दे रखे हैं कि डिपार्टमेंट्स रोस्टर रजिस्टर का संधारण करेंगे, लेकिन कितने डिपार्टमेंट इसकी पालना कर रहे हैं? आज भी हमें रोस्टर रजिस्टर के लिए आवाज उठानी पड़ी है, जो कि नियम है, राजस्थान के अन्दर कानून बन चुका है, लेकिन नहीं हो रहा है। अभी जो भर्तियां निकाली गयी हैं, चाहे हम पटवारी भर्ती की बात करें, चाहे हम कॉलेज लैक्चरर की बात करें और यहां तक कि यूनिवर्सिटीज के अन्दर जो भर्ती हो रही हैं, उनकी बात करें। विद्या संबल की बात करें या प्राचार्य/उप प्राचार्य की बात करें तो क्या हम उन नियमों का पालन करा पा रहे हैं? सभापति जी, नहीं करा पा रहे हैं।

भारत सरकार की एक रिपोर्ट आयी है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है, जिसमें कहा गया है कि यूपी के बाद में राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश, दलित एक्ट्रोसिटी में सबसे आगे है। राजस्थान की स्थिति तो यह है कि एससी, एसटी में प्रदेश में हर महीने तीन दलित और एक आदिवासी की हत्या हो रही है और कई जगह तो हालत और भी खराब है। एससी के मामलों में 43 परसेंट कार्यवाही होती है और एसटी के मामलों में सिर्फ 40 परसेंट कार्यवाही होती है। कहने को यह भी होता है कि मामला असत्य पाया गया, क्योंकि मुकदमा

दर्ज होता है। दर्ज होने के बाद में तुरन्त कार्यवाही हो जाये तो ठीक, नहीं तो जैसे कि सामाजिक परंपरा है, राज़ी-नामे के प्रयास किये जाते हैं। राज़ीनामा कर लें, राजी-राजी कर लें, पूरा समाज आकर बैठ जाता है और राजी-नामा करके उससे लिखवाया जाता है कि मैं इसमें कार्यवाही नहीं चाहता और उसमें एफआर लगती है और यह साबित किया जाता है कि यह मामला गलत है।

इसी प्रकार से अभी 23 तारीख की घटना है कि 200 पुलिस कर्मियों की निगरानी में दलित की बारात निकली है। यह हम अच्छी बात नहीं कह सकते हैं। आज हम जिस सभ्य समाज की बात कर रहे हैं, वहां दलित को ही निकासी निकालने का, अगर घोड़े पर निकासी निकलती है तो उस पर आज भी कुछ लोग एतराज करते हैं। कानून है, कार्यवाही हुई है, आपकी सरकार ने दो सौ लोग भेजे हैं। हो सकता है कि हमारी सरकार के समय भी ऐसी घटनाएं हुई हों। सरकार की तरफ से पुलिस गयी है, लेकिन क्या हम सोच नहीं बदल पा रहे हैं? कारण क्या है, ऐसी स्थिति लगातार क्यों बनती जा रही है? मैं सोचता हूं कि हमें इस दिशा में जरूर सोचना चाहिए। अभी एक रेंजर की हत्या हुई। वन विभाग के रेंजर ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने की कोशिश की, उसको कुचलकर मार दिया गया। आपके बाबू लाल बैरवा कांस्टेबल को डिपार्टमेंट के लोगों ने इतना प्रताड़ित किया कि उसने सुसाइड कर लिया। उदयपुर के अन्दर एक टीचर को तलवार से काट दिया गया। टोंक के अन्दर पुलिस कांस्टेबल ने माफियाओं को रोकने का प्रयास किया, उसको ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया गया। ये छोटी बात नहीं है, यह बात है, मानसिकता की। क्योंकि अगर एस.सी. का आदमी जहां कहीं भी है, उसको आप किस प्रकार से दबा सकते हैं, यह प्राथमिकता रहती है। हमारे डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी हैं, पृथ्वीराज बैरवा था, उसको बर्खास्त कर दिया। मण्डावरी गांव में एक बच्ची थी, उसका अपहरण कर लिया। दलित वर्ग का प्रवीण कुमार उप प्राचार्य था, उसको अपमानित किया गया। पूजा बुनकर एससी की अध्यापिका थी, उनको प्रताड़ित करके निलंबित किया गया। नीम का थाना में विकास अधिकारी ललित कुमार झाड़ली को गबन करने वाले अपराधियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करवाने पर उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि वे अवसाद में आ गये और उन्हें सुसाइड करना पड़ा। पाली में डॉक्टर नरेन्द्र मौर्य के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की। 29 अक्टूबर को भरतपुर जिले में आदित्येंद्र, जो कि प्रयोगशाला सहायक थे, वहीं पर बलराम मंडोरिया, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर के द्वारा जातीय व्यवस्था, दुर्भावना से आधारित रिपोर्ट के आधार पर निलंबित किया गया। सुनील कुमार टीचर हैं, ऐसी मेरे पास काफी लंबी लिस्ट है। पावटा में एक बच्ची थी, छात्र सुनील कुलदीपा को सुसाइड करना पड़ा। ये सारी बातें, मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सारी बातें मानसिकता की हैं। मानसिकता के आधार पर ही ये सारी चीजें चल रही हैं। आज भी जो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है, उनको 47 हजार शिकायतें मिली हैं, इसके खिलाफ। हालत क्या है, राष्ट्र के अनुसूचित आयोग, उसमें भी दो पद आज खाली हैं। यह हमारी सोच दिखाती है कि हम किस

वर्ग के प्रति कितनी सहानुभूति रखते हैं।

हम बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन की। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया, एयरपोर्ट चले गये, बंदरगाह चले गये, हाईवे चले गये, एलआईसी चली गयी, काफी बैंक चले गये। भारत सरकार के जो बड़े उपक्रम हैं, गेल इण्डिया, भेल इण्डिया जैसे, वे सब प्राइवेट हाथों के अन्दर चले गये। वहां जो रिजर्वेशन मिलना था, वहां जो नौकरी मिलनी थी, वह चाहे एससी की हो, एसटी की हो, ओबीसी की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, सारी खतम हो गयीं। ऐसा बड़ा नुकसान हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मैं भी इस डिपार्टमेंट का मंत्री रहा हूं। पेंशन की बार-बार चर्चा आती है। जब हमारी सरकार आयी तब 50 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, खर्रा साहब। पांच साल के अन्दर हमने इसको बढ़ाने का काम किया। पहले 500 मिलती थी, उसमें कंडीशन ऐसी थी, जो लोग पूरी नहीं कर पाते थे, हमने वह सहूलियत दी। 500 से हमने 750 की। 750 से हमने 1000 की और उसके बाद इसकी कंडीशन काफी सरल की, जिससे यह 50 लाख से बढ़कर 94 लाख आयी। अब यह तो कम से कम समय पर मिलनी चाहिए। आपने खुद आज माना।

mdp/rtm/28.02.2025/17:30/3h

पालनहार है, वसुन्धरा जी ने शुरू की थी, संसदीय कार्यमंत्री महोदय, वसुन्धरा जी ने। 348 से शुरूआत हुई थी, आज 6 लाख से ऊपर पहुंची है। पिछले 5 वर्षों में 3 लाख से 6 लाख हुई है, यानी कि लगभग दोगुना इसके अन्दर बढ़ोतरी हुई। हमारा प्रयास था कि इसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उनको फायदा मिले। ये समाज कल्याण की योजनाएं हैं, इनका लाभ मिलना चाहिए गरीब को। आज पालनहार के पैसे, हम जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि बैंको का मर्जर हो गया, कोई बैंक का मर्जर ही नहीं हुआ। ब्रांच वगैरह जरूर कोई इधर से उधर हो जाती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के अन्दर जो गैप आ रहा है, उसको हमें समझने की जरूरत है। यह बात मैं कहना चाहूंगा।

शहरी रोजगार गारंटी, गरीब लोगों के लिए थी कि ग्रामीण में जो काम कर सकता है, वह शहर में भी काम कर ले। उस योजना को बंद करने का काम हम धीरे-धीरे उसका बजट घटाते आ रहे हैं, मुझको लग रहा है कि जोगाराम जी का जिस प्रकार से इनका चेहरा नजर आ रहा है, तो अगले बजट तक ये इसको धीरे-धीरे खतम करने का काम करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन का फायदा तो उठाओ। ई.डब्ल्यू.एस. के अन्दर, जब राजस्थान सरकार ने, हमारी सरकार ने जितनी संपत्ति की और उसकी जो फिक्स इनकम है, उन सबके अन्दर सहूलियत देते हुए मात्र 8 लाख रुपये उसकी आय पर इसको रखा था, बाकी जितनी भी संपत्ति की इनकम थी, वह हमने हटा दी थी। उसके आधार पर हमने ई.डब्ल्यू.एस. का सर्टिफिकेट जारी किया था। उसका फायदा पूरे राजस्थान के ई.डब्ल्यू.एस. को मिला। वह सर्टिफिकेट ई.डब्ल्यू.एस. का अगर हम राष्ट्रीय स्तर का बनवाएंगे, भारत सरकार का बनवाएंगे तो वह प्रमाण पत्र के अन्दर छूट नहीं है। यह

करने का काम है। आप कीजिए। डबल इंजन का फायदा उठाइए ताकि राजस्थान के लोगों को इसके अन्दर छूट मिले।

आपने 6-7 घोषणाएं, घोषणा पत्र के अन्दर एस.सी. के लिए की थी, कुछ आपने एस.टी. के लिए की थी। आप जरा बता देना सवा साल के अन्दर एस.सी./एस.टी. की आपके घोषणा पत्र के अन्दर जो स्कीम है, जो माननीय मुख्य मंत्री जी 58 परसेंट कह रहे हैं, इस 58 परसेंट में इन एस.सी./एस.टी. वालों का कितना नंबर आया। यह जरूर मंत्री जी जब बोलें तो बताएं। आपने यह भी कहा था कि हमारी सरकार आते ही एस.सी./एस.टी. के जो पद हैं, उनको सभी पदों को हम शीघ्रता से भरेंगे। मेरे को लगता नहीं शीघ्रता से भरने की कोई कवायद आपने शुरू भी की हो। कोई बेकलॉग हमारा पडा हो, उसको शुरू करने की आपने बात की हो। मेरे को यह बात नजर नहीं आती है। इसी प्रकार से एक मेरा संशय है जो मैं माननीय मंत्री जी आपसे पूछना चाहूंगा जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है या पी.एम.यशस्वी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति ओ.बी.सी./ई.डब्ल्यू.एस./डी.एन.टी. की है या जो छात्रावास में बच्चे रह रहे हैं, इसमें एक दिक्कत जो आपने हमें वार्षिक प्रतिवेदन दिया है, उसमें जो मेरे सामने आयी है, आपने 2023-24 के अन्दर बताया है 3300 करोड़ का खर्चा हुआ है और लाभान्वित हुए हैं 35 हजार 763 बच्चे। वर्ष 2024-25 में आपने बताया है कि 1340 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है और लाभान्वित हुए हैं 13 हजार 450 बच्चे। ये अंतर क्यों है?

इसी प्रकार से आपने हॉस्टल के अन्दर जो बच्चे रह रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा 2023-24 में आपने व्यय किया है 16 हजार 782 लाख रुपये और लाभान्वित हुए हैं 35 हजार 895, 2024-25 में आपने व्यय किया है 13 हजार 341 लाख और लाभान्वित हुए हैं 36 हजार 245 लाख, यानी कि जब आप 16 हजार 782 व्यय कर रहे हैं, तब तो लाभान्वित हो रहे हैं 35 हजार और जब घटकर 13 हजार 341 व्यय कर रहे हैं तो लाभान्वित हो रहे हैं 36 हजार 245, ये चीज मेरी समझ में नहीं आयी। इसी प्रकार से पेंशन में भी आप बता दीजिए, 2023-24 के अन्दर आप 24 हजार 220 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और लाभान्वित कर रहे हैं 8 लाख 26 हजार 012 और वर्ष 2024-25 में आप 1 लाख 79 हजार 634.78 राशि आप व्यय कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं 8 लाख 48 हजार 154, ये अंतर क्यों है? लाभान्वित कम, राशि ज्यादा या लाभान्वित ज्यादा, राशि कम। ये गणित मेरी समझ से बाहर है।

आपने आज बात कही स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप के बारे में आपने जो बड़े प्रयासों से माननीय मुख्य मंत्री जी का लैटर लिखवाया, उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन वह लैटर मैं भी लिख चुका हूं, गहलोत साहब भी लिख चुके हैं। यह बात तो आपने बताई नहीं। हमारी भी बता दिया करो थोड़ी-थोड़ी, और चीजों में तो आप बता देते हैं कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, लेकिन यह सही है कि गलती न आपकी है, न मेरी है। भारत सरकार स्कॉलरशिप के पैसे नहीं दे रही है। काफी डिले चल रहा है। हमारे समय में भी अधिकारियों ने लगातार सम्पर्क किया और एस.सी./एस.टी. की तो उधार चल रही है और ओ.बी.सी. की

तो कांटा ही मारा दिया कि हम नहीं देंगे। यह भारत सरकार ने किया है। आप लोगों का कोई दोष नहीं है। मैंने भी खूब प्रयास इसके लिए किये, लेकिन यह चीज संभव नहीं हो पायी।

(समय बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

दूसरा, जो स्कूटी, स्कूटी योजना चूंकि चलाता तो कॉलेज शिक्षा विभाग है, लेकिन पैसे समाज कल्याण से जाते हैं। वह स्कूटी काफी समय से रखी है। यानी, लिस्ट में नाम भी आ गया बच्चियों का, आपने उनको अलॉट भी कर दिया कि इन-इन बच्चियों को स्कूटी मिलेगी। स्कूटी भी खड़ी है, फिर दे क्यों नहीं रहे? वह स्कूटी आप जल्दी दिलाने का काम कीजिए। इसी प्रकार से अगर सरकारी कर्मचारी कोई है, हमारे एक प्रिंसिपल हैं अनिल कुमार, जो कि सकतपुरा, बावत, जो अब जिला हमारा खैरथल, भिवाड़ी के अन्दर आता है, मुंडावर के अन्दर है। अभी उसका मुकदमा दर्ज हुआ है, सीसीटीवी रिकॉर्ड है, लेकिन कोई कार्यवाही उसके अन्दर नहीं हो रही है। यह बात मैं कहना चाहूंगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने कहा था कि सामाजिक समानता आना ही मुख्य तौर पर आरक्षण का सही मायने में सच्चा अर्थ है। आज जो आप चेंज देखेंगे कि भारत की प्रोपर्टी कितने लोगों के हाथ में हैं तो आपको यह महसूस होगा कि वाकई में इसके अन्दर काफी चेंज हुआ है। आज एक रिपोर्ट आयी है कि देश के 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके पास सिर्फ जरूरी सामान खरीदने के अलावा कोई पैसा नहीं है। ब्लूम वेंचर्स की यह रिपोर्ट आयी है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): किसकी रिपोर्ट है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट है। आप जाकर पूछेंगे तब पता चलेगा, आपको पता नहीं यह कौनसी है। आज देश के अन्दर जो सामाजिक असमानता की बात है। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय आय का 57.7 परसेंट का हिस्सा 10 परसेंट लोगों के पास है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सेम पित्रोदा जी की तो नहीं है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जो सबसे अमीर देश के हैं, उनके पास है। आबादी की हिस्सेदारी 15 परसेंट है। मिडिल क्लास की बचत 50 साल में सबसे कम है आज के समय में। ये मिडिल क्लास और गरीब को कहां ले जाकर छोड़ेंगे ये तो बताइए? ये सामाजिक असमानता कब खतम होगी, इसके बारे में बताइए, माननीय मंत्री महोदय। नौकरीपेशा लोगों की आय भी दस साल से ठहरी हुई है। ये रिपोर्ट बता रही है। उनकी आय भी ठहरी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से देश के अन्दर जो मॉडल आ गया, उस मॉडल से इनका समाधान होना, मैं समझता हूं मुश्किल है। मैं जब समाज कल्याण मिनिस्टर था, तब मैंने दो लाइनें यहीं पर कही थी। आज मैं वापस वे दो लाइनें दोहराना चाहूंगा-

हर सामाजिक समस्या का समाधान बन जाऊं,

जरूरतमंदों की जरूरत का सामान बन जाऊं,
बनके नेता नेतागिरी करने का शौक है नहीं मुझे,
चाहत है समाज सेवा का दूसरा नाम बन जाऊं।
बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल खराड़ी, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): सभापति महोदय, आज दिल की भावना से बोले, यह बात तो सही है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय। आप विराजिए।

Ans/rtm 17.40 3j 28.02.2025

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय जी, आज जैसा कि नेता, प्रतिपक्ष ने कहा एक महत्वपूर्ण विभाग है, जनजाति विभाग और अनुसूचित जाति विभाग, दो विभागों की डिमांड थी। जनजाति इसलिए महत्वपूर्ण है कि सदियों से उपेक्षित रहा, अपेक्षित रहा। सभी माननीय सदस्यों ने इस मांग में भाग लिया, आप सबके बहुमूल्य सुझाव आये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30 – जनजाति क्षेत्रीय विकास व

मांग संख्या 31 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर विचार

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आपके सकारात्मक विचार आये। उन विधायकगणों को मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जनजाति विभाग से सम्बन्धित समस्त मुद्दों पर सदन में सार्थक चर्चा हुई। इस चर्चा से प्राप्त सुझावों को जनजाति विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के समय ध्यान रखा जायेगा। जिन माननीय सदस्यों के कट मोशन हमारे पास आये, उनके उत्तर समय पर उनके पास भेज दिये जाएंगे।

सभापति महोदय जी, संकल्प पत्र में उल्लिखित जनजाति कल्याण भावना के क्रम में हमारी सरकार आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित है और उसको पूरा करेंगे। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, माडा क्लस्टर, बिखरी जनजाति क्षेत्र, सहरिया आदिम जाति, पांच वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, उसी को

आधार मानकर यह विभाग उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करता है।

सभापति महोदय जी, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कहीं, जनजाति गौरव दिवस, आपको जैसा विदित है कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में मनाये जाने वाले समारोह के तहत, आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवम्बर को जनजाति गौरव दिवस मनाएंगे। मैं प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूं कि लंबे समय तक देश आजाद होने के बाद आप सत्ता में रहे। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने ठीक कहा था कि आदिवासी और अनुसूचित जाति, दोनों ही समुदाय को आपने वोट बैंक के रूप में उपयोग किया, लेकिन किया कुछ भी नहीं।

सभापति महोदय जी, आदिवासी समाज का इस देश के प्रति क्या योगदान रहा है, इसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। चूंकि यह विभाग की मांग से अलग है लेकिन मैं यह बताना बहुत आवश्यक समझता हूं, इसलिए आवश्यक समझता हूं कि आदिवासी समाज अनपढ़ था, पढ़ालिखा नहीं था, लेकिन इस देश की आजादी के लिए, इस मातृ भूमि की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूति दी है।

सभापति महोदय जी, मैं कुछ महापुरुषों का जिक्र करना चाहूंगा। धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवम्बर, 1875 को उलिहातु खूंटी झारखंड में हुआ था। यह मुंडा जाति से थे। इनकी शिक्षा-दीक्षा मिशनरी स्कूल में हुई थी। बुर्जू मिशन स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पाई। इससे आगे पढ़ाई करने के लिए चाईबासा के लूथरन मिशन स्कूल में दाखिला लिया। वहां दाखिला लिया तो उन लोगों ने भगवान की बिरसा मुंडा की शिखा काटी। यह मैंने पिछली बार भी कहा था। कुछ लोगों को शिखा का पता भी नहीं है कि शिखा क्या होती है। शिखा यानी चोटी। ...(व्यवधान)... शायद आपको ज्ञान थोड़ा ज्यादा है लेकिन आप वैसा करते नहीं है, आप थोड़ा सा उलटा चलते हो। उनकी शिखा काटी गई। उनके मन को ठेस पहुंची। मेरी संस्कृति का प्रतीक है, मेरे धर्म पर संकट है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। बिरसा ने ईसाइयों के षड्यंत्र को भांप लिया। बिरसा मुंडा ने युवकों का संगठन बनाकर, सामाजिक सुधारों और राजनीतिक शोषण के विरूद्ध लोगों को जागरूक किया। 1893 में सी भूमि, मानभूमि, पलामो अन्य क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि को दुष्ट अँग्रेज़ों की सरकार ने वन अधिनियम के तहत एक कानून बनाया। कानून बनाकर आरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र घोषित किया, जिसके अंतर्गत वहां के आदिवासियों का विस्थापन भी होना था, इसको देखकर वह और ज्यादा आक्रोशित हुए। अंग्रेज सरकार की किसी भी कीमत पर, बिरसा की क्रांति को कुचलने का आदेश दिया। उन्होंने सब लोगों को जागरूक करके अँग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 03 फरवरी गुप्त भेदियों की मदद से बंदगांव में उन्हें पकड़ लिया गया, उनके हथकड़ियां लगा दीं और रांची की जेल में ले गये। रांची की जेल में रहस्यमय तरीके से बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो गई। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने उस बिरसा मुंडा की कभी चिंता नहीं की। बिरसा मुंडा की जयंती पर...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): कागज गुम गया।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कागज मैं निकाल रहा हूं ना।

...(व्यवधान)...

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसे ही बता दो आप। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: शांत रहे।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): चलो मैं ऐसे ही बोल देता हूं। बाद में इसका आपके सामने और ज्यादा जिक्र करूंगा। ...(व्यवधान)...

इसके बाद मैं दूसरे महापुरुष की बात करता हूं। भील बालक दुद्धा, इसका इतिहास भी है। इन महापुरुषों को इतिहास में लाने का किसी ने प्रयास नहीं किया, इसलिए मैं जिक्र करना चाहता हूं। पूंगा की पहाड़ी, जन्म भील जाति में। दुद्धा भील देशभक्त और महाराणा प्रताप के प्रति समर्पण की अनूठी मिसाल हैं। पूंगा की पहाड़ी बस्ती में महाराणा प्रताप रुके हुए थे, क्योंकि अंग्रेज से आक्रमण के बाद एक अज्ञातवास में थे। जब पूंगा की पहाड़ी में रुके हुए थे तो उस गांव के आस-पास के आदिवासी महाराणा प्रताप को बारी-बारी से खाना पहुंचाते थे। एक बार दुद्धा भील का नम्बर आया। उनके पिता जी नहीं थे, माता विधवा थी। जब उनका नम्बर आया तो उनके घर में अन्न का दाना नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए वह दूसरे घरों से आटा मांगकर लाई और रोटी बनाकर दुद्धा भील को कहा कि यह रोटी लेकर जाओ और महाराणा प्रताप तक पहुंचाना। उस समय दुद्धा भील 12 साल का बालक था, यह मुगलों के समय की बात है। वह बालक रोटी लेकर चलता है। जंगल की ओर बढ़ता है तो वहां घेरा बनाकर अकबर की सेना के जवान थे, उन्होंने उस बालक को देखा।

VPS-RTM-28.02.2025-17.50-3k

बालक को आवाज लगायी कि रुको, बालक रुका नहीं और उसने गति बढ़ा दी। गति बढ़ा तो उन मुगल सैनिकों को यह शंका हुई तो शंका होने के बाद और आवाज लगायी। वह तेज गति से चलता गया, वे पीछे दौड़ते गये सैनिक और उसने गति बढ़ा दी। दौड़ते-दौड़ते उसकी गति के सामने वे पीछा नहीं कर पाये और एक पत्थर से टकरा कर सैनिक नीचे, अकबर का सैनिक नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो गुस्से में उसने तलवार निकाली और तलवार निकालने के बाद में तलवार जैसे ही मारी तो उसकी हाथ की कलाई कट गयी। हाथ की कलाई कटने के बाद वह बालक दौड़ता हुआ जाता है। रोटी नहीं छोड़ी है और जाकर जिस गुफा में महाराणा प्रताप ठहरे हुए थे, वहां पहुंचकर नीचे गिर गया और उसने महाराणा करके आवाज लगायी, महाराणा ने आवाज सुनी, वे बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद में वे यह देखते हैं उसकी हालत और उसका सिर अपनी गोद में लेकर यह पूछते हैं, उन्होंने कहा कि यह रोटी लो, तो उन्होंने कहा कि यह हालत आपकी हुई है, आपका जीवन संकट में डालने की क्या जरूरत थी? अब वह बालक क्या बोलता है? बेहोश बालक यह कहता है कि महाराणा, यह रोटियां लीजिए। महाराणा प्रताप के आंखों में आंसू फूट पड़े, वे बस इतना ही

कह सके कि बेटा, तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की कहां पर जरूरत थी? वीर दूद्धा ने यह कहा कि अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं।

(समय: बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

मां कहती है कि आप चाहते तो अकबर से समझौता करके आराम से रह सकते थे पर आपने धर्म, संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। यह वीर दूद्धा थे।

दूसरा, ये दो-तीन ही हैं, ज्यादा नहीं हैं, फिर इसके बाद में मेरे उस पर आऊंगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज भी हमने एक आदिवासी को इतिहास में नहीं लाये, उनका इतिहास में योगदान देश के प्रति क्या था, इसलिए यह आवश्यक है, इसलिए मैं यह बताना चाह रहा हूं। तिलक मांझी। ...(व्यवधान)... हां, तिलका मांझी, थोड़ा सा आंखों के चश्मे का थोड़ा चक्कर है। तिलका मांझी, यह संथाल जाति से था। जनजाति नायक तिलका मांझी ने, इन्होंने 1770 के बाद अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध भागलपुर क्षेत्र में तीर कमान उठा लिये थे। इन्होंने सर्वप्रथम संथालों को अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के बारे में बताया। संथाल व अन्य लोगों के साथ मिलकर युद्ध अभियान छेड़ा एवं कर वसूली के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उन्होंने संथाल क्रांति का नेतृत्व किया और 1784 में एक विशाल संग्राम का नेतृत्व करते हुए वे पकड़े गये। 13 जनवरी, 1785 को भागलपुर चौराहे पर एक बरगद के पेड़ से लटका कर इनको फांसी दी गयी। 1857 की क्रांति तो बाद में हुई थी, 1857 की क्रांति से पहले ही इस आदिवासी महापुरुष ने इस तरह का आंदोलन किया था।

तीसरा एक यह है कि टांटिया भील, आजकल कुछ लोग टांटिया भील की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन टांटिया भील का विचार क्या था, टंट्या, उसका विचार क्या था, उसको हम समाज के सामने नहीं लाते हैं। टंट्या भील जनजाति नायक एक ऐसे व्यक्ति थे जो वन में जन्म लेकर के अभाव और अशिक्षा से जूझते हुए अपनी इच्छा शक्ति, संकल्प से शोषण और अन्याय के विरुद्ध असाधारण आंदोलन छेड़ कर सम्पूर्ण समाज में छा गये। बच्चे उन्हें मामा के नाम से भी पुकारते थे। 1857 की लड़ाई को सुदूर वन प्रांतों और उनके समीप बसे गांवों तक ले जाने का श्रेय टंट्या भील को ही जाता है। उस काल में 1857 की क्रांति के महानायक तात्या टोपे की टंट्या भील से कई बार मुलाकतें हुईं। अंग्रेज पुलिस ने टंट्या को मुंहबोली बहिन के पति गद्दार गणपत के साथ साजिश करके राखी के दिन धोखे से टंट्या को पकड़ लिया और 04 दिसम्बर, 1889 को वीर टंट्या को फांसी दे दी गयी। अब इस प्रकार के महापुरुष एक नहीं, 80 से ज्यादा महापुरुष हैं जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया है। मैं इतिहास बता रहा था। ...(व्यवधान)...

माननीय सभापति महोदय, सॉरी, अध्यक्ष महोदयजी। एक नम्बर का पेज कहां गया? सभापति महोदयजी, नवाचार हमारे विभाग के। अध्यक्ष महोदयजी, दो बार मैं रिपीट करूंगा तो ठीक हो जायेगा। ...(व्यवधान)...

संचार सेतु स्थापना। यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा गैर वित्तीय कार्यक्रम के तहत टी.आर.आई. परिसर में संचार सेतु की स्थापना की गयी ताकि विभाग के छात्रावासों के बालक बालिकाओं को वर्चुअल शिक्षा, प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया जा सके, इसी क्रम के अंतर्गत जनजाति विद्यार्थियों को उदयपुर एवं जोधपुर के उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों यथा- आई.आई.एम., आई.आई.टी., एम्स, कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सहित आदि केन्द्रों का भ्रमण करवाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्र के बालकों ने अच्छे संस्थानों को कभी देखा नहीं होगा। वहां की शिक्षा कैसी होती है, वहां किस प्रकार का वातावरण है इसलिए भ्रमण करवाया गया कि वह बच्चा वहां जाकर उसका माहौल देखेगा और वहां की शिक्षा को देखेगा, वहां के स्तर को देखेगा तो उस बच्चे का मनोबल बढ़ेगा कि मुझे भी आगे बढ़ना है इसलिए वह उस प्रकार की तैयारी करने के लिए उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम था।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): आप उनका वहां पर एडमिशन भी करवाओ।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): क्या?

श्री अध्यक्ष: आप तो अपना बोलो।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): हां। अगर योग्य बच्चे निकलेंगे तो निश्चित रूप से एडमिशन भी कराएंगे।

नवीन अमृत कलश योजना, हमारे विभाग द्वारा अमृत कलश योजना प्रारंभ की गयी जिसमें सी.एस.आर. के तहत धनराशि प्राप्त कर विकास कार्य करवाये जाएंगे। इस योजना में विभिन्न संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, नवीन सुविधाओं, विकास कार्य, स्मार्ट क्लास रूम, आर.ओ., खिलाड़ियों के लिए खेल सुविधाएं, खेल आदि से सम्बन्धित कार्य करवाये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.एस.आर. का बहुत बड़ा फंड है और वह फंड कई बार उद्योगपति अपनी इच्छा से कहीं भी खर्च करके यह बता देता है कि जितना मुझे दो परसेंट खर्च करना था, वह मैंने खर्च कर दिया। अब हमारी मंशा यह है कि हम इस योजना के अंतर्गत हम यह बताएंगे कि हमारा हॉस्टल यहां पर ठीक नहीं है। यहां पर हमें आर.ओ. लगाना है, यहां पर हमें उनके टॉयलेट ठीक करवाने हैं, यहां हमें रिपेयरिंग करवानी है ताकि वह पैसा ठीक जगह पर जहां आवश्यक है, वहां पर लगे। इस प्रकार की इस योजना के माध्यम से हम इसको करेंगे, विभाग को इसका लाभ मिलेगा, उस क्षेत्र के बालाकों को भी लाभ मिलेगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय मंत्रीजी, बजट तो आपका आना नहीं है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं उस पर भी आऊंगा, आप चिंता मत करो। बजट आयेगा। बजट आ रहा है।

जनजाति डिजाइन स्टूडियो बनफूल, अध्यक्ष महोदय, विभाग के माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में जनजाति डिजाइन स्टूडियो बनफूल स्थापित किया गया जिसका उद्देश्य यह है कि जनजाति कलाकारों द्वारा तैयार किया गया

बाला पेंटिंग, सजावटी सामान कलाकृतियां, परंपरागत डिजाइन एवं जनजाति समृद्धि और जीवंत सांस्कृतिक एवं कला के संरक्षण एवं संवर्धन बनफूल स्टोडियो द्वारा चयनित जनजाति कलाकारों की कलाकृतियों का राष्ट्रीय प्रदर्शनियों एवं कार्यक्रमों में प्रदर्शन एवं विक्रय किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो अच्छी-अच्छी कलाकृतियां बनाते हैं, अच्छी-अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। वे कलाकार धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है, हमारी कलाकृतियां लुप्त होती जा रही हैं, इसलिए हमारे विभाग ने यह नवाचार किया कि हम उनको एक प्लेटफार्म दें। ये जो भी कलाकृतियां बनाते हैं उनको हमारा विभाग मार्केट उपलब्ध करवाता है, चाहे वह राज्य स्तर पर हो, जिले स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो।

ssy/rtm/28.02.2025/18.00/3l

इस प्रकार के मेलों का आयोजन करके, उनके द्वारा बनाये गये भिति चित्र हैं, कलाकृतियां हैं, उन सारी चीजों का वहां प्रदर्शन होता है, लोग उनको देखते हैं, उनको लेते हैं। उनको मार्केट उपलब्ध होता है। उनकी आजीविका तो चलती ही चलती है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, वह जिंदा रहे क्योंकि आपने देखा होगा हमारे कई कलाकार जिन्होंने धीरे-धीरे सामान बनाना बंद कर दिया। वह चीजें धीरे-धीरे खत्म हो गई। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी की मंशा है कि विकास भी और विरासत भी, दोनों चीजें जिंदा रहनी चाहिए। इस कदम को हम आगे बढ़ा रहे हैं।

मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि हाल ही में लैक्रोस खेल में हमारी जनजाति बालक, बालिकाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समरकंद, उजबेकिस्तान में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया तथा प्रथम बार में ही रजत पदक हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा टीम की कप्तान सुनीता मीणा को आदि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया।

अध्यक्ष महोदय, इस खेल को कोई जानता नहीं था। जब पहली बार बच्चियां मुझे मिली तो मैंने कहा कि यह खेल क्या है, तो वह अपने खेलने के सारे सामान भी लेकर आईं थी। इस खेल का हमारे नेशनल गेम की नीति में कहीं नहीं था। हमारी स्टेट नीति में भी नहीं था। उनको उजबेकिस्तान जाना था। मैंने और मेरे विभाग के अधिकारियों ने प्रयास किया। हमने कहा कि यह बच्चियां जा रही हैं, इनके 10 लाख का खर्चा है। हमने सीएसआर फंड से 10 लाख रुपये उनको उपलब्ध करवाकर के भेजा। उन बच्चियों ने अंतरराष्ट्रीय गेम में भारत का नाम रोशन किया और सेकण्ड स्थान प्राप्त किया। यह हमारा गौरव है।

हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय लैक्रोस प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम सीनियर वर्ग में, महिला एवं पुरुष वर्ग के राष्ट्रीय विजेता एवं जूनियर वर्ग के बालक, बालिका वर्ग में उप विजेता रही।

अध्यक्ष महोदय जी, अभी कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि कैडर बनाओ, कैडर बनाओ। पिछली सरकार ने पहल भी की थी। नेता, प्रतिपक्ष आप मंत्री थे, आप तो कैडर बना नहीं पाये, हमारी सरकार ने इस कैडर को बना दिया। विभाग के छात्रावासों में नियुक्त अधीक्षकों के कैडर निर्माण, गठन हेतु छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड सेकण्ड व छात्रावास अधीक्षक पुरुष ग्रेड सेकण्ड के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 से राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा समान पात्र परीक्षा नियम, 2022 में शामिल कर दिया गया है।

अब यह 470 हमारे हॉस्टल हैं। यह माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इनसे हम उधार मांगते थे। मैंने भी कई बार इस सदन में खड़े होकर कहा था कि हम उधार लेते हैं। कब तक यह चलायेंगे? हमारा कैडर होगा तो हम कम से कम कुछ गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकेंगे। क्योंकि हम जब इनसे उधार लेते हैं, मांगते हैं, यह दे देते हैं। इनकी भलमनसाहत है। ये दे देते हैं। इनका अहसान है। जब कुछ गड़बड़ करता है तो हम कार्यवाही नहीं कर पाते। हम उनको विभाग में भेज देते थे। यह कार्यवाही करें नहीं करें, इनकी मर्जी पर है।

इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए हमने कैडर बना दिया। अब परीक्षा कार्मिक विभाग को करवानी है। परीक्षा कराकर के बहुत जल्दी वार्डन आयेंगे, हमारा कैडर काम करेगा तो हमारे हॉस्टल्स को भी हम सुव्यवस्थित कर पायेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): इसके लिए जूली साहब आपको धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): हां। वह तो अच्छे व्यक्ति हैं।

ई फाइलिंग प्रणाली, अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग काम तो कर रहे थे लेकिन फाइल चलती ना तो वह अटक-अटककर चलती। कहां कितने दिन रही, कहां कितने दिन रही, कोई अता-पता लगता भी नहीं था। कई अधिकारी तो ऐसे होते थे जो महीनों, महीनों तक फाइल पटक देते थे तो उसको देखने वाला कोई धणी-धोरी भी नहीं होता था, मॉनिटरिंग भी नहीं करता था। फिर हमारा काम सफर करता। हमारी सरकार ने सब जगह ई फाइलिंग कर दी। इससे जो काम में तेजी आई है, यह आपने देखा होगा, आपको ज्यादा जानकारी होगी। निश्चित रूप से हमारा फाइल रुकने का परसेंटेज कम हुआ है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): ई फाइल तो हमने ही शुरू कर दी थी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप कह रहे थे, ये कर पाये हैं। इफेक्टिव कर रहे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हमने शुरू की थी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपने देखा नहीं देखा?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कार्यालयों में कार्य की गति को बढ़ाने के उद्देश्य से विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में हुआ।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मंत्री भी भले ही कद में थोड़े छोटे होंगे लेकिन काम में बहुत बड़े हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): कद से थोड़े ही नापा जाता है।

श्री अध्यक्ष: हमारे मंत्री भी सक्षम हैं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): ई फाइल को पूर्ण रूप से लागू किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में पत्रावलियों का त्वरित गति से निस्तारण संभव हो पा रहा है। विभाग में निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग हेतु भी वर्कर्स मानिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। अभी यह भी हमने लागू किया है ताकि जो काम चल रहे हैं, होता क्या है कि काम सैंक्शन हो गया, काम चालू भी हो गया लेकिन बरसों तक काम वहीं अटका रहता है। इसके कारण से काम समय पर पूरा हो, यह हम मानिटरिंग कर पायेंगे। इससे जब सरकार का पैसा लगता है, पैसे का समय पर उपयोग नहीं होता है। जब उसकी बीएसआर बढ़ जाती है तो फिर कहते हैं कि और पैसा दो, तो यह सरकार के पैसे का मिसयूज होता है, इसके लिए यह अच्छा है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): घोषणा कर दो। नई घोषणा कर दो।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अब यह पूरा तो करने दो। आपको जल्दी हो तो मैं रोक लूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ऐसी घोषणाएं करो कि इन सबको खुशी हो जाये और जल्दी चले जायें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): हां, हां।

श्री अध्यक्ष: आज वैसे इतने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं कि 40 लोग भी नहीं हैं।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नहीं, नहीं, संख्या पूरी है।

श्री अध्यक्ष: हां पक्ष में भी नहीं हैं, ना पक्ष में भी नहीं हैं ...(व्यवधान)... ना में तो 8-10 लोग बैठे हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, आज तो दिन में स्थिति यह थी कि कोरम भी पूरा नहीं होता अगर हम लोग नहीं होते तो।

श्री अध्यक्ष: अब तो पूरा है। इधर तो पूरा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप नहीं होते तो हमको अच्छा भी नहीं लगता, आप हैं तो हमको अच्छा लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरम पूरा है। दिन को भी पूरा था, अभी भी पूरा है, आगे भी पूरा रहेगा। मंत्री जी के विभाग की उपलब्धियां देखो आप। हां, उसको देखो आप। बाकी इधर मत देखो आप।

श्री अध्यक्ष: आज सबको जाना है तो आप दोनों मंत्री भी जल्दी कर लो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आने दो, साहब।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, आपने ही कहा था कि पिछली बजट घोषणाओं का क्या हुआ? अब इसको थोड़ा सा सुन लेना।

हमारी सरकार द्वारा गत बजट में विभाग से सम्बन्धित 20 घोषणाएं में से 4 घोषणाएं

तो पूर्ण कर लीं, 16 घोषणाएं प्रगतिरत हैं। अभी काम चल रहा है, जिसको पूरा करेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): क्या बात है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, मंत्री जी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप भी विभाग के मंत्री रहे हैं। आप भी बता देना।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, उनको जल्दी खत्म करो। आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सीताबाड़ी, कमलनाथ, जावर माता, यह हमारे आस्था के केन्द्र हैं। अध्यक्ष महोदय जी, इनके कामों की, सीताबाड़ी की तो 500.73 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई। कमल नाथ देव की 550 लाख रुपये की और जावर माता के 579.85 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है।

एक मैं इसमें थोड़ा-सा लोक महत्व क्या है, यह बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सीताबाड़ी, सीता माता को निर्वासन हुआ था। भगवान राम ने अग्नि परीक्षा हुई, सारी होने के बाद में जब लंका से लेकर आये थे, तब उनको शंका थोड़ी कुछ हुई तो वह अलग प्रकार का इश्यू है, उसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब निर्वासन हुआ था तो वह हमारे वाल्मीकि आश्रम में रुक गईं। वहां रहीं और वहां पर लव और कुश का जन्म हुआ। यह इसका लोक महत्व है। इसलिए हमारे देश के प्रधान मंत्री ने कहा कि विरासत जिंदा रहनी चाहिए और विकास भी, दोनों काम साथ चलने चाहिंए। इसलिए इन कामों का विकास भी हम लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार कर रही है।

कमलनाथ का आपने तो सुना ही है। पिछली बार मैंने जिक्र किया था। इसके लिए उस समय के शिक्षा मंत्री ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि हम इसको करेंगे। लेकिन आप तो कर नहीं पाये, लेकिन इस काम को भी हमने पूरा किया, हमारी सरकार ने पूरा किया। कमलनाथ में रावण ने तपस्या की। बात को जरा छोटा ही करुंगा। वहां पर 108 कमल के फूल चढ़ाते थे। यहां एक कमल तलाई है, जो वहां से 5-6 किलोमीटर दूर है। सुलतान जगह खैरवाड़ा में एक पंचायत है। वहां से वह 108 कमल जाकर के शिवजी को चढ़ाते थे। एक दिन एक फूल कम पड़ गया तो उसने अपना माथा काटकर के फूल की जगह चढ़ाया। दशानन का वरदान वहां पर रावण को मिला था। यह लोक महत्व है।

spp/rtm/28.02.2025/18.10/3m

आज भी वहां पर लोगों का एक हरिद्वार है उसमें वह अपनी अस्थियां विसर्जन करते हैं। उसका एक और महत्व है, उस क्षेत्र के लोग वहां पर बहुत बड़ी पहाड़ी है, वहां पर होली सबसे पहले जलेगी उसके बाद में पूरे झाडोल के क्षेत्रवासी अपनी होली जलाएंगे। यह लोक महत्व है। इसलिये इस क्षेत्र के लिये भी हम यह पैसा देकर काम कर रहे हैं।

अब डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य तो भाषण देकर चले जाते हैं, सुनते ही नहीं हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था जब भाषण में कुछ आरोप लगाते हैं तो कम से कम रुको।

मैंने उनकी बात लिखी भी है यहां पर।

श्री थावर चन्द (धरियावद): पिछली बार जो डूंगरबरंडा, बासिया, सरपोटा काली बाई की, वह पूरी हुई या नहीं?

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): वह मैं बता रहा हूं, सुनो। अब उससे आपको मतलब ही क्या? आप तो विरासत को समझते ही नहीं, देखते ही नहीं, फिर क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष: सोमवार को प्रश्न काल होगा, पूछ लेना।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): डूंगरबरंडा, बाछिया चरपटा, स्मारक बनाना तथा वीर कालीबाई संग्रहालय का निर्माण, हमारे महापुरुषों और महानायकों को उचित सम्मान देने हेतु सरकार दृढ़संकल्पित है। जनजाति नायकों को उचित स्थान दिलाने के लिये हमने गत बजट में डूंगरबरंडा, बासिया चरपोटा स्मारक बनाने, वीर कालीबाई का संग्रहालय निर्माण करने की बजट घोषणा की थी। इन दोनों के स्थान तय हो गये हैं और अब उनको बनाकर पूरा करेंगे। कालीबाई का बहुत ज्यादा लम्बा हो जाएगा, इसका जिक्र पिछली बार मैंने किया था इसलिए इन चीजों का अभी ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, इन स्थानों को हम पूरा करेंगे और कालीबाई संग्रहालय में वहां के आदिवासियों की जो कलाकृतियां हैं, उनके गीत हैं, उनकी सब चीजों का संग्रहण करेंगे तो आने वाली पीढ़ी कम से कम यह देख सके, यह समझ सके कि हमारी विरासत यह थी। उस विरासत को जिंदा रखने के लिये यह संग्रहालय होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष बजट की जनजाति क्षेत्र के विकास के लिये महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयीं जिसमें अटरू, बारां, सहरिया, बालिका छात्रावास, सीमलवाड़ा, डूंगरगढ़ में जनजाति आश्रम छात्रावास खोले जाएंगे। प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण के साथ ही विशेष रूप से जनजाति उपयोजना क्षेत्र के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से जनजाति विकास कोष की राशि को 1500 करोड़ से बढ़ाकर अब 1750 करोड़ रुपये किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारी वित्त मंत्री और उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि यह पैसा अगर हम जमीन पर उतारेंगे तो उनकी मूलभूत सुविधाओं को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से अभी जिक्र आया था। उसका भी मैं जिक्र करूंगा कुछ चीजें मैंने लिखी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे गणेश घोगरा जी ने बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही हैं आरक्षण को लेकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा आरक्षण एम.एल.ए., एम.पी. का हमने दे दिया। सरपंचों का हमने दे दिया। नेता, प्रतिपक्षजी, इसको थोड़ा-सा सुनना। भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष थे और जिसके कारण से इतना सुंदर संविधान हमको मिला है और उस व्यक्ति को जब चुनाव हो रहे थे न, आपकी पार्टी ने उनके सामने हराने के लिये उम्मीदवार खड़ा किया था और नेहरू जी उनको हराने के लिये वहां पर भाषण देने के

लिये गये थे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप कहें तो मैं बोलूं? खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके अन्दर अपने दोस्त को लैटर लिखा था और उसमें उन्होंने आर.एस.एस. के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मेरे को हराने की कोशिश की। आप कहें तो वह लैटर मैं कल टेबल कर दूंगा। वह लैटर टेबल कर दूंगा बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ का लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: वह तो मतदाता ...(व्यवधान).. डिपेंड होगा। मतदाता जिस पार्टी का होगा, उन्होंने ही जिताया-हराया होगा।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): उनके सामने किसको खड़ा किया था, यह बता दीजिए। नेहरू जी के पी.ए. को खड़ा नहीं किया था क्या?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह बहस का विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कल लैटर ला दूंगा बाबा साहब का, फिर मान जाओगे आप।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि वह तथ्य सही है या गलत है?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सही नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): नेहरू जी के पी.ए. को डॉक्टर अम्बेडकर के सामने खड़ा किया था, यह मंत्री महोदय का कहना है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बाबा साहब ने अपनी जीवनी के अन्दर और अपने दोस्त को जो लैटर लिखा था, इससे बड़ा प्रमाण तो कोई और नहीं हो सकता। मैं उसको टेबल कर दूंगा।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बैठो दो मिनट। ..(व्यवधान)..

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका चुनाव कार्यालय और चुनाव अभियान का संचालन स्व. दत्तोपंत ठेंगड़ी कर रहे थे, जो आर.एस.एस. के वरिष्ठ प्रचारक थे, जिन्होंने भारतीय किसान संघ और भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की थी। यह ऑन रिकार्ड है अभी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसे तथ्य यहां पर रिकार्ड पर आ रहे हैं जिनका इतिहास से कोई लेना-देना नहीं है। या तो आप टेबल कर दें या मैं टेबल कर देता हूं कि बाबा साहब को हराने का काम किसने किया था? और इसी पर बहस करवा दो आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): पंडित जवाहर लाल नेहरू दो बार चुनावी सभा के लिये दो बार गये। उस जमाने में दो बार गये। ..(व्यवधान). जो संभव नहीं लगता था।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया अपने साथ नेहरू जी ने और संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): उन्होंने तो इस्तीफा देने को मजबूर किया था

और इस्तीफा होते ही दो महीने के अन्दर मकान खाली करने का नोटिस दिया। यदि आप टेबल करना ही चाहते हो तो एक कागज और टेबल कर देना। जब बाबा साहब ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो संसद में क्या वक्तव्य दिया था, वह भी टेबल करो। आपकी पोल खुल जायेगी।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं-नहीं, आप टेबल करो न, आप बोल रहे हो तो। जो तथ्य आप रख रहे हो तो आप टेबल करो। मैं तो तथ्य रख रहा हूं उसे मैं टेबल कर दूंगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अभी 15 मिनट में मंगवा देता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां तो मंगवाओ।

श्री अध्यक्ष: आप दोनों यदि तय करोगे तो एक दिन इस पर चर्चा करवा दूंगा। लिखकर देदो, एक दिन चर्चा करवा देंगे। 15 मिनट में तो भाषण खत्म हो जाता।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): नेता प्रतिपक्ष जी, जब मंत्री बनाना था तो इन्होंने नहीं बनाया, गांधीजी के कहने के आधार पर बनाया था। आगे मैं कहना चाहता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, यह जो सरपंच एस.टी. का बने, वहां पर जनजाति क्षेत्र का बाहुल्य है, वहां पर एस.टी. का ही सरपंच बने। यह आपने नहीं किया, यह भैरोंसिंहजी शेखावत के कारण 1995 में ही लागू हुआ था। पहले कानून तो बन गया था, लेकिन आप लागू नहीं कर पाये, यह हमने लागू किया। आप आदिवासी की बात करते हो, आदिवासी के लिये कितना काम किया?

दूसरा, आप सुनिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र के व्यक्ति की नौकरी लगे, इसके लिये भैरोंसिंह जी शेखावत ने एक से छह स्केल, उसके बाद एक से नौ स्केल तक उस जनजाति क्षेत्र का व्यक्ति नौकरी पर लगे, इसकी व्यवस्था के लिये प्रबन्ध किया था। इसके बाद वसुन्धरा जी की सरकार में, हमने कहा था वसुन्धरा जी को कि उस आदिवासी क्षेत्र का भला तब होगा जब यह आरक्षण अलग से होगा। तब 100 में से 45 लड़के उसी क्षेत्र के नौकरी में आयेंगे। यह व्यवस्था उस समय हुई थी, माननीय नेता प्रतिपक्षजी, जिसके कारण से उस आदिवासी क्षेत्र का जो भी बच्चा नौकरी पर लगा चाहे पटवारी होगा, मास्टर होगा, बाबू होगा, तहसीलदार होगा, डॉक्टर होगा, उसके कारण से लगा है, आपके कारण से नहीं लगा। आपने कुछ भी उनके लिये नहीं किया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सबसे ज्यादा समय था आदिवासी का, वह हरिदेव जोशी का रहा था। सबसे ज्यादा कोई वहां से मुख्य मंत्री रहा है तो हरिदेव जी जोशी थे।

श्री अध्यक्ष: विराजो माननीय। ..(व्यवधान).. आप नंबर दे दे तो आपको बुलवा देता। माननीय सदस्य,विबुलवा लूंगा।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना तो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब थोड़ा सा जल्दी भी है।

श्री अध्यक्ष: जितना आवश्यक हो, बोलें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अब तो ठीक है, कुछ लोगों को जाना भी है।

श्री अध्यक्ष: पूरा हाउस भरा होता तो बोलने में आपको आनन्द आता।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदन केन्द्र, केन्द्र सरकार द्वारा जनजाति वर्ग के कृषकों एवं वन आदि उत्पादों के विपणन एवं सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से वंदन केन्द्रों की स्थापना की गयी। राज्य के 9 जिलों में 530 वंदन केन्द्रों के माध्यम से लगभग 01 लाख 53 हजार सदस्यों को लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदन केन्द्र वो हैं जहां पर वन क्षेत्र में जो उपज हैं, उनको इकट्ठा करना और इकट्ठा करके उसको मार्केट में विपणन करना। टाइफेड जो केन्द्र सरकार का उपक्रम है, वह खरीदता है या फिर हम इसको मार्केट उपलब्ध कराकर उन आदिवासियों की आजीविका के लिये, रोजगार के लिये इस प्रकार का माहौल उपलब्ध कराना चाहते हैं।

jyg/rtm/28.02.25/18.20/3n

छात्रावासों का मैस भत्ता हमने बढ़ा दिया, काफी सदस्यों ने कह दिया, इसको ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है।

कौशल विकास प्रशिक्षण का जिक्र कर देता हूं, उसके बाद मैं इसको थोड़ा कंक्ल्यूड करूंगा। कौशल प्रशिक्षण, जनजाति युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 के दौरान आरएसएलडीसी, सीपेट, आरकेसीएल के साथ एमओयू कर 4,697 जनजाति युवाओं को रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसी प्रकार आगामी वर्ष में भी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर जनजाति युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जायेगा। उन बच्चों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग देना और कई प्रकार के जो ट्रेड हैं उनमें ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार उपलब्ध कराना क्योंकि रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण से बेरोजगारी की समस्या दूर होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम जनमन योजना, राजस्थान, एकमात्र आदिवासी सहरिया जनजाति के विकास हेतु हमारी सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार की पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बारां जिले में सहरिया क्षेत्र में नवीन 17 मल्टीपर्पज केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं तथा बारां जिले में टाइफेड जनजाति कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 91 वनधन केन्द्र का गठन किया गया। इसके अति पिछड़ी हुई सहरिया, कथोड़ी जनजाति, खैरवा जाति के लगभग 1 लाख 30 हजार से अधिक व्यक्तियों को प्रति माह 500 ग्राम दाल, 500 मिलिग्राम तेल, 200 मिलिग्राम देशी घी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, यह आप भी कराते थे, हम भी करा रहे हैं। लेकिन उस समय उन तक नहीं पहुंचता था लेकिन अब हम उनको उनके फिंगर प्रिंट से उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो उन तक पहुंचे। होता क्या है कि बीच में बिचौलिये उड़ा देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्यकर्मी योजना, सिकल सेल जागरूकता, विभाग द्वारा स्वच्छ परियोजना के माध्यम से 4565 स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जनजाति क्षेत्र में क्षय रोग तथा पोस एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग किया जाना हाल में हमारे द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में इन स्वास्थ्य कर्मियों को जनजाति क्षेत्र में प्रचलित सिकल सेल, एनिमिया की रोकथाम से जोड़ा गया।

अध्यक्ष महोदय जी, उस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जानकारी के अभाव में और ठीक से पोषण नहीं होने की वजह से कुपोषण के कारण कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। एनिमिया और सिकल सेल ऐसी बीमारी है, इसका पता ही नहीं लगता है, ये वंशानुगत होती हैं, पता ही नहीं लगता है, कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं, उनकी जिंदगी जीना नर्क हो जाता है। हमारी भारत सरकार इनका पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा करा रही है, इन पर खर्चा कर रही है और ये स्वास्थ्य कर्मी जो हमारी है वो वहां जाकर टीबी के रोगी हैं, सिकल सेल के रोगी हैं, एनिमिया के रोगी हैं, उनको चिह्नित करके अस्पताल ले जाना और उनका उपचार कराना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

अध्यक्ष महोदय जी, आप सब लोगों ने सुना, हमारे को बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये, इनको हम इन योजनाओं में सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अविनाश गहलोत।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना महत्वपूर्ण विभाग है पर कांग्रेस के मेरे सिर्फ 5 साथी इन विभागों को सुनने के लिए बचे हैं और कोई नहीं है, सब गये हैं। ...(व्यवधान)... आज विधान सभा में पांच ही हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): सब बैठे हैं, आपका अनुपात और हमारा अनुपात देख लो बराबर है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप अनुपात लगा लो, संख्या गिन लो, जो कर लो, वो भी कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। सब गये हैं।

श्री अध्यक्षः अब आपके पांच से छह हो गये। ...(व्यवधान)... छह हो गये।

खास-खास बातें बता देना इनको। ...(व्यवधान)... इनको खास-खास बातें बताना केवल।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ घंटे का ही है, इससे ज्यादा नहीं है।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): दो घंटे बताओ, इनको पूरी बात बताओ। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः अब छह लोग क्या सुनेंगे? ...(व्यवधान)... बोलो, बोलो, आप तो शुरू करो।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महत्वपूर्ण अनुदान मांग पर बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस महत्वपूर्ण मांग में कुल 45 माननीय सदस्यों ने 160 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये। इसके अलावा भी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने आज इस महत्वपूर्ण मांग पर अपने विचार प्रकट किये। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव इस सदन में रखे हैं। सर्वप्रथम मैं इस कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए उन सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और इन सभी कटौती प्रस्तावों का जवाब आपको 24 घंटे के अन्दर-अन्दर भिजवा दिये गये हैं। सभी जवाब आप तक पहुंच जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के विजन को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी और हमारी यशस्वी उप मुख्य मंत्री महोदया, वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट, पिछली बार 2024-25 का और इस बार 2025-26 का बजट, ऐतिहासिकबजट प्रस्तुत किया, जिसके अन्दर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विशेष बातों को प्रमुखता से इस बजट में शामिल किया गया है। मैं कहना चाहूंगा,

हौसला बुलंद कर रास्तों पर चल दे,
तुझे तेरा मुकाम मिल जायेगा,
बढ़कर अकेला तू पहल कर,
देखकर तुझको काफिला खुद-ब-खुद बन जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि पिछले सवा साल में जो यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी के भागीरथी प्रयासों से जिस राजस्थान प्रदेश में पिछले पांच सालों में कांग्रेस सरकार के समय में बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था देश के अन्दर, उस प्रदेश को राजस्थान को, पूरे देश के अन्दर विकास के मामले में नम्बर दो पर लाकर खड़ा किया, इसके लिए मैं यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी का धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): पिछले साल ही आया है दो नम्बर पर।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं सवा साल की ही बात कर रहा हूं। हमारा एक साल ही हुआ है, हमारे पास चार साल और पड़े हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): दो नम्बर पर पहले ही आ गया, फर्स्ट पर लाओ तब आपका नम्बर आयेगा, दो पर तो हम ही ले आये थे।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक पर लायेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): हां, एक पर लाओ, यह हुई बात।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): लायेंगे, आपके सहयोग से।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय की बैचेनी को समझ सकता हूं, ये धीर-गम्भीर स्वभाव के हैं और मैं इनका व्यक्तिगत

रूप से आपका सम्मान करता हूं कि पिछले पांच साल में आपके पास यह विभाग रहा, मैंने बहुत कुछ आपके माध्यम से सीखने का अनुभव भी आपसे किया है, आपसे सीखने का प्रयास भी किया है। आपकी हरेक बात को, क्योंकि आप विभाग के मंत्री रहे हैं, विभाग के मंत्री रहते हैं तो अनुभव भी रहता है, इससे भी ज्यादा हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी रहे हैं, इसलिए भी मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से आपका सम्मान करता हूं। इस बात के लिए भी कि आप मेरे से बड़े भी हैं, इसलिए भी मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष: तो केवल जूली जी से ही सीखोगे न, सीखोगे तो जूली जी से ही सीखोगे या औरों से भी सीखोगे। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार इनके घर गया हूं, ...(व्यवधान)..।

डॉ. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): इनको संस्कार अच्छे मिले हैं, दादी मां से, मां से, सबसे। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने शब्द कुछ नहीं बोला था।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बात बतायी, बहुत महत्वपूर्ण बतायी, समय पर बतायी, ये सारे संस्कार इन्होंने अपनी दादी मां से सीखे हैं इसलिए ये संस्कार इनके अन्दर हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा जिससे कहीं और बात जाकर बखेड़ा बन जाये, तो मैं उस शब्द पर नहीं जाना चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): पूर्व।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उस दिन भी मेरा मंतव्य कभी ऐसा नहीं था कि हमारी देश की प्रधान मंत्री के प्रति ऐसी भावना हो जिससे आपको ठेस पहुंचे, कभी नहीं कहा, ना कभी आगे हमारा विचार रहेगा। हम सबका सम्मान करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के बजट 2 लाख 90 हजार 219 करोड़ का प्रावधान था, जिसमें से हमारे विभाग का बजट 17 हजार 625.88 करोड़ रुपये का था।

MLS/RTM/28.02.2025/18:30/3o

जो कुल राज्य बजट का 6.07 प्रतिशत है। इसी प्रकार बजट वर्ष 2025-26 में राज्य का कुल बजट 325 हजार 545 करोड़ 90 लाख रुपये का रखा, उसमें से 20 हजार 164 करोड़ 98 लाख रुपये, जो कुल राज्य बजट का 6.19 प्रतिशत है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में विशेष योग्यजन विभाग अनुजा निगम सहित कुल बजट की प्रावधान राशि 17 हजार 625.88 करोड़

रुपये की तुलना में 14.40 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए वृद्धि राशि 2539.10 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक अनुमान में विभाग हेतु कुल राशि 20 हजार 164.98 करोड़ रुपये राज्य निधि के अन्तर्गत राशि 19 हजार 172.39 करोड़ रुपये एवं केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं की राशि 992.59 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज के जो वर्ग पीछे छूट गये हैं, जो लोग पीछे छूट गये हैं, उन्हें आगे लाने के सतत् प्रयास माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किये जा रहे हैं। मोदी जी के प्रयासों को साकार करने का संकल्प हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किया जा रहा है। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के द्वारा जिस राजस्थान का निर्माण किया गया, उस नये राजस्थान के निर्माण को हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी के समय आगे बढ़ाया गया और आज मुझे यह कहते हुए इस बात का गर्व हैकि मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में वही राजस्थान ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।

विकास के मामले में हम लगातार नये आयाम छू रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयूज हुए। इन एमओयूज के होने के बाद राजस्थान में लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, राजस्थान में विकास की नयी इबारत लिखी जायेगी। जब भी किसी कार्य की शुरुआत हम करते हैं, उसमें थोड़ा-सा वक्त लगता है, लेकिन जब उसके परिणाम हमें मिलते हैं तो निश्चित ही वे परिणाम देश की, प्रदेश की प्रगति के लिए नया पायदान साबित होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग के बजट का जो प्रावधान है, मैंने बताया, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का बजट 2 लाख 58 हजार 883.68 करोड़ रुपये था और उसमें विभाग का था 13 हजार 536.46 करोड़ रुपये। यह कुल बजट का 5.23 प्रतिशत था। 2024-25 में इसको बढ़ाकर राज्य का कुल बजट 2 लाख 90 हजार 219.40 करोड़ हुआ। उसमें विभाग का 17 हजार 625.88 करोड़ और यह 5.23 प्रतिशत से बढ़कर 6.07 प्रतिशत हुआ।

इस बार 2025-26 में राज्य का कुल बजट 3 लाख 25 हजार 545.90 करोड़ हुआ और विभाग का बजट भी बढ़कर 20 हजार 164.98 करोड़ हुआ। यह पिछले साल की तुलना में 6.07 प्रतिशत से बढ़कर 6.19 प्रतिशत हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 के विभागीय बजट में 2529.10 करोड़ राशि की बढ़ोतरी करके 14.34 प्रतिशत का अधिक प्रावधान हमने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे अनुजा निगम का भी है, विशेष योग्यजन का भी है और बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, जिनके बारे में विस्तृत रूप से बताना चाहूंगा। मुख्य रूप से हमारे विभाग की तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं चलती हैं, वैसे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग की ये महत्त्वपूर्ण 55 योजनाएं हैं, ये वे योजनाएं हैं जिनकी पं. दीनदयाल उपाध्याय ने अन्त्योदय के माध्यम से कल्पना की थी।

मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी ने उसी अन्त्योदय की योजना को सूर्योदय की ओर ले जाने का काम किया है। हमने अपनी सरकार बनने से पहले

भाजपा के संकल्प पत्र को जनता के सामने रखा था और कहा था कि हम इसी संकल्प पत्र को ''संकल्प से सिद्धि'' तक पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि जिस संकल्प पत्र को पांच वर्षों में पूरा करने की जिम्मेदारी होती है, हमने अपने पहले ही वर्ष में उसकी 55 प्रतिशत से ज्यादा चीजें नीतिगत दस्तावेज बनाकर उन घोषणाओं को पूरा करने का काम किया है।

यह वह सरकार नहीं है जो सिर्फ घोषणा करती है और घोषणा के बाद बजटीय प्रावधान नहीं होता है। इस वजह से घोषणाएं अधूरी हो जाती हैं, समाज का वह पिछड़ा, वंचित वर्ग समाज की उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। उसी जगह पर वह खड़ा रह जाता है जो सरकार से अपेक्षा करता है। लेकिन हमारी सरकार का, मुख्य मंत्री का विजन है कि राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे और इस आगे बढ़ते हुए राजस्थान में स्वामी विवेकानन्द जी के सपनों का भारत तब बनेगा, जब हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। यह न सिर्फ भजन लाल जी का सपना है, यह राजस्थान की 8 करोड़ जनता का सपना है। यह देश की 142 करोड़ जनता का सपना है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि आजादी के अमृत काल में वर्ष 2047 का जो विजन है, इस विजन में हम विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ें, विकासशील राजस्थान से विकसित राजस्थान की ओर हम लोग बढ़ें।

हमारी इकोनॉमी को डबल करने का लक्ष्य किसी भागीरथी विकास पुरुष ने लिया है तो भजन लाल शर्मा जी ने लिया है। इस प्रदेश को सोलर ऊर्जा के मामले में पूरे देश में नं. वन पर ले जाने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो भजन लाल शर्मा जी ने किया है। इस प्रदेश की आधी से अधिक आबादी को विभिन्न पेयजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है, उसका नाम है भजन लाल शर्मा जी। मैं सोचता हूं, इसीलिए विपक्षी साथियों को तकलीफ होगी कि सरपंच से निकला हुआ व्यक्ति, किसान परिवार का बेटा, जिसके घर में, परिवार में वह गांव की खुशबू है, आज अगर इस प्रदेश के प्रथम व्यक्ति के रूप में एक मुख्य मंत्री बनकर, जन सेवक बनकर सेवा कर रहे हैं, एक साल की उनकी कार्य कुशलता, ईमानदारी, उनकी जो तत्परता है प्रदेश के विकास के प्रति, उसको देखकर विपक्ष के साथियों के मन में कुछ चिन्ता होना आवश्यक है।

राजनीति में यह सब चलता है, लेकिन जब प्रदेश के विकास की बारी आती है, आप और हम सबको मिलकर चलने की आवश्यकता है। यह प्रदेश आपका भी है, हमारा भी है। सत्ता आपकी भी रही है, हमारी भी रही है, लेकिन जिसको अवसर मिला है, उस अवसर में आपको भागीदार बनने की आवश्यकता है। छोटे-मोटे शब्दों को आधार बनाकर अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल हम लोगों को नहीं बनाना चाहिये। यह प्रदेश है, इस प्रदेश में आपको भी सुनते हैं, हमें भी सुनते हैं। हमें भी मौका मिला है कि हम आपको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। यह प्रदेश की जनता है, इस मुद्दे पर पांच साल बाद में व्यक्तिगत रूप से यह इस बात का आकलन करेगी कि उसने हमें जो मौका दिया, उस मौके पर हम कितनी अपेक्षाओं पर खरा

उतर पाये हैं। आपने पिछले पांच सालों में काम नहीं किया, आपको विपक्ष में बैठा दिया है। अगर हम लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो हो सकता है, हमें भी जनता वहां बैठा दे, लेकिन हमने यह तय किया है, मुख्य मंत्री के नेतृत्व में हमने जो वादे किये हैं, उन्हें पूरा करेंगे। कथनी और करनी में अन्तर नहीं करेंगे।

मोदी जी जो कहते हैं, वह करते हैं। वही मुख्य मंत्री भजन लाल जी का संकल्प है, जो कहेंगे, वह करेंगे और इसीलिए हमने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। इन 55 योजनाओं के माध्यम से जिस सामाजिक सुरक्षा पेंशन की माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने बात की, बहुत सारे हमारे साथियों ने बात की, आज इस प्रदेश में हमारे सामाजिक सुरक्षा पेंशन में यह सही बात है कि आपने जाते-जाते 15 प्रतिशत वृद्धि का कानून बनाया, लेकिन आपको पता था कि कानून बनाने से, हमारी सरकार तो आयेगी नहीं, यदि विपक्ष की सरकार आ गयी तो वित्तीय भार जो हम पर पड़ा है, फिर भी हमने हमारे उस संकल्प पत्र को दोहराते हुए अप्रैल में झुंझुनूं में माननीय मुख्य मंत्री की उपस्थिति में राज्य स्तर पर एक कार्यक्रम किया। 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई पेंशन राशि को लाभार्थियों के खातों में डाला गया।

लगभग 89 लाख लोगों के खातों में यह 15 प्रतिशत बढ़ी हुई राशि डाली। जो पहले 1 हजार रुपये मिनिमम राशि होती थी, उसे 1150 रुपये किया। इस बार इसी बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने उस 1150 रुपये की राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना हो, छात्रावास योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, पालनहार योजना हो, सिलिकोसिस योजना हो, ये ऐसी योजनाएं हैं, जो हमारे प्रदेश में चलती हैं। शायद किसी और प्रदेश में पालनहार वाली, सिलिकोसिस जैसी योजना नहीं चलती होगी। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से हमारे जो साथी थे, जिन्होंने अपने-अपने विचार आज बजट की अनुदान मांग पर रखे हैं। सामाजिक विकास हो, सामाजिक कल्याण हो, एक कल्याणकारी राज्य का महत्त्वपूर्ण अंग है, जिसे भारत के संविधान में राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धान्तों में भी शामिल किया गया है। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। विकास का तात्पर्य मौजूदा सामाजिक संरचना और रहने की स्थिति में समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसरों के साथ एक बेहतर और उन्नत सामाजिक संरचना में सामाजिक परिवर्तन है।

हमारा समाज विभिन्न सामाजिक, आर्थिक संरचना वाली विभिन्न जाति, पंथ, धर्म, मजहब, सम्प्रदाय की श्रेणियों से बना है। केन्द्र और राज्य सरकार कमजोर वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए उन पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 1 वर्ष की अवधि में आमजन को राहत पहुंचाने के लिए अन्त्योदय के सेवा भाव से कार्य शुरू किया है। यशस्वी मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी

सरकार ने वंचित वर्ग, वृद्धजन, निराश्रित युवाओं को सक्षम बनाने एवं उनकी उन्नति के अवसरों में वृद्धि की है। इसके लिए सामाजिक क्षेत्र की अपेक्षा अनुरूप बजट का प्रावधान किया गया है।

देश के प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि इस देश का चाहे गरीब हो, युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, यही वे वर्ग हैं जिनको आज की तारीख में हम सबको आगे ले जाने की आवश्यकता है और यही सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात को आगे बढ़ाने का मूल मंत्र है। हम इसी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधान मंत्री जी के विजन को मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारा विभाग आगे बढ़ा रहा है। भारतीय सरकार भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 1951-52 में राज्य सरकार ने इन वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अलग विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया और इसे पिछड़ा वर्ग विभाग नाम दिया गया।

MKD/RTM/28.02.2025/18:40/3p

1956-57 में समाज कल्याण के विभिन्न पहलुओं को अपने अधीन लाते हुए विभाग का नाम बदलकर समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। इसी तरह दिनांक 21 फरवरी, 2007 की एक अधिसूचना द्वारा विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सबको विदित है कि हमारा विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वृद्धजन, महिलाओं, बालकों, पशुपालकों तथा समाज के दुर्बल वर्गों को शैक्षणिक और आर्थिक रूप से सम्बल प्रदान करने तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करता है।

सामाजिक न्याय का मतलब है, सभी लोगों को समान अधिकार, अवसर और व्यवहार देना। यह एक ऐसी व्यवस्था कायम करने का प्रयास है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक विषमताएं कम हों, सामाजिक न्याय का मकसद समाज में रहने वाले सभी लोगों को सामाजिक समानता देना है।

हमारा विभाग मुख्य रूप अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े, अन्य पिछड़े, विशेष पिछड़े वर्ग के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए केन्द्रित और समर्पित है। हमारा विभाग अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष रूप से अक्षम लोग विधवाओं, निराश्रितों, समाज के अन्य सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रमों की क्रियान्विति हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में लगातार काम करता आया है।

हमारे विभाग की मुख्य गतिविधियों में लक्षित समूह का सामाजिक, आर्थिक विकास, छात्रवृत्ति और छात्रावास सुविधाओं के माध्यम से लक्षित समूह की शैक्षिक वृद्धि, सामाजिक सशक्तीकरण के लिए योजनाएं, वृद्ध विशेष रूप से अक्षम और विधवा, निराश्रित आदि के लिए

सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं, नि:शक्तजन, दिव्यांगों के लिए पुनर्वास के लिए कार्यक्रम, इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हमारा विभाग लगातार काम कर रहा है।

मैं इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस बात को कोट करना चाहूंगा, जिसमें कहा कि आर्थिक योजनाओं तथा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबसे नीचे के स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होता है। हम भी देखते हैं, समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, जो समाज की आखरी पंक्ति में खड़े होते हैं, लेकिन जब आजादी के 75 साल बाद में हम विश्लेषण करते हैं, तब देखते है कि किसी व्यक्ति को रहने का मकान नहीं, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़कें नहीं, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, तब इस प्रकार की व्यवस्थाओं की चिन्ता देश में बैठे हुए प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, उस गरीब का पक्का मकान बनाने की योजना को साकार करते हैं। जल जीवन के माध्यम से चाहे मरुस्थलीय इलाका हो, चाहे मैदानी हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, घर-घर नल के कनेक्शन देने का काम प्रधान मंत्री मोदी जी की अन्त्योदय योजना को साकार करने के लिए हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी योजनाएं केन्द्र और राज्य सरकार की मिलकर चलती हैं और तो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के इन शब्दों में निहित भावनाओं को साकार करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने लगातार दो बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के समग्र विकास, सशक्तीकरण हेतु अनुसूचित जाति उप योजना तथा जनजातीय उप योजना के बजटीय प्रावधान में प्रथम वर्ष में राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 और इस वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ाकर 1750 करोड़ किये जाने की घोषणा की है। यह राशि बढ़ाना अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए हमारी सरकार की सोच को इंगित करती है। समाज के समग्र विकास हेतु आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के परिवारों को भी अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त राशि का आवंटन किया गया है।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बारे में बहुत सारे साथी सवाल खड़े करते हैं, विपक्ष है, विपक्ष का काम होता है कि हमारी किसी भी योजना के बारे में अपनी मनगढ़ंत टिप्पणी करके उस पर आक्षेप लगाने की, आप लोग बात करते हैं।

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय को बड़ी जिम्मेदारी से साथ कहता हूं कि पिछले चार दिन में दो बार यह सवाल खड़ा हुआ कि हमारी सरकार के समय पेंशन की जो राशि है, वह चार महीने तक लगातार पैंडिंग रहती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हम दिसम्बर तक का कम्प्लीट भुगतान कर चुके हैं। जनवरी की पेंशन के बिल बनाकर हमने ईसीएस के लिए भेज दिये हैं और जल्दी ही जनवरी महीने की पेंशन राशि का भुगतान हो जायेगा।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आप हर महीने दे रहे हैं, या उधार रहती है दो-दो, तीन-तीन महीने की, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, तीन

महीने की बात ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने आज भी अपनी स्पीच के अन्दर यह कहा है कि हमारी सरकार ने चार महीने तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बकाया रखा है। मैं यह जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और पहले भी मैंने कहा है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी, जिस दिन गवर्नर अभिभाषण पर बात कही थी, उस दिन भी आपको कहा था, आपने उस दिन मेरी बात सुन ली होती तो दोबारा कहने का अवसर नहीं मिलता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर तक के सारे बिल भुगतान के लिए जा चुके हैं और हमने तो जनवरी तक के भेज दिये हैं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्री जी, दिसम्बर पर एतराज नहीं है। आप कतई बुरा मत मानो, हम यह नहीं कह रहे कि दिसम्बर तक का भुगतान आपने नहीं किया। मैं यह कह रहा हूं कि बीच-बीच में दो-दो तीन महीने की इकट्ठी हो जाती हैं, उसके बाद आप भुगतान कर रहे हो। आप हर महीने कर दो। आप तो यह कहो ना कि हम हर महीने कर रहे हैं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की जिम्मेदारी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान सही समय पर हो, पर प्रतिपक्ष के साथी यह भूल गये कि जब उनकी सरकार थी तब इन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान वाकई में चार महीने में किया, इसलिए उनको याद नहीं है कि हमने..। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, कुछ पैसा इसलिए बकाया है, उसमें कुछ वैरीफिकेशन के अन्दर, कुछ बैंक की डिटेल गलत होने के कारण, जन आधार में डाटा मिसमैच होने के कारण कुछ बकाया हो जाता है, वह कुछ राशि करोड़ में होती है, दो करोड़, तीन करोड़, चार करोड़, उसके भुगतान करने की रेगुलर प्रक्रिया है।

मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, आपने जो आज कथन सदन में कहा है, वह असत्य है। सिर्फ जनवरी महीने की पेंशन बकाया है। उसको भी जल्दी ही हम हमारे विभाग की तरफ से पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। मुख्य मंत्री जी का सपना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन सही समय पर मिले।

आज एक सवाल उठा, पालनहार योजना का। मैंने सवाल का जवाब देना चाहा, उससे पहले माननीय नेता, प्रतिपक्ष महोदय ने सवाल खड़े किये। अब मेरे पास वक्त है। माननीय सदस्य मनीष यादव जी, शाहपुरा से आने वाले, उनको और बहुत सारे जो सदस्य हैं, उन्होंने भी मुझे कहा था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं, इस बजट प्रावधान, इस वित्तीय वर्ष में हमने 1110 करोड़ रुपये का प्रावधान इस पालनहार योजना के लिए, उसमें से अभी तक 1 हजार 96.60 करोड़ रुपये हम खर्च कर चुके हैं। इसमें आपका वह 40 करोड़ रुपया भी है, जिसको ईसीएस के लिए भेजा जा चुका है, दो या तीन दिन के अन्दर, इसी सप्ताह के अन्दर उस 40 करोड़ रुपये का भुगतान भी हो जायेगा। आज की तारीख में पालनहार योजना के अन्दर एक

भी व्यक्ति का भुगतान हमारे स्तर पर, विभाग के स्तर पर बकाया नहीं है।

मैं सुबह यही कहना चाह रहा था कि यह लगातार प्रोसीजर है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप तो इस विभाग के मंत्री रहे हैं। पालनहार योजना में 3 से 5 हजार बच्चों का एक साथ बिल बनकर ट्रेजरी में जाता है। अगर वहां बच्चे का कहीं कोई अगर बैंक का नम्बर गलत हो जाता है, आईएफएससी कोड गलत हो जाता है, कोई भी टेक्निकल प्रोब्लम हो सकती है, जिसके कारण से पूरा बिल वापस आता है। फिर, वह बिल सबसे लास्ट में लगता है, जब उसका नम्बर आयेगा, तब वह होगा। इस कारण से ये जो 40 करोड़ रुपये थे, ये बकाया हो गये थे। हमारा विभाग सतत काम कर रहा है। इसमें जैसे ही हमें पता लगता है, हम तुरन्त उसको ठीक करके कोशिश करते हैं कि हमारी पैंडेंसी जीरो रहे।

मैं आज आपको आग्रह कर रहा हूं कि पालनहार योजना के अन्दर किसी प्रकार का भुगतान बकाया नहीं है। हमने 40 करोड़ के भुगतान भेज दिये है। इस योजना के माध्यम से उन बच्चों को जो 0 से 6 साल तक के हैं उनको और 6 से 18 साल तक बच्चों को हम लोगों ने 2500 रुपये तक का मासिक प्रावधान किया हुआ है, वह हम लोग देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इस योजना के माध्यम से भी, इस छात्रवृत्ति का कुल बजट 774.54 करोड़ रुपये है, उसमें से अभी तक 547.48 करोड़ रुपये हम दे चुके हैं। आज सुबह भी एक सवाल जनजाति का आया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, यह जो जनजाति छात्रवृत्ति योजना है, उसमें 75 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार का है, 25 प्रतिशत राज्य सरकार का है। नियम ऐसा है कि 75 प्रतिशत की राशि केन्द्र सरकार से आयेगी, उसके बाद 25 प्रतिशत राशि हम लोग देंगे। उसके बाद जनजाति क्षेत्र में हम लोग इन छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे। वर्ष 2019-20, 2020-21 के अन्दर छात्रों के आवेदन कम आये। उसके बाद 2021-22 और 2022-23 और 2023-24 के अन्दर काफी आवेदन आने के बाद और 2017-18 के बाद में जब इनको बजट नहीं मिला, हो सकता है पिछली सरकारों ने क्या किया, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जब एकदम से बजट बढ़ा, उसके बाद हमारे मुख्य मंत्री जी भजन लाल शर्मा जी के भागीरथी प्रयासों से, विभाग के प्रयासों से और मेरे स्वयं के स्तर पर हमने केन्द्र सरकार को यह आग्रह किया कि हमारे इन जनजाति क्षेत्र के बच्चों के लिए जो हमारा बजट है, उस बजट को रिलीज किया जाए तो हम ढाई सौ करोड़ रुपये हमारी सरकार के पहले ही वर्ष में लाये। उसमें से कुछ राज्य अंश जो होता है, उसको मिलाकर 333.33 करोड़ रुपये विद्यार्थियों को वितरित किये जा रहे हैं। जब हम इनकी यूसी भेज देंगे, उसके बाद जो बचा हुआ हमारा अमाउंट है, केन्द्र सरकार का, केन्द्रीय अंश का वह भी आ जायेगा और जनजाति क्षेत्र के छात्रों की जो छात्रवृत्ति है, 2023-2024 और 2024-25 की उसको हम लोग पूरा कर देंगे और इस वर्ष की छात्रवृत्ति के लिए जो हमारे आवेदन हैं, उसके लिए 31 मार्च तक हमने एप्लीकेशन खोल रखे हैं। जब वे आ जायेंगे तो उनको भी देने का काम करेंगे।

हमारा प्रयास है कि 2017-18 से जो पैंडिंग है, उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी

राज्य के अन्दर, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। हम प्रयास कर रहे है, 2017-18 के बाद भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति पैसा लाकर उन तक पहुंचाया जाए। इसी तरह से एससी, एसटी और ओबीसी की प्रक्रिया जारी है। उसमें छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, यह सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो पहले चालू थी और आपने उसको आगे बढ़ाया। आपने 30 हजार का लक्ष्य रखा। आपकी सरकार के रहते 17 हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग दी गई। उसको हमने आगे बढ़ाते हुए, इस बार लक्ष्य 30 हजार का लिया। हमने हमारे प्रयासों से लगभग इस बार 55 हजार के करीब आवेदन लिये हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार शत-प्रतिशत, जो 30 हजार की संख्या है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। इसमें 108 करोड़ के प्रावधान के विपरीत 82.74 करोड़ रुपये हम खर्च कर चुके हैं।

Bhs/Rtm/28.02.25/18.50/3q

और आने वाले समय में और कोशिश करेंगे कि यह तीस हजार का लक्ष्य पचास हजार तक बढ़े और राजस्थान के उन छात्रों को, नौजवानों को नि:शुल्क कोचिंग योजना के माध्यम से लाभ मिले।

एक और महत्वपूर्ण योजना छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय योजना विभाग द्वारा वर्तमान में एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., ई.डब्ल्यू.एस., एम.बी.सी., विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु वर्ग एवं मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के 784 राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय स्तरीय छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 92 एडेड छात्रावास संचालित हैं। इस प्रकार राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों की कुल संख्या 876 है और इसमें स्वीकृत क्षमता 42,176 है। इसी प्रकार वंचित वर्ग के परिवार के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा की सुनिश्चितता के चालीस आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी प्रवेश क्षमता 14,544 है। इन छात्रावासों में आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को आवास, अनावर्तक सुविधायें, पोशाक, भोजन, नाश्ता आदि सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं। छात्रावासों में प्रति विद्यार्थी राशि बजट घोषणा वर्ष 2024-25 का क्रियान्वयन करते हुए राशि 2,500 रुपये से बढ़ा कर 3,000 रुपये प्रति माह मैस भत्ता दिया जा रहा है और इसी वर्ष बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से वर्ष 2025-26 में यह राशि बढ़ा कर फिर से 3,250 रुपये कर दी गई है और बजट वर्ष 2025-26 में 90 करोड़ की लागत से चार आवासीय विद्यालयों के निर्माण करवाये जाने की घोषणा हुई इसी बजट में। साथ ही, पचास करोड़ की लागत से 16 विद्यालय स्तरीय सावित्री बाई फूले छात्रावास एवं एक विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु वर्ग के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय स्तरीय छात्रावास खोले जायेंगे। महाविद्यालय स्तरीय बालिकाओं के लिए 82.45 करोड़ रुपये के 19 छात्रावास खोले जाने का प्रावधान हुआ है और पूर्व में संचालित नाकारा/अनुपयोगी/जर्जर/भवन विहीन

छात्रावासों के पुनर्निर्माण का प्रावधान किया गया है। इस छात्रावास और आवासीय विद्यालय योजना का बजट है 185.73 करोड़ रुपये, उसमें से 155.61 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष में हम खर्च कर चुके हैं और आवासीय विद्यालयों का बजट प्रावधान 108.95 करोड़ रुपये और हमने उसमें व्यय कर दिये हैं 89.37 करोड़ रुपये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसमें हमारा बजट प्रावधान 60 करोड़ में से 42 करोड़ हम लोग खर्च कर चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह में आर्थिक मदद हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का संचालन किया जा रहा है जिसमें 21 हजार, 31 हजार, 41 हजार और 51 हजार के बीच में जो बी.पी.एल. हैं और दूसरी कैटेगरी है उसके अन्दर यह सुविधा उनको दी जाती है और इसके अलावा असहाय महिलाओं, वृद्धजनों के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किया गया है और इसमें हमने जो अनुदान मासिक भत्ता है यह बढ़ा कर 3,250 रुपये किये जाने की मुख्य मंत्री जी की इस सरकार द्वारा हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण योजना पहली बार राजस्थान में देखने को मिली कि जहां विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु समुदाय की पहचान करने के लिए दादू दयाल घुमन्तु सशक्तीकरण योजना का अनाउंस इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में हुआ। हमारी भजन लाल जी की सरकार ने इस कैटेगरी को जिसको डीएनटी हम लोग कहते हैं, समुदाय के लोगों के पास विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए मूलभूत दस्तावेजों का अभाव होता है इस कारण से इन लोगों को उक्त योजनाओं का जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलता, वंचित रह जाते हैं। इस वंचित समुदाय को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए माननीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 27.11.2024 से 15.12.2024 तक सभी जिलों में विमुक्त घुमन्तु/अर्द्ध घुमन्तु सहायता शिविरों का आयोजन किया। उक्त सहायता शिविरों में इन समुदाय के व्यक्तियों को 57 हजार से अधिक दस्तावेज जारी किये गये जिसमें वोटर आई.डी., आधार कार्ड, राशन कार्ड, घुमन्तु पहचान पत्र, मूल निवास, जनाधार इत्यादि दस्तावेज शामिल हैं और साथ ही इन सहायता शिविरों में विभाग की विभिन्न सामाजिक योजनाओं जैसे पालनहार पेन्शन योजना आदि से लाभान्वित किया गया और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसा कैम्प किसी भी सरकार के द्वारा इन घुमन्तु समुदाय के लिए पहली बार आयोजित हुआ है और मैं धन्यवाद देता हूं संघ के उस प्रकल्प को, अखिल भारतीय घुमन्तु प्रकोष्ठ को जिसके सहयोग से हमने यह काम किया है और उन्होंने हमें हर काम के लिए मदद की है जो वालेंटियर्स हैं जो स्वयंसेवक हैं वो इस काम में हमारी मदद करते हैं और हमें इस काम को करने में और आसानी हुई है और इसी समुदाय के लिए स्थायी रूप से बसाने हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 2024-25 की बजट घोषणा संख्या 23 का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पोर्टल के माध्यम से समुदाय के व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त कर लाभान्वित किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि बजट घोषणा 2025-26 में विमुक्त, घुमन्तु, अर्द्ध घुमन्तु समुदाय के सशक्तीकरण एवं उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमन्तु सशक्तीकरण योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है और इस पर साठ करोड़ का व्यय प्रस्तावित है, जो बजट के अन्दर प्रावधान है।

जिस बाबा साहब अम्बेडकर को आप और हम आदर्श मानते हैं वो किसी आपके एक के नहीं हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं, वो सबके हैं जिस देश में एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में, पूजनीय देवता के रूप में हम लोग उनको मानते हैं और इन्हीं अम्बेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे भाजपा के संकल्प पत्र 2023 के बिन्दु संख्या 7/26 में वर्णित है कि अनुसूचित जाति समुदाय के लिए अम्बेडकर तीर्थस्थल यात्रा योजना प्रारम्भ करेंगे। जिसके अन्तर्गत हम बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी की जीवनी से जुड़े पंच तीर्थ के भ्रमण का प्रावधान करेंगे और हमने इसको पूरा करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म भूमि महू, मध्य प्रदेश, शिक्षा भूमि लन्दन स्थित 10, किंग हेनरिज रोड स्थित स्मारक, दीक्षा भूमि बोद्ध धर्म अपनाने का स्थान नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि निधन का स्थान दिल्ली, हलीपुर और चैत्य भूमि श्मशान स्थल मुम्बई, इन्दुमिल। वहां हमारी योजना के माध्यम से इन पंच तीर्थों का भ्रमण कराने की योजना भी हमारे विभाग की तरफ से हुई है। मुझे लगता है यह पहली बार हुआ है। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): इनको भी ले जाइये घुमाने के लिए।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अभी थोड़ी देर बाद में कुम्भ में चलते हैं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): कुम्भ में तो जायेंगे नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): वंचित वर्गों के आर्थिक सशक्तीकरण राजस्थान अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड का हमारा एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। समाज में समरसता के साथ-साथ हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इसके लिए वंचित वर्ग के युवक-युवतियों को अपेक्षित कौशल एवं दक्षता प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार हेतु अनुजा. निगम राजस्थान, अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम आदि के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने का विशेष प्रावधान किया गया है। इससे इन वर्गों में उद्यमिता विकास को भी सहयोग मिलेगा।

हमारी सरकार की मंशा है कि वंचित वर्ग के युवाओं के विकास के अवसरों में कोई बाधा स्थायी रूप से उत्पन्न न हो, इसके लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन इत्यादि को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए विभिन्न निगमों द्वारा पूर्व वर्षों में दिये गये ऋण के क्रम में वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लायी जा रही है। मुझे यह अवगत कराते हुए खुशी है कि भारतीय जनता

पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018 में एस.सी., एस.टी., सफाईकर्मी, दिव्यांगजन, ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों को दिये गये ऋण राशि रुपये दो लाख तक के सभी ऋण माफ किये जा चुके हैं और राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति/जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजनों को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य मद से उक्त वर्गों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में राशि रुपये 18.75 करोड़ स्वीकृत अनुजा. निगम को उपलब्ध करवायी गयी। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को 18.75 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी गयी है। आर्थिक कमजोर वर्ग के व्यक्ति को स्वरोजगार हेतु बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले ऋण पर राज्य सरकार द्वारा 3 से 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही दिव्यांगजनों हेतु संयुक्त सहायता अनुदान योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 में हमारी सरकार द्वारा बजट घोषणा की जाकर पहली बार राजस्थान के अन्दर पचास हजार विशेष योग्यजनों को सुगम्य आवागमन सुविधा हेतु सहायक अंग वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया था और जब 15 दिसम्बर को हमारी सरकार का एक वर्ष पूरा हुआ तो इसी पिंजरापोल गोशाला परिसर में माननीय मुख्य मंत्री के विशेष आतिथ्य में एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम हुआ अन्त्योदय शिविर के नाम से। पहली बार 12 हजार लोगों को हमने कृत्रिम अंग उपकरण वितरण करने का काम किया है। एक व्यक्ति को बीस हजार रुपये तक के उपकरण और पचास हजार तक को उपकरण और इससे आगे बढ़ते हुए इस बार हमारे मुख्य मंत्री जी के भागीरथी प्रयासों से बड़ा मन दिखाते हुए इसी लक्ष्य को आगे बढ़ा कर घोषणा वर्ष 2025-26 में इन पचास हजार की बजाय एक लाख विशेष योग्यजनों को लाभान्वित करने की घोषणा की गई, जिसमें 150 करोड़ रुपये के बजट का प्रोविजन किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में पहली बार माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया द्वारा विशेष योग्यजनों को सुविधा सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से राज्य में बीस करोड़ रुपये, 2025-26 के कृत्रिम अंग उपकरणों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में अनुसंधान के लिए राशि रुपये बीस करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस शोध के परिणामस्वरूप दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम अंग उपकरण प्राप्त हो सकेंगे। इसके साथ ही स्वयंसिद्धा सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस दिव्यांगजन एवं वंचित वर्गों की सुविधाओं के उन्नयन की दृष्टि से वर्तमान में संचालित जामडोली परिसर, जयपुर का विस्तार व सुदृढ़ीकरण करते हुए राज्य सरकार द्वारा पहली बार पिछले बजट में स्वयंसिद्धा सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। इस हेतु चरणबद्ध रूप से 200 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। प्रथम चरण में वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक भवन (पुलिस स्टेशन भवन के पास) ए सीवरेज लाइन हेतु राशि रुपये 185.23 लाख की सहमति प्रदान की गई तथा नवीन कार्यालय स्वयंसिद्धा सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के लिए नवीन पद सृजन की सहमति दी गई है तथा कार्यालय के लिए नवीन लेखा शीर्ष खोला जा चुका है और इसके साथ ही समग्र क्षेत्रीय केन्द्र कम्पोजिट रीजनल

सेन्टर सीआरसी का भी हम लोगों ने प्रावधान किया है। सामाजिक न्याय एव अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा समग्र क्षेत्रीय केन्द्र का संचालन किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा उक्त केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु राष्ट्रीय दृष्टि दिवयांगजन सशक्तीकरण संस्थान, देहरादून को ग्राम जामडोली तहसील जयपुर स्थित स्वयंसिद्धा केन्द्र की भूमि में से 2.47 एकड़ भूमि नि:शुल्क आवंटित की है और इसके फलस्वरूप माननीय केन्द्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग डॉ. वीरेन्द्र कुमार जी ने इस नवीन भवन निर्माण हेतु 15 जनवरी, 2025 को इसका शिलान्यास किया...

Kas/rtm/28.02.2025/19.00/4a

और अस्थायी भवन और शिलान्यास के लिये सेवाओं का उद्घाटन कार्यक्रम भी इसी जामड़ोली परिसर में पिछले महीने हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी का विजन है कि हम ऐसे प्रयास करें जिससे वाकई में आज दिन तक जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है, जिनको जरूरत है, उनको लाभ मिले। हमने असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों हेतु आर्थिक सहायता के लिये भी बहुत प्रावधान किये हैं। हमारी सरकार द्वारा रेयर डिजीज से ग्रसित व्यक्तियों के लिये राहत पैकेज के अंतर्गत से ग्रसित 1800 व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक पावर व्हील चेयर उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान पिछली बजट घोषणा में किया गया। एक व्हील चेयर की कीमत 1 लाख रुपये बजट में हमने रखी। ....(व्यवधान).... आगे आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरा सुन लें, फिर पूछें।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक ऐसी बीमारी है, जिसमें आदमी चल-फिर नहीं सकता है। मांसपेशियों के खिंचाव, दुरविकार के कारण से उनको चलने-फिरने, जीवन जीने में बड़ी मुश्किल आती है, उनका जीवन बहुत कम होता है। मुख्य मंत्री जी ने इसकी गंभीरता को देखते हुए 1 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने का प्रावधान किया था और हमने उसके टेंडर कर दिये, वर्क ऑर्डर दे दिये और कुछ ही दिनों में इन Muscular Dystrophy पीड़ित व्यक्तियों को, जो मुझे लगता है राजस्थान में 3-4 हजार के करीब मात्र ऐसे व्यक्ति हैं, उनको हम लोग देने का काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण घोषणा और हुई, 15 दिसम्बर को जब हमारी सरकार का एक साल पूरा हुआ तो मुख्य मंत्री जी ने वह लांच की थी, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। जन्म से 18 साल तक के उन बच्चों को जिनको गंभीर बीमारियां हैं, दर्जनों बीमारियां ऐसी हैं जिनको जेकेलॉन हॉस्पिटल, जयपुर और एम्स जोधपुर में जो रजिस्टर्ड हास्पिटल हैं, वहां इन गंभीर रोगों से ग्रसित बीमारियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद 50 लाख रुपये तक का इलाज निशुल्क और 5 हजार रुपये प्रति माह उन बच्चों को आर्थिक संबल के रूप में दिया जायेगा।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मंत्री महोदय, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह मुख्य मंत्री भजन लाल शर्मा जी का विजन है कि हम लोग समाज के प्रत्येक वर्ग को ....(व्यवधान).... नहीं, आपने प्रोविजन नहीं किया था, ऐसी असत्य बात नहीं बोलते हैं। यह हमारी सरकार का, हमारे मुख्य मंत्री जी का विजन है। इसलिए कहना चाहूंगा

संघर्ष उन नन्हे बीज से सीखिए जो जमीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है, और तब तक लड़ता है जब तक धरती का सीना चीर कर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता है।

....(व्यवधान).... आपके पास में कुछ हो तो बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिलिकोसिस नीति राजस्थान की नंबर वन पॉलिसी है। इसमें ऐसे मजदूर जो खदान में काम करते हैं, पत्थर की कटिंग का काम करते हैं, पत्थर घिसाई का काम करते हैं, जिनकी वजह से डस्ट उनके नाक में चली जाती है, उसके बाद उस व्यक्ति का जीवन बहुत कम समय के लिये रह जाता है। विभाग द्वारा सिलिकोसिस रोग का पता लगाने, रोकथाम एवं पुनर्वास हेतु सिलिकोसिस नीति का सुचारु रूप से संचालन किया जा रहा है। नीति के तहत सिलिकोसिस प्रमाणित होने पर राशि रुपये 3 लाख, सिलिकोसिस पीड़ित की मृत्यु के उपरांत सहायता राशि 2 लाख रुपये और 10 हजार रुपये की अंतिम संस्कार सहायता राशि अलग से प्रदान की जा रही है। सिलिकोसिस पीड़ित को 1500 रुपये की मासिक पेंशन, सिलिकोसिस पीड़ित मृतक की पत्नी को 1150 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की मासिक विधवा पेंशन तथा बच्चों को पालनहार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में नीति के अंतर्गत 1531 सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को राशि रुपये 45.24 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। नीति के अंतर्गत चेस्ट रेडियोग्राफ के लिये टेलीरेडियोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के उपयोग और ऑटो एप्रुवल को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, जो हमारे लिये बड़े गौरव की बात है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025 सामाजिक क्षेत्र शीर्षक के बाक्स 11-10 में उल्लिखित है कि राजस्थान सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में सिलिकोसिस प्रबंधन में टेलीरेडियोलॉजी और एआई का उपयोग कर एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। यह हमारी सरकार के मुख्य मंत्री भजन लाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में जो उपलब्धि है, उसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, यह सही है कि पिछली सरकारों ने भी हर वर्ष में दिव्यांग स्कूटी योजना के बारे में ....(व्यवधान).... हमारे उन दिव्यांग साथियों को जो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, उनको स्वरोजगार के लिये दिव्यांग स्कूटी योजना भी लागू है। स्कूटी योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु के ऐसे विशेष योग्यजन, जो कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं या स्वयं का रोजगार कर रहे हैं, को सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा संख्या 92 (3) के अंतर्गत 2 हजार युवा दिव्यांगों को 2 हजार स्कूटी

वितरण की घोषणा की गई थी और हमने हमारे इसी वित्तीय वर्ष में मार्च से पहले उन सभी 2000 स्कूटी का वितरण कर चुके हैं। जिन स्कूटियों की बात आप कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे उप मुख्य मंत्री, माननीय डाक्टर प्रेम चन्द जी बैरवा जी ने पहले भी बता दिया कि कालीबाई भील मेघावी स्कूटी योजना के माध्यम से कुछ जगह पर वितरित नहीं कर पाये थे, उनको भी हम लोग वितरित कर रहे हैं। किसी प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हो और जो संसाधन उपलब्ध हैं, हम चाहते हैं कि उनका सही समय पर सही जगह उपयोग हो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि आपने जो स्कूटी बताई हैं, वह पिछले साल की हैं। इस बजट में कितना प्रावधान है, यह बता दें।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): कल आपने यह सवाल उठाया था और कल हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा था कि 34 हजार के करीब स्कूटियों की घोषणा उन्होंने की है। कल जो परिवर्तित बजट था, उसमें आपने पढ़ा होगा।

अध्यक्ष महोदय, जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक है, उनको संबल ग्राम माना गया है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी, मंत्री जी...,

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मेरे उत्तर होने के बाद पूछ लेना।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): उत्तर होने के बाद कुछ नहीं बचता। मैं तो वैसे ही कह रहा हूं, यह नहीं बता पायेंगे, क्योंकि प्रावधान है नहीं। दूसरा यह है कि अनुजा निगम के ऋण के बारे में आप लोग बजट में लेकर आये कि उनका वन टाइम सैटलमेंट करेंगे। वो 20-20, 30-30 हजार वाले लोग हैं, क्या वन टाइम है, उनका तो पूरा ही सैटल कर दो।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो आराम से विराज रहे हैं ना? आजकल वो हमारे बीच में आ जाता है, हमको चिंता होती है।

श्री अध्यक्ष: मेरी नजर से कोई बच नहीं सकता।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपकी नजरे हमारे ऊपर हमेशा इनायत ही रहती है।

श्री अध्यक्ष: जो भी अनुशासन का पालन करेंगे, सभी पर इनायत हैं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 2 लाख रुपये तक के समस्त ऋण को माफ कर दिया, यह मैंने पहले अपने स्पीच में बता दिया है। आपका जो सुझाव है, आने वाले समय में माननीय मुख्य मंत्री के साथ बैठकर इस सम्बन्ध में भी बात करेंगे और जो भी प्रदेश के हित में होगा, उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग करेंगे।

जिस संबल ग्राम विकास योजना के बारे में आपने बताया है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याणार्थ सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 1997-98 में यह योजना प्रारम्भ की गई। यह योजना शत-प्रतिशत राज्य योजना है।

ऐसे गांव जिनकी कुल आबादी में अनुसूचित जाति की संख्या 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक है, को संबल ग्राम माना गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अब तक 4948 ग्राम इस योजना में चयनित हैं और उन चयनित ग्रामों की सूची आप सबके पास भी हैं और हम उपलब्ध भी करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: और भी है?

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बहुत है अभी। जिन माननीय सदस्यों ने इस बजट पर और अभिभाषण पर यह कहा है, विशेष रूप से विपक्ष के साथियों ने, कि हमारी सरकार ने विपक्ष के साथियों को बजट में कुछ नहीं दिया, उनको मैं तो मेरे विभाग की कुछ चीजें बताना चाहूंगा। हमारे 2025-26 के बजट में बांसवाडा में आपके विधायक अर्जुन सिंह जी बामनिया और अनुपगढ़ से हैं श्रीमती शिमला देवी, उनको बिन्दु संख्या 73 (2) में सावित्री बाई फूले विद्यालय छात्रावास की घोषणा हमारी सरकार ने की है। अनुपगढ़, डूंगरपुर, गंगापुर सिटी, नीमकाथाना, शिमला देवी जी, गणेश घोगरा जी, रामकेश मीणा जी, सुरेश मोदी जी के क्षेत्र में बिन्दु संख्या 73 (3) (1) में महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास खोलने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा हुई है। इसके साथ ही पाली से भीमराज जी भाटी, बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह जी बामनिया के यहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास की घोषणा की गई। बूंदी, हरिमोहन शर्मा जी, कुशलगढ़-बांसवाड़ा से रमीला खड़ीया जी, बामनवास-सवाईमाधोपुर से श्रीमती इन्द्रा जी के क्षेत्र में जो छात्रावास नाकारा हैं, अनुपयोगी हैं, जर्जर हैं, भूमि विहीन हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिये भी राशि का प्रावधान इसी बजट वर्ष में हुआ है। पिछले बजट वर्ष में धौलपुर में शोभा रानी कुशवाह जी के यहां राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, हरीश चौधरी जी के बायतू में राजकीय अंबेडकर छात्रावास पाटोदी-बालोतरा और श्री मांगीलाल मीणा जी राजगढ़-अलवर, लक्ष्मणगढ़-अलवर के राजकीय अंबेडकर छात्रावास रेणी अलवर में, इन सबके पुराने भवनों को तोड़कर नया आदेश जारी किया जा चुका है, वो सारे काम प्रगतिशील हैं।

msk/rtm/28.02.25/1910/4b

और तो और इसके साथ ही, रफीक खान जी सुनिये जरा।

श्री अध्यक्ष: बैठे हैं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): राजकीय देवनारायण महाविद्यालय राजकीय स्तरीय बालिका छात्रावास जामडोली, जयपुर, आपका ही क्षेत्र है। राजकीय अनुसूचित जाति महाविद्यालय बालिका (द्वितीय), जामडोली, आपका ही है, आदर्श नगर का है। इसके अन्दर भी हमारे विभाग की तरफ से काम चल रहा है। खैरथल-तिजारा में दीपचन्द खैरिया जी हैं, किशनगढ़बास राजकीय अंबेडकर.. ...(व्यवधान)...

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यह हमारे बजट का है, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नहीं, पिछले बजट से लेकर इस बजट तक जिन कांग्रेस साथियों ने यह कहा है कि हमें वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं दिया, मैं तो वह लिस्ट मेरे विभाग की उपलब्ध करा रहा हूं ताकि आप यह कह सकें कि हमने वह दिया है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): यह मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने दी है। ...(व्यवधान)...

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हनुमानगढ़ के नोहर में 50 की स्वीकृत क्षमता का राजकीय अंबेडकर छात्रावास, पाली में है, सवाई माधोपुर में है और बहुत सारे हैं। यह देखो, मांगीलाल मीणा जी हैं, दीनदयाल जी हैं, हरेन्द्र मिर्धा जी हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट हो जायेगी, आपको भी थोड़ा वक्त लग जायेगा। यह बहुत लिस्ट है, इसके बारे में भी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): ...(व्यवधान)... ये हमारी सरकार ने शुरू किये हैं।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): ना, ना, हमारी सरकार के हैं, पुराने नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगता के बारे में प्रधान मंत्री मोदी जी ने इनकी पीड़ा को समझा और दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 101 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान दिव्यांग अधिकार नियम, 2018 का निर्माण राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशन 2026 को जा सके और दिव्यांगजन को राजकीय सेवाओं में आरक्षण के बारे में बात करता हूं। प्रधान मंत्री जी ने, जिन सात कैटेगरी में पहले दिव्यांगजन पहले आते थे, उनकी श्रेणी बढ़ाकर 21 की कर दी। आज उनको सभी सेवाओं में लाभ मिल रहा है। सरकार की किसी भी योजना का लाभ हो, वह उन दिव्यांग जनों को मिल रहा है। 4 प्रतिशत का आरक्षण सरकारी नौकरियों के अन्दर भी किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पालनहार का आपको बता दिया। हमारे बहुत सारे साथी हैं, जिन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं तो उनसे इतना ही कहूंगा कि इस सरकार की तरफ से बजट में जो-जो प्रावधान किये गये हैं, प्रतिवेदन के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिये गये। कटौती प्रस्ताव की सूचना आप तक पहुंच जायेगी।

बस यह बात करते हुए कि-

झुक-झुक कर खड़ा हुआ हूं,
अब फिर झुकने का शौक नहीं,
झुक-झुक कर सीधा खड़ा हूं,
अब फिर झुकने का शौक नहीं,
अपने हाथों से रचा स्वयं,
तुमसे मिटने का खौफ नहीं,
तुम हालातों की भट्टी में जब भी मुझे झोंकेंगे,
तब-तब तपकर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।

यह भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व की सरकार है, न डरती है, न झुकती है, जैसे मोदी जी आंख से आंख मिलाकर दुश्मन देशों से बात करते हैं। उसी तरीके से बड़ी विनम्रता के साथ हम आपसे आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। आइये, हमारे साथ मिलिये और इस राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। इसलिए छोटी-छोटी बातों को अगर हम लोग याद नहीं करेंगे, वही ठीक रहेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम बात यह कहूंगा, मुझे संतुष्टि तब मिलती है, इस विभाग का मंत्री होने के नाते, जब मैंने ऐसे व्यक्तियों को जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनके लिए 'जंजीर से जीवन' का अभियान हमने चलाया। इस 'जंजीर से जीवन' के अभियान के माध्यम से हमने ऐसे कई सैंकड़ों लोगों को जो 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से जो बेड़ियों में कैद थे, उनको हमने विभिन्न पत्रकार बंधुओं के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, हमारे साथियों के माध्यम से हमने उनको वहां बेड़ियों से हटाकर विभाग की तरफ से उनको हमने अच्छा इलाज कराने का प्रयास किया है। उनमें आधे से ज्यादा लोगों को हमने मनोरोगी से सामान्य जीवन जीने के लिए उनको वापस घरों को भेजा है। यह मेरे लिए सबसे बड़ा विषय है कि ऐसे व्यक्ति..., सरकार आपकी भी रही है, मैं आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमें मौका मिला है तो हम ऐसे व्यक्तियों को सामान्य जीवन जीने के लिए उनको आधारभूत संरचना के माध्यम से, हमारे प्रयास के माध्यम से उनको हम सामान्य जीवन दे सकते हैं। मैं इसके लिए विशेष रूप से ठेठ मरुस्थलीय इलाके में जो पत्रकार अशोक शेरां जी हैं, बाड़ेमर से, वे मीडिया के माध्यम से हम लोगों को समाचार पहुंचाते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं झुझुनूं का प्रभारी मंत्री होने के नाते हमारे माननीय श्रवण कुमार जी का धन्यवाद करता हूं कि इनके माध्यम से भी हमें सूचना मिलती है और आपके पत्रकार चाहे इमतियाज अली हो, चाहे कृष्ण शेखावत जी हो, इनके माध्यम से। हमारा एक एजीएफ फाउंडेशन चलता है, उसके माध्यम से हम कई लोगों को रेस्क्यू करके उनका अच्छा इलाज करने का काम करते हैं। बिना किसी जाति भेदभाव के, जब मुझे कल झुंझुनूं के मंडावा क्षेत्र से सूचना मिली थी, मुस्तफा शेख 37 वर्षीय व्यक्ति पिछले 15 सालों से जकड़ा हुआ था, आज ही विभाग के अधिकारियों के माध्यम से हमने उसको जयपुर एसएमएस अस्पताल लाकर उसका नि:शुल्क इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा भी, पूर्व में चाहे कैरपुरा हो, चाहे इस्लामपुर हो, चाहे झुंझुनूं हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैतारण हो, इसमें हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। एक बात और। ...(व्यवधान)... आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। बोलिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो शेर सुनाया है, मैं पिछले में सुना चुका हूं। आपने मेरा ही लेकर सुना दिया।

श्री अध्यक्ष: सभी का होता है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैंने पहले ही, उठते ही कहा था कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है।

श्री अध्यक्षः इन्होंने आपसे सीखा है।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने आपसे सीखा कि नहीं सीखा?

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): साहब, सीखने और चुराने में अंतर है, मेरा शेर चुरा लिया।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हमारा मंत्रालय सेम रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपने कहां से चुराया?

श्री अध्यक्षः विराजें, हो गया।

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): बस हो गया, साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारा जो विभाग है, सबका साथ, सबका विकास के साथ में काम करता है। 51 मिनट हुए हैं, 55 पर खतम कर दूंगा।

हमारा विभाग सबका साथ, सबका विकास के साथ में काम करता है। न जाति, न पंथ, न धर्म, न मजहब की बात करता है। हम लोग समाज के वंचित वर्गों को साथ लेकर काम करते हैं, इसलिए इस समाज की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग, जो कि हमारे विभाग से जुड़ा हुआ है, वह राजस्थान की 8 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ के करीब लाभार्थी इस विभाग से जुड़े हुए हैं और इसमें वे ही लोग हैं, जो सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं।

आपने एक बात आरक्षण की और कही थी, मैं उस बात पर भी कह दूं, मेरी स्पष्टता कर दूं। मैं और मेरी पार्टी देश के प्रधान मंत्री जी से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, भारतीय जनता पार्टी के हरएक नेता ने यह कहा है कि आरक्षण सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, असमानता का प्रतीक है। इसको कभी हम लोग कतई खतम नहीं करेंगे, हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी लोग हैं, वे हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर यह टारगेट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खतम कर देगी। देश की संसद के अन्दर हो, राज्य सभा के अन्दर हो, चाहे विधान सभाओं के अन्दर हो, हमारे दल के नेताओं, हमारी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम आरक्षण को खतम नहीं करेंगे। इसमें हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति है, मुख्य मंत्री जी भी कह चुके हैं, इसलिए किसी प्रकार के बहकावे में राजस्थान प्रदेश की जनता को लाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं एक बार पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करते हुए मेरी बात को खतम करुंगा कि जिस महाकुंभ के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राजस्थान मंडपम बनाया, वहां रहने की, खाने की व्यवस्था की और महाकुंभ के लिए दो शब्द कहते हुए-

यह लोक आस्था का अभिनंदन है,

यह सनातन की शाश्वत चेतना का वंदन है,
भारत की एकता व समता का सम्मान है।

मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मांग संख्या 31 को पारित किया जाए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अभी चर्चा के दौरान माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने कहा था कि डॉ. अंबेडकर को कानून मंत्री इन लोगों ने बनाया था। उस समय मैंने उनके रेजिग्नेशन की चर्चा की थी। वह त्यागपत्र तो मुझे मिल ही गया है, लेकिन उसको सर्च करने के दौरान एक नयी चीज और मिली है, ये दोनों चीज मैं टेबल करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: टेबल कर दें। टेबल पर रख दो।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): राष्ट्रपति सचिवालय से..

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): यह लैटर भी टेबल कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: सब टेबल पर रख दो।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): जिसमें उन्होंने कहा है कि सावरकर और.. ...(व्यवधान)...

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): राष्ट्रपति सचिवालय से जब जानकारी मांगी गयी, रेजिग्नेशन के बारे में, वह रिकॉर्ड मिसिंग है। ...(व्यवधान)... राष्ट्रपति भवन से डॉ. अंबेडकर के रेजिग्नेशन का पूरा रिकॉर्ड मिसिंग है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रपति भवन कह रहा हूं। यह मैं टेबल कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दोनों टेबल रख दें, जो रखना है। टेबल रखने की अनुमति है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): 'मिस्टर डोंगे और सावरकर के द्वारा मुझे हराया गया है।' यह टेबल कर रहा हूं, यह बाबा साहब अंबेडकर का है।

श्री अध्यक्ष: टेबल कर दें, इस पर विचार कर लेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ये भूल गये थे, मांगें पारित की जाएं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, मांग संख्या - 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास को पारित किया जाए।

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,61,14,76,03, 000/-(तीन सौ इकसठ अरब चौदह करोड़ छिहत्तर लाख तीन हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,37,11,07,34,000/-(एक सौ सैंतीस अरब ग्यारह करोड़ सात लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 03 मार्च 2025 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.19 बजे, सोमवार, दिनांक 03 मार्च 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

मांग संख्या 30 - जनजाति क्षेत्रीय विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-30 मुख्य शीर्षक **जनजाति क्षेत्रीय विकास** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

1. प्रदेश में नायक जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)

2. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने, ग्राम पं. मुख्यालय इड़ता में बालिका जनजाति आवासीय छात्रावास खोलने, ग्राम पंचायत मुख्यालय ऊंचा में आवासीय जनजाति छात्रावास खोलने एवं ग्राम पीपलून व रावतखेड़ा में जनजाति आवासीय छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)

3. प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र में वर्षो से निवासरत आदिवासियों को वनाधिकार के पट्टे जारी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र में पुराने कुओं को गहरा कराने और पक्की मुंडेर कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र में विलासाय पडत, बंजर चारागाह भूमि पर वर्षो से निवासरत आदिवासी लोगों को खातेदारी हक दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
6. प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण और प्रशासनिक सेवाओं में राज्य को देय 12 प्रतिशत एस.टी. आरक्षण में से पृथक से TSP को छः प्रतिशत आरक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र में नरेगा में कार्य दिवस 200 दिन करने एवं न्यूनतम मजदूरी 400 रूपये करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं.144)

8. प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
9. प्रदेश के जनजाति क्षेत्र में विस्थापन के संबंध में चर्चा के लिए।
10. प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में बच्चों में कुपोषण की समस्या के समाधान के संबंध में चर्चा के लिए।
11. प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में छात्रावासों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)

12. प्रदेश में नायक जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)

13. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के जनजाति बाहुल्य ग्रामों को माडा क्षेत्र में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र बूंदी में 'माडा' के गांवों के विकास हेतु समुचित बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र बूंदी के माडा ग्रामों में स्वीकृत धनराशि का समुचित उपयोग नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)

16. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के जनजाति बाहुल्य तहसील क्षेत्र छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ में एकलव्य मॉडल विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

17. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के पंचायत समिति छोटी सादड़ी में वीरबाला कालीबाई छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)

18. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में घुमक्कड़ गाडोलिया लोहारों को नवीन आवासीय भवनों हेतु पट्टे दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जनजाति बाहुल्य बस्तियों बर्डोद, गूंती व डिस में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जनजाति विकास हेतु सामुदायिक केन्द्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. प्रदेश में बिखरी आबादी में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज देने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

22. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की 100 दिवस कार्य योजना के विभिन्न कार्य व व्यय की जाने वाली राशि की समीक्षा के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनीष यादव (वि.सं.111)

23. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के ग्राम राडावास, धवली, माजीपुरा एवं गुलाबबाड़ी के मध्य उपयुक्त स्थान पर अनुसूचित जनजाति (एसटी) छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)

24. सिवाना मुख्यालय पर जनजाति (एसटी) के लिए छात्रावास हेतु भूमि आवंटन एवं छात्रावास निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

25. बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर एवं बीकानेर जिलों में निवास करने वाले ढ़ाढी समाज के लोगों की जाति कंचन रिकॉर्ड में दर्ज करने के साथ मुख्यधारा में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
26. प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र की तर्ज पर रेगिस्तानी जिलों में टाडा-माडा के नाम से जिला परिषद में पदस्थापित सी.ई.ओ. को बजट आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
27. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में घुमन्तु जाति गवारिया, गाड़िया लोहार, जोगी, नाथ, कालबेलिया आदि के स्थायी निवास को लेकर विभिन्न गांवों में राजकीय भूमि के आवंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
28. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में भील जाति (एसटी) बस्तियों, मोहल्लों, ढ़ाणियों, पंचायतों में सड़क, सीसी रोड़, हैण्डपंप, पेयजल लाईन, बिजली कनेक्शन एवं कृषि बिजली कनेक्शन के लिए विशेष वरीयता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री समाराम (वि.सं.175)</u>

29. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में 75 हैण्डपंप की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
30. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में 10 मां-बाड़ी केन्द्र की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
31. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू की ग्राम पंचायत ठण्डीवेरी, ईसरा एवं पाबा तथा तहसील पिण्डवाड़ा एवं आबूरोड़ में नये जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)</u>

32. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के बिखरी एवं माडा योजना में चयनित ग्रामों में मां-बाड़ी केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
33. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में माडा, माडा क्लस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्र की योजना में विकास कार्य की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।
34. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में जनजाति बाहुल्य मोहल्लों एवं बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
35. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावास प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
36. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में जनजाति विकास कोष से विकास कार्यों की स्वीकृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>डॉ. सुभाष गर्ग (वि.सं.178)</u>

37. प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र को जनसंख्या के अनुपात में बजट का प्रावधान कर विशेष पैकेज स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)

38. प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में निवासरत भील जनजाति के लिए अनुसूचित जाति की तर्ज पर कृषि विद्युत कनेक्शनों में वरियता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा जिलों में निवास कर रहे भील जनजाति के उन्नयन एवं विकास हेतु टाडा-माडा योजना की तर्ज पर विशेष योजना शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा गायी जाने वाली लोक देवता पाबूजी की फड़ को संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र शिव में पाक विस्थापित परिवार एवं गाडिया लोहार, जोगी, ग्वारिया, ओड, सांसी, नाथ, कालबेलिया इत्यादि घुमंतु जातियों को भूमि आवंटन करने की विभागीय प्रक्रिया को पुनः शुरू करने एवं शेष रही घुमंतु जातियों का चिन्हीकरण कर भूमि आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)

42. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए एक विशेष योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक व पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागचन्द टांकड़ा (वि.सं.106)

44. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जनजाति बालक एवं बालिका छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में नवीन मां-बाड़ी केन्द्र खोलने एवं भवन निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के बस्वा में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

47. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के जनजाति आवासीय छात्रावासों में बैड बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

48. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के जनजाति बाहुल्य गांवों को माडा से जुड़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)

49. सूरतगढ़ में जनजातीय हॉस्टल खोलने, जनजातीय लोगों की पहचान कर आवास उपलब्ध कराने तथा गंगानगर जिले में जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

50. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के जनजाति क्षेत्र में पेयजल, शिक्षा, सड़क एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।
51. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के जनजाति विकास हेतु सामुदायिक केन्द्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
52. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के जनजाति वर्ग के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
53. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)

54. प्रदेश में जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरण में हुई अनियमितता की जांच करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
55. उदयपुर जिले में मां-बाड़ी केन्द्रों में वितरित किये जाने वाले पोषाहार में गुणवत्ता की जांच करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
56. प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में वितरित कि◌ेये जाने वाले पोषाहार किट में सामग्री कम होने की जांच करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।
57. प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।
58. प्रदेश के जनजाति छात्रावासों में निवासरत छात्रों की राशि में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

59. प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण के साथ रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।
60. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में टाडा योजना के अन्तर्गत जनजाति बाहुल्य बस्तियों में विकास कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।
61. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में हथकरघा एवं हस्तकला जैसे कार्यों से जुड़े लोगों के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल संस्थान की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)

62. चूरू जिला मुख्यालय पर जनजाति छात्रावास में सुविधाओं को बढ़ाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
63. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।
64. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में मीणा जाति का छात्रावास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)</u>

65. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में दोवडा, आसपुर एवं साबला में ब्लॉक स्तरीय कोचिंग सेंटर खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में दोवडा, आसपुर एवं साबला में टीएडी मद से पंचायत स्तर पर तालाब, एनिकट एवं मिनी डेम बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में स्वच्छ परियोजना व TAD मद से मां-बाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

68. उदयपुर संभाग के प्रत्येक विधान सभा ब्लॉक में भील काली बाई आवासीय विद्यालय छात्रावास खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

69. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के आसपुर, दोहड़ा एवं साबला में जनजाति क्षेत्रीय विकास का छात्रावास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जयकृष्ण पटेल (वि.सं.116)</u>

70. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में जनजाति क्षेत्रीय विकास द्वारा संचालित छात्रावासों एवं मां-बाड़ी केन्द्रों में पोषाहार की गुणवत्ता उत्तम क्वालिटी की नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में जनजाति क्षेत्रीय विकास द्वारा संचालित मां-बाड़ी केन्द्र में पदस्थापित कर्मचारियों के स्थाईकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में जनजाति क्षेत्रीय विकास के छात्रावासों में सुविधाएं नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री छगनसिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)</u>

73. विधान सभा क्षेत्र आहोर में निर्माणाधीन जनजाति आवासीय विद्यालय की स्थिति की समीक्षा के संबंध में चर्चा के लिए।

74. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सियाणा, मायलावास एवं हरजी में एसटी समाज के लिए सामुदायिक भवन की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

75. जनजाति क्षेत्र के आहोर की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी जनजाति समाज की होने से उस क्षेत्र को टाडा या माडा में सम्मिलित कराने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

76. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सियाणा एवं भाद्राजुन में जनजाति समाज के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र आहोर के सियाणा, चांदराई एवं भाद्राजुन में जनजाति समाज के लिए छात्रावास (आवासीय) बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री मोतीराम (वि.सं.120)</u>

78. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के अन्तर्गत TAD विभाग के विभिन्न आवासीय विद्यालयों व छात्रावासों में शिक्षा व अन्य सुविधाओं में गुणात्मक सुधार हेतु चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के तहत आदिवासी बाहुल्य पंचायत समिति आबूरोड़ के मुख्यालय आबूरोड़ पर खेल प्रतिभाओं को तराशने हेतु तीरंदाजी अकादमी की स्थापना पर चर्चा के लिए।

80. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की जनजाति बाहुल्य पंचायत समिति आबूरोड़ के विभिन्न गांवों में नवीन मां-बाड़ी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री बाबूसिंह राठौड (वि.सं.101)

81. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की अनुसूचित जनजाति बस्तियों में पेयजल की उचित व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प, नलकूप एवं पानी की पाईप लाईन द्वारा पर्याप्त पेयजल व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायतों में ''मां-बाड़ी केन्द्र'' की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के जनजाति गांवों एवं बिखरी बस्तियों में सामुदायिक सभा भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ में राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

86. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के उम्मेदपुरा (बाघेर), गोविन्दपुरा, अण्टा, डडवाडा, कोलाना, चंगेरी, बासघटी, राजपुरा, लक्ष्मीपुरा, नया गांव ठाकरान सहित विभिन्न ईलाकों में बरसों से खेती कर रहे भील समाज के आदिवासियों को भूमि आवंटन व पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के पनवाड में आदिवासी बालिका छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के जनजाति क्षेत्रों में नई सड़कें स्वीकृत कर गांव/ढ़ाणियों को डामरीकृत सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

89. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में माडा, माडा कलस्टर एवं बिखरी हुई जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में विकास कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के भील बाहुल्य गांवों में मूलभूत सुविधाएं और खेती के लिए सामुदायिक सिंचाई सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (वि.सं.93)

91. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में शिक्षा से वंचित गांव/ढ़ाणियों में नवीन ''मां-बाड़ी'' केन्द्र खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में एकलव्य मॉडल विद्यालय में खेलकूद हेतु खेल मैदान की स्वीकृति दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

93. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में जर्जर अवस्था के छात्रावासों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में बडगांव पंचायत समिति क्षेत्र के भूताला एवं लोसिंग क्षेत्र में नवीन बालक-बालिका छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

95. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पं.स. मुख्यालय सायरा में एक भव्य मॉडल विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ललित मीना (वि.सं.142)

96. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में नई पेयजल लाईन व सामुदायिक भवन सहरिया कॉलोनी में बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (वि.सं.31)

97. प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों के लिए योजनाओं में योग्यता के प्रावधाओं में विशेष छूट दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (वि.सं.31)

98. प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में जनजातियों को सरकारी योजनाओं से अधिक लाभान्वित किये जाने हेतु समस्त विभागों को संबंधित विभागीय योजनाओं का अधिकतम प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु बजट का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में अशिक्षा एवं जन जागरूकता की कमी के कारण विभिन्न विभागों की योजनाओं की जनजातीय क्षेत्रों के लिए समय सीमा बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)

100. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के तहसील छबड़ा व छीपाबड़ौद में माडा योजना के अन्तर्गत विकास कार्य स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री थावर चन्द (वि.सं.75)

101. प्रदेश में रेगिस्तान क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के निवासियों के लिए विशेष बजट प्रावधान के संबंध में चर्चा के लिए।

102. प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में TAD विभाग द्वारा संचालित महावाड़ी स्वच्छ परियोजना की क्रियान्विति के संबंध में चर्चा के लिए।

104. उदयपुर संभाग में नया जनजाति छात्रावास खोलने तथा संचालित छात्रावास से सूचारू संचालन के संबंध में चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र धरियावद में TAD द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)</u>

106. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के जनजाति परिवार के लोगों को सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं का समय पर लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

107. प्रदेश में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

108. प्रदेश में जनजाति क्षेत्र के कार्मिकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के जनजातिय क्षेत्रीय विकास के तहत जनजाति के ग्रामों को टाडा-माडा योजना के तहत लाकर उक्त ग्रामों में जनजाति परिवारों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के अनुसूचित जनजाति के रहवासी ग्राम, बादू का वाडा, हेमपुरा, किटनोद, कुड़ी, पारलू, कनाना, मंडली, जास्ती, शिवनगरी, भीमरलाई, कितपाला, तिलवाड़ा, होटलू, जानियाना, मूंगड़ा, खारवा, पिण्डारण, ढ़ाणी सांखला, कल्याणपुर आदि ग्रामों में जनजातीय क्षेत्रीय विकास निधि के तहत विकास कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री छोटूसिंह (वि.सं.55)</u>

111. जैसलमेर जिले के बांदा ग्राम पंचायत के भवराराम भील की ढ़ाणी में जनजाति युवकों के लिए वाचनालय बनवाने के साथ फर्नीचर व पुस्तकालय उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. जैसलमेर जिले में लाणेला ग्राम जनजाति मोहल्ला में नवयुवकों के लिए मैरीज हॉल एवं पुस्तकालय की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के जनजाति क्षेत्र की ग्राम पंचायत तुर्के की बस्ती के मालीगढ़ा गांव के स्कूल में अध्यापक लगवाने व पानी के टैंक बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखण्ड में जनजाति छात्रावास में नये कक्षा-कक्षों का निर्माण व पानी, सड़क व बिजली की सूचारू व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

115. जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ ग्राम पंचायत में जनजाति आवासीय छात्रावास निर्माण व बिजली, पानी व सड़क की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट 2
मांग संख्या 31 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-31 मुख्य शीर्षक **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता** के अन्तर्गत मांग में से **100 रुपया** कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री केसाराम चौधरी (वि.सं.35)

1. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के आवासीय छात्रावासों में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के नया गाँव मीना बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी उपखण्ड स्तर पर अनुसूचित जाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के रानी के केनपुरा में चल रहे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अध्यापकों के आवास की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत सिवाड़ा में अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)

6. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत इन्दुदा में आवासीय छात्रावास, ग्राम पंचायत अंध में अनुसूचित जाति/जनजाति का आवासीय छात्रावास, ग्राम पंचायत खजुरी उप तहसील में आवासीय छात्रावास एवं ग्राम सवाईपुर तहसील में स्तरीय आवासीय छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोगरा (वि.सं.39)

7. प्रदेश के टीएसपी क्षेत्र में दिव्यांगों को स्कूटी वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के टीएसपी क्षेत्र में नए छात्रावास खोलने तथा पुराने जर्जर छात्रावासों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के टीएसपी क्षेत्र में 2022-23 की स्कूटियाँ वितरित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (वि.सं.31)

10. विधान सभा क्षेत्र डग में वृद्धावस्था पेंशन समय पर नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र डग के टीएसपी क्षेत्र में छात्रवृत्ति समय पर देने व इसमें वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विक्रम सिंह जाखल (वि.सं.150)

12. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में मुख्यालय पर ई.डब्ल्यू.एस. के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।
13. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में मुख्यालय पर संचालित बालक छात्रावास की क्षमता 50 सीटों से बढाकर 75 सीट करने के संबंध में चर्चा के लिये।
14. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में मुख्यालय पर एक बालिका छात्रावास स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लादु लाल पितलिया (वि.सं.144)

15. शैक्षिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और बाल संरक्षण कल्याण, विकलांग कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और अम्बेडकर पुरस्कार जैसी योजनाओं की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।
16. प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण योजना के अन्तर्गत पीड़ितों को नियमानुसार 07 दिवसों में सहायता राशि से लाभान्वित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
17. प्रदेश में विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन योजना की समीक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।
18. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में विकलांगों को स्कूटी वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
19. प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल, अल्पसंख्यक परिवारों की कन्याओं के विवाह के समय हथलेवा के रूप में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (वि.सं.12)

20. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थित डॉ0 भीमराव अम्बेड़कर एस.सी./एस.टी. छात्र/छात्राओं के लिए निर्मित छात्रावासों में सीटें बढ़ाने एवं भवन निर्माण/जीर्णोद्धार/मरम्मत करवाने, प्रदेश में संचालित पालनहार योजना में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाने, प्रदेश में एस.सी./एस.टी. के कार्मिकों को भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण में रोस्टर रजिस्टर संचालित कर रोस्टर निर्धारण की वर्तमान स्थिति में विसंगतियां दूर कर विभिन्न विभागों द्वारा प्राथमिकता से लागू करने, प्रदेश में स्थित एस.सी./एस.टी. छात्रावासों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध पड़े रिक्त पदों को भरने एवं भर्ती में आरक्षण दिए जाने तथा प्रदेश में स्कूल/कॉलेज शिक्षा के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री संदीप शर्मा (वि.सं.172)</u>

21. कोटा में अनुसूचित जनजाति महाविद्यालय छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
22. प्रदेश में परित्यकता, वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का समय पर भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

<u>श्री अमित चाचाण (वि.सं.8)</u>

23. मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार सरकारी नौकरी देने के प्रावधान के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नोहर में कोरोना काल के दौरान कोरोना महामारी से अनाथ को अभी तक सरकारी नौकरी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
24. प्रदेश में आर्थिक पिछड़ा वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रिमीलेयर के लिए माता-पिता की वार्षिक आय की सीमा 08 लाख से बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
25. विधान सभा क्षेत्र नोहर में वर्ष 2023-24 में स्कूटी हेतु दिव्यांगजनों के चयन समिति द्वारा पात्र 17 लम्बित आवेदकों को स्कूटी वितरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हरिमोहन शर्मा (वि.सं.192)</u>

26. प्रदेश में वृद्धाश्रमों हेतु अनुदान की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
27. प्रदेश के वृद्धाश्रमों में देवलोकगमन हुए व्यक्तियों को धार्मिक रीति-रिवाज से दफन या क्रियाकर्म हेतु अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री श्रीचन्द कृपलानी (वि.सं.168)</u>

28. निम्बाहेड़ा उपखण्ड मुख्यालय पर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
29. प्रदेश में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन में विवाह करने वाले युगल दम्पत्तियों एवं संस्थाओं को दिए जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
30. राजस्थान की अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान जाति क्रमांक 15 पर वर्णित-गडरिया, गायरी, गाडरी, धनगर, पुर्बिया समाज को विमुक्त घुमंतु व अर्द्धघुमन्तु जनजाति की सूची में जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. जसवन्त सिंह यादव (वि.सं.61)</u>

31. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में दिव्यांगजनों के लिए स्कूटी की संख्या बढ़ाए जाने एवं तीन पहिया साईकिल का वितरण कराए जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
32. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वृद्धजनों, विधवा व दिव्यागों के फिंगरप्रिंट नहीं आने से पेंशन में हो रही समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

33. प्रदेश में समाज कल्याण छात्रावासों में वार्डन, छात्रावास अधीक्षक, रसोईया, चौकीदार एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर नई भर्ती कर सुचारू रूप से संचालन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. प्रदेश में दिव्यांगों को स्कूटी देने के संबंध में चर्चा के लिए।

35. प्रदेश में विधवा/विकलांग/ वृद्धावस्था पेंशन राशि को बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

<u>श्री गोपीचन्द मीणा (वि.सं.46)</u>

36. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में ए.डी.जे. कोर्ट तथा कोटडी उपखण्ड मुख्यालय पर ए.डी.जे. कोर्ट खोलने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री मनीष यादव (वि.सं.111)</u>

37. प्रदेश में काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में पृथक से ओ.बी.सी. वर्ग की श्रेणी सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38. प्रदेश में प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए राजधानी जयपुर सहित प्रत्येक जिला स्तर पर छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

39. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के मनोहरपुर में ओ.बी.सी. छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के धानोता में अनुसूचित जाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) के शाहपुरा में बालिका गृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री हमीर सिंह भायल (वि.सं.190)</u>

42. निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय जेतेश्वर धाम, भलवाड़ी (सिणधरी) में कला संकाय के साथ प्रवेश सीट संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

43. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में दिव्यांग केटेगरी को विभाग द्वारा स्कूटी देने की योजना में स्कूटी संख्या बढ़ाने एवं आवेदन में आने वाली समस्याओं के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44. विभाग द्वारा संचालित छात्रावास के अधीक्षक (वार्डन) के लिए एक ही स्थान पर लगातार ठहराव की सीमा एवं सिवाना क्षेत्र में कार्यरत वार्डन की समीक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण के सरलीकरण के लिए केन्द्र सरकार की भांति राज्य सरकार को नियम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के मुख्यालय–सिवाना, जिला-बालोतरा में निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री समाराम (वि.सं.175)</u>

47. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा (आबू) में समाज कल्याण होस्टल (छात्रावास) की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री शंकरसिंह रावत (वि.सं.159)</u>

48. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में वंचितों को जोडे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. अजमेर रोड़, ब्यावर में रंगमंच की भूमि पर निर्माण शीघ्र शुरू करने की विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50. प्रदेश में रावत समाज की गौत्र काठात को अल्पसंख्यक मानने के आदेश को निरस्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (वि.सं.80)</u>

51. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में विमुक्त, घुमन्तु व अर्द्धघुमन्तु समुदाय के उत्थान के कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

52. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में पालनहार योजना की क्रियान्विति में शिथिलता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

53. राजसमंद जिला मुख्यालय पर परिवार परामर्श केन्द्र के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत राजसमंद विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान एवं विगत तीन वर्षों में लाभान्वित करने की प्रगति पर चर्चा के लिए।

<u>श्री युनूस खान (वि.सं.121)</u>

56. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के ग्राम मोलासर में अम्बेडकर छात्रावास में सीटों की संख्या बढाने तथा सुविधाऐं उपलब्ध कराने एवं ग्राम तोषीणा, खुनखुना, बेरीखुर्द, धनकोली में नये छात्रावास खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय (भवन) की स्थापना की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

58. डीडवाना-कुचामन जिले के शिक्षित एवं पात्र दिव्यांगों को रोजगार के अवसर प्रदान कराये जाने एवं दिव्यांगजनों को दी जाने वाली स्कूटी योजना की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

59. प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन राशि बढाने, विधुर पेंशन चालू करने एवं छोटी उम्र की विधवाओं को अधिक राशि दिये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

60. प्रदेश में बकाया छात्रवृत्ति का शीघ्र भुगतान कराये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ0 सुभाष गर्ग (वि.सं.178)</u>

61. भरतपुर में कार्यकारी महिलाओं के लिए छात्रावास में सुविधाओं की वृद्धि न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

62. विभाग के अन्तर्गत पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

<u>श्री रविन्द्र सिंह भाटी (वि.सं.126)</u>

63. विधान सभा क्षेत्र शिव में शिव उपखण्ड मुख्यालय पर सर्व समाज आवासीय विद्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

64. विधान सभा क्षेत्र शिव में शिव उपखण्ड मुख्यालय पर अतिरिक्त पिछडा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र शिव में शिव उपखण्ड मुख्यालय पर आर्थिक रूप से कमजोर (ई.डब्ल्यू.एस) वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

66. विधान सभा क्षेत्र शिव में गडरारोड उपखण्ड मुख्यालय पर अनुसूचित जनजाति वर्ग (एस.टी) के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

67. विधान सभा क्षेत्र शिव में रिक्त पदों को अविलम्ब भरने के क्रम में चर्चा के लिए।

श्री <u>बालमुकुन्दाचार्य (वि.सं.102)</u>

68. प्रदेश में दलित एवं वंचित समाज के उत्थान की योजना प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिए।

69. दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत दिव्यांगों को विधायक कोष से स्कूटी देने में अत्यधिक विलम्ब एवं आनाकानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

70. भिखारियों का पुनर्वास एवं भिक्षावृत्ति पर सख्ती से रोक लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

71. दिव्यांगों एवं सामाजिक दृष्टि से पिछडे व्यक्तियों के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं के लिए अम्बेडकर पुरस्कार शुरू करने पर चर्चा के लिए।

72. बेसहारा वृद्ध एवं विधवा महिलाओं के लिए आश्रय स्थल बनाने तथा उनकी पेंशन राशि में वृद्धि करने पर चर्चा के लिए।

<u>श्री समाराम (वि.सं.175)</u>

73. दिव्यांगों को तीन पहिया (मोटर साईकिल) वाहन दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री रेवन्तराम डांगा (वि.सं.189)</u>

74. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के कुचेरा में एससी वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु समाज कल्याण विभाग का छात्रावास निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के शंखवास में ओ.बी.सी. वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु समाज कल्याण विभाग का छात्रावास निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री गोविन्द प्रसाद (वि.सं.48)</u>

76. अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण योजना अन्तर्गत पीडितों को नियमानुसार सात दिवसों में सहायता राशि से लाभान्वित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में पालनहार योजना के अन्तर्गत पालनहार नवीनीकरण माह जुलाई से आदिनांक तक शत-प्रतिशत नहीं हो पाने पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन सत्यापन का कार्य माह नवम्बर से आदिनांक तक शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं होने पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अन्य पिछडे वर्गो के सभी विधार्थियों को स्वीकृति पश्चात छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

80. उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्तमान सत्र के आवेदकों को वर्तमान सत्र में ही छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री भाग चन्द टांकडा (वि.सं.106)</u>

81. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में बांदीकुई मुख्यालय पर कार्यालय भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में विभिन्न छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. दौसा जिले में विगत दो वर्ष से बकाया चल रही सिलीकोसिस पीडितों को पेंशन एवं मृत्यु पश्चात सहायता राशि उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

84. प्रदेश में पिछडी जाति के प्रमाण पत्र की प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण की बाध्यता को समाप्त कर आवश्यकता होने पर ही नीवनीकरण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई मुख्यालय पर ई.डब्ल्यू.एस. के विधार्थियों हेतु छात्रावास की स्थापना के सबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री डूंगरराम गेदर (वि.सं.72)</u>

86. सूरतगढ में अन्य पिछडा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु सरकारी भूमि एवं भवन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

87. सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रों की छात्रवृत्ति, इंटरकास्ट मेरिज आदि जैसी प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन एवं भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी ब्लॉक स्तर पर स्थापित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय को हस्तांतरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. सूरतगढ एवं जैतसर स्थित अम्बेडकर छात्रावास एवं सावित्रीबाई फूले कन्या छात्रावास में सीटे बढाने तथा बीरमाना में अम्बेडकर छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

89. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में वृद्धावस्था पेंशन एवं दिव्यांगजन सहायता में कटौती पर चर्चा के लिए।
90. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के सामाजिक न्याय अधिकारिता में देय सामाजिक पेंशन योजना के तहत वंचित पात्र व्यक्तियों को जोडे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)

91. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर के अनुसूचित जाति छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
92. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि में वृद्धि पर चर्चा के लिए।
93. अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
94. अनुसूचित जाति की बस्तियों में आवश्यक सुविधाओं के लिए देय राशि में वृद्धि पर चर्चा के लिए।

श्री लालाराम बैरवा (वि.सं.145)

95. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत शाहपुरा में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।
96. शाहपुरा मुख्यालय पर राजकीय छात्रावास (भील समाज) के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए।
97. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उपखण्ड मुख्यालय फुलियाकलां में छात्रावास की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।
98. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के उपखण्ड मुख्यालय बनेडा में छात्र व छात्राओं हेतु छात्रावास के निर्माण कार्य पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (वि.सं.113)

99. प्रदेश में महिलाओं के छोटी उम्र के दौरान विधवा हो जाने के उपरान्त पॉच हजार रूपये पेंशन दिये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
100. विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर के सिद्धमुख् तहसील में सामाजिक छात्रावास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।
101. प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन समय पर नहीं मिलने व इसे बढाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

102. प्रदेश में सरकारी कर्मचारी के वृद्ध माता-पिता को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

103. सामाजिक छात्रावास राजगढ में आवासीय छात्रों को सुविधा उपलबध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री उमेश मीणा (वि.सं.23)</u>

104. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में वृद्धावस्था पेंशन विगत चार माह से नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

105. प्रदेश में विद्यालय व महाविद्यालय में विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री जयकृष्ण पटेल(वि.सं.116)</u>

106. विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में कालीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत छात्राओं को स्कूटी नहीं मिलने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा में विगत चार महीने से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री धर्मपाल (वि.सं.83)</u>

108. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हेतु भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र खेतडी के बबाई में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं के लिए एक बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

110. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में संचालित छात्रावास के जीर्णोद्वार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री छगन सिंह राजपुरोहित (वि.सं.54)</u>

111. विधान सभा क्षेत्र आहोर के भेंसवाडा में डॉ0 अम्बेडकर आवासीय विद्यालय में भौतिक संसाधनों की कमी को दुरूस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

112. प्रदेश में दिव्यांगों को ट्राई साईकिल स्कूटी एवं अन्य सामग्री दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र आहोर के आवासीय विद्यालय हरियाली में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र आहोर के भादराजुन एवं चांदराई में छात्रावास की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

115. निष्क्रमणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय हरियाली में विद्यालय भौतिक संसाधन की कमी के कारण विद्यार्थियों की परेशानी को दूर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मोतीराम (वि.सं.120)

116. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के तहत विभिन्न छात्रावासों में रिक्त पडे विभिन्न पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. विभाग की ओर से दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूसिंह राठौड (वि.सं.101)

118. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ में शेरगढ उपखण्ड मुख्यालय पर आर्थिक रूप से कमजोर (ई.डब्ल्यू.एस.) वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. प्रदेश में विधवा महिलाओं के बालक-बालिकाओं को पालनहार योजना में दी जाने वाली सहायता राशि को बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ में डॉ. भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति छात्रावास बालेसर की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्र छात्राओं की लम्बित छात्रवृत्ति राशि शीघ्र दिलाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ की तहसील सेखाला एवं नाथडाऊ में अनुसूचित जाति के छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश गुर्जर (वि.सं.176)

123. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी व खानपुर में आर्थिक रूप से कमजोर (ई.डब्ल्यू.एस.) वर्ग के लिए छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. प्रदेश में वृद्धजनों, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन राशि बढाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

125. प्रदेश में वृद्धजनों, विधवा व दिव्यांगों को राशन सामग्री डोर स्टॉप डिलेवरी के माध्यम से पहुचाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पिछडा वर्ग छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. प्रदेश में विधवा महिलाओं के बालक-बालिकाओं को पालनहार योजना में दी जाने वाली राशि बढाने और नियमों में सरलीकरण करके कवरेज बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अनिल कुमार शर्मा (वि.सं.05)

128. सरदारशहर स्थित बांपा सेवा सदन में अनुसूचित जाति के बालिका छात्रावास को चालू करवाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

129. सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र के गांव बरलाजसर में अनुसूचित जाति के बालिकाओं/ बालकों के लिए अम्बेडकर छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र (वि.सं.128)

130. जिला दौसा एवं विधान सभा क्षेत्र महवा में एस.टी./एस.सी. एवं अन्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति देने तथा जनजाति छात्र-छात्राओं को आवासीय छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रताप लाल भील (वि.सं.93)

131. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में पालनहार योजना में वंचित परिवारों को योजना से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए।
132. वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना में जो व्यक्ति बैंकों तक नहीं पहुच पाते उनको मनीआर्डर से पेंशन का भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिए।
133. विभाग द्वारा मेधावी छात्राओं को स्कूटी योजना में समय पर स्कूटी प्रदान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।
134. विधानसभा क्षेत्र गोगुन्दा पंचायत समिति सायरा के ग्राम पंचायत मरदा में नवीन छात्रावास खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम बैरवा (वि.सं.131)

135. विधान सभा क्षेत्र बांरा-अटरू में विभाग के छात्रावासों/भवनों का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य करने हेतु बजट स्वीकृति की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती कल्पना देवी (वि.सं.28)

136. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के अम्बेडकर डी.बी.टी. वाऊचर योजना के चयनित अभ्यार्थियों का समय पर भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
137. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ अल्प संख्यक वर्ग के बी.पी.एल. परिवार को छोडकर शेष सभी वर्गों के बी.पी.एल. परिवार, आस्था कार्डधारी ई.डब्ल्यू.एस. की 18 वर्ष से या इससे अधिक आयु वर्ग की कन्याओं का सर्वे कराया जाकर देय सहायता राशि का भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
138. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अति पिछडा-अन्य पिछडा एवं आर्थिक पिछडा वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नियमानुसार उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्तियों को निर्धारित समय पर भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कालूराम (वि.सं.31)</u>

139. राजकीय आवासीय विद्यालय योजना के तहत आवासीय विद्यालयों को सीधा निदेशालय से बजट आवंटन एवं प्रिंसीपल द्वारा व्यय करने का अधिकार वापस लेकर राजकीय छात्रावासों एवं ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय की तर्ज पर मेस राशि व कार्यालय व्यय की राशि जिला कार्यालय से भुगतान किया जाकर जिला कार्यालय का नियंत्रण आवासीय विद्यालयों पर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. राजकीय छात्रावासों में आवासित छात्र -छात्राओं को कपड़े एवं गर्म वस्त्र व जूते की राशि डी.बी.टी. किये जाने के बावजूद आवासित छात्र - छात्राओं द्वारा डी.बी.टी. राशि से कपड़े, गर्म वस्त्र व जूते की खरीद न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

141. राजकीय छात्रावासों में अनावर्तक सामग्री की खरीद संभागीय जिलों के माध्यम से न कराकर पूर्व की तरह संबंधित जिले को खरीदने का अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री प्रताप सिंह सिंघवी (वि.सं.94)</u>

142. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की तहसील छबडा व छीपाबडोद में छात्रावास स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री थावर चन्द (वि.सं.75)</u>

143. उदयपुर संभाग जनजाति क्षेत्र में वृद्धजनों, विधवा व दिव्यांगों के फिंगरप्रिन्ट नहीं आने से पेंशन में हो रही परेशानी के संबंध में आवश्यक चर्चा के लिए।

144. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत पेंशन सत्यापन का कार्य माह नवम्बर से आज दिनांक तक शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

145. प्रदेश में उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आदिवासी छात्रों की स्वीकृत राशि का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र धरियावाद में छात्रावासों के सुचारू संचालन की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>डॉ. विश्वनाथ मेघवाल (वि.सं.155)</u>

147. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला के छत्रगढ़ उपखण्ड स्तर पर राजकीय अम्बेडकर छात्रावास के नवीन भवन की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

148. खाजूवाला मुख्यालय पर राजकीय अम्बेडकर छात्रावास के नवीन भवन की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

149. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला मुख्यालय पर कन्या महाविधालय छात्रावास के भवन निर्माण की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री अरूण चौधरी (वि.सं.11)</u>

150. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा, पचपदरा, जसोल, कल्याणपुर, मण्डली में विद्यार्थियों के लिये वाचनालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. प्रदेश की स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं को समय पर स्कूटी वितरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के दिव्यांग पुरूष एवं महिलाओं को स्कूटी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153. प्रदेश के छात्र एवं छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति की राशि न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

154. प्रदेश में विभाग में एक ही स्थान पर कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के ठहराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

<u>श्री छोटू सिंह (वि.सं.55)</u>

155. जैसलमेर जिले के मुख्यालय में ई.डब्ल्यू.एस. एवं ओ.बी.सी. हेतु नये छात्रावास खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

156. जैसलमेर जिले में सी.एस.आर. बजट से विशेष योग्यजनों के लिये शिक्षा का केन्द्र व स्किल डवलपमेंट के लिऐ अलग से छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. जैसलमेर जिले के दिव्यांग (विशेष योग्यजन) नौजवान के लिए होटल व सोलर कम्पनियों में योग्यतानुसार रोजगार दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

158. जैसलमेर जिले में नशामुक्ति केन्द्र में अतिरिक्त आवास में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

159. जैसलमेर जिले के समाज कल्याण छात्रावासों में अतिरिक्त भवनों का निर्माण व जर्जर भवनों का पुन: निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

<u>श्री कालीचरण सराफ (वि.सं.30)</u>

160. प्रदेश में अनुसूचित जाति के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को मिलने वाली राशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।